जिला आपदा प्रबंधन योजना

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN
2026-2027

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जनपद अल्मोड़ा

संदेश

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
अल्मोड़ा।

आपदायें अचानक घटित होने वाली प्राकृतिक अथवा मानव जनित विस्मयकारी घटनायें हैं। प्रतिवर्ष इनसे जन–जीवन, सम्पदा एवं धन–धान्य का व्यापक नुकसान होता है। आपदायें असामान्य रूप से कभी भी और कहीं भी घटित होकर कुछ ही समय में भू–भौतिक, जलवायविक, जैविक और मानवीय कारकों के द्वारा व्यापक स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं। आपदाओं के घटित होने का कोई निश्चित पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है किन्तु इनकी प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार होने वाले नुकसान और दुष्प्रभावों को पहले से तैयारी कर न्यूनीकृत एवं नियंत्रित किया जा सकता है। आपदाओं की स्थिति में त्वरित बचाव, सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा तथा समय पर राहत सहायता उपलब्ध कराते हुये, प्रभावितों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास की समस्या का निराकरण कर सामान्य स्थिति की बहाली और समन्वित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना आपदा प्रबन्धन चक्र के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

अपनी विशिष्ट भू–भौतिक स्थिति, जलवायु में विविधता, भूगर्भीय संरचनाओं के कारण जनपद अल्मोड़ा में भूकम्प, भूस्खलन, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, और वज्रपात जैसी जलवायविक विपदाऐं अक्सर घटित होती रहती हैं। पर्यटन, परिवहन, व्यापार, कृषि एवं वानिकी आधारित कार्यों एवं गतिविधियों के कारण यहां पर सड़क दुर्घटनाऐं, अग्निकांड, वनाग्नि, महामारी तथा नरभक्षी जानवरों के आतंक की समस्याऐं भी बनी रहती हैं। उपरोक्त आपदाओं के न्यूनीकरण एवं नियंत्रण हेतु पूर्व तैयारियां विभाग और जन समुदाय के बीच परस्पर समन्वय तथा आपदाओं से पूर्व, आपदाओं के दौरान एवं के पश्चात की स्थितियों में नियंत्रण ,खोज बचाव, राहत, पुनर्स्थापना कार्यों को सुगमता से करने के उद्देश्य से जनपद अल्मोड़ा की जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना बनायी गयी है, ताकि अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को एक व्यावहारिक एवं बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिये मैं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्ययोजना को संकलित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में अपर जिला अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों, जिला सूचना अधिकारी और भारत सरकार व राज्य सरकार के क्षेत्रीय व जनपदीय अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित।

अंशुल सिंह (आई.ए.एस.)
जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।

प्राक्कथन

अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
अल्मोड़ा।

प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों की तरह ही इस नैसर्गिक जनपद अल्मोड़ा में भी भवन निर्माण में बेतहासा वृद्धि हुई है और इस वृद्धि ने संवेदनशील क्षेत्र की अनेकानेक विचारकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों को इस क्षेत्र के लिए सोचने पर मजबूर किया हैं। बीते वर्षो से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन व भूकम्प ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप ने मानव समाज, पर्यावरण एवं विकास प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डाला है। जनपद भूकम्प के दृष्टिगत जोन IV व V में आता हैं।

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संवेदनशीलता के चलते आपदा प्रबन्धन मंत्रालय एवं विभाग का गठन किया गया है। इसके पीछे आपदाओं के न्यूनीकरण का मकसद ही प्रमुख है। यही वजह है कि गांव–गांव तक लोगो को आपदाओं के वक्त सचेत करने के लिए बृहद स्तर पर जागरूकता अभियान संचालित किए जाते रहे हैं। युवाओं तथा महिलाओं के साथ पंचायतों को इस दिशा में सजग किया जा रहा है। अब यह जरूरी हो गया है कि हम आपदाओं से नित्य जूझने की मानसिकता तैयार करें व अपनी जीवन शैली में आपदा न्यूनीकरण के उपायों को अपनायें। अभी तक के अनुभव बताते हैं कि जिन देशों ने आपदाओं के न्यूनीकरण की दिशा में कदम उठाये हैं वहां पर आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने में सफलता पाई हैं। इस पक्ष में आत्मसात किए जाने के सरकारी प्रयासों के साथ आम आदमी को इसमें भागीदार बनना होगा। विकास की प्रक्रिया को सतत जारी रखने के लिए हमें उन उपायों पर भी ध्यान देना होगा जिससे प्रकृति के साथ होने वाली छेड़छाड़ से बचा जा सके।

प्राकृतिक आपदायें हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रही है। किन्तु इन आपदाओं से जूझना मानव का स्वभाव हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के प्रयासों से जनपद स्तरीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण बेहतरीन कार्य करने का प्रयास कर रहा हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं राहत कार्य की सफलता का मूल मंत्र कार्यरत अधिकारियों की सूझ–बूझ, निष्ठा, संवेदनशीलता, निर्णय व नेतृत्व क्षमता है तथापि मेरा विश्वास है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा संकलित सामग्री आपदा की स्थिति में प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करेगी।

शुभकामनाओं सहित।

युक्ता मिश्र)
अपर जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

प्रस्तावना

जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अल्मोड़ा।

अल्मोड़ा उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मंडल में स्थित है। अल्मोड़ा एक घोड़े की काठी के आकार की पहाड़ी की चोटी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। उस चोटी के पूर्वी भाग को तेलीफट और पश्चिमी भाग को सेलीफट के नाम से जाना जाता है।

हिमालय क्षेत्र हमेशा से ही भूकंप भूस्खलन बाढ़ आदि जैसी नई टेक्टोनिक पर्वत निर्माण प्रक्रिया के कारण आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। बेतहाशा विकास गतिविधियों के प्रसार ने कई प्राकृतिक आपदाओं को मानव निर्मित घटनाओं में बदल दिया है। ऐसी आपदाएँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक सामाजिक–आर्थिक भूमिका निभाती हैं और अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं।

समय की शुरुआत से ही मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाएँ मनुष्य के विकास का हिस्सा रही हैं। भूकंप बाढ़, जंगल की आग रासायनिक आपदाएँ और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ अक्सर बिना किसी चेतावनी के हमला करती हैं जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इसमें स्थिति का बेहतर प्रबंधन उसका त्वरित मूल्यांकन आवश्यक चिकित्सा आवश्यकताओं और परिवहन की आपूर्ति पीने के पानी और भोजन की आपूर्ति पर्यावरण को और अधिक नुकसान से बचाना और पूरी प्रक्रिया में वैधता बनाए रखना भी शामिल है। जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन की आवश्यकता और भी बढ़ गई है।

बदलती जलवायु और मानवीय गतिविधियों के कारण आपदा घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इस जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना में जिले के लिए एक विस्तृत आपदा शमन रणनीति तैयार की गई है जो भविष्य में आपदा घटनाओं के प्रबंधन के लिए सहायक हो सकती है।

उक्त के दृष्टिगत यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि समय रहते आपदाओं के रोकथाम, न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना विकसित कर उसका क्रियान्वयन किया जाये ताकि आपदा से सम्भावित क्षति को यथासम्भव न्यून किया जा सके।

(विनित पाल)
जिला अपदा प्रबन्धन अधिकारी,
अल्मोड़ा।

मुख्य परामर्शदाता एवं सम्पादन

अंशुल सिंह (आई0ए0एस0)

जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा

पर्यवेक्षण

युक्ता मिश्र (पी0सी0एस0)

अपर जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा

संकलन एवं प्रारुप

विनीत पाल

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा

सहयोग एवं परामर्श

समस्त जनपदीय अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा

टंकन एवं साज–सज्जा

मनोज अधिकारी,सहा0प्रबन्धक / प्रभारी

मानचित्र संकलन

जी0आई0एस0 सैल

विषय सूची

अध्याय 1 : जनपद अल्मोडा–एक परिचय 1-16

1.1 जनपद का ऐतिहासिक परिचय
1.2 जनपद की प्रशासनिक संरचना
1.3 आर्थिक व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य
1.4 जनपद की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक/आर्थिक विवरण
1.5 भू–आकृतिकी
1.6 जलवायु
1.7 वर्षा
1.8 भूमि उपयोग
1.9 नदियॉ

अध्याय 2 : खतरा एवं संवेदनशीलता आंकलन 17-26

2.1 जनपद सामान्य जानकारी
2.2 जनपद की भौगोलिक स्थिति
2.3 जनपद से विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर
2.4 जनपद में पिछली आपदाओं का मैट्रिक्स
2.5 जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण भूस्खलन प्रभावित मार्ग
2.6 पुर्नवासित एवं पुर्नवास हेतु प्रस्तावित ग्रामों का विवरण

अध्याय 3 : आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थायें 27-64

3.1 राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबन्धन संगठनात्मक संरचना
3.2 राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना
3.2.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)
3.2.2 राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी)
3.2.3 आपदा प्रतिक्रिया बल
3.3 जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना
3.3.1 जनपद में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)
3.3.2 जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना और जिले में उपलब्ध सुविधाएं
3.3.3 जनपद में विभिन्न आपदाओं के रोकथाम हेतु समितियों का गठन
3.3.4 तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति
3.3.5 तहसील में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)

अध्याय 4 : रोकथाम और शमन उपाय/आपदा जोखिम न्यूनीकरण 65-75

4.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य
4.2 पर्यावरणीय संवेदनषीलता (भूस्खन और सड़क अवरूद्ध, त्वरित बाढ़/जलभराव, भूकंप, वनाग्नि, बाढ, बादल फटना, सड़क दुर्घटनाएँ, हिमपात)
4.3 खतरे के लिए विशिष्ट रोकथाम और न्यूनीकरण शमन उपाय
4.2.1 संरचनात्क उपाय
4.2.2 गैर संरचनात्मक उपाय
4.4 राज्य व केन्द्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना
4.5 राज्य के नियंत्राधीन समस्त अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना
4.6 सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण
4.7 समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य

अध्याय 5 : तैयारी के उपाय 76- 95

5.1 तैयारी उपायों का उद्देश्य
5.2 आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हितधारकों की पहचान
5.3 विकलांग व्यक्तियों की निकासी (Evacuation) और प्रतिक्रिया (Response)
5.4 विभिन्न कार्यो के लिए टीमों का गठन
5.5 जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना
5.6 अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
5.7 लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भडार की जॉच और प्रमाणन
5.8 चेतावनी प्रणाली का परीक्षण
5.9 जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) का परीक्षण
5.10 मौसमी आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण
5.11 जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान
5.12 गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों का समन्वय
5.13 जन हानि प्रबन्धन (Mass Casualty Management)
5.14 राहत, भोजन और पानी
5.15 आश्रय/चिकित्सा/राहत शिविर
5.16 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (आपातकालीन अलर्ट सिस्टम, सायरन, सैटेलाईट फोन हेल्पलाइन और इमरजेंसी नम्बर)
5.17 विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी
5.18 आईआरएस (IRS) को सक्रिय करना
5.19 अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
5.20 मानव एवं सामग्री संसाधनों की सूची (Resource Inventory of Man and Material – IDRN/SDRN)

अध्याय 6 : क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण 96-103

6.1 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण दृष्टिकोण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य।
6.2.1. सरकारी अधिकारियें का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
6.2.2 सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ।
6.3 प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर।
6.3 मॉक ड्रिल का आयोजन एवं अपेक्षित कार्यवाही एवं समीक्षा।
6.4 जनपद में पूर्व में आयोजित विभिन्न मॉक अभ्यासों का विवरण।
6.5 जनपद में राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास में से प्राप्त अनुभव प्राप्त सुझाव।

अध्याय 7 प्रतिक्रिया एवं राहत उपाय (Response and Relief Measures) 104-121

7.1 राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यो के मुख्य उद्देष्य
7.2 प्रतिक्रिया योजना (बहु आपदा प्रबंधन), तैयारी और त्वरित मूल्यांकन (Quick Assessment of Damages and Needs)
7.2.1 क्षति और आवष्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन (Quick Assessment of Damages and Needs)
7.2.2 प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट (Response Flow chart)
7.2.3 चेतावनी और सतर्कता (Warning and Alert)
7.2.4 जिला संकट प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक

7.2.5 आपातकालीन संचालन केन्द्र (EOC) का सक्रियकरण
7.2.6 संसाधनों का संचालन (Resource Mobilization)
7.2.7 बाहरी सहायता प्राप्त करना (Seeking External Help for Assistance)
7.2.8 प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल (Psycho & Social Care of Affected Population)
7.2.9 प्रारभिक मूल्यांकन रिपोर्ट (First Assessment Report)
7.2.10 मीडिया प्रबंधन/समन्वय/सूचना प्रसार (Media Management/ Coordination/ Information Dissemination)
7.2.11 एसओपी (SOPs) का विकास
7.2.12 रिपोर्टिंग (Reporting)
7.3 जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) का विकास
7.3.1 खतरों (Hazards) के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स
7.3.2 त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) जहां पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती
7.4 आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव तथा प्रतिक्रिया कार्यो के दायित्व
7.4.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर किये जाने वाले कार्य
7.4.2 आपदा प्रतिवादन कार्य का सक्रियकरण
7.4.3 राहत एवं प्रतिवादन के कार्य
7.4.4 खोज एवं बचाव
7.4.5 प्रारंभिक आंकलन
7.4.6 राहत वितरण
7.4.7 अनुश्रवण
7.4.8 प्रतिवादन निष्क्रियकरण
7.4.9 पुर्ननिर्माण कार्य

अध्याय 8 आपदा पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापना उपाय (Reconstruction, Rehabilitation And Recovery Measures) **122-126**
8.1 परिचय
8.2 पुनःनिर्माण एवं पर्नस्थापन के चरण
8.3 पुनः निर्माण एवं पर्नस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व
8.5 क्षति आकलन प्रक्रिया
8.5 लधु अवधि की पुननिर्माण गतिविधियां
8.6 दीर्ध अवधि की पुननिर्माण गतिविधियां

अध्याय 9 आपदा प्रबंधन कार्ययोजना को लागू किये जाने हेतु बजट व्यवस्था (Financial Resources For Implementation of DDMP) **131-133**
9.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उतराखण्ड में वित्तीय व्यवस्थाएँ
9.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष
9.3 राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ
9.4 तकनीकी वित्तीय व्यवस्था (Tcchno & Financial Regime)
9.5 अन्य वित्तीय विकल्प

अध्याय 10 डीडीएमपी की निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिए प्रक्रिया और कार्य प्रणाली (Procedure And Methodology For Monitoring Evaluation Updating And Maintenance) **134-137**
10.1 परिचय
10.2 डीडीएमपी रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी
10.3 डीडीएमपी उचित निगरानी और मूल्यांकन

10.4 डीडीएमपी के लिए आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र
10.5 डीडीएमपी के अद्यतनीकरण की अनुसूची
10.6 डीडीएमए/एसडीएमए वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना
10.7 मॉक ड्रिल का आयोजन
10.7.1 जिला अभ्यास आयोजित करने के लिए जिम्मेदार पक्ष
10.7.2 ड्रिल के आयोजन का कार्यक्रम

अध्याय 11 डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism for Implementation of DDMP) **138-141**
11.1 अन्तर–विभागीय समन्वयः
11.2 विकासखण्ड स्तरीय समन्वयव तंत्र
11.2.1 तहसील स्तरीय समन्यवय तंत्र
11.2.2 स्थानीय स्तर पर व्यवस्था
11.3 जिला विभागों और प्रषिक्षण संस्थानों के साथ समन्यवय प्रणाली
11.4 समुदाय के साथ समन्यवय तंत्र
11.5 एनजीओ, सीबीओ, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ समन्यवय तंत्र
11.6 अन्य जिलों और राज्य के साथ समन्वयव

अध्याय 12 मानक प्रचालन विधि एवं चैक लिस्ट (Standard Operation Procedures and Cheek list) **142-151**
12.1 पूर्व चेतावनी प्रबंधन
12.2 पूर्व चेतावनी मिलने पर निकासी
12.3 जब कोई पूर्व चेतावनी न हो तो निकासी
12.4 खोज और बचाव
12.5 राहत कार्य
12.6 आवष्यक सेवाओं की बहाली
12.8 शव निपटान
12.9 सूचना एवं मीडिया प्रबंधन
12.9 वीआईपी विजिट प्रबंधन
12.10 राहत षिविरों की स्थापना

अध्याय : 1
जनपद परिचय (Introduction)

1.1.जनपद का ऐतिहासिक परिचय

उत्तराखण्ड राज्य के मध्य हिमालय की गोद में स्थित कुमाऊँ भौगोलिक, ऐतिहासिक व राजनैतिक दृष्टि से भारत के भू–भाग का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तराखण्ड, केदारखण्ड व मानस खण्ड में विभक्त है। जहॉ केदारखण्ड में वर्तमान गढवाल सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित जनपद अल्मोड़ा के उत्तर में बागेश्वर, पूरब में पिथौरागढ़, दक्षिण में नैनीताल तथा पश्चिम में चमोली जनपद की सीमायें हैं। कोसी एवं सुयाल नदी के मध्य स्थित काषायः पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित विष्णु क्षेत्र को अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है, अल्मोड़ा की स्थापना के संदर्भ में इतिहासकारों के मत में विभिन्नता है। विद्वानों का मानना है कि यह क्षेत्र सन् 1530 के आसपास राजा भीष्म चन्द्र ने बसाया था। चम्पावत से राजधानी स्थानांतरित कर राजा बालो कल्याण ने अल्मोड़ा में यह नगर वर्तमान नगर के समीप खगमराकोट नामक स्थल के पुराने किले पर राजा द्वारा आवास बनाया गया था। इस जनपद का कुमाऊँ मण्डल में चन्दवंशीय राजाओं की राजधानी होने के कारण, अपनी प्राचीन परम्पराओं तथा संस्कृति के लिए एक विशेष स्थान है। अल्मोड़ा में चन्द राजधानी की स्थापना के साथ समाज के विविध वर्गों के लोग यहॉ बसते गये। धार्मिक प्रवृति के होने से चन्द राजाओं ने कई धार्मिक उपासना केन्द्र यहॉ स्थापित किये थे। यहॉ की सांस्कृतिक उपलब्धि में अवरोध सन् 1744 में आया, जब रोहिला आक्रमण के फलस्वरूप महत्वपूर्ण स्थलों को समाप्त करने के प्रयास हुये। सन् 1815 में यह क्षेत्र ब्रितानवी शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश काल में जनपद अल्मोड़ा को कुमायूॅ कमिश्नरी मुख्यालय बनाया गया था, कालान्तर में कमिश्नरी मुख्यालय को नैनीताल स्थानान्तरित कर दिया गया।

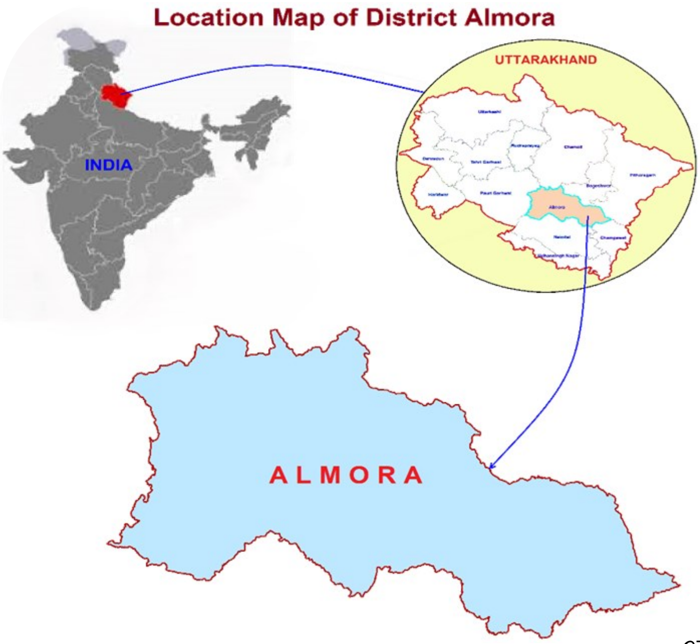

देवभूमि हिमालय की संस्कृति में अल्मोड़ा का विशिष्ट स्थान रहा है। यह क्षेत्र एक धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विद्वत समाज का आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र की पर्वत मालायें विविध प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अवशेषों के प्रमाणों से भरी हैं। यह जनपद सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी अतीत से लेकर वर्तमान तक अनेक रूपों से विख्यात है तथा अनादि काल से महापुरूषों, सिद्धों एवं साधकों का प्रेरणास्रोत भी रहा है। जनपद अल्मोड़ा सांस्कृतिक परम्पराओं के लिये विश्वविख्यात है, गॉधी जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर,स्वामी विवेकानन्द, मोतीलाल नेहरू, एनीबेसेन्ट एवं मीरा बहन जैसे विचारक ब्रूस्टर जैसे चित्रकार, उदयशंकर जैसे सांस्कृतिक कर्मी इसी अल्मोड़ा से प्रभावित हुए।

जनपद का भौगोलिक भू–भाग सिन्धुतल से 750 मीटर से प्रारम्भ होकर 2000 मीटर से ऊपर है। सरयू, कोसी, रामगंगा, गगास तथा सुयाल यहॉ की प्रमुख नदियॉ हैं। प्राकृतिक बनावट के आधार पर जिले को मुख्य रूप से दो भागों में बॉटा जा सकता है–

1) पर्वतीय क्षेत्र

पर्वतीय क्षेत्र में उच्च पर्वत शिखर, जिनमें डोटियाल (मानिला), मालीखेत (स्याल्दे), भौनखाल (सल्ट), लोधियाखान (ताड़ीखेत), चौबटिया, स्याहीदेवी, भटकोट, वृद्धजागेश्वर, बिनसर, मोरनौला, गणानाथ, मल्लिका आदि हैं। इस क्षेत्र में

घने वन हैं। वनों में सदाबहार व पतझड़वाले वृक्ष पाये जाते हैं, जिनमें बॉज, बुराश, उतीस ,काफल, चीड़, देवदार आदि के वृक्ष हैं।

2) नदी घाटी क्षेत्र

नदियों के किनारे स्थित घाटी क्षेत्र 600 से 1200 मी0 तक हैं। प्रमुख नदियों में कोसी, सुयाल, पश्चिमी रामगंगा, गगास, पनार आदि हैं। नदियों के किनारे समतल उपजाऊ भूमि को स्थानीय भाषा में सेरा कहा जाता है। इनमें बासुलीसेरा, रावलसेरा, बैराटसेरा, सोमेश्वरसेरा, चनौदासेरा, टूनाकोटसेरा, ईड़ासेरा, कामरसेरा, चौखुटिया व मासीसेरा, दैघाट व स्याल्दे के सेरे आदि प्रमुख हैं।

1.2. जनपद की प्रशासनिक संरचना

अल्मोड़ा जिले की प्रशासनिक संरचना मुख्य रूप से जिला प्रशासन, उपखंडों (तहसीलों) और विकासखंडों में विभाजित है, जनपद अन्तर्गत 12 तहसीलें, 04 उप तहसील हैं तथा जनपद में 11 विकास खण्ड सम्मिलित हैं। जनपद के अन्तर्गत 2251 राजस्व ग्राम हैं, जो 211 पटवारी क्षेत्रों व 25 कानूनगो क्षेत्रों में विभाजित है। इसके अतिरिक्त जनपद में 12 पुलिस थानें 01 नगर निगम अल्मोड़ा व 01 नगर पालिका परिषद् रानीखेत तथा 03 नगर पंचायत एवं 02 छावनी परिषद् हैं। जिला प्रशासन का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट (DM) या जिला कलेक्टर करते हैं, जो जिले के सभी विभागों के बीच समन्वय और निगरानी का कार्य करते हैं। जनपद प्रशासन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विभाग और उनके कार्य इस प्रकार हैं–

- **राजस्व विभाग** (Revenue Department)– यह विभाग भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव, लगान की वसूली और भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता है। इसके प्रमुख अधिकारी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और पटवारी होते हैं।
- **गृह विभाग (पुलिस प्रशासन)**–जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) या पुलिस अधीक्षक (SP) की होती है, जो DM के साथ मिलकर काम करते हैं।
- **विकास विभाग** (Development Department)– मुख्य विकास अधिकारी (CDO) के नेतृत्व में यह विभाग ग्रामीण विकास योजनाओं (जैसे मनरेगा) और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करता है।
- **शिक्षा विभाग**–जिले के स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की निगरानी करता है।
- **स्वास्थ्य विभाग**– मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के अधीन जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) का संचालन होता है।
- **लोक निर्माण विभाग** (PWD) जिले में सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
- **कोषागार** (Treasury) जिले के सभी वित्तीय लेन–देन, पेंशन और बजट का प्रबंधन करता है।
- **आपदा प्रबंधन** प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों का समन्वय करता है।
- **अन्य विभाग**– समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग (RTO), कृषि विभाग, और पंचायती राज विभाग भी जिला स्तर पर सक्रिय रहते हैं।

1.2.1. जिला कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य

जनपद अल्मोड़ा की आपदाओं के नियंत्रण एवं प्रबन्धन हेतु बहुउद्देश्यीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना है, जिसका उद्देश्य आपदा पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण, आपदाओं के समय खोज बचाव एवं राहत सम्बन्धी कार्यो को सुगमता से संचालित करना तथा आपदाओं के पश्चात सामान्य स्थिति की बहाली, संसाधन एवं सम्पतियों की पुर्नस्थापना और पुनर्वास सम्बन्धी क्रियाओं का निर्धारण करना है, जिससे आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकें, तथा जनपद स्तर पर समुदाय आधारित विभिन्न संरचनात्मक, गैर संरचनात्मक उपायों, विकासपरक और आधारभूत संसाधनों की अवस्थापनाओं को जनसुविधाओं और आपदाओं के साथ उनकी प्रवृति को ध्यान में रखते हुये विकसित किये जाने का

प्रयास भी है, जिससे आपदाओं के न्यूनीकरण और नियंत्रण के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य भी प्राप्त किये जा सकें।

प्राकृतिक आपदाओं की सम्भावना, आपदाओं की स्थित एवं आपदाओं के घटित होने के पश्चात विभिन्न व्यवस्थाओं एवं कार्यो के सम्यक और समय पर प्रबन्धन हेतु यदि पूर्व में ही विशेष रूप से निर्दिष्ट कार्य योजना न हो तो विलम्ब तथा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिससे नियन्त्रण, न्यूनीकरण एवं सामान्य स्थिति की बहाली में बाधायें आती हैं और उपकरण, सामग्री एवं सम्पदाओं का सही उपयोग नहीं हो पाता है। आपदाओं के सम्यक प्रबन्धन हेतु एक आपदा अनुक्रिया योजना जिसमें विभिन्न स्थितियों के अनुसार कार्य, कार्य विभाजन, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, सामग्री, उपकरण एवं अवस्थापना की उपलब्धता आदि के बारे में विस्तृत सूचना एवं मार्गदर्शन हों, आवश्यक है, जिससे स्थितियों का प्रबन्धन सुगमता से हो सकें, जो इस कार्य योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। इन्हें निम्न प्रकार परिलक्षित किया जा रहा है–

- ❖ समयबद्ध ढ़ंग से त्वरित कार्यवाही करना।
- ❖ कार्यदायी विभागों, अधिकारियों, प्रभारी/प्रतिनिधियों आदि के बीच कार्य और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना।
- ❖ उपकरण, उपलब्ध सामग्री, संसाधनों आदि का प्रभावी उपयोग एवं सम्यक प्रबन्धन।
- ❖ विभिन्न विभागों, राहत कर्मियों और अन्य कार्यकारी ऐजेंन्सियों के बीच कार्यक्रम, प्रक्रिया एवं समन्वयन की स्थापना करना।
- ❖ विभिन्न विभागों, स्थानीय, निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के पास उपलब्ध संसाधनों का आपदा के समय उपलब्धता का निर्धारण करना। आपदा की स्थितियों के अनुसार संसाधनों की स्थिति एवं उपलब्धता, कमियाँ, वैकल्पिक उपाय एवं आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त करना ।
- ❖ विभागों एवं संस्थानों का तकनीकी एवं संसाधनों की दृष्टि से सशक्तीकरण एवं उनकी सहभागिता प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरण और अभिमुखीकरण।
- ❖ जनपद स्तर पर प्रशासनिक, विकास कार्यो तथा सामुदायिक सहभागिता के प्रसार हेतु सूचनाओं का प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन।
- ❖ जनपदीय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना को एक प्रभावी प्रबन्धकीय कुंजी के रूप में सतत अद्यतन (Update) करते हुए उपयोग करना जिससे आपदाओं के पूर्व, आपदाओं दौरान एवं पश्चात उनका न्यूनीकरण और सुगमता से नियन्त्रण होता रहे।

1.2.2. संकल्पना एवं नीतिगत विवरण

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना की मुख्य नीति आपदाओं से होने वाली जनहानि, सार्वजनिक /निजी सम्पति,पशुहानि एवं अधिसंरचनाओं की सुरक्षा करना तथा आपदा के पश्चात खोज–बचाव एवं राहत तथा पुर्नवास व्यवस्थाओं द्वारा सामान्य स्थिति को बहाल करते हुये सम्यक विकास करना है। यह भी देखा गया है कि आपदाओं से पूर्व संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, जन समुदाय के बीच सुरक्षात्मक उपायों का प्रसार, सरंचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक कार्यो द्वारा आपदाओं के प्रभाव को कम करना लाभकारी एवं तर्क संगत है। इसलिए पूर्व तैयारी और न्यूनीकरण के उपायों को विशेष महत्व इस कार्य योजना में दिया जा रहा है।

आपदा के समय अतिशीघ्र एवं त्वरित गति से प्रभावित जन समुदाय, महिलायें, बूढ़े एवं बच्चे और विकलांगों तथा बीमारों को बचाने हेतु उपाय किया जाना, चिकित्सा एवं जन आपूर्ति व्यवस्थाओं को सुचारू करना, घायल एवं मृत लोगों को खोजना एवं बचाना आवश्यक है जिसके लिए सतत प्रशिक्षण, स्थितिगत मूल्यांकन, स्थानीय जन सहभागिता एवं स्थलीय जानकारियों का होना आवश्यक है। इस कार्य योजना में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है और तत्सम्बन्धी विवरण एवं तालिकाऐं दी जा रही हैं।

अल्मोड़ा जनपद में आपदा घटित होने के पश्चात जन समुदाय का विस्थापन अथवा पुर्नवास करना एक कठिन कार्य है। योजना में जन समुदाय से वस्तुस्थिति के अनुसार विचार विमर्श करते हुये ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना, विस्तार

एवं पुर्नस्थापना करना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही सम्भावना के अनुसार अवस्थापनाओं की पुर्नस्थापना यथाशीघ्र करते हुये सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों को प्राथमिकता दिया जाना अभीष्ट ले।

1.2.3. आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर विभिन्न दूरगामी विषयों का क्रियान्वयन

जनपद अल्मोड़ा में विभिन्न आपदाओं की प्रकृति, यहां के सामरिक महत्व, तीर्थाटन और संरचनागत विकास को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में निम्नलिखित विषयों को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है, ताकि एक दूरगामी नीति और व्यावहारिक विषय के रूप में इनका सतत क्रियान्वयन हो।

- ❖ जनपद के भौगोलिक एवं जलवायु और सीमा सुरक्षा सम्बन्धी सामरिक महत्व को देखते हुये यहां का संरचनागत विकास जिसमें मुख्यतः सड़क, पुल, पुलिस, चिकित्सा, संचार, खाद्यान्न, जन स्वास्थ्य आदि को आपदाओं के समय सुरक्षा हेतु विशिष्ट उपायों और संसाधनों से परिपूर्ण किया जाना अपेक्षित है ।
- ❖ भूकम्प एवं भूस्खलन सुरक्षित निर्माण, आपदाओं के समय क्या करें ? क्या न करें? तथा खोज–बचाव और प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण प्रत्येक विभागीय कर्मचारी/अधिकारी और स्थानीय ग्रामीणों को होना आवश्यक है। विभिन्न स्तरों पर इस हेतु विशेष और रिफ्रेसर प्रशिक्षण संचालित हों। अध्यापक एवं सरकारी कर्मचारियों हेतु इन प्रशिक्षणों को आवश्यक घोषित किया जाना दूरगामी दृष्टि से लाभदायक होगा।
- ❖ आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तम एवं प्रभावी तंत्र आपदा राहत बचाव दलों का है, जिनका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में जैसे आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के पश्चात की गतिविधियों में लिया जाना आवश्यकीय है इसके लिए आपदा प्रबन्धन विषय में जनसमुदाय को जागरूक करना एवं आपदा राहत प्रबन्धन कार्य में समुदाय की सहभागिता आवश्यक है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके।
- ❖ आपदा राहत प्रबन्धन कार्य आपदा क्षति न्यून करने का अति महत्वपूर्ण अंग हैं। उसके लिए आपदा राहत खोज एवं बचाव कार्यदल का गठन एवं कार्यदल सदस्यों को खोज बचाव कार्य एवं प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण अति आवश्यक है जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्र में बचाव एवं राहत कार्य में तुरन्त व महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकें।
- ❖ उत्तराखण्ड राज्य के छितरे हुए एवं दूरस्थ गॉवों में आवागमन दुर्गमता व संचार संसाधनों की कमी तथा आपदा के दौरान सीमित यातायात व संचार व्यवस्था के टूटने व खराब होने के कारण कई घन्टों या दिनों बाद उपलब्ध सहायता अपनी उपयोगिता खो देती है। इसलिए उत्तराखण्ड के ग्रामों में खोज एवं बचाव दलों का गठन किया जाना आवश्यक है क्योंकि इन कार्यदलों के सदस्यों को अपने संसाधन एवं क्षेत्र का सम्पूर्ण ज्ञान होता है जिसका उपयोग कर ग्रामों में गठित दल समय पर जन हानि को कम कर सकते हैं।
- ❖ आपदाओं के वृहद स्वरूप, सीमित संसाधनों की उपलब्धता तथा कठिन भू–भौतिक स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन में जन–सहभागिता को प्राप्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु जनसमुदाय को प्रशिक्षण के साथ–साथ प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा एवं उनको समय पर सहायता उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर कार्यवाही किया जाना आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से उपयोगी होगा।
- ❖ विकास विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं जैसे मनरेगा, आत्मा आदि में आपदा प्रबन्धन के तत्वों को शामिल किया जाना उचित होगा।

1.2.4. जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित करने हेतु अधिकार–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम (DM ACT) के अध्याय–IV के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority & DDMA) की स्थापना करेगी, जिसका नाम अधिसूचना मे निर्दिष्ट किया जाएगा। DDMA का नेतृत्व जिला कलेक्टर, उपायुक्त या जिलाधिकारी (जैसा मामला हो) करेगे, और स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि सह–अध्यक्ष co & Chairperson होगें।

राज्य सरकार उस जिले के अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिलाधिकारी, या अतिरिक्त उपायुक्त (जैसा मामला हो) के पद से नीचे नही होने वाले अधिकारी को जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) नियुक्त करेंगी।

DDMA जिले में आपदा प्रबंधन (DDMP) के लिए योजना बनाने समन्वय करने और उसे लागू करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबन्धन के उदेश्य से सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके तहत, यह जिले के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करेगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की सभी संबन्धित नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

(DDMA) यह भी सुनिश्चित करेगी कि NDMA और SDMA द्वारा निर्धारित रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के दिशा–निर्देशों का पालन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के जिला स्तर के सभी अधिकारियों द्वारा किया जाए।

इसके अलावा जिला योजना (District Plan) का मतलब जिले के लिए आपदा प्रबन्धन योजना से है, जिसे धारा 31 के तहत तैयार किया जाता है। प्रत्येक जिले के लिए एक आपदा प्रबन्धन योजना अनिवार्य है। यह योजना जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान मे रखते हुए राज्य प्राधिकरण से अनुमोदित कराई जाएगी।

1.2.5. आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विकास

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) इस योजना की तैयारी के लिए जिम्मेदार है।

इस योजना में शामिल किए जाने वाले आवश्यक चरण निम्नलिखित हैं।

- **NDMA टेम्पलेट के अनुसार DDMP विकसित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण योजनाः** के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **डेटा का विश्लेषणः** आपदा जोखिमों और संसाधनों की पहचान के लिए डेटा का गहन विश्लेषण करना।
- **सभी संबंधित विभागों से डेटा का संग्रहण करनाः** योजना को व्यापक बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों से आवश्यक जानकारी और डेटा एकत्र करना।
- **सभी संबद्ध विभागों के लिए कार्ययोजना की तैयारीः** प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए विस्तृत कार्ययोजना बनाना।
- **सार्वजनिक व विभागीय टिप्पणियों के लिए व्यापक प्रचार–प्रसारः** योजना पर फीडबैक और सुझाव प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक और विभागीय स्तर पर व्यापक प्रचार करना।
- **विशेषज्ञों के साथ चर्चा**ः योजना की तकनीकी सुदृढ़ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विषय विशेषज्ञों के साथ परामर्श करना।
- **राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के संदर्भ में चर्चाः** योजना को सर्वोत्तम प्रथाओं (Best practice) और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का संदर्भ लेना और उन पर चर्चा करना।
- **अंतिम योजना से संबंधित अभिलेखों की तैयारीः** योजना को आधिकारिक रूप देने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजीकरण और अभिलेखों को अंतिम रूप देना।

1.2.6. योजना का महत्व और लाभ

आपदा प्रबंधन योजना विभिन्न मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण और धारणा में एकरूपता रखती है, जिससे अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है। यह योजना क्षेत्रीय स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और उससे आगे तक विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय (coordination) का कार्य करती है। इस प्रकार, यह प्रतिक्रिया की दक्षता सुनिश्चित करती है। संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करती है। प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क और तैयार स्थिति में रखती है।

1.2.7. हितधारक और उनकी जिम्मेदारियाँ

1. **राष्ट्रीय और राज्य स्तर**–राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की प्रमुख भूमिकाएँ निर्धारित हैं।

राज्य स्तर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA), राजस्व विभाग और राहत आयुक्त प्रमुख संस्थाएँ हैं जो आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटती हैं।

समन्वय सभी प्रमुख विभाग (राजस्व, पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, वन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत आपूर्ति) और आपातकालीन समर्थन कार्य एजेंसियाँ (पुलिस, होमगार्ड, फायर, स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा) आपदाओं के दौरान जिला आपातकालीन केंद्र में एकत्रित (समन्वित) होती हैं।

1.2.8. जिला स्तर पर

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) इसमें जिलाधिकारी (DM) अध्यक्ष होते हैं। जिम्मेदारी जिलाधिकारी, DM अध्यक्ष के रूप में, एकीकृत प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS System) के तहत जिम्मेदार ऑफिसर (Responsible Officer) भी होते हैं और जिले के अंतर्गत किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने हेतु मार्गदर्शन करते हैं।

1.2.9. अन्य तकनीकी संस्थाएँ

समुदाय, गैर सरकारी संगठन (NGO) आदि भी जिला आपदा प्रबंधन योजना के हितधारक हैं। मुख्य उद्देश्य हितधारकों की भूमिका इस उद्देश्य से तैयार की गई है, ताकि संबंधित संगठनों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिल सके और वे प्रभावी ढंग से आपदा प्रबंधन में योगदान दे सकें।

क्र.सं.	प्राधिकरण	कर्तव्य
1	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	✓ आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वय करना।
2	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	✓ जिला आपदा प्रबंधन योजना) को अनुमोदित करना। ✓ योजना की निगरानी और क्रियान्वयन। ✓ इस योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए डीडीएमपी को मार्गदर्शन प्रदान करना। ✓ आपदा की स्थिति में जनपदों को आवश्यक सहायता सहयोग प्रदान करना। ✓ शमन और तैयारी उपायों के लिए धन की अनुशंसा करना।
3	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	✓ जिला आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन, अद्यतन और संशोधन। ✓ स्थानीय सरकारी निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि जिले में आपदा पूर्व और आपदा पश्चात प्रबंधन गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। ✓ सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सहायता प्रदान करना।
4	सशस्त्र बल	✓ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और संबंधित विभागों के साथ समन्वय में आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों को अंजाम देना।
5	पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी, फायर सर्विस	✓ आपदा स्थितियों और उनसे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना एवं कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना। ✓ लूटपात व दंगों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाना। ✓ खोज एवं बचाव का अभियान चलाना।
6	चिकित्सा विभाग	✓ चिकित्सा कर्मियों, आपूर्ति और उपकरणों को सीधे सक्रिय करना।
7	लोक निर्माण, स्वास्थ्य विभाग व अन्य सड़क एजेंसियाँ	✓ आपदा से अवरुद्ध मोटर मार्गों को सुचारू करने हेतु कार्यवाही करना। ✓ क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों से आवाजाही सुचारू करने हेतु तात्कालिक मरम्मत पुनर्निर्माण कार्य। ✓ रोगियों की निकासी का समन्वय करना।

क्र.सं.	प्राधिकरण	कर्तव्य
8	सिंचाई विभाग, जलसंस्थान, पेयजल निगम	✓ प्रभावित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बहाल करना। ✓ बाढ़ की स्थिति में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। ✓ सिंचाई बुनियादी ढांचे की निगरानी और सुरक्षा करना।
9	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लि.	✓ बाहरी उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करना, जैसे DG सेट आदि। ✓ क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन व विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
10	संचार विभाग	✓ जिले में दूरसंचार समर्थन सुनिश्चित करने के लिए कार्यों का समन्वय करना। ✓ प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना। ✓ प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना।
11	खाद्यान्न आपूर्ति विभाग	✓ प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न आपूर्ति यथा–फूड पैकेट्स, पानी आदि की आपूर्ति यथासमय करवाना।

1.2.10. कार्य योजना उपयोग

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) तैयार की जाए, ताकि जिले के भीतर खतरनाक घटनाओं के प्रभाव से बचाव हो सके।
- सर्वोच्च अधिकार महत्वपूर्ण आपात स्थितियों या आपदाओं में, जिला मजिस्ट्रेट (DM)या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष को राज्य सरकार के नियमों राज्य आपदा प्रबंधन योजना दिशा–निर्देशों के तहत निर्दिष्ट समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ होंगी।
- संचालन केंद्र (DEOC) जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) स्थिति की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों से संचालित किया जाएगा। सक्रिय होने पर, संचालन में लाइन विभागों और केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समर्थन दिया जाएगाय निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संगठनों का उपयोग स्थिति से निपटने के लिए जानकारी, डेटा और संसाधन प्रदान करने हेतु किया जा सकता है।
- कार्रवाई की सिफारिश DDMA/ DM अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
- महत्वपूर्ण सुविधाओं की पहचान उन सुविधाओं की पहचान की गई है, जो जिला सरकार के कार्यों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- संसाधन नियंत्रण जिला मजिस्ट्रेट (DM) या उनके नामित व्यक्ति जिला संसाधनों का समन्वय और नियंत्रण करेंगे।
- **सार्वजनिक जानकारी**: आपातकालीन सार्वजनिक जानकारी सभी उपलब्ध मीडिया माध्यमों से नामित मीडिया और सूचना अधिकारी द्वारा प्रसारित की जाएगी।
- **प्रशिक्षण का महत्व** : कारगर आपातकालीन संचालन के लिए पूर्व योजना और कर्मियों का प्रशिक्षण आवश्यक है और इसे आपदा तैयारी के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए।
- **अंतर–जिला समन्वय** : जब कोई घटना जिले की सीमाओं से परे प्रभाव डालती है, तो आसपास के जिलों के साथ समन्वय आवश्यक है। अंतर–जिला सहयोग के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की जानी चाहिए और उनका अभ्यास किया जाना चाहिए।
- **कार्यान्वयन दस्तावेज** : इस दस्तावेज में जिन विभागों, एजेंसियों और संगठनों को प्राथमिक या सहायक जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, उन्हें इस योजना का समर्थन करने के लिए कार्यान्वयन दस्तावेज विकसित करना चाहिए।

- राज्य या उच्च स्तरीय सहायता : आपातकालीन संचालन के दौरान जब स्थानीय संसाधन अपर्याप्त साबित होते हैं, तो राज्य या उच्च स्तर की सरकार और अन्य एजेंसियों से मदद माँगी जाएगी, निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार।
- **सामान्य संचार चैनल** : जिला प्राधिकरण सहायता और या संसाधनों के लिए अनुरोध करने के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करेगा, अर्थात, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) से राज्य EOC तक। यदि राज्य के संसाधन समाप्त हो जाते हैं, तो राज्य आवश्यक संसाधन केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराएगा।
- **सूचना का समन्वय और प्रसार** : जिला EOC, राज्य EOC, और भारत सरकार की एजेंसियों जैसे IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग),CWC (केंद्रीय जल आयोग) के साथ समन्वय करेगा ताकि संभावित बाढ़, चक्रवात आदि से संबंधित अद्यतन जानकारी बनाए रखी जा सके। इस प्रकार की जानकारी प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को उपयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी।
- **अलर्ट जारी करना** : इन क्षेत्रों में संभावित समस्याओं की सूचना प्राप्त होने पर, DEOC/नामित अधिकारी उचित रूप से अलर्ट जारी करेंगे और निवासियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की सूचना देंगे।
- **कार्यों की निरंतरता** : आपदा के कारण सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सभी स्तरों की स्थानीय सरकार और उनके विभागों को ऐसी प्रक्रियाएँ विकसित और बनाए रखनी चाहिए, जो सरकार की कार्रवाई की निरंतरता सुनिश्चित करें।

1.2.11. संस्थागत ट्रिगर तंत्र

यह आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियों की स्वतः सक्रियता (Suo&moto Activation) के लिए एक संस्थागत ट्रिगर तंत्र हो, ताकि आपदा के समय प्रत्येक एजेंसी अपनी सौंपी गई भूमिका निभाए। आगामी चेतावनी संकेतों की उपलब्धता के आधार पर तीन प्रकार के ट्रिगर तंत्र स्थापित किए जाएँगे

पूर्व चेतावनी संकेत (Early Warning Signals)

ऐसे मामलों में, भारत सरकारध्राज्य सरकार ने ऐसी पूर्व चेतावनी संकेत उत्पन्न करने वाली एजेंसियों को अधिकृत किया है। यदि मामला बहुत जरूरी है और ब्लॉक तहसील,ग्राम स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है, तो चेतावनी और कार्रवाई बिंदु सीधे सभी संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचाए जाएँगे। इन संकेतों को समय पर प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

ऐसी चेतावनी परामर्श प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा संचालित SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) इसे तुरंत DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) को सूचित करेगा। DEOC इस चेतावनी को जिला स्तर पर विभागों को प्रेषित करेगा। इस प्रकार के मामलों में जानकारी का प्रवाह निम्नानुसार होगा

1.3 सामाजिक आर्थिक,व्यवसायिक एवं सामाजिक (जनांकीकी)

जनपद अल्मोड़ा का आर्थिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है।

1.3.1 आर्थिक एवं व्यवसायिक

अल्मोड़ा जनपद की अर्थव्यवस्था में तृतीयक (सेवा) क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, जो सकल जिला घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 53.4% है। प्राथमिक (कृषि) क्षेत्र का योगदान लगभग 21.59% है, जबकि द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्र का योगदान 98.93% है।

रोजगार के मुख्य स्रोत जिले में बहुसंख्यक आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है। दैनिक मजदूरी (लगभग 34.13% भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उप–क्षेत्र है,

जो दूध, अंडे, मांस और ऊन जैसे उत्पाद प्रदान करता है। फसलें और उत्पाद मुख्य कृषि फसलों में चावल, गेहूं, बाजरा, मडुआ, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन और आलू शामिल हैं।

उद्योग जिले में उद्योगों की उपस्थिति छोटे और सूक्ष्म उद्यमों तक ही सीमित है जिसमें ताम्र उद्योग प्रमुख है। जिले की कुल साक्षरता दर 80.47% है (पुरुष 92.86% और महिलाएं 69.93%) । संस्कृति और पर्यटन अल्मोड़ा को कुमाऊँ की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यह अपनी अनूठी हस्तकला, व्यंजनों, और कई पर्यटक आकर्षणों जैसे रानीखेत, कौसानी, बिनसर, जागेश्वर, कटारमल सूर्य मंदिर, गोलू देवता मंदिर और मनीला देवी मंदिर के लिए जाना जाता है।

1.4. जनसंख्या

जनसांख्यिकी 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की कुल जनसंख्या 6,22,506 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 2,91,081और महिला जनसंख्या 3,31,425 है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाओं का है, जो राज्य के औसत से अधिक है। अल्मोड़ा जनपद की सम्पूर्ण आबादी का लगभग 90 प्रतिशत भाग गांवो में तथा 10 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। जनसंख्या का घनत्व 205 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

लिंगानुसार विवरण		
कुल जनसंख्या	2011	622506
पुरूष	2011	291081
स्त्री	2011	331425
दशक में जनसंख्या वृद्धि	2001-11	(-) 1.64
लिंगानुपात	2011	1139
जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0)	2011	198
ग्रामीण जनसंख्या	2011	554096
पुरूष	2011	254231
स्त्री	2011	299865

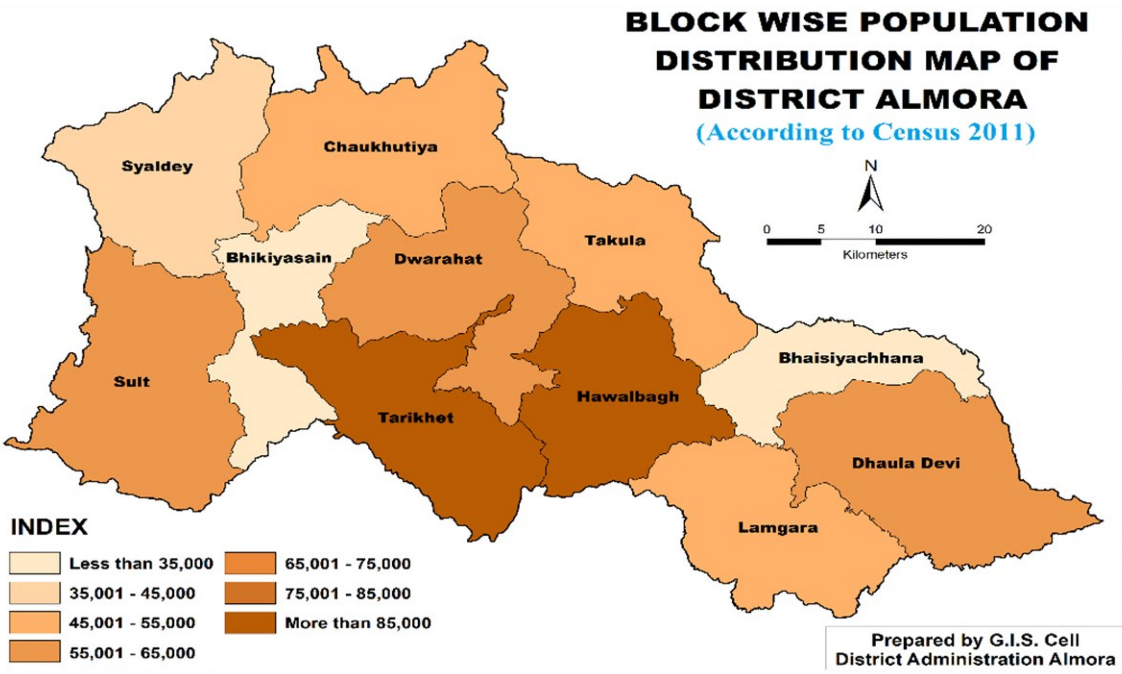

मानचित्र : विकासखण्डवार जनसंख्या वितरण जनपद अल्मोड़ा।

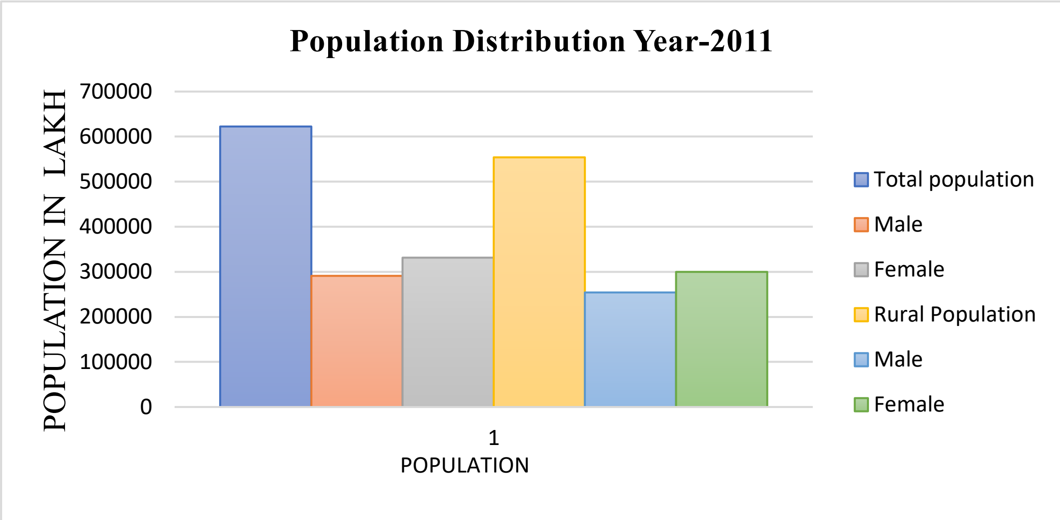

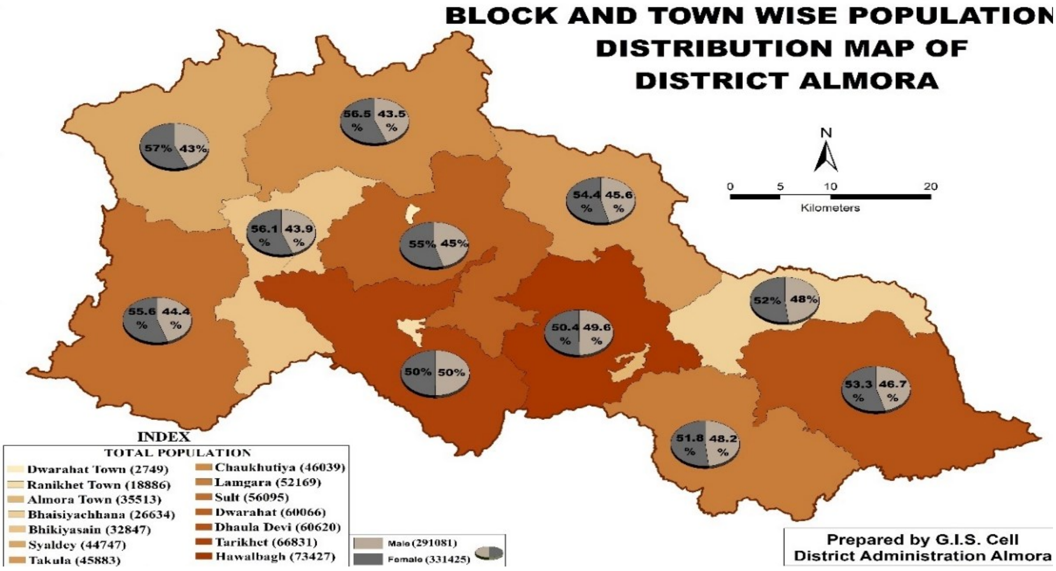

मानचित्र : विकासखण्डवार एवं नगरीय जनसंख्या जनपद अल्मोड़ा।

1.5. भू–आकृतिकी

भूगर्भीय मानचित्र के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में भूगर्भीय चट्टानों का क्रम इस प्रकार है–

जौनसार ग्रुप	:	नागथाट – बेरीनाग फॉरमेश चांदपुर फॉरमेशन
तेजम ग्रुप	:	मन्धाली (सोर–थलकेदार) फॉरमेशन देववन (गंगोलीहाट) फॉरमेशन
डामटा ग्रुप	:	राउतगेरा फॉरमेशन
रामगढ़ ग्रुप	:	देवग्रू पोरपायरायड नथुवाखान एवं बेतालघाट फॉरमेशन
अल्मोड़ा ग्रुप	:	ग्रेनाइट– ग्रेनोडाइराइट– अगननीस सरयू –गुमालीखेत–मुन्स्यारी फॉरमेशन

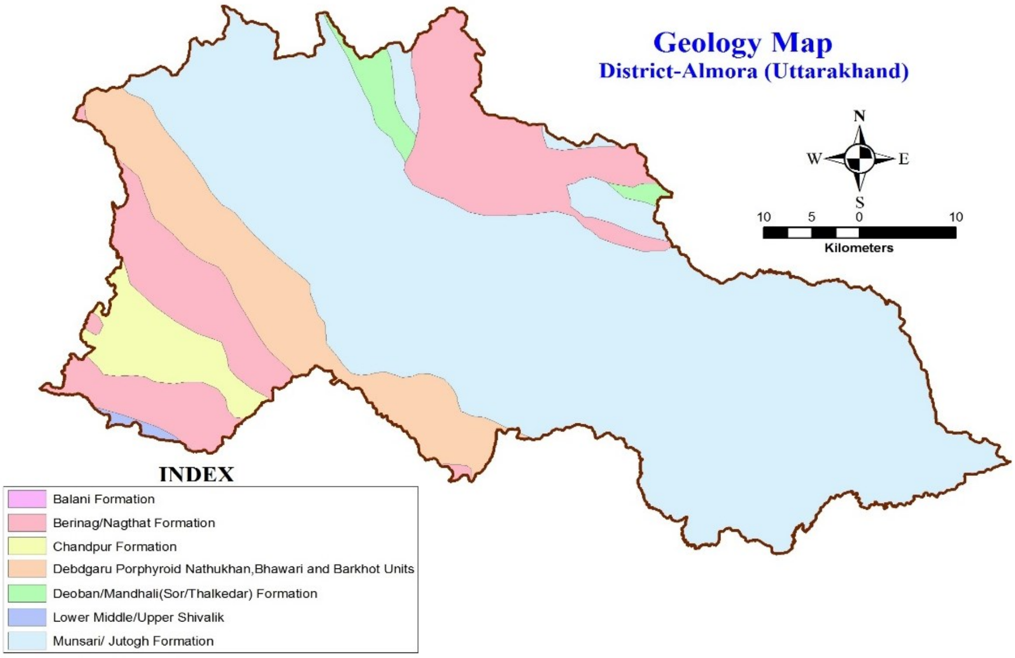

मानचित्र : भू–आकृतिकी मानचित्र जनपद अल्मोड़ा।

हिमालय पर्वत श्रृंखला अपेक्षाकृत तरूण पर्वत श्रृंखलायें हैं, जिनकी उत्पत्ति एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया का अंग है, इन उदीयमान पर्वत श्रृंखलाओं से अवनमित महा नदियों, सरिताओं एवं उपनदियों तीव्र उर्ध्वाधर शिखर पर्वत मालाओं तथा स्लोपों का निर्माण हुआ इसमें कठोर स्तर से कमजोर प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं, निर्माण के मध्य विभिन्न अन्योग क्रियाओं (Interplay) वलन (Folding) भ्रंश (Fault) आदि से वर्तमान स्थलाकृति निर्मित हुई, जिसके फलस्वरूप इनमें अर्न्तनिहित दुर्बल धरातल विद्यमान हैं, इन सबके फलस्वरूप चट्टानें अत्यधिक संधिवत है। स्थाईकरण की ये क्रियाएं अब भी सक्रिय हैं, कम्पन समय–समय पर महसूस होते रहते हैं।

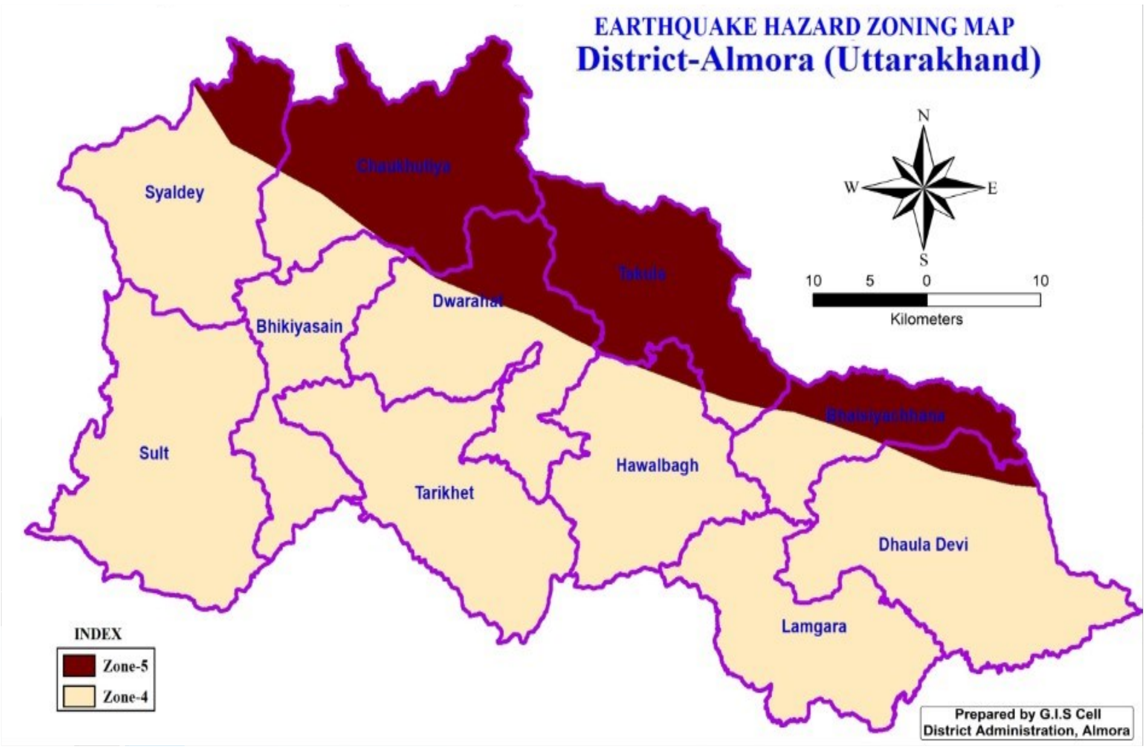

मानचित्र : भूकम्प जोन जनपद अल्मोड़ा।

भू–वैज्ञानिकों के मतानुसार हिमालय क्षेत्र में कई भ्रंश विद्यमान हैं इसमें से मुख्य सीमा भ्रंश (Main Boundry Fault) मुख्य स्फटकीय भ्रंश (Main crystalline thrust) मुख्य हैं, इनमें से मुख्य सीमा भ्रंश जनपद के दक्षिणी दिशा की सीमा पर टोटाम व मरचूला क्षेत्र के समीप से पास हो रहा है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जनपद के दक्षिण और उत्तर दिशा में दो भ्रंश गुजर रहे है जो कि उत्तरी अल्मोड़ा भ्रंश के नाम से जाने जाते हैं। भू–वैज्ञानिकों के मतानुसार मुख्य सीमा भ्रंश की रेखायें विगत कुछ वर्षो से गतिमान हैं,दक्षिणी अल्मोड़ा भ्रंश जनपद के सुयालबाड़ी से होता हुआ भिकियासैंण तत्पश्चात जिला पौड़ी में प्रवेश कर जाता है, उत्तरी अल्मोड़ा भ्रंश जनपद के उत्तरी सीमा के साथ–साथ पूरब में ताकुला क्षेत्र से होता हुआ पश्चिम में द्वाराहाट–चौखुटिया होते हुए जनपद चमोली में प्रवेश कर जाता है यह क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील है भूकम्प द्वारा तेज कम्पन्न के कारण अस्थिर धरातलों के खिसकने से भू–स्खलन उत्पन्न हो जाता है।

1.6. जलवायु

जनपद में सभी स्थानों पर जलवायु सामान्य न रहकर विभिन्न ऊँचाईयों पर आधारित है। विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र कोसी के अनुसार जनपद अल्मोड़ा का वर्ष 2013 का गर्मियों में औसत उच्चतम तापमान (31.2) सेन्टीग्रेड तथा सर्दियों में औसत न्यूनतम (0.1) सेन्टीग्रेट अंकित किया गया। जनपद अल्मोड़ा समुद्र सतह से 1200 मी0 से लेकर 2200 मी0 से ऊँचाई वाले भू–भाग में फैला हुआ है। लेकिन आबादी का अधिकांश भाग समुद्र सतह से 1400 मी0 तक ऊंची नदी घाटियों में बसा है। मौसम की दृष्टि से जनपद की नदी घाटियॉ अत्यन्त गर्मी तथा उमस वाली हैं तो ऊँचे क्षेत्र अत्यन्त शीतिथ रहते है।

1.7. वर्षा

मौसम विज्ञान के लिए वर्षापात एक महत्वपूर्ण तत्व है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भौतिक एवं अस्थाई दोनों तरह की अस्थिरता के कारण वर्षापात की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन कार्य है। अपनी प्राकृतिक स्थलाकृति के साथ ही मानवीय प्रभावों के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की अस्थिरता अधिक है जनपद में वर्ष 2013 में 1202.60 मिमी.एवं वर्ष 2021 में 1205.48 मिमी. वास्तविक वर्षा रिकार्ड की गई। 314.85 मिमी0 मानक विचलन के साथ यहां वार्षिक मध्यम वर्षा 1027 मिमी0 है, जिसमें 71.15 प्रतिशत का योगदान वर्षा ऋतु के दौरान हुई बारिश का, जाड़ों में होने वाली वर्षा का योगदान 11.5 प्रतिशत तथा गर्मियों के दिनों में होने वाली वार्षिक वर्षा का योगदान 17.3 प्रतिषत है। अन्य ऋतुओं की तुलना में मानसून ऋतु के दौरान बदलाव की प्रवृत्ति बहुत कम (14.2 %) तक होती है, जिससे मानसून की बारिश पर निर्भरता का पता चलता है। पिछले 50 वर्षों में वर्षा की चरम घटनाओं की बात करें तो 26 जून, 1986 को एक दिन में 323 मिमी0 बारिश हुई थी। हांलाकि मानसून ऋतु के दौरान बाढ़ अथवा सूखा परिस्थितियों के साथ ही दैनिक वर्षापात का भौतिक एवं अस्थाई वितरण भी बहुत असमान है।

विगत 06 वर्षो की औसत मासिक वर्षा आंकडें

Year	January	February	March	April	May	June
2019	28.83	66.03	13.04	14.96	14.81	56.59
2020	78.79	25.38	105.5	29.18	52	108.49
2021	34.41	11.08	13.83	50.05	146.71	220.42
2022	74.31	33.67	0	1.92	61.66	45.46
2023	14.98	35.43	49.21	46.55	64.14	51.11
2024	0	16.86	38.64	2.62	49.92	19.19

Year	July	August	September	October	November	December
2019	171.54	175.71	100.37	28.47	27.3	42.25
2020	172.64	285.63	14.55	0.29	0	3.29
2021	200.35	154.66	112.15	254.13	0	7.69
2022	167.53	143.17	193.31	161.27	0	0
2023	237.6	103.43	156.41	9.71	1.47	1.2
2024	337.66	172.77	174.65	0.46	0	25.99

जनपद में मौसम विभाग द्वारा 09 स्थानों में स्वचलित वर्षामापी यन्त्र एवं 03 सतही वेधशाला स्थापित किये गये है जिनसे प्रतिदिन दैनिक वर्षा मापी जाती है विगत वर्षो के निम्नवत है–

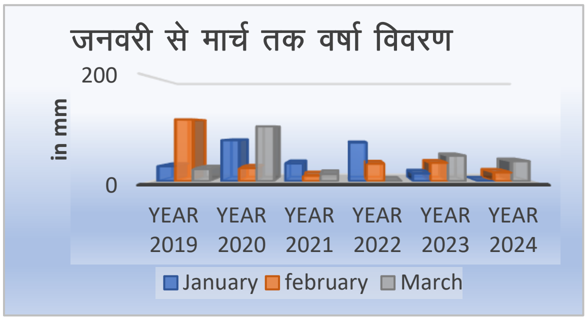

Month	Yearly Average Rainfall					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
January	51.91	78.79	34.41	74.31	14.98	0
February	118.86	25.38	11.08	33.67	35.43	16.86
March	23.48	105.5	13.83	0	49.21	38.64

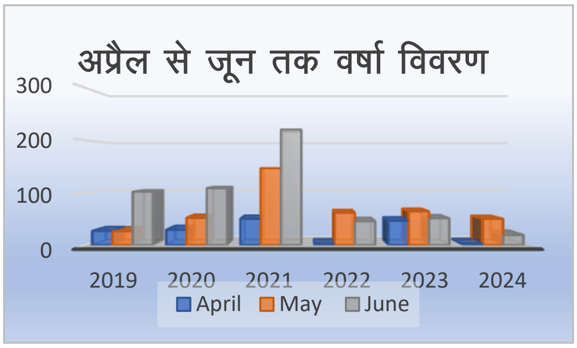

Month	Yearly Average Rainfall					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
April	26.92	29.18	50.05	1.92	46.55	2.62
May	26.66	52	146.71	61.66	64.14	49.92
June	101.86	108.49	220.42	45.46	51.11	19.19

Month	Yearly Average Rainfall					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
July	171.54	172.64	200.35	167.53	237.6	337.66
August	175.71	285.63	154.66	143.17	103.43	172.77
Sept.	100.37	14.55	112.15	193.31	156.41	174.65

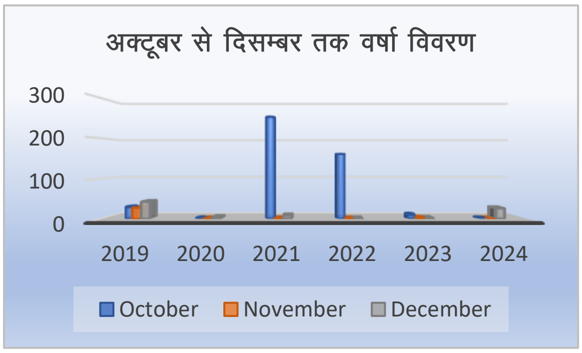

Month	Yearly Average Rainfall					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
October	28.47	0.29	254.13	161.27	9.71	0.46
November	27.3	0	0	0	1.47	0
December	42.25	3.29	7.69	0	1.2	25.99

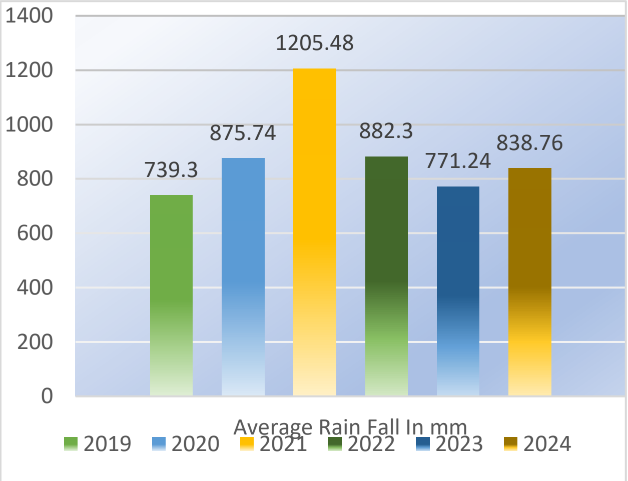

Year	Average Rain Fall In mm
2019	739.9
2020	875.74
2021	1205.48
2022	882.3
2023	771.24
2024	838.76

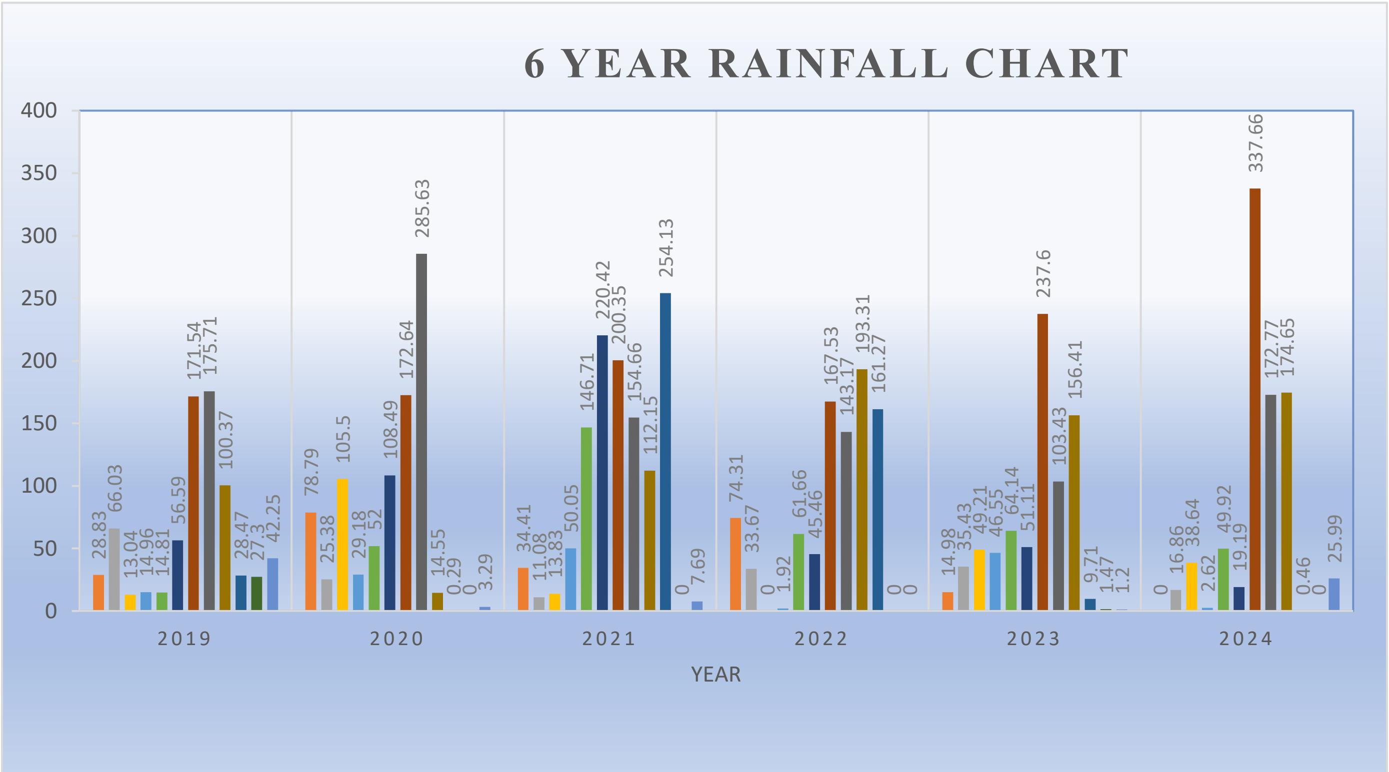

1.8. भूमि उपयोग

भूमि उपयोग के दृष्टिकोण से अल्मोड़ा जनपद की भूमि को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं:—

वन भूमिः अल्मोड़ा जनपद का लगभग 54.68 प्रतिशत भू—भाग वन भूमि से आच्छादित है। कृषि योग्य असिंचित भूमि : इस भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण गैर वानकीय कार्यो हेतु उपयोग में लायी जा सकती है,यहाँ पर कुछ भाग मे भूमि का ढाल सामान्य से अधिक हो सकता है। कृषि योग्य सिंचित भूमि : इस भूमि में अधिकांशतः ग्रामीण लोग कृषि कार्य कर जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर भूमि का ढ़ाल भी कम है। चट्टानों की स्थलाकृति पर निर्भर करता है, जहॉ कोमल भाग अपक्षरित हो जाता है तथा कठोर भाग यथावत रहकर पर्वतों, पृष्ठों का निर्माण करता है। इस प्रकार की भूमि अपक्षरण में एक समान होने के कारण समान स्वरूप की स्थलाकृति का निर्माण करती है। इन चट्टानों से युक्त स्थल शहरीकरण के लिए उत्तम समझे जाते हैं।

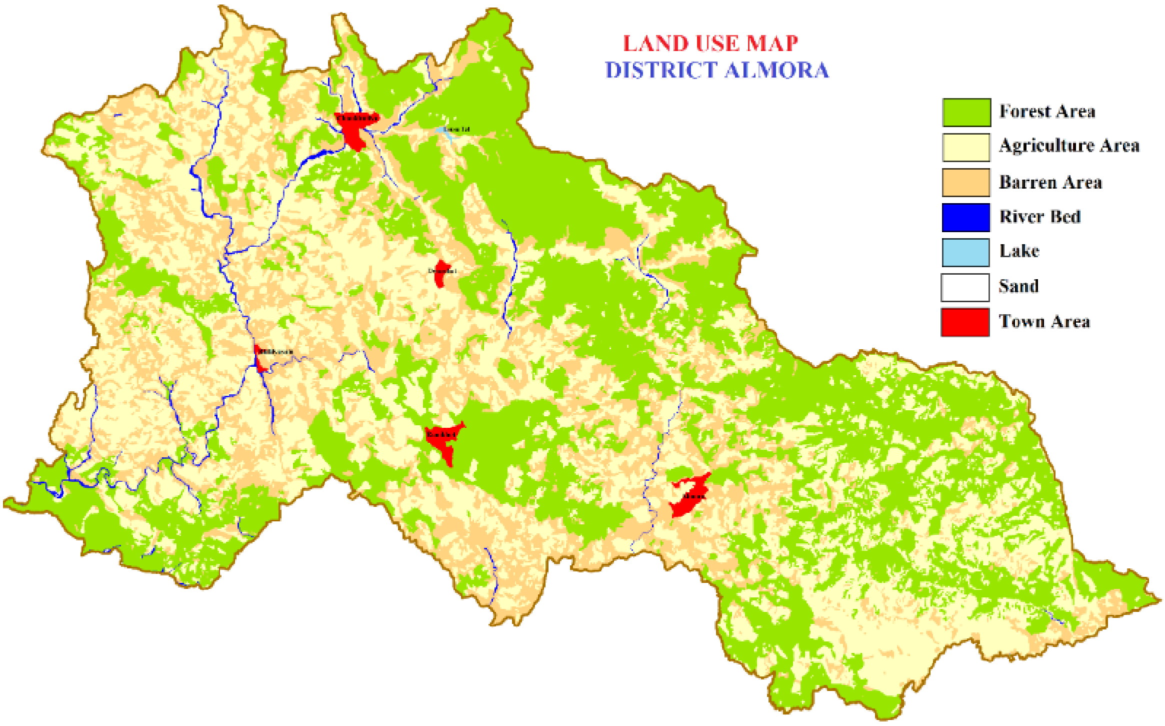

मानचित्र : भूमि उपयोग जनपद अल्मोड़ा।

अल्मोड़ा जनपद में कुछ भागों में नीस प्रकृति की चट्टानें हैं, चूंकि स्थलाकृतियों का निर्माण चट्टानों की बनावट के साथ–साथ होने वाले अवकलन अपक्षयण द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिये नुकीली धार युक्त खड़ी ढ़लान वाली पहाड़िया बनती हैं, क्षेत्र का अपवाह तन्त्र भी अपक्षयण प्रकिया से प्रभावित होता है तथा वृक्षांम प्रकार का अपवाह बनता है, गहरी अवशिष्ट मिट्टी पर अवनालिकाओं का बनना, रेतीली व चिकनी मिट्टी के मिश्रण में मध्यक अन्तराकर्षण को इंगित करता है, घाटियों की मोटी भूमि पासविका पर कृषि करके व ढलान युक्त पहाड़ियो पर वृक्षारोपण द्वारा यथासंभव भूमि का उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजनाओं को बनाते समय स्थलाकृतियों के ज्ञान एवं वर्तमान भूमि उपयोग तरीकों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये:–

भूमि संरक्षण हेतु पहाड़ो के 16 डिग्री से अधिक ढलान युक्त भागों पर फलोद्यान एवं वनावरण का विकास करना चाहिये ताकि स्थल खण्ड खिसकाव व मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सके। कृषि कार्य को 16 डिग्री से कम ढलान वाले घाटी क्षेत्रों में किया जाना चाहिये।

घाटियों एवं पर्वत पृष्ठों पर मार्ग कटान का कार्य वहॉ उपस्थित चट्टानों की उपयुक्तता, उनकी बनावट, कुल व्यय धनराशि तथा मार्गो के नियमित अनुरक्षण कार्यो के आधार पर किया जाना उचित होगा। सड़क घाटियों के बजाय चोटियों पर बनाये जाने से कृषि योग्य भूमि का संरक्षण संभव है। चारागाहों के विकास एवं उनसे प्राप्त चारे के उपयोग के लिए समुचित ध्यान दिया जाना उचित होगा।

नदियों में उपलब्ध पानी लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन,पर्यटन स्थल के विकास के लिए भूमि उपयोग तथा खनिज विकास हेतु पर्यावरण प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना लाभकारी होगा।

गाँवों में उपलब्ध भूमि का एक डाटाबेस बना कर वहाँ की भूमि का वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण कराकर एवं जलवायु में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कृषि को प्रोत्साहित करना उचित होगा ताकि उपज अच्छी हो सके, रोजगार के अवसर गाँवों में ही सृजित हों तथा पलायन को भी रोका जा सके।

1.9. नदियॉ

अल्मोड़ा जनपद में कई प्रमुख नदिया है जिसमें मुख्यतः पूर्व में सुयाल नदी व पनार, पश्चिम में पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी तथा उत्तर से दक्षिण की ओर कोसी नदी प्रवाहित होती हैं।

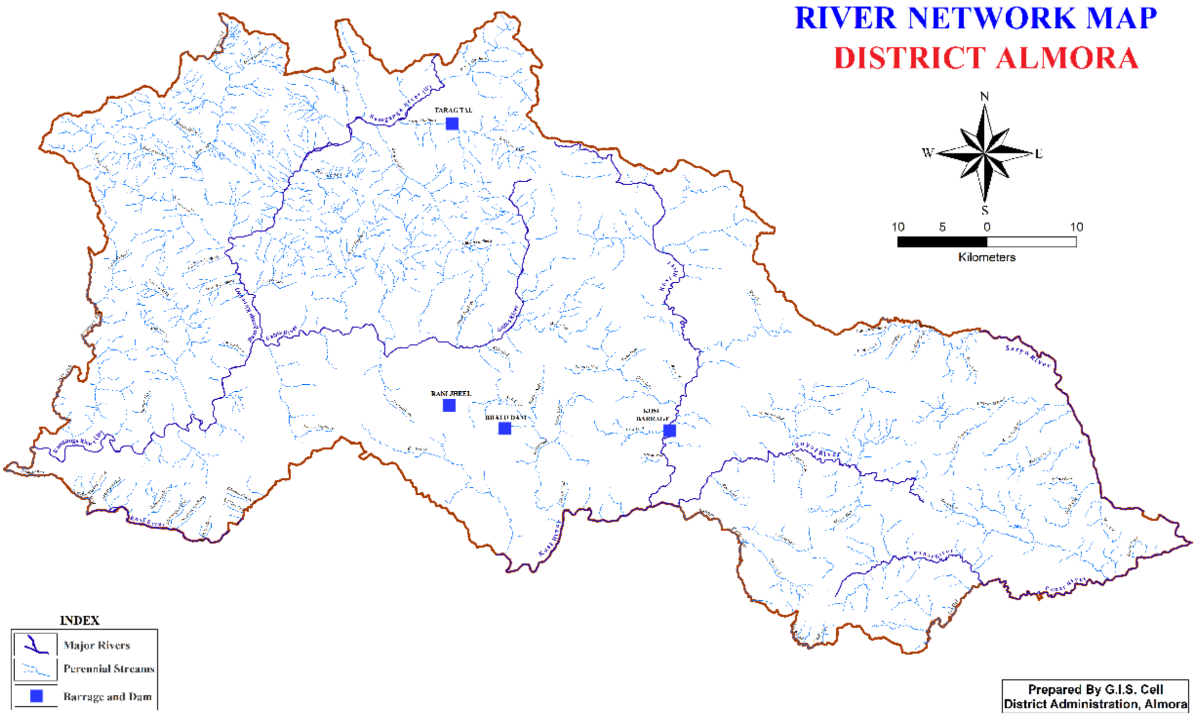

मानचित्र : नदी अपवाह तंत्र

मुख्य नदियों के नाम व लम्बाई

क्र०स०	नदी का नाम	लम्बाई (किमी०में)
1	कोसी	50.72
2	प०रामगंगा	96.57
3	पनार	14.80
4	गगास	40.03
5	सरयु	14.17
6	सुयाल	-

अध्याय : 2

खतरों,संवेदनशीलता और जोखिम आंकलन

(Hazard,Risk,Valnerability,and Capacity Assesment)

2.1 जनपद सामान्य जानकारी		
1	अक्षांश	29° 25' 39.5" N से 29° 59' 33"N
2	देशान्तर	79° 03' 03" से 80° 04' 45"
3	क्षेत्रफल	3139 वर्ग किमी॰
4	जनसंख्या	कुल– 622506 ग्रामीण 88.9% शहरी 11.07%
5	वन क्षेत्रफल	1718.00 वर्ग किमी॰ (54.64%)
6	तहसीलें	12 (अल्मोडा,सोमेश्वर,जैती, भनोली,द्वाराहाट रानीखेत भिक्यिासैंण, सल्ट,लमगड़ा,चौखुटिया,स्याल्दे,मछोड़)
7	उप–तहसील	04
8	परगना	06 (अल्मोडा,जैती,द्वाराहाट,रानीखेत,भिक्यिासैंण,सल्ट)
9	ब्लॉक	11 (हवालबाग, लमगड़ा, धौलादेवी, ताकुला, भैसियाछाना, द्वाराहाट, ताड़ीखेत ,सल्ट, स्याल्दे, चौखुटिया, भिक्यिासैण)
10	पुलिस कोतवाली	02 (अल्मोड़ा, रानीखेत)
11	पुलिस थाना	10 (सोमेश्वर, भतरौजखान, द्वाराहाट, लमगड़ा, सल्ट, चौखुटिया, दन्या, धौलछीना, देघाट, महिला थाना अल्मोड़ा)
12	चौकी	17 (जैंती, मोरनौला,एन॰टी॰डी॰, धारानौला, ताकुला, मिसकोट, चौबटिया,लालकुर्ती, ताड़ीखेत,भिक्यिासैंण, बेस,खीड़ा, मासी, बग्वालीपोखर, मजखाली, भौनखाल,जागेश्वर)
13	न्याय पंचायत	95
14	कुल ग्राम पंचायत	1160
15	राजस्व ग्राम	2251
16	नगरनिगम	01 (अल्मोड़ा)
	नगरपालिका	01 (रानीखेत)
17	नगर पंचायत	03 (द्वाराहाट, चिलियानौला एवं भिक्यिासैण)
18	विधानसभायें	06 (अल्मोड़ा,रानीखेत,द्वाराहाट,जागेश्वर,सोमेश्वर,सल्ट)
19	पर्यटन	होटल–232 होमस्टे– 428 पर्यटन आवास गृह–13
20	वर्षा	सामान्य–1286.0 मिमी॰, वास्तविक–1178.0
21	तापमान	उच्चतम–30.7 न्यूनतम– -4.3
22	मुख्य नदियॉ	कोसी (ल॰–168 किमी॰),रामगंगा (ल॰–155 किमी॰)
23	बैराज	कोसी बैराज (जल संग्रहण क्षमता– 1132.25)
24	आर्मी फोर्सेस	S.D.R.F- सड़ियापानी /भिक्यिासैण ITBP- बिमौला कोसी ARMY- सिख रेजीमेन्ट अल्मोड़ा व कुमॉऊ रेजीमेन्ट रानीखेत SSB- एन॰टी॰डी॰ अल्मोड़ा व रानीखेत
25	मुख्य पर्यटन स्थल	बिन्सर वाइल्ड लाइफ सैंन्चुरी,जागेश्वर मन्दिर, सूर्य मन्दिर कटारमल, कसार देवी मन्दिर, चितई मन्दिर, ब्राईट एण्ड कार्नर, लखुउडियार, नन्दा देवी मन्दिर, गोल्फ मैदान रानीखेत,कालीमठ, कुमॉऊ रजीमेन्ट सेन्टर म्यूजियम,

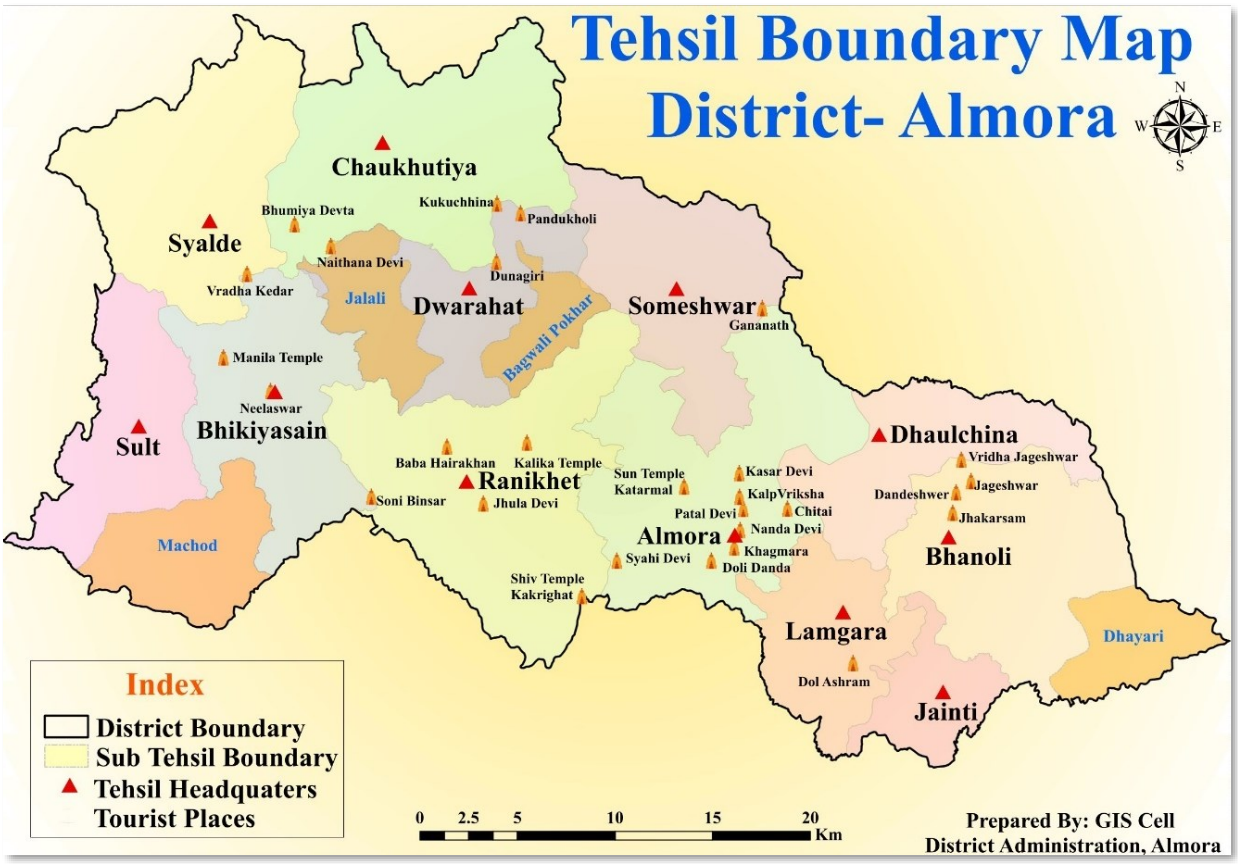

मानचित्र : विकास खण्ड जनपद अल्मोडा।

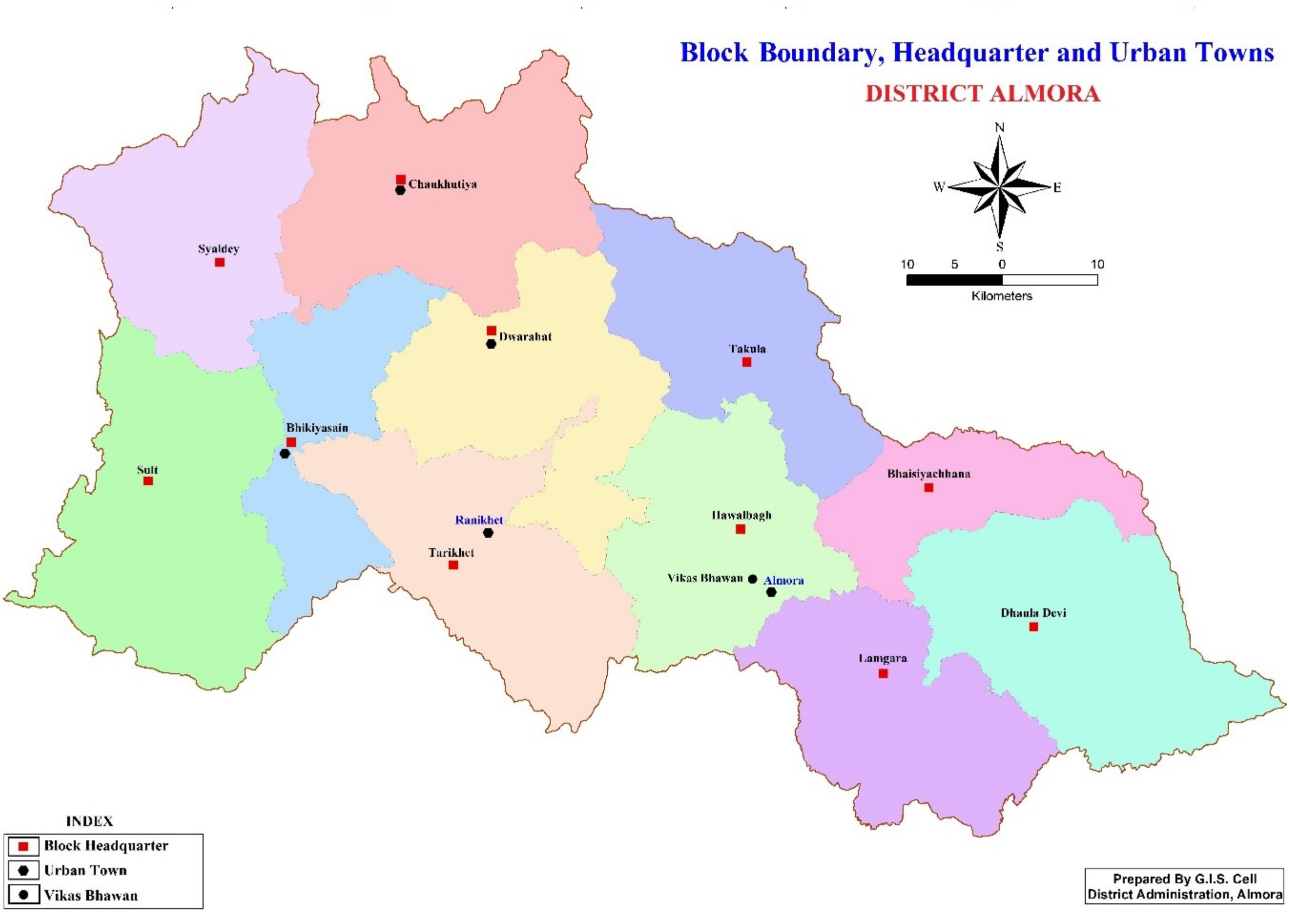

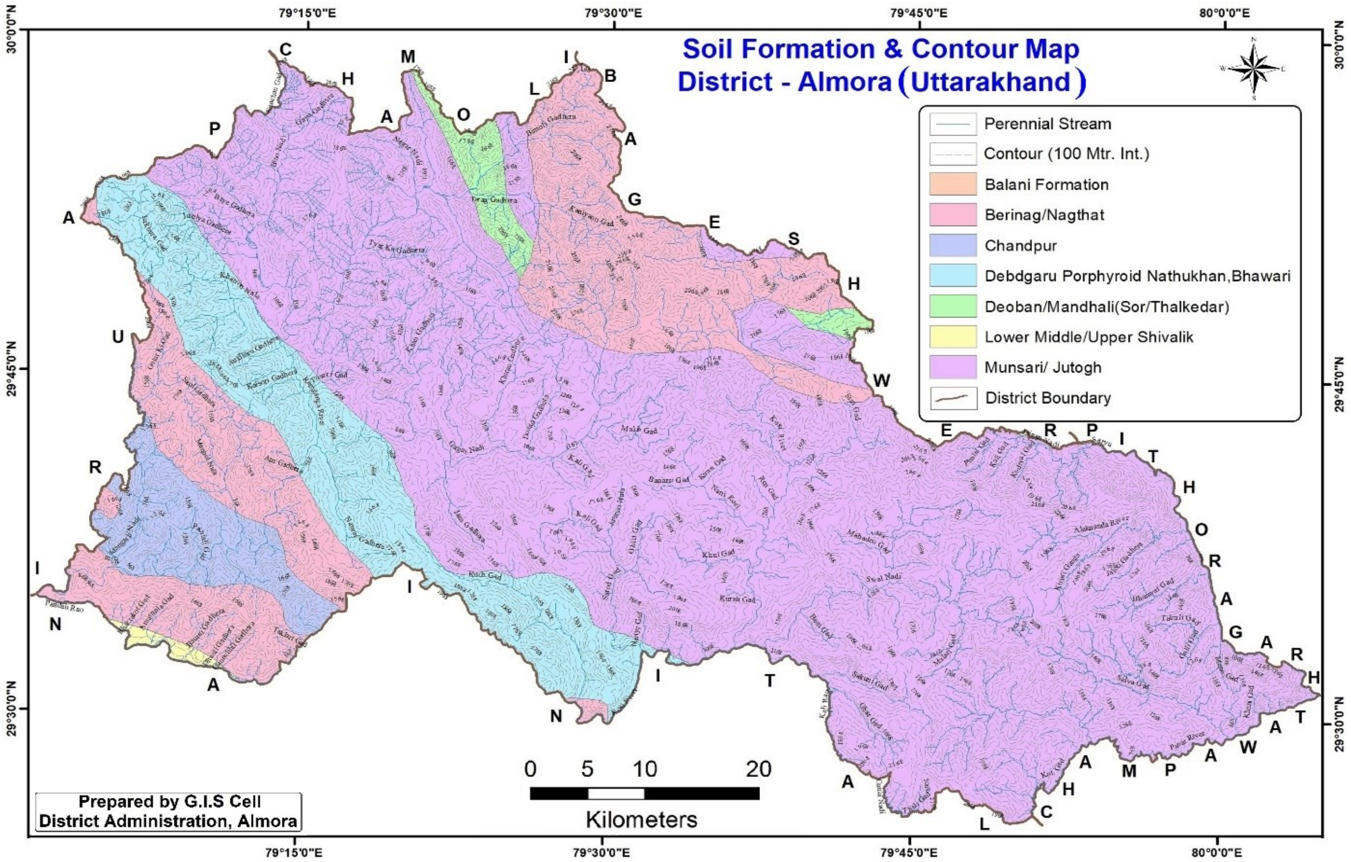
Soil Formation & Contour Map
District - Almora (Uttarakhand)
Perennial Stream
Contour (100 Mtr. Int.)
Balani Formation
Berinag/Nagthat
Chandpur
Debdgaru Porphyroid Nathukhan,Bhawari
Deoban/Mandhali(Sor/Thalkedar)
Lower Middle/Upper Shivalik
Munsari/ Jutogh
District Boundary
0 5 10 20
Kilometers
Prepared by G.I.S Cell
District Administration, Almora
79°15'0"E
79°30'0"E
79°45'0"E
80°0'0"E
30°0'0"N
29°45'0"N
29°30'0"N

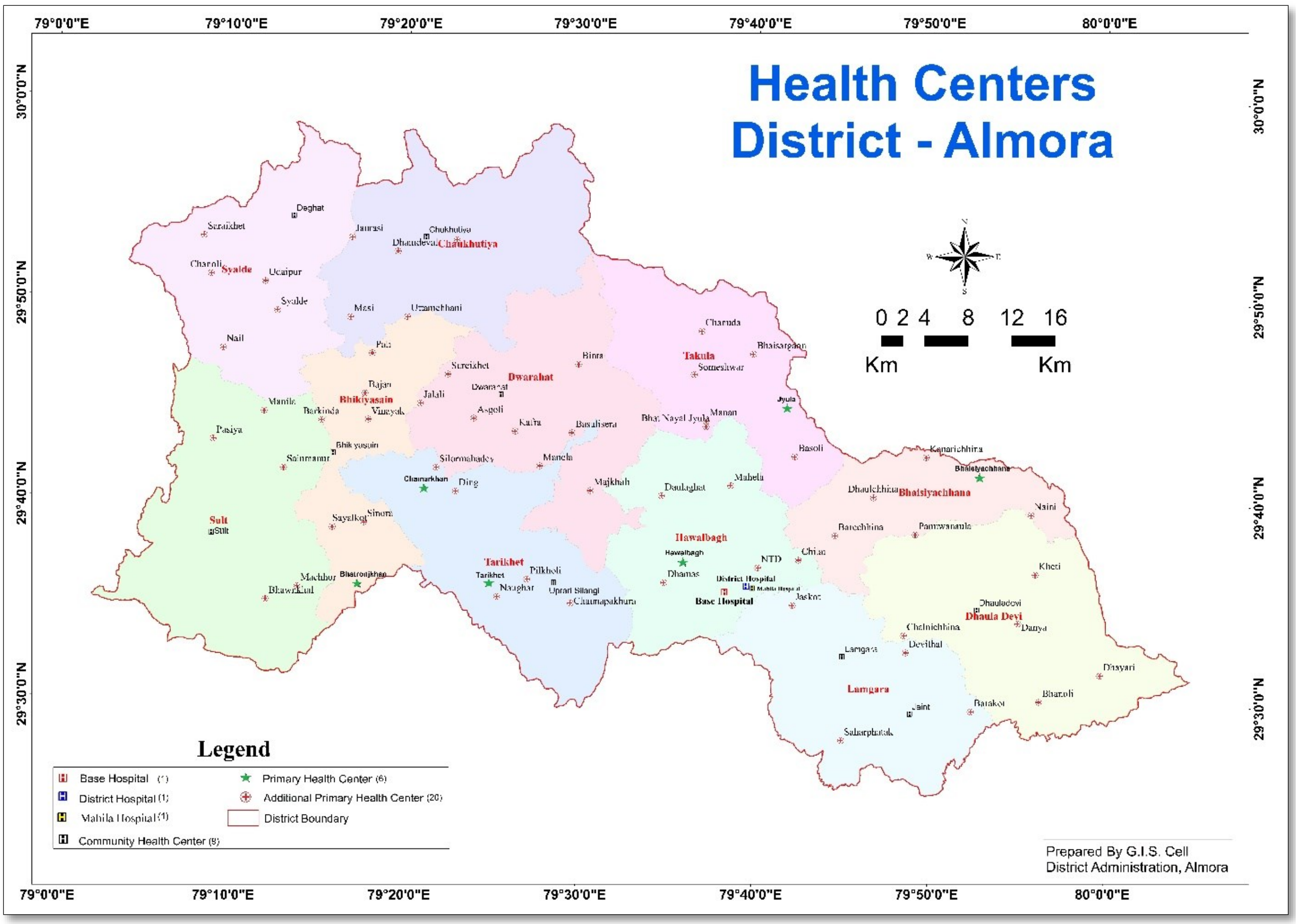
Health Centers
District - Almora
0 2 4 8 12 16
Km Km
Legend
Base Hospital (1)
District Hospital (1)
Mahila Hospital (1)
Community Health Center (8)
Primary Health Center (6)
Additional Primary Health Center (20)
District Boundary
Prepared By G.I.S. Cell
District Administration, Almora
79°0'0"E
79°10'0"E
79°20'0"E
79°30'0"E
79°40'0"E
79°50'0"E
80°0'0"E
30°0'0"N
29°50'0"N
29°40'0"N
29°30'0"N

2.2. जनपद की भौगोलिक स्थिति

जनपद अल्मोड़ा भारत के उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मंडल का एक जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में है और यह समुद्र तल से 1,638 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि.मी में फैला हुआ है अल्मोड़ा के पूर्व में पिथौरागढ़ जिला, पश्चिम में चमोली जिला, उत्तर में बागेश्वर जिला और दक्षिण में नैनीताल जिला है। जिसका प्रसार 29° 25' 39.5" N से 29° 59' 33"N अक्षांश और 79° 03' 03" से 80° 04' 45" देशान्तर तक हैं। देव भूमि उत्तराखण्ड के कुमायूं मण्डल के मध्य में बसे अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 13 अक्टूबर 1891 को हुई। जनपद मुख्यालय अल्मोड़ा पहले एक किला था। सन् 1790 से 1815 तक गोरखों के आधिपत्य में रहने के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। अंग्रेजों द्वारा बनाये उस समय के कुमाऊं जिले में अल्मोड़ा पहले एक तहसील बनायी गई और बाद में सन् 1892 में इसे जिले के रूप में सृजित किया गया। वर्ष 1960 से पूर्व जनपद पिथौरागढ़ जनपद अल्मोड़ा की एक तहसील थी, 14 सितम्बर 1997 तक जनपद बागेश्वर भी इसी जनपद का हिस्सा व तहसील थी। दो जनपदों को अलग करने के बावजूद अल्मोड़ा जनपद की भौगोलिक सीमाएं अभी भी काफी विस्तृत हैं।

अल्मोड़ा का हिल स्टेशन एक घोड़े की नाल के आकार की पर्वत चोटी पर स्थित है, जिसका पूर्वी भाग तलीफाट और पश्चिमी भाग सेलीफाट कहलाता है। अल्मोड़ा का परिदृश्य हिमालय के नजारों, सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और व्यंजनों के कारण हर साल पर्यटकों को आकर्षित करता है, और यह कुमाऊँ क्षेत्र के लिए एक व्यापारिक केंद्र है।

2.3 जनपद में विभिन्न संम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर

क्र.सं.	खतरा	संभावित महीना											
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	अतिवृष्टि						■	■	■	■	■		
2	भूकम्प	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	वनाग्नि		■	■	■	■	■						
4	तूफान / आकाशीय बिजली					■	■	■	■	■			■
5	शीतलहर	■											■
6	ओलावृष्टि			■	■	■							
7	भूस्खलन						■	■	■	■	■		

बादलो का फटना, भूस्खलन, एकाएक बाढ़ और भूकम्प जिले की प्रमुख आपदायें है। बादलो के फटने के कारण आये एकाएक बाढ़ और भूस्खलन से 2010 में बहुत अधिक क्षति हुयी अल्मोड़ा जिला भूकम्प की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है क्योकि यह भूकम्प के चतुर्थ एवं पंचम जोन में आता है वही दूसरी ओर 2010 के बाद बादलो के फटने के कारण एकाएक भूस्खलन भी जिले के लिए प्रमुख चुनौती हो गया है। इसी प्रकार 2013 में भारी वर्षा और भूस्खलन तथा 2014 में भारी हिमपात प्रमुख आपदायें रही जो इसे बहुआपदा बाहुल्य जिला बना दिया है।

2.3.1 खतरा विश्लेषण

यह जिला अपने विशेष भौगोलिक एवं जलवायु जनिक कारणों से भूस्खलन, भूकम्प, अग्निकांड, शीत लहर तथा वाहन दुर्घटनाओं आदि आवर्तक घटनाओं से प्रभावित होता रहा है। इन घटनाओं के कारण यह जिला आपदा के प्रति संवेदनशील रहा हैं। कोसी, गगास, रामगंगा, सरयू आदि नदियां जनपद की सीमा से होकर बहती हैं। मानसून में ये नदियां पानी से

भरी रहती हैं जिससे नदी तट पर बसे क्षेत्रों सोमेश्वर, चौखुटिया, भिकियासैंण, बिन्ता, शेराघाट आदि में भूकटाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही कई छोटे बड़े नालों में भारी वर्षा के कारण पानी बढ़ जाता है तथा पेयजल योजनाओं, घराटों, पुलों, रास्तों आदि को क्षति पहुँचती है।

भूकम्प की दृष्टि से जोन IV एवं V में अवस्थित होने के कारण जनपद में भूकम्प का भी खतरा बना रहता है। जनपद के अधिकांश पुल भ्रंशों के निकट हैं, **मरचूला (M.B.F.) खैरना (S.A.T.) क्वारब (S.A.T.) चौखुटिया (N.A.T.) सोमेश्वर (N.A.T.)** अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं।

खतरा	कारक / लक्षण	किन्हें / क्या जोखिम
अतिवृष्टि	बारिश का एक चरम रूप है। इस घटना में बारिश के साथ कभी–कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं। सामान्यतः बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल फटने की घटना अमूमन पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है। इसके कारण होने वाली वर्षा लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से होती है। कुछ ही मिनट में 2 सेंटी मीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जिस कारण भूस्खलन हो जाता है तथा भारी तबाही होती हैं। जनपद में वर्ष 2010 में देवली एवं बल्टा ग्राम में अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन हुआ था	नदी तटों में निवास करने वाले लोगों, नदियों में पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित पम्पों, घराटों, पुलों, रास्तों, मानव एवं पशु जीवन आदि के अतिरिक्त गरीब एवं अशिक्षित लोगों को ज्यादा जोखिम जो कि आपदाओं के प्रति जागरुक नहीं हैं।
	भूकम्प की दृष्टि से जोन IV एवं V में स्थित होने के कारण कभी भी और कहीं भी हो सकता है, सम्पूर्ण जनपद इसके लिये संवेदनशील है। विगत पूर्व कुछ दशकों में जनपद में भूकम्प से क्षति की कोई बड़ी घटना दर्ज नहीं हुई है।	मानव एवं पशु जीवन, आवासीय एवं सार्वजनिक भवन, मंदिर, विद्यालय, पुल, सड़क मार्ग, विद्युत लाइनें, दूरसंचार व्यवस्था, जलापूर्ति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अतिरिक्त गरीब एवं अशिक्षित लोगों को ज्यादा जोखिम जो कि आपदाओं के प्रति जागरुक नहीं हैं।
भूस्खलन	भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिटटी का बहाव, इत्यादि इसके अंतर्गत आते है। भू–स्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे–छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिटटी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकम्प के आने से भू–स्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों, जैसे कि पेड़ों को काटने, सड़क किनारे खड़ी चटटान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भू–स्खलन हो सकता है। निर्माण कार्यों के दौरान उच्च क्षमता के विस्फोटकों का उपयोग किये जाने से भी भूस्खलन की सम्भावना बढ़ जाती है।	मानव एवं पशु जीवन, वर्षों पुराने भूस्खलन के मलबे पर अवस्थित संरचनाओं, मोटर मार्गों, पहाड़ की तलहटी में बसी बस्तियों के अतिरिक्त गरीब एवं अशिक्षित लोगों को ज्यादा जोखिम जो कि आपदाओं के प्रति जागरुक नहीं हैं।
ओलावृष्टि	यह एक प्राकृतिक आपदा और मौसम की एक घटना है, जिसमें वर्षा के साथ बर्फ के छोटे–बड़े टुकड़े या गोलियां गिरती हैं। यह ठंडे मौसम या मानसून से पहले (विशेषकर मार्च–अप्रैल) में होने वाली तेज आंधी–तूफान का एक हिस्सा है। यह एक मौसमी खतरा है।	मानव एवं पशु जीवन और फसल, फलों की खेती आदि।
मार्ग दुर्घटनाऐं	सभी दुर्गम पर्वतीय मार्गो पर असावधानी पूर्वक वाहन चलाने से, वाहन में तकनीकी खराबी होने के कारण या चालक की लापरवाही से वाहन दुर्घटनाओं का खतरा होता है।	मानव जीवन एवं आर्थिकी पर प्रभाव पड़ता है
वनाग्नि तथा अग्नि दुर्घटना	गर्मी के मौसम में वातावरण के तापमान में वृद्धि होने के कारण संकरी बस्तियों में, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर कि लकड़ी एवं उपले आदि को ईंधन के रुप में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर इसका खतरा ज्यादा होता है।	मानव एवं पशु जीवन, आवासीय एवं सार्वजनिक भवन, मंदिर, विद्यालय आदि।

2.4 जनपद में विगत वर्षो में हुयी आपदाओं का मैट्रिक्स

Annex-1

Date For Each Of The 12 Notified Disasters May be Provided Separately in The Format Below:

Disaster Ttyoe	Indicators	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Forest Fire	No. of People Died	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
	No. of Livestock Died	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0
	House Damaged	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Crop Area Affected	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cloud burst	No. of People Died	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
	No. of Livestock Died	0	4	25	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
	House Damaged	0	70	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Crop Area Affected	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Earthquake	No. of People Died	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. of Livestock Died	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	House Damaged	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Crop Area Affected	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallststorm	No. of People Died	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	No. of Livestock Died	2	0	0	0	5	1	3	0	0	1	3	3	3	34	9
	House Damaged	16	10	0	11	19	55	48	36	0	14	35	17	21	0	0
	Crop Area Affected	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landslide	No. of People Died	4	2	13	2	2	0	1	2	0	3	5	2	0	0	0
	No. of Livestock Died	18	6	31	13	24	15	18	6	0	13	17	3	3	0	0
	House Damaged	657	117	253	167	132	150	118	107	0	63	315	92	189	796	1116
	Crop Area Affected	0	0	0.6 hectare	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4.71 hectare	0	0
frost and cold wave	No. of People Died	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. of Livestock Died	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	House Damaged	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Crop Area Affected	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drought	No. of People Died	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. of Livestock Died	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	House Damaged	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Crop Area Affected	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	697	209	531	193	184	222	192	151	0	94	379	128	221	844	1126

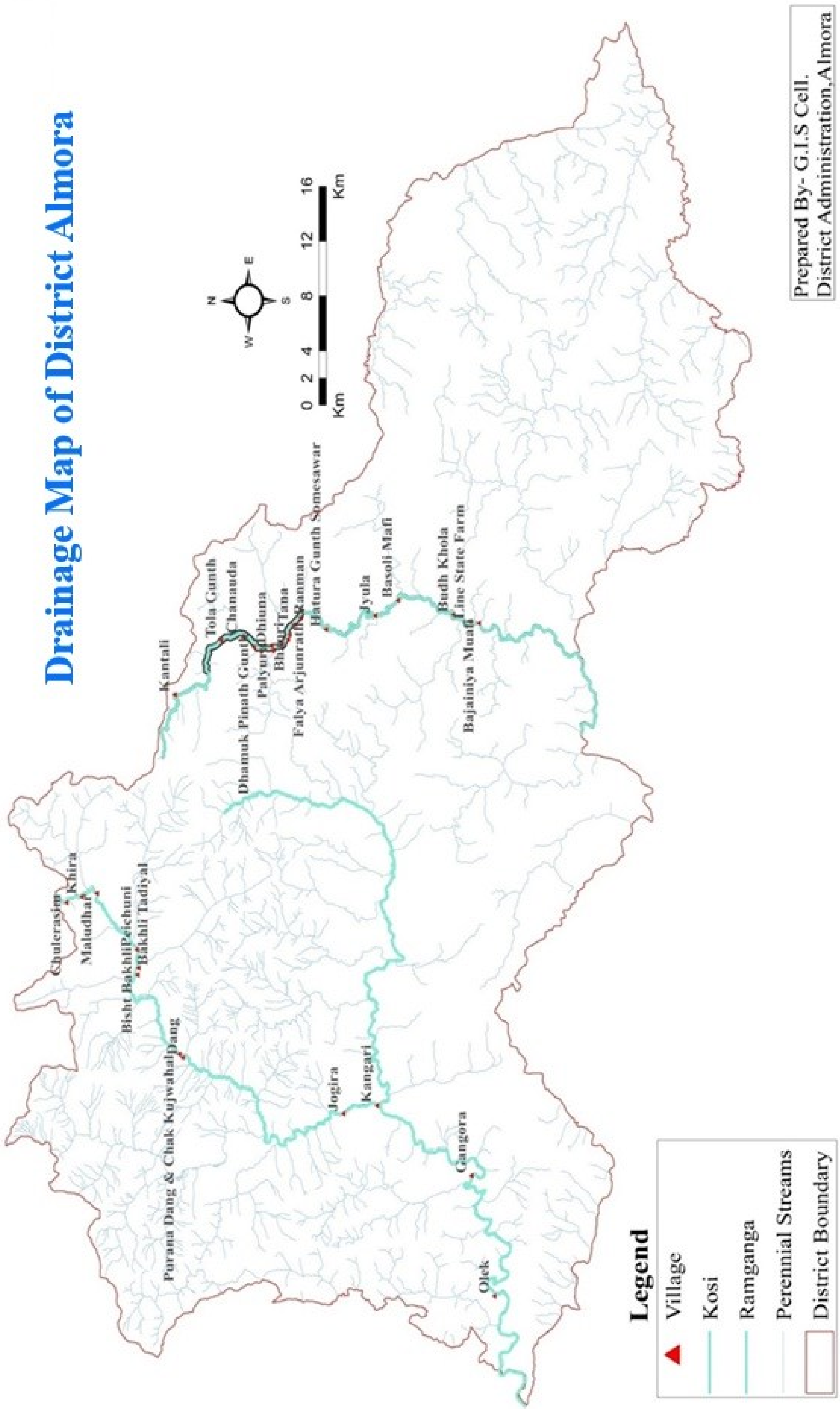

अपवाह मानचित्र जनपद अल्मोड़ा।

2.5 जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण भूस्खलन प्रभावित मोटर मार्ग

क्र.सं.	मार्ग का नाम	संवेदनशील किमी0 / स्थान	अक्षांश	देशान्तर
राष्ट्रीय राजमार्ग, रानीखेत				
1	राष्ट्रीय मार्ग सं0 309 बी शैलबैण्ड से पनार (किमी0 0.00 से किमी0 77.10)	किमी0 73.100 मकड़ाऊ	29.511111	80.040277
2	ज्योलिकोट – अल्मोड़ा – कर्णप्रयाग राष्ट्रीय मार्ग सं0–87 विस्तार (नया 109)	किमी0. 55.55 क्वारब	29.553843	79.608227
प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा				
1	खैरना रानीखेत रामनगर मोटर मार्ग। (किमी. 1.00 से 104.60) राज्य मार्ग सं.–14	किमी0 1 (भुजान के समीप)	29.50048611	79.48113056
2	खैरना रानीखेत रामनगर मोटर मार्ग। (किमी. 1.00 से 104.60) राज्य मार्ग सं.–14	किमी0 81, 82, 86 एवं 97 चरीधार, कुमेरिया,	29.54758889 29.54632222 29.54299722 29.53658056	79.22736111 79.22576111 79.20754722 79.16497500
3	थलीसैण बूंगीधार देघाट जैनल मानिला डोटियाल मरचूला मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग संख्या–52)(91.00 किमी. से 135.00)	किमी0 100, 101, 109 डोटियाल, कालीगांव	29.75473611 29.75409722 29.71477222	79.16494167 79.15950556 79.15175000
4	थलीसैण बूंगीधार देघाट जैनल मानिला डोटियाल मरचूला मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग संख्या–52)(91.00 किमी. से 135.00)	किमी0 133, 135, मरचूला के समीप	29.61014444 29.61212222	79.10128611 79.09837778
5	मरचूला सराईखेत बैजरों पोखड़ा सतपुली पौडी मोटर मार्ग। (1.00 किमी. से 14.00 / राज्य मार्ग सं0–32)	किमी0 2, 3, किमी0 9, 10, कोटाचामी के समीप मरचूला के समीप	29.61483056 29.61588056 29.64293333 29.65430833	79.09918889 79.09994167 79.10792778 79.10335000
6	चिमटाखाल भौनखाल भतरौजखान मोटर मार्ग।	किमी0 29 एवं 30 चौरीघट्टी के समीप	29.57597222 29.57646667	79.50735833 79.50806667
7	पैसिया पीपना मोटर मार्ग। (17.00 किमी. / अन्य जिला मार्ग)	किमी0 2, 3 पैसिया के समीप	29.72970278 29.57954722	79.15073889 79.15973056
8	पैसिया–पीपना मोटर मार्ग का झीपा टनला सीमलीतल लछिगढ़ जाम्हिर खेत होते हुए डभरा तक विस्तार। (28.00 किमी. / ग्रामीण मार्ग)	किमी0 20, 21, बेसरबगड़ के समीप	29.70189444 29.69621389	79.20208611 79.20311389
निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा				
1	लोहाघाट बाराकोट सिमलखेत काफलीखान भनोली मोटर मार्ग (सिमलखेत काफलीखान प्रभाग) (राज्य मार्ग सं0–57) किमी0 45 (चै0 44.400 से 44.475) किमी0 44 (चै0 39.45 से 39.70)	बडियार चौक	29029'55.41"N	79059'29.24"E
2		सिमलखेत	29029'9.00"N	79058'32.12"E
3	(अल्मोड़ा–सेराघाट मो.मा.)अल्मोड़ा बेरीनाग अस्कोट मो.मा. (राज्य मार्ग सं. –3) किमी0 19 (चै0 18.620 से 18.660)	कसाण बैण्ड	29040'58.08"N	79048'54.87"E

क्र.सं.	मार्ग का नाम	संवेदनशील किमी0 / स्थान	अक्षांश	देशान्तर
4	सुवाखान–दोड़म–चलनीछीना– द्यूनाथल डुबरौली मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0–59) किमी0 13 (चै0 12.150 से 12.200)	नायल	29033'49.72"N	79048'11.22"E
5	कर्णप्रयाग(शिमली)–ग्वालदम–बागेश्वर–चौकोड़ी थल मुनस्यारी जौलजीवी मार्ग (कोसी कौसानी प्रभाग) (राज्य मार्ग सं0–11) किमी0 22 (चै0 21.600 से 21. 660) किमी0 24 (चै0 23.400 से 23.450)	मगरू धारा	29041'45.15"N	79037'58.68"E
6		दाड़िम खोला	29042'12.70"N	79037'24.86"E
7	जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव मोटर मार्ग ग्रामीण मार्ग किमी0 2.00 (चैनेज 1.800 से 1.850)	बेलवाल गांव	29041'49.88"N	79048'15.88"E
प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत				
1	खैरना रानीखेत रामनगर मोटर मार्ग। (किमी. 1.00 से 104.60) राज्य मार्ग सं.–14	किमी0 1 भुजान के समीप	29030'1.75" N	79028'52.07" E
2	खैरना रानीखेत रामनगर मोटर मार्ग। (किमी. 1.00 से 104.60) राज्य मार्ग सं. –14	किमी0 81, 82, 86 एवं 97	29032'51.32" N 29032'46.76" N 29032'34.79" N 29032'11.69" N	79013'38.50" E 79013'32.74" E 79012'27.17" E 7909'53.91" E
3	थलीसैण बूंगीधार देघाट जैनल मानिला डोटियाल मरचूला मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग संख्या–52)(91.00 किमी. से 135.00)	किमी0 100, 101, 109	29045'17.05" N 29045'14.75" N 29042'53.18" N	79009'53.79" E 79009'34.22" E 79009'6.30" E
4	थलीसैण बूंगीधार देघाट जैनल मानिला डोटियाल मरचूला मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग संख्या–52)(91.00 किमी. से 135.00)	किमी0 133, 135, मरचूला के समीप	29036'36.62" N 29036'43.64" N	79006'04.63" E 79005'54.16" E
5	मरचूला सराईखेत बैजरों पोखड़ा सतपुली पौडी मोटर मार्ग। (1.00 किमी. से 14.00 / राज्य मार्ग सं0–32)	किमी0 2, 3, मरचूला के समीप, किमी0 9, 10, कोटाचामी के समीप	29036'53.39" N 29036'57.17" N 29038'34.56" N 29039'15.51" N	79005'57.08" E 79005'59.79" E 79006'28.54" E 79006'12.06" E
6	चिमटाखाल भौनखाल भतरौजखान मोटर मार्ग।	किमी0 29 एवं 30, चौरीघट्टी के समीप	29034'33.50" N 29034'35.28" N	79030'26.49" E 79030'29.04" E
7	पैसिया पीपना मोटर मार्ग। (17.00 किमी. / अन्य जिला मार्ग)	किमी0 2, 3, पैसिया के समीप	29043'46.93" N 29034'46.37" N	79009'02.66" E 79009'35.03" E
8	पैसिया–पीपना मोटर मार्ग का झीपा टनला सीमलीतल लछिगढ़ जाम्हिर खेत होते हुए डभरा तक विस्तार। (28.00 किमी. मार्ग)	किमी0 20, 21, बेसरबगड़ के समीप	29042'6.82" N 29041'46.37" N	79012'7.51" E 79012'11.21" E
निर्माण खण्ड, रानीखेत				
1	भतरौजखान–भिकियासैन– चौखुटिया मोटर मार्ग (राज्य मार्ग)	20.00(6-8) लछमोला	29039'54.44"N,	79017'14.09"E
सिचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0, अल्मोड़ा				
1	धौलादेवी खेती मोटर मार्ग के कि0मी0 5. 00 से बजेली मोटर मार्ग	किमी0 13,14,15 बजेला के समीप	29.633826 29.633879 29.633802	79.924435 79.924919 79.927436
2	सेराघाट से कुॅन्ज किमोला मोटर मार्ग।	किमी0 6,7,8 जिगंल के समीप	29.692810 29.689366	79.912416 79.925673
3	मंगलता से त्रिनैली मोटर मार्ग।	किमी0 10,13,24,25 बौरा,जामडी के समीप	29.665649 29.660046 29.667499	79.884284 79.877236 79.852869

क्र.सं.	मार्ग का नाम	संवेदनशील किमी0/स्थान	अक्षांश	देशान्तर
4	चलमोड़ीगाड़ा से कलौटा मोटर मार्ग।	किमी0 9,12 खौडी,कलोटा के समीप	29.593477 29.599385	79.916639 79.923253
5	जैंती–पीपली रोड़ से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग।	किमी0 4 सिल्टा चापड के समीप	29.452707	79.850506
6	टी01 ओ0डी0आर0 मौरनोला जैंती मोटर मार्ग के किमी0 21 दन्योली से चौकुना मोटर मार्ग।	किमी0 9,11,13 बिरखम के समीप	29.48818 29.47900 29.48023	79.880447 79.877819 79.867554
7	बसोलीखान चमतोला से न्यालधूरा मोटर मार्ग।	किमी0 6,7 न्यालधूरा के समीप	29.519376 29.251223	80.029468 80.038192
8	डुगंरा जिगोली से तोली जिगोली मोटर मार्ग	कि0मी0 1 2 3 4 5 6 तोली के समीप	29.482780 29.481690 29.48319	79.968480 79.964950 79.965630
9	दसोला मेल्टा मोटर मार्ग	किमी0 1,2,3,4 दसोला के समीप	29.482258 29.502172 29.502458	79.955953 79.976458 79.976877
पी0एम0जी0एस0वाई0, द्वाराहाट				
1	द्वाराहाट असगोली पैठानी मोटर मार्ग। ल0 13.854 किमी0।	13.00 Km. नैडी	29.727457	79.382788

जनपद अन्तर्गत कुल–29 स्थान वर्षाकाल में संवेदनशील है।

2.6 पुर्नवासित एवं पुर्नवास हेतु प्रस्तावित ग्रामों का विवरण

भू–गर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों में 12 ग्रामों के 169 परिवारविस्थापन की श्रेणी में आये थे। जिसके क्रम में विस्थापन हेतु ग्राम भैसियाछाना के तोक खैरखेत के कुल 04 परिवार एवं ग्राम रैलाकोट के प्रभावित 04 परिवारों कुल 08 परिवारों को किया गया है एवं शेष 10 ग्रामों के 161 परिवारों को विस्थापन किये जाने की कार्यवाही गतिमान हैः–

क्र.स.	ग्राम	तहसील	ग्राम की श्रेणी	परिवारों की सख्या
01	भैसियाछाना तोक बूढाधार	अल्मोड़ा	अत्यधिक संवेदनशील	50
02	ल्वेटा	अल्मोड़ा	संवेदनशील	15
03	थालागॅूठ	अल्मोड़ा	संवेदनशील	09
04	बल्टाबाड़ी	अल्मोड़ा	संवेदनशील	04
05	सिराड़	अल्मोड़ा	संवेदनशील	14
06	देवली	अल्मोड़ा	संवेदनशील	06
07	भूल्युड़ा	अल्मोड़ा	संवेदनशील	04
08	पनुवाद्योखन	सल्ट	संवेदनशील	14
09	बसरखेत	चौखुटिया	संवेदनशील	03
10	इन्द्राबस्ती	रानीखेत	संवेदनशील	42
कुल परिवारों की संख्या				**161**

अध्याय : 3
आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थायें
(Intuitional Arrangements For Disaster Managment)

3.1 राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबन्धन संगठनात्मक संरचना

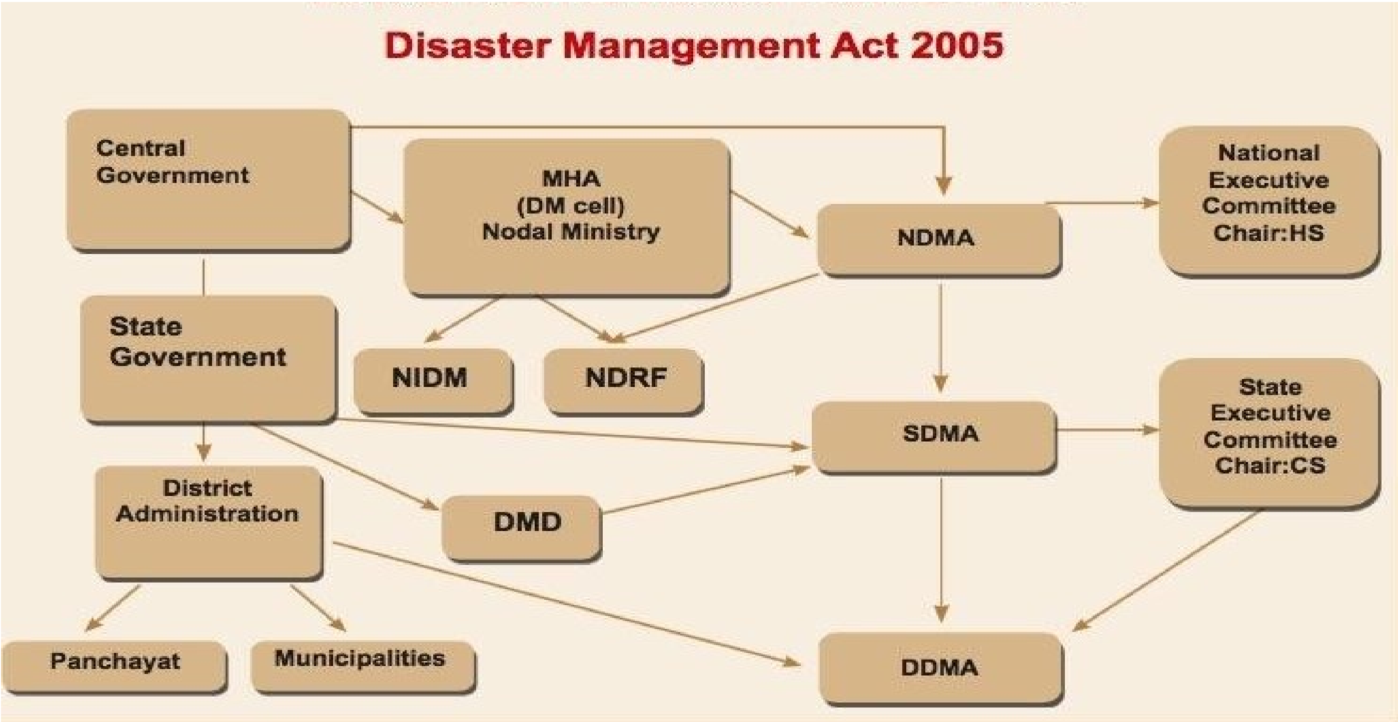

इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय और सम्न्वय तंत्र निर्धारित किए गए है। ये संस्थायें सामानान्तर ढ़ाचे नही है तथा गहन समन्वय में कार्य करेंगी। नए संस्थागत ढ़ाचे से आपद प्रबन्धन में एक आदर्श बदलाव आने की संभावना है जिससे राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर एक सक्रिय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें तैयारी, निवारण और प्रशमन पर अधिक बल दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं और आपदा प्रबन्धन के लिये नीतियां, योजनाएं एवं दिशा–निर्देश निर्धारित करने आपदा आने पर समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये इनके प्रर्वतन और क्रियान्वयन को समन्वित करने के लिये उत्तदायी है। दिशा–निर्देश केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को उनके आपदा प्रबंधन के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे। योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी. यह केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया समिति है प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी देंगे। यह ऐसे अन्य उपाय करेगा जैसे इसका उपयोग खतरनाक आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए आपदाओं की रोकथाम के लिए किया जाता है।

या जैसा कि शमन या तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक समझा जाए। केंद्रीय मंत्रालय विभाग और राज्य सरकारें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को अपना दायित्व पूरा करने में प्राधिकरण को आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करेंगे। यह शमन और तैयारी का मामला है. उपायों के लिए धन के प्रावधान और उपयोग की निगरानी करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन खतरनाक आपदा या आपदा की स्थिति में बचाव और राहत के लिए प्राधिकण प्रावधानों या सामग्रियों

की आपातकालीन खरीद के लिए, संबंधित विभाग या अधिकारियों को अधिकृत करने की शक्ति है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जनरल अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित है

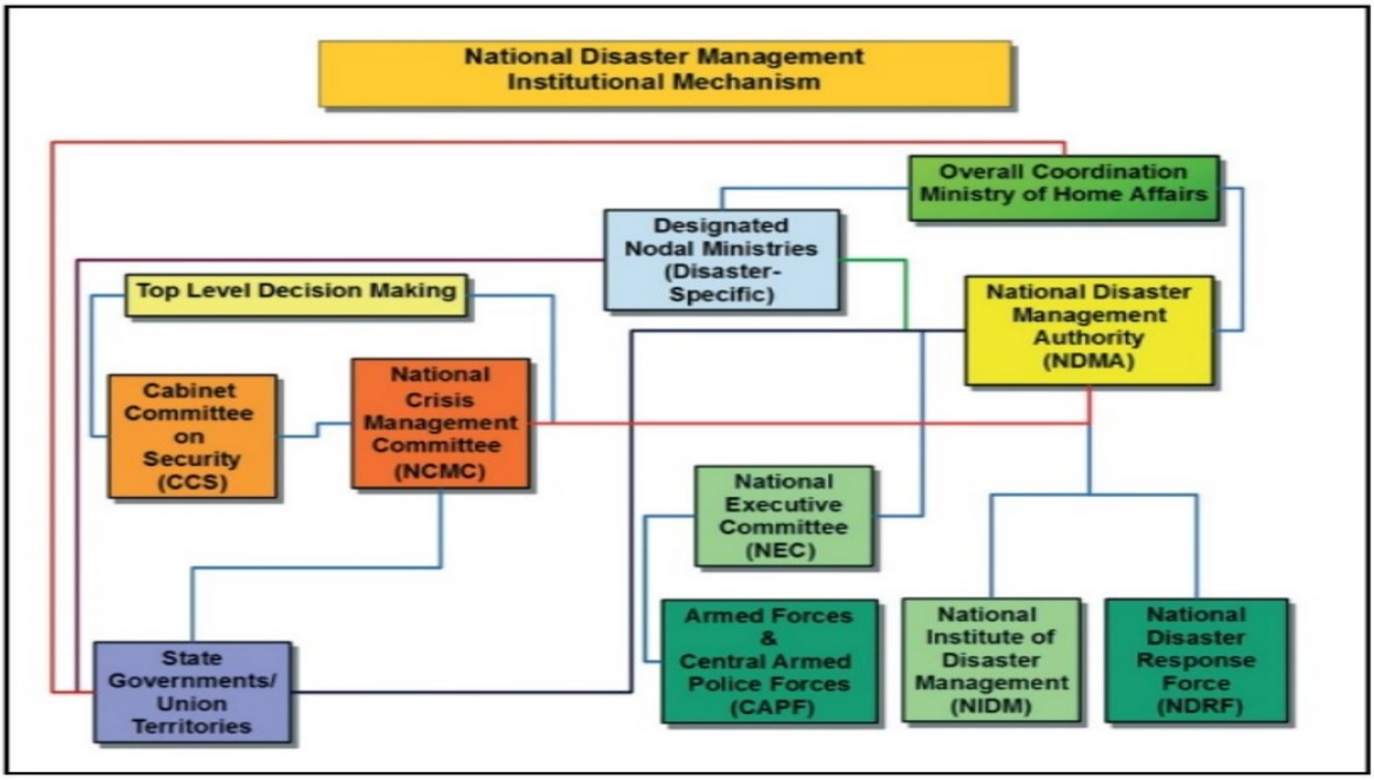

3.2. राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन संगठनात्मक संरचना

3.2.1. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए)

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 14 के अनुसार बनाया गया, एसडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करने, एसडीएमपी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, शमन और तैयारी उपायों के लिए धन प्रावधानों की सिफारिश करने और विभिन्न विभागों की विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करने के लिए है ताकि इनमें रोकथाम, तैयारी और शमन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। आपातकालीन स्थिति में एसडीएमए के अध्यक्ष के पास एसडीएमए की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति है, लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग प्राधिकरण द्वारा पूर्वव्यापी अनुसमर्थन के अधीन है। डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 18 में निर्धारित एसडीएमए की शक्तियों और कार्यों में शामिल हैं

- ❖ राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारित करना।
- ❖ राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य योजना को मंजूरी देना।
- ❖ राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी देना।
- ❖ राज्य सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं की रोकथाम और शमन के उपायों के एकीकरण के उद्देश्य से पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना और इसलिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- ❖ राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना।
- ❖ शमन और तैयारी उपायों के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना।
- ❖ राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि 9 रोकथाम और शमन उपाय उनमें एकीकृत हैं।
- ❖ राज्य सरकार के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारियों के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करें और आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करें।

आदेश संख्या 1198/XVIII(2)/07-3(6)/2007 दिनांक 10 अक्टूबर 2007 द्वारा गठित एसडीएमए की संरचना नीचे दी गई है।

❖ मुख्यमंत्री	:	अध्यक्ष
❖ मंत्री आपदा प्रबन्धन्	:	सह अध्यक्ष
❖ मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	:	सदस्य
❖ मंत्री, सिंचाई एवं पेयजल	:	सदस्य
❖ मंत्री, परिवहन	:	सदस्य
❖ मंत्री, ग्रामीण विकास	:	सदस्य
❖ मुख्य सचिव,राज्य कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष	:	सदस्य और सीईओ
❖ प्रमुख सचिव, वित्त	:	सदस्य
❖ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन	:	सदस्य

3.2.2 राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी)

डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 20 एसडीएमए को उसके कार्यों के प्रदर्शन में सहायता करने और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्रवाई का समन्वय करने के लिए राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) के गठन का प्रावधान करती है। सरकारी आदेश संख्या 141/XVIII/08-3(6)/2007 दिनांक 08 जनवरी, 2008 के माध्यम से गठित एसईसी की संरचना निम्नवत है।

❖ मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
❖ अपर मुख्य सचिव	:	सदस्य
❖ सचिव आपदा प्रबन्धन	:	सदस्य
❖ सचिव वित्त	:	सदस्य
❖ सचिव स्वास्थ एवं चिकित्सा	:	सदस्य

जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 में निर्धारित किया गया है, एसईसी के कार्यों में शामिल हैं

- संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र से या उसके भीतर वाहनों के आवागमन को नियंत्रित और प्रतिबंधित करना।
- किसी संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश, उसके अंदर आने–जाने और जाने को नियंत्रित और प्रतिबंधित करना।
- मलबा हटाना, खोज करना और बचाव कार्य चलाना।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आश्रय, भोजन, पीने का पानी, आवश्यक प्रावधान, स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करना।
- राज्य सरकार के संबंधित विभाग, किसी भी जिला प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को राज्य की स्थानीय सीमा के भीतर बचाव, निकासी या जीवन या संपत्ति को बचाने के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए ऐसे उपाय या कदम उठाने का निर्देश देना, जो उसकी राय में आवश्यक हो।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया, बचाव और राहत के प्रयोजनों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के किसी भी विभाग या किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण या किसी भी प्रासंगिक संसाधनों के प्रभारी व्यक्ति की आवश्यकता होगी।
- राहत बचाव और के लिए सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए आपदा के क्षेत्र में विशेषज्ञों और सलाहकारों की आवश्यकता है।
- आवश्यकता पड़ने पर किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से सुविधाओं का विशेष या अधिमान्य उपयोग प्राप्त करना।
- अस्थायी पुलों या अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करना और असुरक्षित संरचनाओं को ध्वस्त करना जो जनता के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

- यह सुनिश्चित करना कि गैर–सरकारी संगठन अपनी गतिविधियाँ न्यायसंगत और गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से करें।
- किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए जनता तक जानकारी प्रसारित करना।
- ऐसे कदम उठाएं जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्देशित कर सकती है या ऐसे अन्य कदम उठा सकती है जो किसी भी खतरे की स्थिति या आपदा के कारण आवश्यक या जरूरी हैं।

3.2.3 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 के अनुसार, आपदा घटनाओं के दौरान विशेष प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) का गठन किया गया है।

एक विशेष बल के महत्व को समझते हुए जो स्थानीय इलाके की स्थितियों और अन्य जमीनी हकीकतों से अच्छी तरह वाकिफ हो, राज्य सरकार ने 9 अक्टूबर, 2013 के शासनादेश संख्या 2086/XX&1/13-11904)2013 के माध्यम से राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की दो कंपनियां भी गठित की हैं।

3.3. जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना

उत्तराखण्ड शासन, आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग, की अधिसूचना संख्या– 1511/ XVIII (2)/07/07-3 (6)/2007 दिनांक 04 दिसम्बर 2007 के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम 53 वर्ष 2005) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, द्वारा इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये विभिन्न कार्यों तथा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन के लिये एक जिला स्तरीय अर्थात अल्मोड़ा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नवत रूप में संरचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है–

❖ जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा	:	अध्यक्ष
❖ जिला पंचायत अध्यक्ष, अल्मोड़ा	:	सह अध्यक्ष
❖ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा	:	सदस्य
❖ मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा	:	सदस्य
❖ प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन /	:	सदस्य / मुख्य अधिशासी अधिकारी अपर जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
❖ मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा	:	सदस्य
❖ अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	:	सदस्य

जनपद के समस्त मा0 विधायकगण प्राधिकरण की बैठकों में विशिष्ट आमंत्री होंगे तथा उक्त के अतिरिक्त निम्नानुसार अधिकारियों को आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में नामित किया गया है–

- ❖ जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा।
- ❖ सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा।
- ❖ अधिशासी अभियन्ता, कुमाऊँ सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा। (नोडल अधिकारी)
- ❖ प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, अल्मोड़ा।
- ❖ अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, अल्मोड़ा। (नोडल अधिकारी)
- ❖ भू–वैज्ञानिक, भू–तत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, अल्मोड़ा।
- ❖ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
- ❖ मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा।
- ❖ अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
- ❖ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य प्रदान किये गये हैं–

जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले के आपदा प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा

राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता हैं

विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हो तथा जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा

जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकाारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा। आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा। जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उसका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा

किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा। यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

जिला स्तर पर संबद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा की स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्ग निर्देश दे सकेगा।

जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निर्देश दे सकेगा।

ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा।

राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा।

आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा। जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा।

यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही हैं।

ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबन्धन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अल्मोड़ा का गठन–

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य् में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और सात से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, इसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:–

- ❖ जिले का यथास्थिति, कलस्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अधिकारी होगा,
- ❖ स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि जो पदेन सह–अध्यक्ष होगा परंतु संविधान की छठी अनुसूची में जैसा निर्दिष्ट हैं, जन जाति क्षेत्रों में, स्वशासी जिले की जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक सदस्य, पदेन सह–अध्यक्ष होगा
- ❖ जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पदेन
- ❖ पुलिस अधीक्षक, पदेन
- ❖ जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पदेन
- ❖ दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  1. ऐसे किसी जिले में जहां जिला परिषद् विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह–अध्यक्ष होगा।
  2. राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को, जो यथास्थिति, अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वार विहित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां

- ❖ जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करें।
- ❖ जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योत्तर अनसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।
- ❖ जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियां और कृत्य, जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तो और निबंधनों, यदि कोई हों, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

1. जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्वांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

2. जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाः–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबन्धन योजना तैयार कर सकेगा।

(ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और अनुश्रवण कर सकेगा।

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं।

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है ।

(v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा।

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा।

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा जो आवश्यक हो।

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निदेश दे सकेगा।

(xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्त्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा।

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xv) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

(xvii) यह सुनिश्चित कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

(xviii) जिला स्तर पर संबद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा।

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्ग निर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिला में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों की करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया हैं, संबद्व प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा।

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आशंका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविर के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा।

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा।

(xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण की सूचना दे सकेगा,जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थानों को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा।

(xxvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही है।

(xxviii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाए।

3.3.1 जनपद में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, **2005 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 53, वर्ष 2005) की धारा–06** एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा इंसीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम (Incident Response System ; IRS) हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में उत्तराखण्ड राज्य में राज्य जनपद एवं तहसील स्तर पर IRS का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिये एक प्रभावी, सुसंगठित व समग्र तंत्र स्थापित करना है, जो आपदाओं की स्थिति में त्वरित व मानकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में सक्षम हो। इस प्रणाली का लक्ष्य जीवन व सम्पत्ति को हो सकने वाली सम्भावित क्षतियों में न्यूनता लाने व आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। IRS से संबंधित समस्त कार्यवाही व प्रतिक्रिया राज्यए जनपद, तहसील स्तर पर निम्नानुसार अधिसूचित इंसीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम (Incident Response System; IRS) द्वारा सम्पादित की जायेगी।

जिला स्तरीय इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0

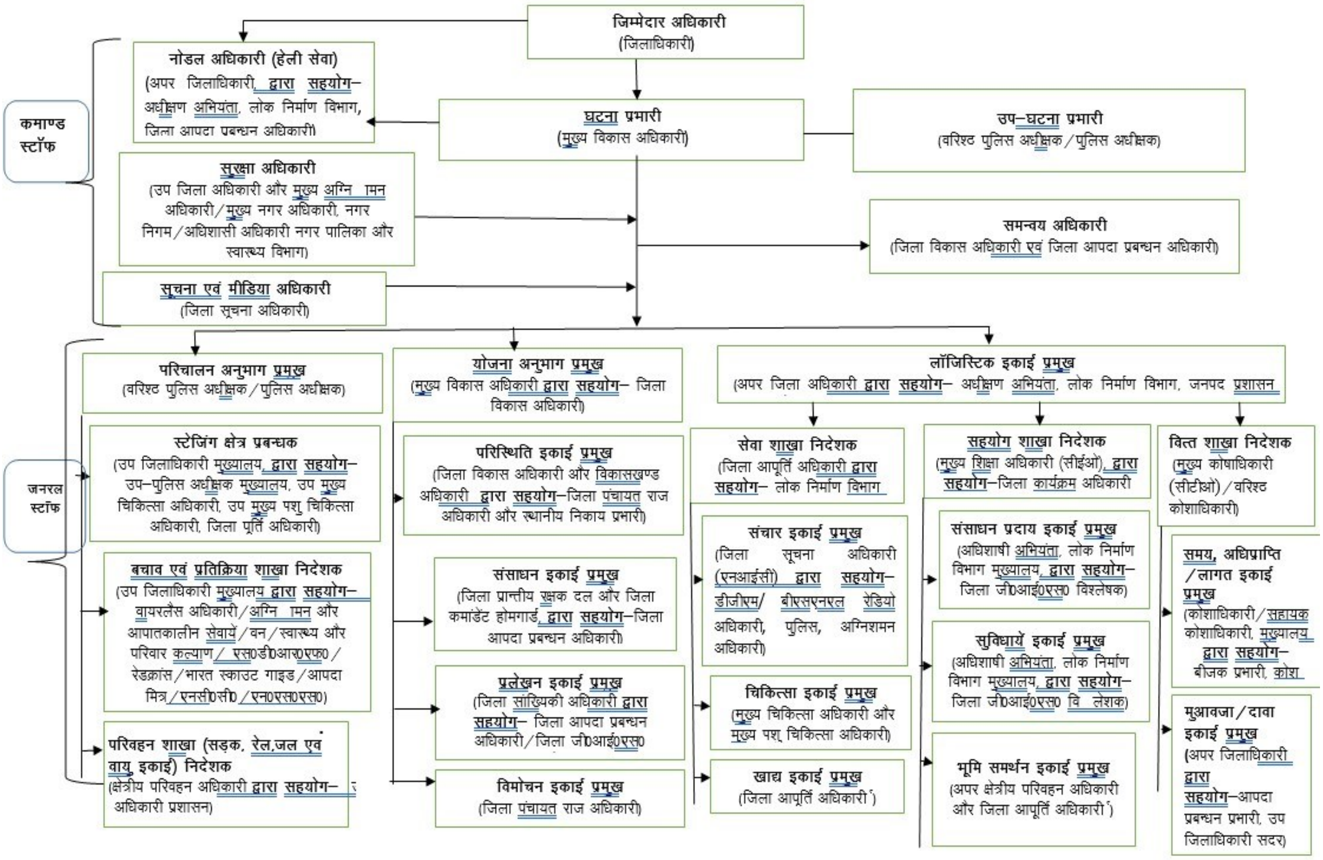

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	**आई0आर0एस0 प्रास्थिति**	**नामित अधिकारी**	**भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां**
कमाण्ड स्टॉफ			
1	जिम्मेदार अधिकारी (Responsible Officer, (RO))	जिलाधिकारी।	**1.** समग्र प्रभारी। **2.** आपातकालीन स्थिति में समयबद्व रूप से संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न विभागों व एजेंसियों को ससमय आदेश जारी करना। **3.** आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर पर घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS) को सक्रिय करना। **4.** आवश्यकतानुसार सशस्त्र बलों, वायु सेना से सहायता आदि संसाधन जुटाये जाने हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करना।
2	घटना प्रभारी (Incident Commander(IC))	मुख्य विकास अधिकारी।	**1.** खोज एवं बचाव तथा राहत वितरण की रणनीतियों सहित तात्कालिक प्राथमिकताएं तय करना। **2.** उच्चाधिकारियों से संक्षिप्त जानकारी साझा करते हुए यथावश्यक अतिरिक्त संसाधनों की मांग करना। **3.** घटना की व्यापकता को दृष्टिगत् रखते हुये IRS प्रणाली को इतना सशक्त/संगठित किया जाना जो समुचित संसाधनों को जुटाने का

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			कार्य कर सके, जिससे की आपातकालीन स्थिति मे प्रभावी नियंत्रण करना। **4.** उपयुक्त स्थान पर इंसीडेन्ट कमाण्ड पोस्ट (ICP) को स्थापित करना और सम्बन्धित अधिकारियों को नामित करना। **5.** इंसीडेन्ट एक्शन प्लॉन (IAP) तैयार किए जाने को सुनिश्चित करना। **6.** IAP को अनुमोदित करना तथा कार्यान्वयन हेतु अधिकृत करना। **7.** नीति निर्धारण हेतु IRS के सभी सेक्शन प्रमुख के साथ नियमित समय अंतराल पर बैठक सुनिश्चित करना। **8.** मीडिया को सूचना निर्गत करना। **9.** यथोचित समय पर IRS को विघटित करने की संस्तुति करना। **10.** RO के दिशा–निर्देशों के अधीन घटना से सम्बन्धित सभी कार्यों को सुचारु रुप से क्रियान्वित करना।
3	उप–घटना (डिप्टी कमांडर) (Deputy Incident Commander (DIC))	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक।	**1.** घटना कमाण्डर द्वारा सौंपे गए किसी भी प्रकार के कार्य / दायित्व को पूरा करना। **2.** स्थायी पदाधिकारी की अनुपस्थिति में घटना कमाण्डर के रूप में कार्य करेंगे।
4	सूचना एवं मीडिया अधिकारी (Information & Media officer(IMO))	जिला सूचना अधिकारी।	**1.** घटना के संबंध मे सूचनाओं को तैयार करना एवं घटना प्रभारी के अनुमोदन से मीडिया एवं अन्य एजंसियों को सूचना उपलब्ध करवाना। **2.** आकस्मिक आपदा की स्थिति में, जबकि IRT पूर्ण रुपेण सक्रिय न हो, की स्थिति में किए गए निर्णय एवं निर्गत दिशा–निर्देश को संक्षेप मे लिखा जाना एवं IAP में सम्मिलित किए जाने हेतु प्लानिंग सेक्शन को उपलब्ध कराना। **3.** घटना के सम्बन्ध में विभिन्न मीडिया रिपोटों का अनुश्रवण और पुनरीक्षण करना जो घटना के संबंध में लाभकारी हों। **4.** सभी सम्बन्धित पक्षों को आवश्यक जानकारी प्रसारित करना।
5	समन्वय अधिकारी (Liaison Officer (LO))	जिला विकास अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी।	**1.** विभिन्न स्थानों पर सम्बन्धित रेखीय विभागों, एजेंसियों (गैर सरकारी संगठन) आदि के प्रतिनिधियों की सूची तैयार करना। **2.** एन0डी0आर0एफ0, सशस्त्र बल और राज्य सरकार के रेखीय विभाग सहित सभी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना। **3.** सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों एवं उनके संसाधनो के पहुँचने की सूचना घटना प्रभारी (IC) के साथ साझा करना।

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			4. घटना प्रभारी के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के ब्रिफ्रिंग सत्र आयोजित करने में सहायता करना। **5.** प्रत्येक प्राधिकरण/ऐजेंसी द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का रिकार्ड बनाये रखना।
6	सुरक्षा अधिकारी (Safety Officer (SO))	उप जिला अधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी **द्वारा सहयोग–** मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग।	**1.** प्रतिक्रिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित् करने और खतरनाक असुरक्षित स्थितियों से निपटने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा करना। **2.** सुरक्षा पहलुओं के दृष्टिकोण से घटना कार्य योजना (IAP) की समीक्षा करना। **3.** यथा आवश्यकता साइट सुरक्षा योजना की समीक्षा और स्वीकृति देना। **4.** क्षमता विकास के लिए नियमित रूप से आपदा विशिष्ट मॉक ड्रिल आयोजित करना।
7	नोडल अधिकारी, हेली सेवा (Nodal Officer; N.O. (Air Operation))	अपर जिलाधिकारी, **द्वारा सहयोग–** अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	**1.** एयर ऑपरेशन से सम्बन्धित प्राधिकरण से समन्वय करना। **2.** घटना कार्य योजना (IAP) के आधार पर आवश्यक एयर ऑपरेशन के प्रकार का अनुमान लगाना और मांग कम से कम 24 घंटे पहले या यथाशीघ्र प्रस्तुत करना। **3.** अपने–अपने क्षेत्रों में हवाई गतिविधियों और लैंडिंग कार्यक्रमों के बारे में घटना कमाण्डर (IC) और संचालन अनुभाग प्रमुख (OSC) को सूचित करना। **4.** एयर ऑपरेशन में शामिल सभी एजेंसियों के पास घटना स्थलों से सम्बन्धित मानचित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित् करना, ताकि एयर ऑपरेशन के लिए आवश्यक स्थानों के सटीक निर्देशांक (अक्षांश/देशान्तर) आदि दिए जा सकें। **5.** हैलिपैड्स या हैलीबेस की उपयुक्ता का निर्धारण हवाई सेना और राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय करके करना। **6.** हवाई यातायात नियंत्रण और जमीनी सहायता कर्मचारियों के साथ हवाई गतिविधियों और अन्य सम्बन्धित कार्यों के बारे में संचार बनाए रखना। **7.** आवश्यक ATF (Aviation Turbine Fuel) आदि की प्राप्ति में घटना प्रभारी (IC) और लॉजिस्टिक्स अनुभाग प्रमुख (LSC) की सहायता करना। **8.** हवाई संचालन गतिविधियों की रिपोर्ट (RO) को प्रस्तुत करना। **9.** जिम्मेदार अधिकारी (RO) और घटना प्रभारी (IC) द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी प्रकार के कार्य को पूरा करना।
जनरल स्टॉफ			
8	**परिचालन अनुभाग प्रमुख** (Operation Section Chief (OSC))	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।	**1.** घटना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समस्त फील्ड ऑपरेशन का प्रबन्धन करना। **2.** संगठनात्मक अवयवों की मजबूत तैनाती करना, सक्रिय करना, विस्तार व पर्यवेक्षण करना।

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			3. ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची का रख–रखाव करना। **4.** प्रत्येक संचालन अवधि ऑपरेशन के प्रारम्भ में परिचालन अनुभाग (OS) के कर्मियों को संक्षिप्त जानकारी देना। **5.** यथावश्कता घटना कार्य योजना (IAP) के अनुसार अनुभाग परिचालन योजना तैयार करना। **6.** समय–समय पर IC से परामर्श कर उन्हें सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराना। **7.** योजना अनुभाग प्रमुख की सहमति से अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना, संसाधनों की आपूर्ति हेतु आदेश देना एवं आपूर्ति सुनिश्चित् करना। **8.** सम्बन्धित प्राधिकरणों, इकाइयों और समूहों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड सुनिश्चित् करना।
	क. स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक (Staging Area Manager (SAM))	उप जिलाधिकारी मुख्यालय, **द्वारा सहयोग**–उप–पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी।	**1.** यथोचित लेआउट के साथ स्टेजिंग एरिया (SA) स्थापित करना। **2.** स्टोरेज एवं वितरण किये जाने वाले संसाधनों को IAP (घटना कार्य योजना) के अनुसार प्राप्त एवं वितरित किया जाना। **3.** सभी प्राप्तियों और प्रेषण की रिपोर्ट संचालन अनुभाग प्रमुखों को देना व उनके रिकार्ड को बनाए रखना। **4.** यथोचित (चेक–इन फंक्शन) यथा चैक लिस्ट स्थापित करना। **5.** ICP और अन्य आवश्यक स्थानों जैसे– स्टेजिंग एरिया, घटना बेस, कैम्प, राहत कैम्प आदि के साथ संचार व्यवस्था स्थापित की कार्यवाही सुनिश्चित् करना। **6.** संसाधनों के उपलब्धता की स्थिति को बनाये रखना तथा योजना अनुभाग (PS) और लॉजिस्टिक्स अनुभाग (LS) को प्रदान करना। **7.** IC के साथ परामर्शानुसार स्टेजिंग क्षेत्र को निष्क्रिय करना (डिमोबिलाइज)।
	ख. बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक (Rescue & Response Branch Director (RRBD))	उप जिलाधिकारी मुख्यालय, **द्वारा सहयोग–** वायरलैस अधिकारी/ अग्निशमन और आपातकालीन सेवायें/ वन/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण/ एस0डी0आर0एफ0 /रेडक्रांस/भारत स्काउट	**1.** OSC की देखरेख में कार्य करना व सौंपी गई भूमिका के अनुसार IAP के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार रहना। **2.** OSC की आवश्यकतानुसार योजना बैठकों में प्रतिभाग करना। **3.** अपनी शाखा के अन्तर्गत प्रभागों या समूहों के लिए निर्धारित कार्य सूचियों की समीक्षा करना। **4.** प्रभाग और समूह प्रभारियों को विशिष्ट कार्य सौंपना। **5.** शाखा कार्यों की निगरानी करना। **6.** अधिनस्थों द्वारा प्रस्तुत विवादों का समाधान करना। **7.** IAP में आवश्यक संशोधनों, यदि कोई हो, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता, अधिशेष संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक स्थितियों या महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने आदि के सम्बन्ध में OSC को रिपोर्ट करना।

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
		गाइड / आपदा मित्र / एनसी0सी0 / एन0ए स0एस0।	**8.** विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम और टॉस्क फोर्स को सहायता उपलब्ध करना। **9.** सुनिश्चित् करना की सभी टीम लीडर अपने क्षेत्र संचालन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखें और OSC को प्रेषित करें। **10.** OSC द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी प्रकार के कार्य का अनुपालन करना।
	ग. परिवहन शाखा (सड़क, रेल, जल एवं वायु इकाई) निदेशक (Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director(TBD))	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी **द्वारा सहयोग–** उप परिवहन अधिकारी प्रशासन।	**1.** सड़क, रेल, जल और हवाई जैसे विभिन्न संचालन समूहों को सक्रिय व प्रबन्धित करना। **2.** आवश्यक संसाधनों के लिए लॉजिस्टिक अनुभाग (LS) के साथ समन्वय करना व अपनी शाखा के समूहों को सक्रिय करना। **3.** रेलवे, सड़क, यातायात, जलमार्ग तथा हवाई अड्डे के अधिकारियों के साथ संसाधनों की तैनाती हेतु आवश्यकतानुसार अधिग्रहण व समन्वय स्थापित करना। **4.** सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक कार्य की सूची समूह–प्रभारियों और उनकी शाखा के अन्य उत्तरदाताओं के बीच परिचालित कर दी गई है। **5.** हवाई संचालन के लिए जमीनी सहायता व उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित् करना। **6.** परिवहन शाखा की प्रगति के बारे में संचालन अनुभाग प्रमुख और घटना कमाण्डर को रिपोर्ट करना। **7.** यथावश्यकता घटना कार्य योजना (IAP) के अनुसार परिवहन योजना तैयार करना। **8.** किराए में लिए गये संसाधनों के रख–रखाव की अद्यतन स्थिति एवं उनका पूर्ण उपयोग व यथासमय उनको अवमुक्त करना। **9.** सुनिश्चित् करना कि विभिन्न परिचालन समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों के रिकार्ड को संकलित कर सम्बन्धित अनुभाग को प्रेषित करना।
9	**योजना अनुभाग प्रमुख** (Planning Section Chief (PSC))	मुख्य विकास अधिकारी, **द्वारा सहयोग**–जिला विकास अधिकारी।	**1.** घटना कमाण्डर के परामर्श से IAP की योजना व उसकी तैयारी के लिये सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करना। **2.** सुनिश्चित् करना कि PS के सक्रिय नही होने की स्थिति में अचानक आपदाओं के मामले में लिए गये निर्णय और जारी किए गए निर्देश सूचना और मीडिया अधिकारी (कमाण्ड स्टॉफ) से प्राप्त किए जाएं और IAP में सम्मिलित किए जाएं। **3.** मौसम, पर्यावरणीय विषाक्तता तथा विभिन्न सम्बन्धित विभागों के अन्य स्रोतों से सूचनाओं का संकलन, मूल्यांकन और सम्प्रेषण। संयुक्त सचिव (गृह) के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके लोकेशन के साथ एक डाटा बैंक होना चाहिए, जहां से उन्हें जुटाया जा सके।

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			4. सुनिश्चित् करना कि घटना स्थिति सारांश उचित प्रकार भरा गया है और IAP में भी सम्मिलित कर लिया गया है। **5.** सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक असाइनमेंट सूची (विभागीय/समूह) को इकाई के लीडर और उसके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के बीच प्रसारित की गयी है। **6.** घटना कमाण्डर और संचालन अनुभाग प्रमुख के परामर्श से IRS संगठनात्मक पदों को उचित रूप से सक्रिय और निष्क्रिय करने की योजना बनाना। **7.** घटना प्रबन्धन के लिए किसी भी विशेष संसाधनो की आवश्यकता निर्धारण करना। **8.** घटना की सम्भावना पर समय–समय पर पूर्वानुमान प्रदान करना। **9.** घटना स्थिति में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में घटना कमाण्डर को सूचना देना। **10.** घटना कमांड पोस्ट पर घटना की स्टेटस का संकलित सारांश प्रदर्शित करना। **11.** किसी घटना के तैयार रहने की योजना बनाना और उसको कार्यान्वित करना। **12.** डयूटी ऑफिसर की लिस्ट तैयार करना। **13.** विभिन्न इकाइयों द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों का एक रिकार्ड यूनिट लॉग तैयार करना।
	क. परिस्थिति इकाई प्रमुख (Situation Unit Leader (SUL))	जिला विकास अधिकारी और विकासखण्ड अधिकारी **द्वारा सहयोग**–जिला पंचायत राज अधिकारी और स्थानीय निकाय प्रभारी।	**1.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों को एकत्रित, संसाधित व व्यवस्थित करना। **2.** घटना के विकास के आवधिक भविष्य के अनुमान तैयार करना (यदि आवश्यक हो तो मानचित्रों के साथ) PSC और घटना कमांडर को सूचित करना। **3.** परिस्थिति और संसाधन स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना और आवश्यकतानुसार प्रसारित करना। **4.** यथावश्यकता प्रतिक्रिया दाताओं को अधिकृत मानचित्र, फोटोग्राफिक सेवाएँ प्रदान करना। **5.** आवश्यक जानकारी, डेटा, अभिलेख और भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र आदि के साथ IAP बैठक में भाग लेना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड बनाना और सम्बन्धित अनुभाग को भेजना।
	ख. संसाधन इकाई प्रमुख (Resource Unit Leader (RUL))	जिला प्रान्तीय रक्षक दल और जिला कमांडेंट होमगार्ड, **द्वारा सहयोग**– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी।	**1.** घटना के समय सभी निर्दिष्ट संसाधनों (प्राथमिक और समेकित) की स्थिति को बनाए रखना व प्रदर्शित करना। **2.** उपलब्ध सभी संसाधनों की एक पूर्ण सूची तैयार करना। **3.** विभिन्न घटना स्थलों पर चेक–इन फंक्शन सुनिश्चित् और स्थापित करना। **4.** समय–समय पर प्राप्त और भेजे गए संसाधनों की स्थिति के संबंध में योजना अनुभाग प्रमुख (PSC) और घटना कमांडर को अपडेट करना।

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			5. आवंटित संसाधनों की स्थिति और उपयोग की जांच के लिए OS की विभिन्न सक्रिय शाखाओं, प्रभागों और समूहों के साथ समन्वय करना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को भेजना।
	ग. प्रलेखन इकाई प्रमुख (Documentation Unit Leader(DUL))	जिला सांख्यिकी अधिकारी, **द्वारा सहयोग**–जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी / जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक	**1.** सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक प्रपत्र और स्टेशनरी अधिप्राप्ति कर सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों, समूहों और इकाइयों को वितरित कर दी गयी है। **2.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों व रिपोर्टो को एकत्रित करना। **3.** सटीकता और पूर्णता के लिए रिकॉर्ड और विभिन्न IRS फर्मों की समीक्षा एवं सन्निरीक्षा करना। **4.** उचित इकाइयों को उनके दस्तावेजीकरण में त्रुटियों या चूक यदि कोई हो, के बारे में सूचित करना और सुनिश्चित करना कि त्रुटियों और चूक को संशोधित कर लिया गया है। **5.** घटना के बाद के विश्लेषण के लिए पत्रावलियों को सही ढंग से संग्रहित करना। **6.** सम्पादित की गयी विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाये रखना और संबंधित अनुभागों को भेजना।
	घ. विमोचन इकाई प्रमुख (Demobilization Unit Leader(DeUL))	जिला पंचायत राज अधिकारी	**1.** घटना वियोजन (निष्क्रिय) करने की योजना तैयार करना। **2.** अधिशेष संसाधनों की पहचान करना और PSC के परामर्श से एक अस्थाई IDP तैयार और अधिशेष संसाधनों को वियोजित (निष्क्रिय) करने को प्राथमिकता देना। **3.** सभी अनुभागों के परामर्श से अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना जांच कार्य विकसित करना। और इसे PS को भेजना। **4.** LS के परामर्श से घटना वियोजन (निष्क्रिय) के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन सहायता की योजना बनाना। **5.** घटना वियोजन (निष्क्रिय) योजना– IDP को उचित समय पर शामिल विभिन्न हितधारकों तक प्रसारित करना। **6.** वियोजन (निष्क्रिय) की प्रगति के संबंध में PSC को ब्रीफ करना। **7.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना।
10	**लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख** (Logistic Section Chief (LSC))	अपर जिला अधिकारी, **द्वारा सहयोग**–अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जनपद प्रशासन।	**1.** स्टेजिंग एरिया की स्थापना सहित सभी घटना प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना यथा–घटना स्थल, शिविर, राहत शिविर, हैलीपैड आदि। **2.** IAP के विकास और क्रियान्वयन में भाग लेना। **3.** वित्तीय मामलों के संबंध में RO और IC को सूचित करना। **4.** यह सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक असाइनमेंट सूची (डिविजनल / समूह) शाखा निदेशकों और उनके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के मध्य प्रसारित कर दिया है।

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			5. यथा आवश्यकता अग्रिम धनराशि फण्ड के लिए अनुरोध किया जाना। **6.** शाखा निदेशक और यूनिट लीडर को मामले का ब्रीफ करना। **7.** स्थिति की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार योजना, चिकित्सा योजना और यातायात योजना की निरंतर समीक्षा करना। **8.** अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का आंकलन करना और RO और IC के परामर्श से उनके अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना। **9.** सम्पूर्ण दिवस के लिए ऑन ड्यूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना। **10.** शाखाओं और इकाइयों के सदस्यों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड यूनिट लॉग में एकत्र और बनाये रखना सुनिश्चित् करना।
	क. सेवा शाखा निदेशक (Service Branch Director (SBD))	जिला आपूर्ति अधिकारी, **द्वारा सहयोग**—लोक निर्माण विभाग।	**1.** LSC की देखरेख में कार्य करना और घटना प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सेवा के लिए सहयोग का प्रबंधन करना। **2.** शाखा की विभिन्न इकाइयों यथा—संचार, चिकित्सा, खाद्य और किसी अन्य सक्रिय इकाईओं का प्रबन्धन व पर्यवेक्षण करना। **3.** आवश्यक सामग्री और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडर के साथ चर्चा करना व LS के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जाना। **4.** IAP के अनुसार कार्मिकों, टीमों, संसाधनों आदि का उचित प्रेषण (डिस्पैच) किया जाना। **5.** LSC को समय—समय पर सेवा शाखा की प्रगति के बारे में सूचित करना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना।
	i. संचार इकाई प्रमुख (Communication Unit Leader(CUL))	जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी) **द्वारा सहयोग**— डीजीएम/बीएसएनएल रेडियो अधिकारी, पुलिस, अग्निशमन अधिकारी।	**1.** SBD (सेवा शाखा निदेशक) के निर्देशन में कार्य करना। **2.** यथावश्यकता संचार सुविधा प्रदान कराना। **3.** सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण च नेटवर्क क्रियाशील है। **4.** क्षेत्र में तैनात सभी संचार उपकरणों का रिकॉर्ड रखना। **5.** विभिन्न सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, इकाइयों और उच्च अधिकारियों से रेडियो, टेलीफोन और अन्य संदेश प्राप्त करने और भेजने के लिए उनका रिकार्ड बनाए रखने के लिए एक संदेश केंद्र स्थापित किया जाना। **6.** सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित विफलता की स्थिति में निष्पादन के लिए एक वैकल्पिक संचार योजना तैयार करना।

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			7. केंद्रीय टीमों के संचार ढांचे के एकीकरण के लिए एक योजना तैयार करना। **8.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना।
	ii. चिकित्सा इकाई प्रमुख (Medical Unit Leader (MUL))	मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।	**1.** SBD (सर्विस ब्रांच निदेशक) के निदेशन में कार्य करना तथा IAP के अनुसार चिकित्सा योजना और आवश्यक संसाधनों की अधिप्राप्ति करना। **2.** SBD और LSC को सूचित करते हुए चिकित्सा सहायता, परिवहन और चिकित्सा आपूर्ति आदि के लिए OS के अनुरोधों का प्रतिउत्तर देना। **3.** उन चिकित्सा कर्मियों की सूची बनाए रखना जिन्हें जरूरत के समय Mobilize किया जा सके। **4.** सभी चिकित्सा टीम लीडर को रेफरल सेवा केंद्रों की सूची तैयार कर वितरित करना। **5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और SBD को भेजना।
	iii. खाद्य इकाई प्रमुख(Food Unit Leader(FUL))	जिला आपूर्ति अधिकारी।	**1.** SBD (सर्विस ब्रांच निदेशक) के निदेशन में कार्य करना। **2.** भोजन की आपूर्ति करनाः :–**(क)** ICP, शिविरों, घटना बेस, SA आदि में IRT के कार्मिक और **(ख)** अस्थायी आश्रयों, राहत शिविरों आदि में पीड़ितों के लिए। **3.** भोजन और पेयजल की आवश्यकताओं और उनके परिवहन क्षमता का निर्धारण करना, तथा SBD एवं LSC को सूचित करना। **4.** संसाधनों की प्राप्ति और प्रेषण की एक सूची बनाना। **5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाने के साथ ही SBD को भेजना।
	ख. सहयोग शाखा निदेषक (Support Branch Director SuBD))	मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ), **द्वारा सहयोग**–जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस)।	**1.** LSC की देखरेख में कार्य करना, और संसाधन प्रावधान इकाई, सुविधा इकाई और भूमि समर्थन इकाई के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। **2.** अनुभाग प्रमुख की सहमति से परिचालन के लिए रणनीतिक संसाधनों की अधिप्राप्ति व प्रेषण करना। **3.** LS की योजना बैठक में प्रतिभाग करना। **4.** सुनिश्चित् करना कि शाखा से संबंधित संगठन कार्य सूची व उसके अधीन समस्त इकाइयों में वितरित कर दी गयी है। **5.** कार्य की प्रगति के संबंध में LSC को सूचित करना। **6.** किए गए विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को प्रेषित करना।
	i. संसाधन प्रदाय इकाई प्रमुख **ii.** (Resource Provisioning Unit Leader (RPUL))	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, **द्वारा सहयोग**–जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक।	**1.** सर्पोट ब्रांच निदेशक के पर्यवेक्षण में कार्य करना। **2.** कर्मचारियों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही को व्यवस्थित रखना। **3.** घटना की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में अपेक्षित सभी आपूर्तियों को प्राप्त करना व सुरक्षित रखना। **4.** आपूर्ति और उपकरणों की सूची बनना।

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			5. उपकरण और कार्मिकों सहित आपूर्ति, की प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड बनाना। **6.** गैर–विस्तार योग्य आपूर्ति और उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग व्यवस्थित करना। **7.** LS की योजना बैठक में भाग लेना। **8.** उपलब्ध और प्रेषित गई आपूर्ति के 'प्रकार', और 'मात्रा' की निगरानी करना। **9.** यथावश्यकता सहायता के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की मांग करना। **10.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखना तथा सर्विस ब्रांच निदेशक को भेजना।
	iii. सुविधायें इकाई प्रमुख (Facilities Unit Leader (FaUL))	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, **द्वारा सहयोग**–जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक।	**1.** घटना सुविधाओं का लेआउट और सक्रियण तैयार करना, जैसे कि घटना शिविर, राहत शिविर, आईसीपी, आदि, और प्रतिक्रिया दाताओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। **2.** सहयोग शाखा निदेशक को रिपोर्ट करें। **3.** IAP के अनुसार विभिन्न सुविधाओं को चिन्हित करना। **4.** अनुभाग की योजना बैठक में भाग लेना, LSC के समन्वय से प्रत्येक सुविधा और उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार करना। **5.** IRS के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व अधीक्षक BD को भेजें।
	iv. भूमि समर्थन इकाई प्रमुख (Ground Support Unit Leader (GSUL))	अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी।	**1.** सहयोग BD (ब्रांच निदेशक) की देखरेख में कार्य करना। **2.** TBD को फील्ड संचालन के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करना। **3.** यदि हवाई परिचालन सक्रिय है, तो TBD के माध्यम से व्यवस्थित करना और आवश्यक जमीनी समर्थन (ग्राउंड सपोर्ट) प्रदान करना। **4.** घटना प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों और संबन्धित उपकरणों के लिए रख–रखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करना। **5.** घटना यातायात योजना का विकास और कार्यान्वयन करना। **6.** सभी वाहनों और उपकरणों की उपलब्धता और सेवाक्षमता (Service Ability) के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करना। **7.** सहयोग शाखा निदेशक BD के परामर्श से विमान सहित सभी परिवहन के लिए ईंधन आवश्यकताओं की व्यवस्था तथा उनको सक्रिय करना। **8.** सौंपे गए उपलब्ध और सड़क से हटकर (Off road) या सेवा संसाधनों से बाहर (Out of Service Resourced) की सूची बनाना। **9.** अपने क्षेत्राधिकार में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित् करना।

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			10. IRS के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और सहयोग BD को प्रेषित करना। ।
	ग. वित्त शाखा निदेशक (Finance Branch Director (FBD))	मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ)/वरिष्ठ कोषाधिकारी।	**1.** LSC के अधीन कार्य करना। **2.** योजना बैठकों में भाग लेना। **3.** IAP के अनुसार संसाधनों को Mobilize किये जाने हेतु अधिप्राप्ति या किराये पर लेने के लिए एक सूची तैयार करना। **4.** वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करना और बिना देरी किए उनकी अधिप्राप्ति (Procurement) के लिए आवश्यक कदम उठाना। **5.** किराये पर लिए गये उपकरणों, कर्मियों और उनकी सेवाओं का समयावधि के साथ रिकार्ड रखना, जिनसे कि सरकारी मानदण्ड के अनुसार भुगतान किया जा सके। **6.** डेमोबिलाइजेशन सहित सम्पूर्ण प्रतिक्रिया गतिविधि में शामिल लागत की जांच करना और लागत प्रभावशीलता का विश्लेषण करना साथ ही LSC को सूचित करना। **7.** घटना के समय शुरू किए गए सभी दायित्व, दस्तावेज उपयुक्त अनुभाग प्रमुख और BD द्वारा उचित रूप से तैयार, पूर्ण, सत्यापित और हस्ताक्षरित हैं को सुनिश्चित् करना। **8.** घटना से संबंधित सभी वित्तीय मुद्दों पर LSC या IC को ब्रीफ करना जिन पर ध्यान देने या अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता हो। **9.** IRS के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना और संम्बन्धित अनुभागों को भेजना।
	i. समय इकाई प्रमुख/ अधिप्राप्ति इकाई प्रमुख /लागत इकाई प्रमुख (Time, Procurement & Cost Unit Leader (TPCUL))	कोषाधिकारी/ सहायक कोषाधिकारी, मुख्यालय, **द्वारा सहयोग–** बीजक प्रभारी, कोष एवं लेखा स्टाफ।	**1.** किराये पर लिए गए उपकरणों और कर्मियों की समय अवधि के साथ रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित् करना कि इसे दैनिक आधार पर और सरकारी मानदंडों के अनुसार बनाया गया है। **2.** सभी किराये के उपकरणों और कर्मियों के सर्वोत्तम उपयोग के सम्बन्ध में उनके लॉग की जांच करना। **3.** विक्रेताओं और अनुबंधों से सम्बन्धित सभी वित्तीय मामलों पर ध्यान देना। **4.** FBD के परामर्श से अधिप्राप्ति आवश्यकताओं की समीक्षा करना। **5.** उचित प्रक्रियाओं के पालन के साथ उन विक्रेताओं की सूची तैयार करना जिनसे खरीद की जा सकती है। **6.** प्रतिक्रिया प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली सभी बिलों की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करना और FBD, LSC, IC के अनुमोदन से भुगतान के लिए दस्तावेज भेजना।

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			7. बकाया मुद्दों और अनुवर्ती आवश्यताओं पर सिफारिसों के साथ वर्तमान समस्याओं पर FBD को ब्रीफ करना। **8.** लागत विश्लेषण रिपोर्ट (Cost Analysis Report) के आधार पर FBD के परामर्श से घटना लागत सारांश विकसित करना। **9.** FBD को लागत बचत की सिफारिशों करना।
	ii. मुआवजा / दावा इकाई प्रमुख (Compensation/Claim Unit Leader (CCUL))	अपर जिलाधिकारी **द्वारा सहयोग**–आपदा प्रबन्धन प्रभारी, उप जिलाधिकारी सदर।	**1.** सभी लागत डेटा एकत्र करना और लागत अनुमान प्रदान करना। **2.** ऐसी मांग की सही तिथि और समय के साथ अपेक्षित परिसर, सेवाओं, संसाधनों और वाहनों आदि की एक सूची तैयार करना। **3.** दावों और मुआवजे की तैयारी के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना। **4.** IRS के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाये रखें साथ ही रिकॉर्ड को FBD को भेजें।

Incident Responce System (IRS)
जनपद स्तर पर गठित आई॰आर॰एस॰ में नामित अधिकारियों का विवरण

Sn.	Position in IRS	Name	Designation	Supported By	Mobile
1	Responsible Officer	Mr. Anshul Singh	DM	-	9411138089
2	Incident Commander	Mr. Ramjee Saran Sharama	CDO	-	9456596777
3	Deputy Incident Commander	Mr. Chandrashekhar Ghodke	SSP	-	9411112790
		Mr. Harvansh Singh	ASP		9411112727
4	Nodal Officer Air Operation	Miss. Yukta Mishra	ADM	SE PWD/DDMO	9411198000
5	Information & Media Officer	Mr. Satyapal Singh	DIO	-	9411545545
6	Liaison Officer	Mr. Santosh Pant	DDO	-	6397846531
		Mr. Vineet Pal	DDMO		7983511096
7	Safety Officer	Mr. Sanjay Kumar	SDM Sadar	Assistant Municipal Commissioner	7060761398 9027417764
		Mr. Narendra Singh Kunwar	Chief Fire Officer		9411332222
8	**Operation Section Chief** **SSP (Mr. Devendra Pincha- 9411112790/ ASP (Harvansh Singh-9411112727)**				

Sn.	Position in IRS	Name	Designation	Supported By	Mobile
8 (a)	Staging area manager	Mr. Sanjay Kumar	SDM Sadar	CO Police/ACMO/ACVO/DSO	7060761398 9027417764
8 (b)	Resource and Response Branch Director	Mr. Sanjay Kumar	SDM, Sadar	CO-Wireles/CFO/SDO Forest/ ACMO/SI-SDRF/RED-Cross/Scout Guide/Apda Mitra/NCC/NSS	7060761398 9027417764
8 (c)	Transportation Branch (Road/Rail/Water &Air Unit Director)	Mrs. Rashmi Bhatt	RTO	ARTO Admin	9027115122
9	**Planning Section Chief** **Mr. Mr. Ramjee Saran Sharama (CDO)– 9456596777 / Supported By: Santosh Pant (DDO) – 6397846531**				
9 (a)	Resource unit Leader	Mr. Pitambar Parsad Mr. Nitin Kakrewal	DO-PRD DC-Home guard	DDMO	9690299099 7838109294
9 (b)	Situation Unit Leader	Mr. Santosh Pant/ Mr. Sundar Dariyal	DDO BDO	DPRO/Assistant Municipal Commissioner	6397846531 8937855600
9 (c)	Documentation Unit Leader	Miss Renu Bhandari	DeSTO	DDMO/GIS Analyst	8755645370
9 (e)	Demobilization	Mr. Rajendra Singh	DPRO		7579218964
10	**Logistic Section Chief** **Miss. Yukta Mishra (ADM) -9457087051/ Mr. Harish Kumar (SE PWD) - 94557250675 /District Administration**				
10 (a)	Service Branch Director Mr. Mukesh Kumar(DSO)-9899852996 /PWD Department Almora				
(i)	Communication Unit leader	Mr. Shiva Pandey	NIC	DGM/ BSNL /CO-Wireless/FSO	8077608372
ii)	Medical Unit Leader	Dr. Naveen Tiwari Dr. Yogesh Agarwal	CMO CVO	-	9410167445 8218396348
iii)	Food Unit Leader	Mr. Mukesh Kumar	DSO	-	9899852996
10 (b)	**Support Branch Director** **MR. Atrey Sayana CEO-7017558998/Mr. Pitambar Prasad DPO-9690299099**				
i)	Resource Provisioning Leader	Mr. R.P.Singh	EE,CD Almora	GIS Analyst	7302200531
ii)	Facilities Unit	Mr. Harshit Gupta	EE,PD Almora	GIS Analyst	8802104529
iii)	Ground Support Unit	Mr. Akhilesh Chauhan Mr. Mukesh Kumar	Arto, Almora DSO		7017298847 9899852996

Sn.	Position in IRS	Name	Designation	Supported By	Mobile
10 (c)	**Finance Branch Director** **Mr. Virendra Sing Rawat CTO-7534011350/ Mr. Satish Chandra TO-9760014387**				
i)	Time Unit, Procurement& Cost Unit Leader	Mr. Satish Chandra Mr. Abhinash chandra	TO ATO	Mr. Sudhir Sharma	9760014387 8006204208
ii)	Compensation/ Claim Unit Leader	Miss. Yukta Mishra	ADM	Mr. Sanjay Kumar SDM, Sadar	9457087051

3.3.2 जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना और जिले में उपलब्ध सुविधाएं–

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र जो कि 24X7 के आधार पर वर्ष भर कार्य करता हैं तथा सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं किसी भी आपदा के दौरान सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करता हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को पुलिस संचार व वन विभाग के वायरलैस नेटवर्क से भी जोड़ा गया हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचनाओं एवं मौसम सम्बन्धी जानकारियों को जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाया जाता हैं। आपदा के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की पंजिका में दर्ज किया जाता हैं तथा आपदा क्षति से सम्बन्धित सूचनाओं को अद्यतन करने का कार्य भी किया जाता हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित दूरभाष का नं0 1077 (टोल फ्री), कार्यालय दूरभाष 05962-237874, 237875 तथा मोबाईल नम्बर 7900433294 है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली विशिष्टि जानकारियों एवं चेतावनी को निम्नलिखित जिम्मेदारियों के साथ प्रसारित करना भी जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र का दायित्व है–

- ❖ विभिन्न स्थानीय तकनीकी संस्थाओं के साथ समन्वय का कार्य करना।
- ❖ संचार तन्त्र को दुरस्त रखना तथा किसी कारण वश संचार तन्त्र के कार्य न करने पर एच0एफ0 सैट/सैटेलाईट फोन के माध्यम से वैकल्पिक संचार तन्त्र स्थापित करना।
- ❖ मीडिया के साथ समन्वय करना एवं प्रमाणिक सूचनाओं को प्रदान करना।
- ❖ जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित संचार उपकरणों को प्रतिदिन जॉचना।

आपदा के सम्बन्ध में किसी भी माध्यम द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित उपजिला अधिकारियों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को सूचित करना। वर्तमान में जनपद में पुलिस संचार केन्द्र द्वारा स्थापित वायरलैस सैट से सूचना प्राप्त करने में काफी मदद मिलती है। वाहन दुर्घटना आदि के सम्बन्ध में 108 में दर्ज शिकायतों को पुलिस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त कर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी या तहसीलदार को घटना के सम्बन्ध में तुरन्त सूचित किया जाता है। तथा उसे जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र की पंजिका में दर्ज किया जाता है। नियमित अन्तराल पर उन सूचनाओं को अद्यतन (Updete) भी किया जाता है।

जनपद में भारी बारिश या मार्ग अवरूद्व होने पर आपातकालीन स्थिति की सूचना मिलने पर वाहनों को सुरक्षित स्थानों में ही रोक देने हेतु अपर जिला अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, थाना प्रभारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है तथा भारतीय मौसम विभाग, जी0एस0आई0 एवं सी0 डब्लू0 सी से जानकारी प्राप्त कर चेतावनी प्रसारित करता हैं।

मौसम विभाग द्वारा समय समय पर मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रातः 10:00 बजे दिन में 1:00 बजे सांय 5:00 बजे ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जिसे जिला स्तर पर बल्क एस0एम0एस0, पुलिस वायरलेस सेट, फोन, ई–मेल तथा अधिकारियों एवं मीडिया के वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रसारित किया जाता है

सैटेलाईट फोन

जनपद अल्मोड़ा में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा 15 सैटेलाईट फोन एवं 04 सैटेलाईट फोन एस0डी0आर0एफ0, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से 12 फोन तहसीलों को उपलब्ध कराये गये हैं तथा 05 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में एवं 03 फोन थाना सल्ट, चौखुटिया, भतरौजखान को उपलब्ध कराये गये हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित सैटेलाईट फोन से प्रत्येक माह की 15 तारीख को समस्त तहसीलों को सैटेलाईट फोन पर सम्पर्क किया जाता है तथा अध्यावधिक स्थिति से राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आख्या प्रेषित की जाती है

सेनानायक एस.डी.आर.एफ.वाहिनी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के द्वारा जनपद अल्मोड़ा को उपलब्ध कराये गये 04 सैटेलाईट फोनों का विवरण

क्र.सं.	थाना/विभाग का नाम	सैटेलाईट फोन नम्बर
1	सल्ट	8991120749
2	चौखुटिया	8991120750
3	भतरौजखान	8991120748
4	जिला आपातकालीन परि0केन्द्र अल्मोड़ा	8991120751

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद अल्मोड़ा को उपलब्ध कराये गये 15 सैटेलाईट फोनों का विवरण

क्र0सं0	तहसील /विभाग का नाम	सैटेलाईट फोन नम्बर
1	जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय अल्मोड़ा	870764128651
2	तहसील अल्मोड़ा	8991119801
3	रानीखेत	8991119802
4	सल्ट	8991119803
5	द्वाराहाट	8991119804
6	जैती	8991119805
7	सोमेश्वर	8991119806
8	स्याल्दे	8991119807
9	लमगड़ा	8991119808
10	भनोली	8991118146
11	भिक्यिासैण	8991112990
12	चौखुटिया	8991112989
13	जिला आपातकालीन परि0केन्द्र अल्मोड़ा	8991119809
		8991112022
		8991118148
		8991119810

3.3.3 जनपद में विभिन्न आपदायों के रोकथाम हेतु समितियों का गठन–

जनपद अल्मोड़ा में वनाग्नि की रोकथाम के अनुपालन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एवं विकास खण्ड स्तर पर संबंधित ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में तथा वन पंचायत पर संबंधित ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में रणनीति तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी है:–

1. **जिला स्तरीय समिति।**

01	जिलाधिकारी	अध्यक्ष।
02	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक–	सदस्य।
03	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य।
04	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।	सदस्य।
05	समस्त परगनाधिकारी	सदस्य।
06	1. श्री गजेन्द्र पाठक, कॉर्डिनेटर, शीतलाखेत मॉडल (जिला अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य।
07	**2.** श्रीमती वसुदा पन्त, ग्रीन हिल्स (जिला अधिकारी द्वारा नामित)	संयोजक।

2. **खण्ड विकास स्तरीय समिति**

01	ब्लॉक प्रमुख	अध्यक्ष।
02	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य।
03	मुख्यालय पर संबंधित थाने का थानाध्यक्ष	सदस्य।
04	परगनाधिकारी द्वारा नामित राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार स्तर से कम न हो	सदस्य।
05	ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित 2 ग्राम प्रधान	सदस्य।
06	ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित 02 सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण में रुचि रखते हो	सदस्य।
07	सहायक वन संरक्षक	संयोजक।

उक्तानुसार विकास खण्ड स्तरीय समिति जनपद के सभी 11 विकास खण्डों हेतु प्रभावी रहेगी। उक्त समिति में नामित संयोजक अपने–अपने से संबंधित विकास खण्डों के ब्लॉक प्रमुख से सम्पर्क कर उक्त समिति के क्रमांक 05 एवं 06 में क्रमशः ग्राम प्रधान एवं 02 सामाजिक कार्यकर्ता के नाम प्राप्त कर समिति में सम्मिलित करेंगे। उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा संबंधित संयोजकों को तद्नुसार निर्देशित किया जायेगा।

3. **वन पंचायत स्तरीय समिति।**

01	ग्राम प्रधान	अध्यक्ष।
02	पटवारी/लेखपाल	सदस्य।
03	संबंधित क्षेत्र का वन दरोगा	संयोजक
04	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य।
05	वन रक्षक	सदस्य।
06	उप प्रधान	सदस्य।
07	ग्राम की महिलायें	सदस्य।

3.3.4 तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

प्राकृतिक आपदा सम्बन्धित घटनाऐं ,भूकंप ,बादल फटना, भू–स्खलन , सड़को / मार्गों पर भू–स्खलन , विभिन्न स्थानों पर जल– भराव बाढ़ आदि सम्बन्धित घटित घटनाओं जिससे जनमानस के साथ –साथ मवेशियों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है। मानसून के दौरान आपदा के कारण होने वाली क्षति को न्यून किये जाने हेतु तहसील स्तर पर एक संगठित, प्रशिक्षित और सशक्त तंत्र विकसित किये जाने हेतु प्रत्योक तहसील स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल (QUICK Response Team & QRT) गठित की गयी है, जो आपदा की स्थिति में राहत एंव बचाव , पुर्नप्राप्ति , राहत राशि वितरण एंव अन्य कार्यों का पर्यवेक्षण व निगरानी का कार्य करेगी। उक्त के क्रम में जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत प्रत्येक तहसील स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम
1	राजस्व विभाग	उपजिलाधिकारी /तहसीलदार,
2	पुलिस विभाग	कोतवाल
3	अग्निशन विभाग	अग्निशमन अधिकारी
4	पंचायतीराज विभाग	सहायक विकास अधिकारी
5	ग्राम्या विकास विभाग	खण्ड विकास अधिकारी ,
6	स्वास्थय विभाग	अपर चिकित्साधिकरी
7	शिक्षा विभाग	खण्ड शिक्षा अधिकारी
8	बाल विकास विभाग	बाल विकास परियोजना अधिकारी
9	कृषि विभाग	सहायक कृषि अधिकारी ,वर्ग01
10	पशुपालन विभाग	पशुचिकित्साधिकारी
11	लोक निर्माण विभाग	सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभिन्यता
12	पी0एम0जी0एस0वाई0 विभाग	सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभिन्यता
13	ग्रामीण निर्माण विभाग	सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभिन्यता
14	विद्युत विभाग	सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभिन्यता
15	सिंचाई खण्ड	सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभिन्यता
16	लद्यु सिंचाई	सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभिन्यता
17	पेयजल निगम	सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभिन्यता
18	जल संस्थान	सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभिन्यता
19	नगर निगम/पालिका/पंचायत	सहायक नगर आयुक्त /अधिशासी अधिकारी
20	खाद्य पूर्ति विभाग	सम्बन्धित क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक
21	कोषागार विभाग	सहायक कोषाधिकारी
22	तकनीकी विशेषज्ञ भू– गर्भ विभाग	भू– वैज्ञानिक
23	वन विभाग	सम्बन्धित क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी

तहसील स्तर पर नामित टीम द्वारा उक्तानुसार उल्लिखित दिशा – निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुऐ निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है–

i) <u>QRT का गठन व संरचना</u>

1. प्रत्येक तहसील स्तर पर आपादा की सम्भावना , जनसंख्या और क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुऐ नामित टीम के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एक से अधिक QRT सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा गठित करना सुनिश्चित करेगें।
2. तहसील स्तर पर अतिरिक्त टीम गठित किये जाने की आवश्यकता होने पर उपरोक्तानुसार नामित विभागों को शामिल किया जाएगा।

ii) <u>त्वरित प्रतिकिया दल के नेतृत्व</u>

1. **QRT** का नेतृत्व सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. उपजिलाधिकारी के क्षेत्र में एक से अधिक तहसीलें है अथवा एक उपजिलाधिकारी के पास एक से अधिक तहसीलों का प्रभार है, तो उपजिलाधिकारी द्वारा अपने मुख्यालय की तहसील में गठित **QRT** का नेतृत्व किया जाऐगा , तथा सम्बन्धित तहसीलदार स्तर / नायब तहसीलदार अन्य तहसीलों में गठित **QRT** नेतृत्व करेगें । जिसका पर्यवेक्षण सम्बन्धित उपजिलाधिकारी करना सुनिश्चित करेगें।
3. मानसून अवधि के दौरान नामित टीम की बैठक अनिवार्य रूप से प्रत्योक माह की 01,11 तथा 21 तारीख को आयोजित करते हुऐ कार्यवृत्त जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण , अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाऐगा । इस दिन अवकाश होने की दशा में बैठक अगले कार्यदिवस को आयोजित की जायेगी।

4. तहसील स्तर पर नामित टीम के अधिकारीगण वाटस्प ग्रुप के माध्यम से आपस में लगातार सम्पर्क में रहते हुए त्वरित गति से सूचनाओं का आदान – प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

iii) आपदा से पूर्व तैयारी

1. प्रत्योक तहसील स्तर पर नामित टीम द्वारा अपने क्षेत्र के बारे में आपदा के सम्बन्ध में विधिवत् जानकारियों एकत्रित करते हुऐ , पूर्व में आपदा से हुई क्षति के बारे में अध्ययन करते हुऐ संवेदनशील स्थानों / क्षेत्रों /गॉवो/मोहल्लों /बस्तियों के सम्बन्ध में जानकारी रखते हुऐ आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें।
2. आपदा की स्थिति में राहत एंव बचाव में उपयोग में लाई जाने वाली उपकरणों एवं संसाधनों की अद्यतन सूची तैयार करते हुए राहत कार्य बचाव कार्य में उपयोगार्थ सभी उपकरणों की संचालन का प्रशिक्षण सभी सम्बन्धितों को प्रदान किया जायेगा । इसके अतिरिक्त उपरकरणों को क्रियाशील रखे जाने हेतु समुचित मरम्मत/अनुरक्षण किया जाऐगा । राहत एंव बचाव कार्य में अतिरिक्त उपरकरणों/सामग्री के कय हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकरी के माध्यम से प्रस्ताव कार्यालय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. टीम के सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र में भ्रमण के अवसर पर मासिक या त्रिमासिक मॉक ड्रिल तथा आपदा से राहत बचाव हेतु स्थानीय विद्यालय , पंचायतों , ग्रामीण क्षेत्रों में जन– जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।
4. जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र अल्मोड़ा या सचेत पोर्टल आदि से आपदा के बारे में मौसम पूर्वानुसार /अलर्ट प्राप्त होने पर यथासमय सूचना को प्रसारित करने हेतु समुचित व्यवस्था बनाना सुनिश्चित करेगें।

iv) आपदा के दौरान किये जाने वाले कार्य

1. तहसील क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की आपदा की सूचना पर **QRT** द्वारा त्वरित गति से अपनी टीम के सदस्यों तथा खोज एंच बचाव कार्य करने वाली एजेंसियों (एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, पुलिस, अग्निशमन आदि) को आपदा की सूचना देते हुए सभी सम्बन्धित सदस्यों के साथ घटनास्थल पर जाकर , तत्काल खोज एंव बचाव कार्य कराया जायेगा। घायलों के प्राथमिक उपचार के उपरान्त निकटतम चिकित्सालय में भर्ती कराते जाने , मृत व्यत्तियों का नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करते हुऐ उनके परिजनों को सौंप जाने, बाढ़/भू–स्खलन आदि की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए इनको चिन्हित आश्रय स्थल में रख जाने, उनके भोजन, चिकित्सा इत्यादि की समुचित व्यवस्था करायेंगे तथा लापता व्यक्तियों के खोज एंव बचाव के सम्बन्ध में निरन्तर निगरानी रखना सुनिश्चित
2. **QRT** टीम प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण करेगी। जिसमें मानव हानि, पशुहानि,आवास क्षति, कृषि एंव औद्यानिक फसलों की क्षति , कृषि भूमि की क्षति आदि सम्मिलित होगी । बाढ़ में दैनिक जीवन की वस्तुओं बर्तन, कपडे, बिस्तर, भोजन, सामग्री इत्यादि भी नष्ट, क्षतिग्रस्त , अनुपयोगी हो जाने की दशा में तत्काल में अहेतुक सहायता हेतु अपनी आख्या, संस्तुति करेगी तथा सभी प्रभावित पात्र व्यक्तियों को नियामानुसार अनुमन्य धनराशि का वितरण प्राथमिकता के आधार पर यथाप्रकिया करना सुनिश्चित करेगें।
3. मृतक व घायलों की पहचान , सहायता हेतु वैद्य दस्तावेज एकत्रित करने के साथ– साथ त्रुटिरहित रिपोर्टिंग अधोहस्ताक्षरी व जिला आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण , अल्मोड़ा को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।
4. निजी एंव सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति का पृथक –पृथक सर्वेक्षण करते हुऐ विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
5. आपदा के दौरान विद्युत लाईन, विद्युत पोल , ट्रांसफार्मर आदि क्षतिग्रस्त होने अथवा बिजली की तारें का टूटकर नीचे गिरने के कारण विद्युत करंट फैलने एंव विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में तुरन्त ही सम्बन्धित विभागों / एजेंसियों के माध्यम से समाधानात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
6. पेयजल लाईनों के बाधित होने,क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में इसका निराकरण करते हुए तत्काल प्रभाव से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।
7. आपदा के दौरान मार्ग/सड़क के क्षतिग्रस्त होने, भूस्खलन होने अथवा अन्य किस कारण से आवागमन बाधित होने की दशा में फंसे हुए व्यक्यिों के सहायतार्थ भोजन,अल्पाहार पेयजल एवं बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी स्थिति के लिए फूड पैकेट की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाय। आमजनमानस की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राशन किट की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें।

8. आपदा प्रभावितों का हैली रेस्क्यू की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी को इसकी तत्काल सूचना दी जाने की कार्यवाही की जाय तथा आपदा प्रभावित कोर्डिनेट्स, फोटोग्राफ आदि साझा करना सुनिश्चित करेगें।
9. पशुओं हेतु आश्रय स्थल का चिन्हींकरण, चारे की व्यवस्था, पशुओं के उपचार के साथ–साथ मृत पशुओं की दफनाने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें।
10. आपदा से होने वाले संक्रामक बीमारी से बचाव हेतु समुचित उपाय एवं आवश्यक छिड़काव की व्यवस्था करेगें, इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर एवं सांप, मगरमच्छ आदि के आबादी क्षेत्र में प्रवेश किये जाने पर समाधानात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।
11. एक ही तहसील क्षेत्र में एक से अधिक स्थानों पर अलग–अलग प्रकार की आपदा अथवा एक ही प्रकार की आपदा होने पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा निकट की तहसीलों से **QRT** भेजते हुए उपरोक्त कार्य कराये जोयेगें, अथवा अतिरिक्त **QRT** का गठन किया जाना सुनिश्चित करेगें।
12. उपरोक्त टीम में से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को विभाजित करते हुए **SUB QRT** का भी गठन भी किया जा सकता है। जिससे एक साथ सभी आपदा प्रभावित स्थलों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा सकें।
13. **QRT / SUB QRT** के अधिकारी/कर्मचारी अपने विभागीय दायित्वों के साथ–साथ ही उक्त कार्यदायित्व का निर्वहन एवं सम्पादन सुनिश्चित करेगें।
14. आपदा की स्थिति में तहसील स्तर की IRS प्रणाली के अन्तर्गत **QRT** रिस्पासिंबल ऑफिसर,इंसिडेंट कमाण्डर के अधीन रहते हुए उनके दिशा–निर्देशन में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।
15. किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में अपने क्षेत्र के लिए **QRT** नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समुचित कार्यवाही करेगें।

v) आपदा के प,चात् किये जाने वाले कार्य–

1. क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं जो मरम्मत किये जाने जाने योग्य है, का तत्काल प्रभाव से मरम्मत/ अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु ऐसी क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं का चिन्हृनांकन किये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।
2. वृहद रूप से क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं जिनके पुर्नःनिर्माण किया जाना आवश्यक हो, का चिन्हृांकन करते हुए पुर्नःनिर्माण कार्य हेतु PDNA (Post Disaster Needs Assessment) के लिए सक्षम स्तर को सुझाव एंव संस्तुति की जाने की कार्यवाही करायी जायेगी।
3. वृहद रूप से क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं का चिन्हृांकन करते समय सरकारी एंव निजी दोनों ही प्रकार की सम्पत्तियों को सम्मिलित किया जायेगा।
4. आपदा के दौरान विभिन्न व्यक्तियों का रोजगार / व्यवसाय की हुई क्षति का आंकलन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा वृहद स्तर पर इसका आंकलन किये जाने के लिए सामाजिक संगठनों/एन0जी0ओ0 आदि की सहायता लेते हुए पुनर्प्राप्ति (Recovery) के लिए सुझाव / संस्तुति आख्या प्रस्तुत करेगीं।
5. बाढ़ जैसी आपदा के उपरान्त विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग फैलने की सम्भावना के दृष्टिगत रोकथाम / बचाव हेतु समुचित छिड़काव तथा औषधि वितरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।

vi) SDRF Norms 2024 का अनुपालन –

1. **QRT** द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर एसडीआरएफ के मानकों के सीमा में रहते हुए भवन / मृतक/ घायलों के लिए अनुदान, आजिविका, सहायता, कृषि, मवेशी हानि आदि तथा अन्य प्रकार हानि / क्षति की स्थिति में अनुमन्य सहायता राशि स्वीकृत किये जाने में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
2. सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा **QRT** के नामित सदस्यों को SDRF के प्रविधानों एंव अनुमन्य सहायता के बारे में विधिवत जानकारी / प्रशिक्षण प्रदान किया जाऐगा।
3. पुर्नप्राप्ति/पुर्ननिर्माण के कार्य SDRF के मानकों के अन्तर्गत कराये जायेंगे।
4. वृहद आपदा आने पर पुर्नप्राप्ति / पुर्ननिर्माण के कार्य हेतु PDNA की कार्यवाही के उपरान्त सहायता राशि की मांग SDRF मद से नियमानुसार प्रस्ताव तैयार अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जायेगा।

vii) <u>निर्माण कार्यों की गुणवत्ता</u> –

1. आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों की पुर्नप्राप्ति /पुर्ननिर्माण / मरम्मत आदि के दौरान **QRT** द्वारा कार्यों की गुणवत्ता सुनिष्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकरी के निर्देशानुसार कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
2. निर्माण कार्यो की गुणवत्ता , डिजाइन ,मानक आदि को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्योक **QRT** में तकनीकी अधिकारीयों का सहयोग अनिवार्य रूप से लेना सुनिश्चित करेगें।

viii) <u>समुदाय की सहभागिता</u> –

1. आपदा से राहत बचाव कार्य के दौरान **QRT** द्वारा युवक मंगलदल/महिला मंगलदल/एन.एस.एस./एन.सी.सी. /रेडकॉस, आशा, ऑगनबाड़ी कार्यकत्री, भारत रेडकॉस एंव गाईड नेहरू युवा केन्द्र, आपदा मित्र, युवा आपदा मित्र, आपदा सखी, ग्राम चौकीदार तथा अन्य सामाजिक संगठन / स्वयंसेवी संगठन आदि का सहयोग लेते हुए आवश्यकता अनुसार भागीदारी सुनिश्चित की जाय।
2. सूचना प्रसारण के लिए रेडियो / कम्यूनिटी रेडियो , वायरलैस, संचार प्रणाली, व्हाट्सएप्प ग्रुप , मोबाइल एप्प आदि मोबाइल एप्प , डैशबोर्ड व सैटैलाई फोन का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

ix) <u>72 घण्टे की गोल्डन अवधि में कियावन्यन</u> –

1. किसी भी आपदा की स्थिति में सूचना प्राप्त होते ही तहसील स्तर नामित **QRT** के सदस्य आवश्यकतानुसार राहत बचाव कार्य करने वाले अन्य विभाग ,संगठन , एनडीआरएफ, पुलिस, फायर, आपदा दल आदि को घटना के सम्बन्ध में यथासमय सूचित करते हुए टीम को मौके हेतु रवाना करना सुनिश्चित करेगें।
2. **QRT** के सभी सदस्यों को तत्काल घटना स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है , किसी भी घटना के उपरान्त **QRT** के किन सदस्यों को घटना स्थल पर जाकर तथा किन सदस्यों को **QRT** टीम द्वारा नियत/चिन्हित स्थल पर रह कर कार्य किया जाना है इस बारे में सम्बन्धित उपजिलाधिकरी निर्णय लेना सुनिश्चित करेगें।
3. किसी भी वृहद आपदा / बडी घटना के स्थिति में पहले 72 घण्टे महत्वपूर्ण होते है। इन प्रारम्भिक 72 घण्टों के भीतर अधिकतम राहत एंच बचाव कार्य, राहत सामग्री का वितरण, अनुमन्य अनुग्रह राशि/ सहायता राशि का वितरण, क्षति का मूल्यांकन, अवस्थापना, संरचनाओं के क्षति का मूल्यांकन तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली समयवद्व रूप से करना सुनिश्चित करेगें।

उक्त के क्रम में सम्बन्धित उपजिलाधिकरी द्वारा तहसील स्तर पर नामित **QRT** द्वारा मानसून अवधि के दौरान वर्णित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मानसून अवधि के उपरान्त तहसील स्तर की आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य में उक्त टीम का उपयोग लिये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त उक्त टीम में नामित अधिकारी / कर्मचारी के मुख्यालय पर उपस्थित न होने/ स्थानान्तरण होने की दशा में विभागीय प्रतिस्थानी द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाऐगा।

3.3.5 तहसील में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)

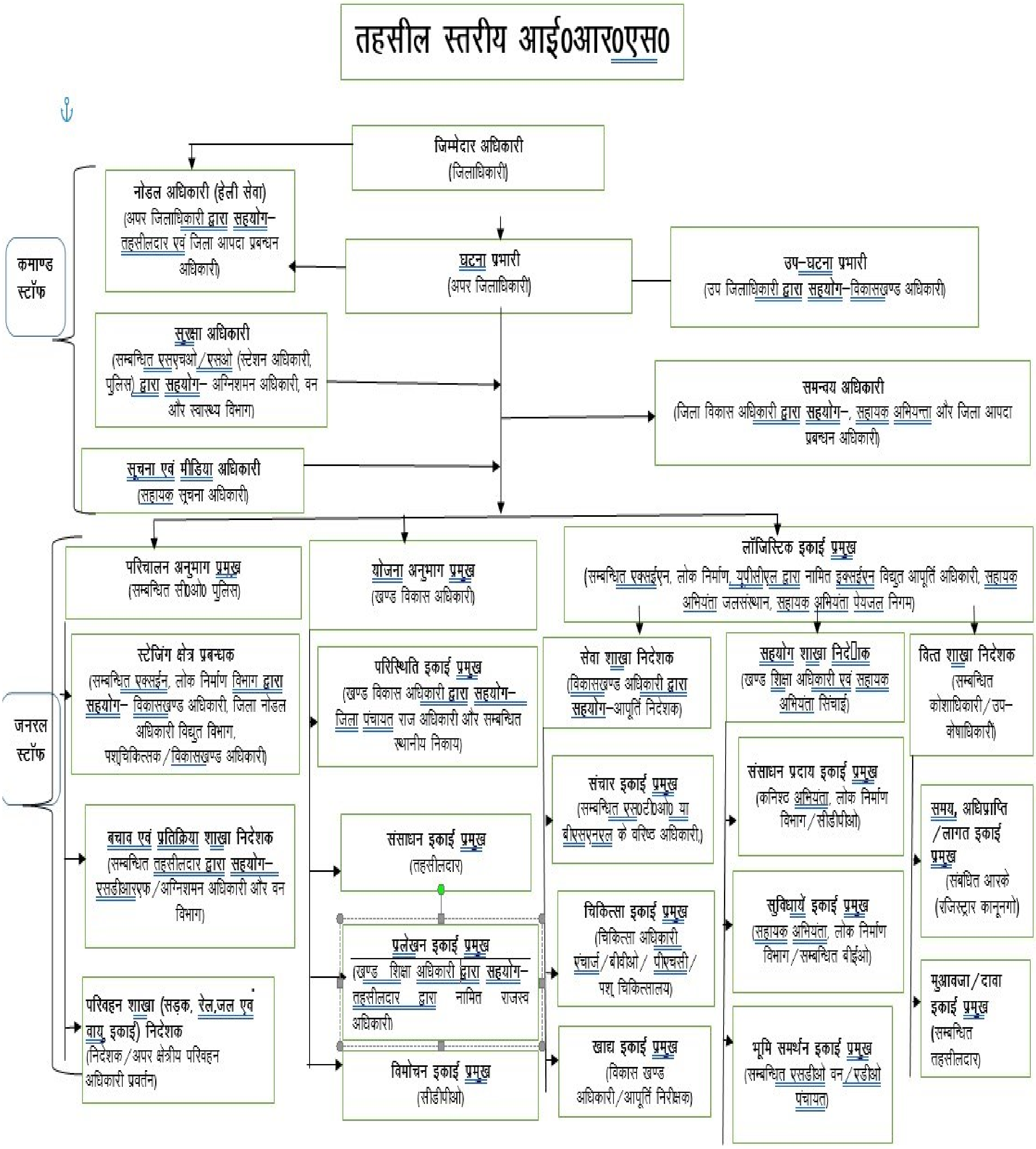

Tehsil Level Incident Response System

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
कमाण्ड स्टॉफ			
1	जिम्मेदार अधिकारी (Responsible Officer, (RO))	जिलाधिकारी।	**1.** समग्र प्रभारी। **2.** आपातकालीन स्थिति में समयबद्ध रूप से संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न विभागों व एजेंसियों को ससमय आदेश जारी करना। **3.** आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर पर घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS) को सक्रिय करना। **4.** आवश्यकतानुसार सशस्त्र बलों, वायु सेना से सहायता आदि संसाधन जुटाये जाने हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करना।
2	घटना प्रभारी (Incident Commander (IC))	अपर जिलाधिकारी।	**1.** खोज एवं बचाव तथा राहत वितरण की रणनीतियों सहित तात्कालिक प्राथमिकताएं तय करना। **2.** उच्चाधिकारियों से संक्षिप्त जानकारी साझा करते हुए यथावश्यक अतिरिक्त संसाधनों की मांग करना। **3.** घटना की व्यापकता को दृष्टिगत् रखते हुये IRS प्रणाली को इतना सशक्त/ संगठित किया जाना जो समुचित संसाधनों को जुटाने का कार्य कर सके, जिससे की आपातकालीन स्थिति मे प्रभावी नियंत्रण करना। **4.** उपयुक्त स्थान पर इंसीडेन्ट कमाण्ड पोस्ट (ICP) को स्थापित करना और सम्बन्धित अधिकारियों को नामित करना। **5.** इंसीडेन्ट एक्शन प्लॅान (IAP) तैयार किए जाने को सुनिश्चित करना। **6.** IAP को अनुमोदित करना तथा कार्यान्वयन हेतु अधिकृत करना। **7.** नीति निर्धारण हेतु IRS के सभी सेक्शन प्रमुख के साथ नियमित समय अंतराल पर बैठक सुनिश्चित करना। **8.** मीडिया को सूचना निर्गत करना। **9.** यथोचित समय पर IRS को विघटित करने की संस्तुति करना। **10.** RO के दिशा–निर्देशों के अधीन घटना से सम्बन्धित सभी कार्यों को सुचारु रुप से क्रियान्वित करना।
3	उप–घटना (डिप्टी कमांडर) (Deputy Incident Commander(DIC))	उप जिलाधिकारी, **द्वारा सहयोग–** विकासखण्ड अधिकारी।	**1.** घटना कमाण्डर द्वारा सौंपे गए किसी भी प्रकार के कार्य/दायित्व को पूरा करना। **2.** स्थायी पदाधिकारी की अनुपस्थिति में घटना कमाण्डर के रूप में कार्य करेंगे।
4	सूचना एवं मीडिया अधिकारी (Information & Media officer(IMO))	सहायक सूचना अधिकारी।	**1.** घटना के संबंध मे सूचनाओं को तैयार करना एवं घटना प्रभारी के अनुमोदन से मीडिया एवं अन्य एजेंसियों को सूचना उपलब्ध करवाना। **2.** आकस्मिक आपदा की स्थिति में, जबकि IRT पूर्ण रुपेण सक्रिय न हो, की स्थिति में किए गए निर्णय एवं निर्गत दिशा–निर्देश को संक्षेप मे लिखा जाना एवं IAP में सम्मिलित किए जाने हेतु प्लानिंग सेक्शन को उपलब्ध कराना। **3.** घटना के सम्बन्ध में विभिन्न मीडिया रिपोटों का अनुश्रवण और पुनरीक्षण करना जो घटना के संबंध में लाभकारी हों। **4.** सभी सम्बन्धित पक्षों को आवश्यक जानकारी प्रसारित करना।
			1. विभिन्न स्थानों पर सम्बन्धित रेखीय विभागों, एजेंसियों (गैर सरकारी संगठन) आदि के प्रतिनिधियों की सूची तैयार करना। **2.** एन0डी0आर0एफ0, सशस्त्र बल और राज्य सरकार के रेखीय विभाग सहित सभी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
5	समन्वय अधिकारी (Liaison Officer(LO))	जिला विकास अधिकारी **द्वारा सहयोग–**, सहायक अभियन्ता और जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी।	**3.** सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों एवं उनके संसाधनो के पहुँचने की सूचना घटना प्रभारी (IC) के साथ साझा करना। **4.** घटना प्रभारी के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के ब्रिफ्रिंग सत्र आयोजित करने में सहायता करना। **5.** प्रत्येक प्राधिकरण/ऐजेंसी द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का रिकार्ड बनाये रखना।
6	सुरक्षा अधिकारी(Safety Officer (SO))	सम्बन्धित एसएचओ/एसओ (स्टेशन अधिकारी, पुलिस) **द्वारा सहयोग**–अग्निशमन अधिकारी, वन और स्वास्थ्य विभाग।	**1.** प्रतिक्रिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित् करने और खतरनाक असुरक्षित स्थितियों से निपटने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा करना। **2.** सुरक्षा पहलुओं के दृष्टिकोण से घटना कार्य योजना (IAP) की समीक्षा करना। **3.** यथा आवश्यकता साइट सुरक्षा योजना की समीक्षा और स्वीकृति देना। **4.** क्षमता विकास के लिए नियमित रूप से आपदा विशिष्ट मॉक ड्रिल आयोजित करना।
7	नोडल अधिकारी, हेली सेवा (Nodal Officer; N.O. (Air Operation))	अपर जिलाधिकारी, **द्वारा सहयोग**–तहसीलदार और जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी।	**1.** एयर ऑपरेशन से सम्बन्धित प्राधिकरण से समन्वय करना। **2.** घटना कार्य योजना (IAP) के आधार पर आवश्यक एयर ऑपरेशन के प्रकार का अनुमान लगाना और मांग कम से कम 24 घंटे पहले या यथाशीघ्र प्रस्तुत करना। **3.** अपने–अपने क्षेत्रों में हवाई गतिविधियों और लैंडिंग कार्यक्रमों के बारे में घटना कमाण्डर (IC) और संचालन अनुभाग प्रमुख (OSC) को सूचित करना। **4.** एयर ऑपरेशन में शामिल सभी एजेंसियों के पास घटना स्थलों से सम्बन्धित मानचित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित् करना, ताकि एयर ऑपरेशन के लिए आवश्यक स्थानों के सटीक निर्देशांक (अक्षांश/देशान्तर) आदि दिए जा सकें। **5.** हैलिपैड्स या हैलीबेस की उपयुक्ता का निर्धारण हवाई सेना और राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय करके करना। **6.** हवाई यातायात नियंत्रण और जमीनी सहायता कर्मचारियों के साथ हवाई गतिविधियों और अन्य सम्बन्धित कार्यों के बारे में संचार बनाए रखना। **7.** आवश्यक ATF (Aviation Turbine Fuel) आदि की प्राप्ति में घटना प्रभारी (IC) और लॉजिस्टिक्स अनुभाग प्रमुख (LSC) की सहायता करना। **8.** हवाई संचालन गतिविधियों की रिपोर्ट (RO) को प्रस्तुत करना। **9.** जिम्मेदार अधिकारी (RO) और घटना प्रभारी (IC) द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी प्रकार के कार्य को पूरा करना।
जनरल स्टॉफ			
8	**परिचालन अनुभाग प्रमुख** (Operation Section Chief (OSC))	सम्बन्धित सी0ओ0 पुलिस।	**1.** घटना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समस्त फील्ड ऑपरेशन का प्रबन्धन करना। **2.** संगठनात्मक अवयवों की मजबूत तैनाती करना, सक्रिय करना, विस्तार व पर्यवेक्षण करना। **3.** ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची का रख–रखाव करना। **4.** प्रत्येक संचालन अवधि ऑपरेशन के प्रारम्भ में परिचालन अनुभाग (OS) के कर्मियों को संक्षिप्त जानकारी देना। **5.** यथावश्कता घटना कार्य योजना (IAP) के अनुसार अनुभाग परिचालन योजना तैयार करना।

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			6. समय–समय पर IC से परामर्श कर उन्हें सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराना। **7.** योजना अनुभाग प्रमुख की सहमति से अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना, संसाधनों की आपूर्ति हेतु आदेश देना एवं आपूर्ति सुनिश्चित् करना। **8.** सम्बन्धित प्राधिकरणों, इकाइयों और समूहों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड सुनिश्चित् करना।
	क. स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक (Staging Area Manager(SAM))	सम्बन्धित एक्सईन, लोक निर्माण विभाग, **द्वारा सहयोग–** विकासखण्ड अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी विद्युत विभाग, पशुचिकित्सक/विकासखण्ड अधिकारी।	**1.** यथोचित लेआउट के साथ स्टेजिंग एरिया (SA) स्थापित करना। **2.** स्टोरेज एवं वितरण किये जाने वाले संसाधनों को IAP (घटना कार्य योजना) के अनुसार प्राप्त एवं वितरित किया जाना। **3.** सभी प्राप्तियों और प्रेषण की रिपोर्ट संचालन अनुभाग प्रमुखों को देना व उनके रिकार्ड को बनाए रखना। **4.** यथोचित (चेक–इन फंक्शन) यथा चैक लिस्ट स्थापित करना। **5.** ICP और अन्य आवश्यक स्थानों जैसे– स्टेजिंग एरिया, घटना बेस, कैम्प, राहत कैम्प आदि के साथ संचार व्यवस्था स्थापित की कार्यवाही सुनिश्चित् करना। **6.** संसाधनों के उपलब्धता की स्थिति को बनाये रखना तथा योजना अनुभाग (PS) और लॉजिस्टिक्स अनुभाग (LS) को प्रदान करना। **7.** IC के साथ परामर्शानुसार स्टेजिंग क्षेत्र को निश्क्रिय करना (डिमोबिलाइज)।
	ख. बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक(Rescue & Response Branch Director (RRBD))	सम्बन्धित तहसीलदार, **द्वारा सहयोग–** एसडीआरएफ/अग्निशमन अधिकारी और वन एंव आपातकालीन विभाग।	**1.** OSC की देखरेख में कार्य करना व सौंपी गई भूमिका के अनुसार IAP के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार रहना। **2.** OSC की आवश्यकतानुसार योजना बैठकों में प्रतिभाग करना। **3.** अपनी शाखा के अन्तर्गत प्रभागों या समूहों के लिए निर्धारित कार्य सूचियों की समीक्षा करना। **4.** प्रभाग और समूह प्रभारियों को विशिष्ट कार्य सौंपना। **5.** शाखा कार्यों की निगरानी करना। **6.** अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत विवादों का समाधान करना। **7.** IAP में आवश्यक संशोधनों, यदि कोई हो, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता, अधिशेष संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक स्थितियों या महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने आदि के सम्बन्ध में OSC को रिपोर्ट करना। **8.** विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम और टॉस्क फोर्स को सहायता उपलब्ध करना। **9.** सुनिश्चित् करना की सभी टीम लीडर अपने क्षेत्र संचालन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखें और OSC को प्रेषित करें। **10.** OSC द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी प्रकार के कार्य का अनुपालन करना।
	ग. परिवहन शाखा (सड़क, रेल, जल एवं वायु इकाई) निदेशक (Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director(TBD))	निदेशक/अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन।	**1.** सड़क, रेल, जल और हवाई जैसे विभिन्न संचालन समूहों को सक्रिय व प्रबन्धित करना। **2.** आवश्यक संसाधनों के लिए लॉजिस्टिक अनुभाग (LS) के साथ समन्वय करना व अपनी शाखा के समूहों को सक्रिय करना। **3.** रेलवे, सड़क, यातायात, जलमार्ग तथा हवाई अड्डे के अधिकारियों के साथ संसाधनों की तैनाती हेतु आवश्यकतानुसार अधिग्रहण व समन्वय स्थापित करना।

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	**आई0आर0एस0 प्रास्थिति**	**नामित अधिकारी**	**भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां**
			4. सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक कार्य की सूची समूह–प्रभारियों और उनकी शाखा के अन्य उत्तरदाताओं के बीच परिचालित कर दी गई है। **5.** हवाई संचालन के लिए जमीनी सहायता व उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित् करना। **6.** परिवहन शाखा की प्रगति के बारे में संचालन अनुभाग प्रमुख और घटना कमाण्डर को रिपोर्ट करना। **7.** यथावश्यकता घटना कार्य योजना (IAP) के अनुसार परिवहन योजना तैयार करना। **8.** किराए में लिए गये संसाधनों के रख–रखाव की अद्यतन स्थिति एवं उनका पूर्ण उपयोग व यथासमय उनको अवमुक्त करना। **9.** सुनिश्चित् करना कि विभिन्न परिचालन समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों के रिकार्ड को संकलित कर सम्बन्धित अनुभाग को प्रेषित करना।
9	**योजना अनुभाग प्रमुख** (Planning Section Chief(PSC))	खण्ड विकास अधिकारी।	**1.** घटना कमाण्डर के परामर्श से IAP की योजना व उसकी तैयारी के लिये सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करना। **2.** सुनिश्चित करना कि PS के सक्रिय नही होने की स्थिति में अचानक आपदाओं के मामले में लिए गये निर्णय और जारी किए गए निर्देश सूचना और मीडिया अधिकारी (कमाण्ड स्टॉफ) से प्राप्त किए जाएं और IAP में सम्मिलित किए जाएं। **3.** मौसम, पर्यावरणीय विशाक्तता तथा विभिन्न सम्बन्धित विभागों के अन्य स्रोतों से सूचनाओं का संकलन, मूल्यांकन और सम्प्रेषण। संयुक्त सचिव (गृह) के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके लोकेशन के साथ एक डाटा बैंक होना चाहिए, जहां से उन्हें जुटाया जा सके। **4.** सुनिश्चित करना कि घटना स्थिति सारांश उचित प्रकार भरा गया है और IAP में भी सम्मिलित कर लिया गया है। **5.** सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक असाइनमेंट सूची (विभागीय/समूह) को इकाई के लीडर और उसके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के बीच प्रसारित की गयी है। **6.** घटना कमाण्डर और संचालन अनुभाग प्रमुख के परामर्श से IRS संगठनात्मक पदों को उचित रूप से सक्रिय और निष्क्रिय करने की योजना बनाना। **7.** घटना प्रबन्धन के लिए किसी भी विशेष संसाधनो की आवश्यकता निर्धारण करना। **8.** घटना की सम्भावना पर समय–समय पर पूर्वानुमान प्रदान करना। **9.** घटना स्थिति में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में घटना कमाण्डर को सूचना देना। **10.** घटना कमांड पोस्ट पर घटना की स्टेटस का संकलित सारांश प्रदर्शित करना। **11.** किसी घटना के तैयार रहने की योजना बनाना और उसको कार्यान्वित करना। **12.** डयूटी ऑफिसर की लिस्ट तैयार करना। **13.** विभिन्न इकाइयों द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों का एक रिकार्ड यूनिट लॉग तैयार करना।
	क. परिस्थिति इकाई प्रमुख (Situation Unit Leader (SUL))	खण्ड विकास अधिकारी, **द्वारा सहयोग–** जिला पंचायत राज अधिकारी	**1.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों को एकत्रित, संसाधित व व्यवस्थित करना।

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	**आई0आर0एस0 प्रास्थिति**	**नामित अधिकारी**	**भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां**
		और सम्बन्धित स्थानीय निकाय।	**2.** घटना के विकास के आवधिक भविष्य के अनुमान तैयार करना (यदि आवश्यक हो तो मानचित्रों के साथ) PSC और घटना कमांडर को सूचित करना। **3.** परिस्थिति और संसाधन स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना और आवश्यकतानुसार प्रसारित करना। **4.** यथावश्यकता प्रतिक्रिया दाताओं को अधिकृत मानचित्र, फोटोग्राफिक सेवाएँ प्रदान करना। **5.** आवश्यक जानकारी, डेटा, अभिलेख और भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र आदि के साथ IAP बैठक में भाग लेना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड बनाना और सम्बन्धित अनुभाग को भेजना।
	ख. संसाधन इकाई प्रमुख (Resource Unit Leader (RUL))	तहसीलदार।	**1.** घटना के समय सभी निर्दिष्ट संसाधनों (प्राथमिक और समेकित) की स्थिति को बनाए रखना व प्रदर्शित करना। **2.** उपलब्ध सभी संसाधनों की एक पूर्ण सूची तैयार करना। **3.** विभिन्न घटना स्थलों पर चेक–इन फंक्शन सुनिश्चित और स्थापित करना। **4.** समय–समय पर प्राप्त और भेजे गए संसाधनों की स्थिति के संबंध में योजना अनुभाग प्रमुख (PSC) और घटना कमांडर को अपडेट करना। **5.** आवंटित संसाधनों की स्थिति और उपयोग की जांच के लिए OS की विभिन्न सक्रिय शाखाओं, प्रभागों और समूहों के साथ समन्वय करना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को भेजना।
	ग. प्रलेखन इकाई प्रमुख (Documentation Unit Leader (DUL))	खण्ड शिक्षा अधिकारी **द्वारा सहयोग**–तहसीलदार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी।	**1.** सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक प्रपत्र और स्टेशनरी अधिप्राप्ति कर सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों, समूहों और इकाइयों को वितरित कर दी गयी है। **2.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों व रिपोर्टो को एकत्रित करना। **3.** सटीकता और पूर्णता के लिए रिकॉर्ड और विभिन्न IRS फर्मों की समीक्षा एवं सन्निरीक्षा करना। **4.** उचित इकाइयों को उनके दस्तावेजीकरण में त्रुटियों या चूक यदि कोई हो, के बारे में सूचित करना और सुनिश्चित करना कि त्रुटियों और चूक को संशोधित कर लिया गया है। **5.** घटना के बाद के विश्लेषण के लिए पत्रावलियों को सही ढंग से संग्रहित करना। **6.** सम्पादित की गयी विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाये रखना और संबंधित अनुभागों को भेजना।
	घ. विमोचन इकाई प्रमुख (Demobilization Unit Leader (DeUL))	सीडीपीओ।	1. घटना वियोजन (निष्क्रिय) करने की योजना तैयार करना। 2. अधिशेष संसाधनों की पहचान करना और PSC के परामर्श से एक अस्थाई IDP तैयार और अधिशेष संसाधनों को वियोजित (निष्क्रिय) करने को प्राथमिकता देना। 3. सभी अनुभागों के परामर्श से अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना जांच कार्य विकसित करना। और इसे PS को भेजना। 4. LS के परामर्श से घटना वियोजन (निष्क्रिय) के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन सहायता की योजना बनाना। 5. घटना वियोजन (निष्क्रिय) योजना– IDP को उचित समय पर शामिल विभिन्न हितधारकों तक प्रसारित करना। 6. वियोजन (निष्क्रिय) की प्रगति के संबंध में PSC को ब्रीफ करना। 7. निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना।

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
10	**लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख**(Logistic Section Chief(LSC))	सम्बन्धित एक्सईएन, लोक निर्माण, यूपीसीएल द्वारा नामित इक्सईएन विद्युत आपूर्ति अधिकारी, सहायक अभियंता जलसंस्थान, सहायक अभियता पेयजल निगम।	**1.** स्टेजिंग एरिया की स्थापना सहित सभी घटना प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना यथा– घटना स्थल, शिविर, राहत शिविर, हैलीपैड आदि। **2.** IAP के विकास और क्रियान्वयन में भाग लेना। **3.** वित्तीय मामलों के संबंध में RO और IC को सूचित करना। **4.** यह सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक असाइनमेंट सूची (डिविजनल/समूह) शाखा निदेशकों और उनके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के मध्य प्रसारित कर दिया है। **5.** यथावश्यक्ता अग्रिम धनराशि फण्ड के लिए अनुरोध किया जाना। **6.** शाखा निदेशक और यूनिट लीडर को मामले का ब्रीफ करना। **7.** स्थिति की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार योजना, चिकित्सा योजना और यातायात योजना की निरंतर समीक्षा करना। **8.** अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का आंकलन करना और RO और IC के परामर्श से उनके अधिप्राप्ति के लिए आवष्यक कदम उठाना। **9.** सम्पूर्ण दिवस के लिए ऑन ड्यूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना। **10.** शाखाओं और इकाइयों के सदस्यों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड यूनिट लॉग में एकत्र और बनाये रखना सुनिश्चित् करना।
	क. सेवा शाखा निदेशक(Service Branch Director(SBD))	विकासखण्ड अधिकारी **द्वारा सहयोग–** आपूर्ति निदेशक।	**1.** LSC की देखरेख में कार्य करना और घटना प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सेवा के लिए सहयोग का प्रबंधन करना। **2.** शाखा की विभिन्न इकाइयों यथा–संचार, चिकित्सा, खाद्य और किसी अन्य सक्रिय इकाईओं का प्रबन्धन व पर्यवेक्षण करना। **3.** आवश्यक सामग्री और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडर के साथ चर्चा करना व LS के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जाना। **4.** IAP के अनुसार कार्मिकों, टीमों, संसाधनों आदि का उचित प्रेषण (डिस्पैच) किया जाना। **5.** LSC को समय–समय पर सेवा शाखा की प्रगति के बारे में सूचित करना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना।
	i. संचार इकाई प्रमुख (Communication Unit Leader(CUL))	सम्बन्धित एस0टी0ओ0 या बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी।	**1.** SBD (सेवा शाखा निदेशक) के निर्देशन में कार्य करना। **2.** यथावश्यकता संचार सुविधा प्रदान कराना। **3.** सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण च नेटवर्क क्रियाशील है। **4.** क्षेत्र में तैनात सभी संचार उपकरणों का रिकॉर्ड रखना। **5.** विभिन्न सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, इकाइयों और उच्च अधिकारियों से रेडियो, टेलीफोन और अन्य संदेश प्राप्त करने और भेजने के लिए उनका रिकार्ड बनाए रखने के लिए एक संदेश केंद्र स्थापित किया जाना। **6.** सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित विफलता की स्थिति में निष्पादन के लिए एक वैकल्पिक संचार योजना तैयार करना। **7.** केंद्रीय टीमों के संचार ढांचे के एकीकरण के लिए एक योजना तैयार करना। **8.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना।
	ii. चिकित्सा इकाई प्रमुख (Medical	चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज/	**1.** SBD (सर्विस ब्रांच निदेशक) के निदेशन में कार्य करना तथा IAP के अनुसार चिकित्सा योजना और आवश्यक संसाधनों की अधिप्राप्ति करना।

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
	Unit Leader (MUL))	बीवीओ / पीएचसी / पशु चिकित्सालय ।	**2.** SBD और LSC को सूचित करते हुए चिकित्सा सहायता, परिवहन और चिकित्सा आपूर्ति आदि के लिए OS के अनुरोधों का प्रतिउत्तर देना। **3.** उन चिकित्सा कर्मियों की सूची बनाए रखना जिन्हें जरूरत के समय Mobilize किया जा सके। **4.** सभी चिकित्सा टीम लीडर को रेफरल सेवा केंद्रों की सूची तैयार कर वितरित करना। **5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और SBD को भेजना।
	iii. खाद्य इकाई प्रमुख(Food Unit Leader(FUL))	विकास खण्ड अधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक।	**1.** SBD (सर्विस ब्रांच निदेशक) के निदेशन में कार्य करना। **2.** भोजन की आपूर्ति करनाः :–**(क)** ICP, शिविरों, घटना बेस, SA आदि में IRT के कार्मिक और **(ख)** अस्थायी आश्रयों, राहत शिविरों आदि में पीड़ितों के लिए। **3.** भोजन और पेयजल की आवश्यकताओं और उनके परिवहन क्षमता का निर्धारण करना, तथा SBD एवं LSC को सूचित करना। **4.** संसाधनों की प्राप्ति और प्रेषण की एक सूची बनाना। **5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाने के साथ ही SBD को भेजना।
	ख. सहयोग शाखा निदेशक (Support Branch Director (SuBD))	खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक अभियंता सिंचाई ।	**1.** LSC की देखरेख में कार्य करना, और संसाधन प्रावधान इकाई, सुविधा इकाई और भूमि समर्थन इकाई के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। **2.** अनुभाग प्रमुख की सहमति से परिचालन के लिए रणनीतिक संसाधनों की अधिप्राप्ति व प्रेषण करना। **3.** LS की योजना बैठक में प्रतिभाग करना। **4.** सुनिश्चित करना कि शाखा से संबंधित संगठन कार्य सूची व उसके अधीन समस्त इकाइयों में वितरित कर दी गयी है। **5.** कार्य की प्रगति के संबंध में LSC को सूचित करना। **6.** किए गए विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को प्रेषित करना।
	i. संसाधन प्रदाय इकाई प्रमुख (Resource Provisioning Unit Leader (RPUL))	कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग / सीडीपीओ।	**1.** सर्पोट ब्रांच निदेशक के पर्यवेक्षण में कार्य करना। **2.** कर्मचारियों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही को व्यवस्थित रखना। **3.** घटना की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में अपेक्षित सभी आपूर्तियों को प्राप्त करना व सुरक्षित रखना। **4.** आपूर्ति और उपकरणों कीसूची बनना। **5.** उपकरण और कार्मिकों सहित आपूर्ति, की प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड बनाना। **6.** गैर–विस्तार योग्य आपूर्ति और उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग व्यवस्थित करना। **7.** LS की योजना बैठक में भाग लेना। **8.** उपलब्ध और प्रेषित गई आपूर्ति के 'प्रकार', और 'मात्रा' की निगरानी करना। **9.** यथावश्यकता सहायता के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की मांग करना। **10.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखना तथा सर्विस ब्रांच निदेशक को भेजना।
	ii. सुविधायें इकाई प्रमुख (Facilities Unit Leader (FaUL))	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग / सम्बन्धित बीईओ।	**1.** घटना सुविधाओं का लेआउट और सक्रियण तैयार करना, जैसे कि घटना शिविर, राहत शिविर, आईसीपी, आदि, और प्रतिक्रिया दाताओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। **2.** सहयोग शाखा निदेशक को रिपोर्ट करें। **3.** IAP के अनुसार विभिन्न सुविधाओं को चिन्हित करना।

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			4. अनुभाग की योजना बैठक में भाग लेना, LSC के समन्वय से प्रत्येक सुविधा और उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार करना। **5.** IRS के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व अधीक्षक BD को भेजें।
	iii. भूमि समर्थन इकाई प्रमुख (Ground Support Unit Leader (GSUL))	सम्बन्धित एसडीओ वन/ एडीओ पंचायत ।	**1.** सहयोग BD (ब्रांच निदेशक) की देखरेख में कार्य करना। **2.** TBD को फील्ड संचालन के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करना। **3.** यदि हवाई परिचालन सक्रिय है, तो TBD के माध्यम से व्यवस्थित करना और आवश्यक जमीनी समर्थन (ग्राउंड सपोर्ट) प्रदान करना। **4.** घटना प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों और संबन्धित उपकरणों के लिए रख–रखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करना। **5.** घटना यातायात योजना का विकास और कार्यान्वयन करना। **6.** सभी वाहनों और उपकरणों की उपलब्धता और सेवा क्षमता (Service Ability) के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करना। **7.** सहयोग शाखा निदेशक BD के परामर्श से विमान सहित सभी परिवहन के लिए ईंधन आवश्यकताओं की व्यवस्था तथा उनको सक्रिय करना। **8.** सौंपे गए उपलब्ध और सड़क से हटकर (Off road) या सेवा संसाधनों से बाहर (Out of Service Resourced) की सूची बनाना। **9.** अपने क्षेत्राधिकार में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित् करना। **10.** IRS के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और सहयोग BD को प्रेषित करना।
	ग. वित्त शाखा निदेशक (Finance Branch Director(FBD))	सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उप–कोषाधिकारी ।	**1.** LSC के अधीन कार्य करना। **2.** योजना बैठकों में भाग लेना। **3.** IAP के अनुसार संसाधनों को Mobilize किये जाने हेतु अधिप्राप्ति या किराये पर लेने के लिए एक सूची तैयार करना। **4.** वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करना और बिना देरी किए उनकी अधिप्राप्ति (Procurement) के लिए आवश्यक कदम उठाना। **5.** किराये पर लिए गये उपकरणों, कर्मियों और उनकी सेवाओं का समयावधि के साथ रिकार्ड रखना, जिनसे कि सरकारी मानदण्ड के अनुसार भुगतान किया जा सके। **6.** डेमोबिलाइजेशन सहित सम्पूर्ण प्रतिक्रिया गतिविधि में शामिल लागत की जांच करना और लागत प्रभावशीलता का विश्लेषण करना साथ ही LSC को सूचित करना। **7.** घटना के समय शुरू किए गए सभी दायित्व, दस्तावेज उपयुक्त अनुभाग प्रमुख और BD द्वारा उचित रूप से तैयार, पूर्ण, सत्यापित और हस्ताक्षरित हैं को सुनिश्चित करना। **8.** घटना से संबंधित सभी वित्तीय मुद्दों पर LSC या IC को ब्रीफ करना जिन पर ध्यान देने या अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता हो। **9.** IRS के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना और संम्बन्धित अनुभागों को भेजना।

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0			
क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
	i. समय इकाई प्रमुख / अधिप्राप्ति इकाई प्रमुख / लागत इकाई प्रमुख (Time, Procurement & Cost Unit Leader (TPCUL))	संबंधित आरके (रजिस्ट्रार कानूनगो)	**1.** किराये पर लिए गए उपकरणों और कर्मियों की समय अवधि के साथ रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित् करना कि इसे दैनिक आधार पर और सरकारी मानदंडों के अनुसार बनाया गया है। **2.** सभी किराये के उपकरणों और कर्मियों के सर्वोत्तम उपयोग के सम्बन्ध में उनके लॉग की जांच करना। **3.** विक्रेताओं और अनुबंधों से सम्बन्धित सभी वित्तीय मामलों पर ध्यान देना। **4.** FBD के परामर्श से अधिप्राप्ति आवश्यकताओं की समीक्षा करना। **5.** उचित प्रक्रियाओं के पालन के साथ उन विक्रेताओं की सूची तैयार करना जिनसे खरीद की जा सकती है। **6.** प्रतिक्रिया प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली सभी बिलों की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करना और FBD, LSC, IC के अनुमोदन से भुगतान के लिए दस्तावेज भेजना। **7.** बकाया मुद्दों और अनुवर्ती आवश्यताओं पर सिफारिशो के साथ वर्तमान समस्याओं पर FBD को ब्रीफ करना। **8.** लागत विशलेषण रिपोर्ट (Cost Analysis Report) के आधार पर FBD के परामर्श से घटना लागत सारांश विकसित करना। **9.** FBD को लागत बचत की सिफारिशें करना।
	ii. मुआवजा / दावा इकाई प्रमुख (Compensation/ Claim Unit Leader (CCUL))	सम्बन्धित तहसीलदार।	**1.** सभी लागत डेटा एकत्र करना और लागत अनुमान प्रदान करना। **2.** ऐसी मांग की सही तिथि और समय के साथ अपेक्षित परिसर, सेवाओं, संसाधनों और वाहनों आदि की एक सूची तैयार करना। **3.** दावों और मुआवजे की तैयारी के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना। **4.** IRS के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाये रखें साथ ही रिकॉर्ड को FBD को भेजें।

अध्याय: 4

रोकथाम और शमन उपाय/आपदा जोखिम न्यूनीकरण

(Prevention and mitigation Measure)

4.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (V) तथा धारा 32 (क)(I) में अधिकथित प्रावधानों अनुसार, जनपद में विद्यमान खतरों तथा संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु योजनबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन के प्रत्येक हितग्राहियों द्वारा कार्य किया जाएगा। योजना मे आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन कार्यो का तात्पर्य, अध्याय 2 में चिन्हित खतरों को गैर संरचनात्मक तथा संरचनात्मक उपायों द्वारा समाप्त करना अथवा उनके प्रभाव को न्यून करना है।

4.2 पर्यावरणीय संवेदनशीलता

उत्तराखण्ड राज्य अपनी भौगोलिक एवं परिस्थितिकीय संरचना के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है। अतः कोई भी ऐसी क्रिया जो यहॉ की दशाओं के प्रतिकूल होती है आपदा को जन्म देती है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता परन्तु आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उत्तराखण्ड राज्य में एक तरफ भूस्खलन, बादल का फटना, त्वरित बाढ़, हिमस्खलन, वनाग्नि, मौसमी आपदायें हैं, जो वर्ष के एक विशेष समय में अत्यधिक आवृत्ति के साथ सक्रिय हो जाती है। दूसरी तरफ भूकम्प विनाशकारी आपदा है, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। अतः इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए जनसमुदाय की जागरूकता एवं सहयोग अति आवश्यक है।

भूस्खलन, त्वरित बाढ़, बादल फटना, हिमपात हिमस्खल, भूकम्प,वनाग्नि, सड़क दुर्घटना

(भूस्खलन)

भूस्खलन (Landslide) जिसमें चट्टान, मिट्टी या मलबे का एक बड़ा हिस्सा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढलान से अचानक नीचे की ओर खिसकता है। यह एक प्रकार का द्रव्यमान संचलन है और पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में आम है, जिसमें जनपद भी शामिल है। भूस्खलन विभिन्न कारणों से होते हैं और इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

भूस्खलन के मुख्य कारण

भूस्खलन के कारणों को मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानवीय कारकों में बांटा जा सकता है–

(क) प्राकृतिक/भूवैज्ञानिक कारक

(i) **भारी वर्षा और बाढ़ :** तीव्र बारिश ढलानों को संतृप्त कर देती है, जिससे मिट्टी और चट्टानों के बीच का घर्षण कम हो जाता है और वे अस्थिर हो जाती हैं।

(ii) **भूकंप और ज्वालामुखी :** भूकंप के झटके और ज्वालामुखी की गतिविधियां जमीन को हिलाकर ढलानों की स्थिरता को बिगाड़ सकती हैं।

(iii) **ढाल की अस्थिरता :** पहाड़ों और ढलानों की कमजोर संरचनात्मक बनावट और प्राकृतिक कटाव भूस्खलन का एक प्रमुख कारण है।

(iv) **जलवायु परिवर्तन** : बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघलने और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि से भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ रही है।

(ख) मानवीय कारक

(i) **निर्माण कार्य :** सड़कों, इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए की गई कटाई–छंटाई ढलानों को अस्थिर कर देती है।

(ii) **अनुचित भूमि उपयोग :** ढलानों पर बिना योजनाबद्ध तरीके से खेती या आवास निर्माण करना।

(iii) **पेड़ों की कटाई :** पेड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं उनकी अनुपस्थिति में मिट्टी का कटाव और अस्थिरता बढ़ती है

प्रभाव

जान–माल की हानि : भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो जाती है और घर व इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। बुनियादी ढांचे को नुकसान सड़कें, रेलवे ट्रैक, पाइपलाइन और कृषि भूमि नष्ट हो जाती हैं।

नदी अवरोध : कभी–कभी भूस्खलन से मलबा नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जिससे भूस्खलन बांध बन जाते हैं और बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है।

बचाव के उपाय

(i) **प्रतिधारी दीवारें (Retaining Walls)** भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मिट्टी को खिसकने से रोकने के लिए मजबूत दीवारें बनाई जानी चाहिए।

(ii) **वृक्षारोपण ढलानों पर मजबूत और गहरी जड़ वाले पेड़–पौधे लगाना** कटाव को रोकने में मदद करता है।

(iii) **उचित जल निकासी** पानी के दबाव को कम करने के लिए ढलानों पर उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

(iv) **जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण से बचें** भूस्खलन–प्रवण क्षेत्रों में आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

(v) **स्थानीय चेतावनी प्रणाली** स्थानीय स्तर पर जमीनी हलचल के संकेतों पर नजर रखें और चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करें।

(vi) खतरे के क्षेत्र में प्रबन्धन के लिए सभी उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करें।

(vii) खतरे की गम्भीरता के बारे में जानने के लिए भौगोलिक नक्शों का उपयोग करें।

(viii) उन स्थानों का चयन करें जहां भूस्खलन/हिमस्खलनों की सम्भावना नही है।

(ix) पहाड़ी ढलानों के नीचे भूस्खलनों के पूराने मलवे पर बस्तियॉं न बनायें।

(x) पानी की निकासी सही रखें, उसे घर के आस–पास जमा न होने दें।

(xi) नदी नालों के किनारे भवन निर्माण न करें।

(xii) जमीन में दरारें पड़ने पर सूचित करें।

(त्वरित बाढ़)

त्वरित बाढ़ (Flash Flood) का अर्थ है यानी ऐसी बाढ़ जो बहुत कम समय (आमतौर पर 6 घंटे के भीतर, अक्सर 3 घंटे से भी कम) में अचानक और तेजी से आती है। यह सामान्य बाढ़ से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें भागने या तैयारी करने का बहुत कम समय मिलता है।

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में, बादल फटने (cloudburst) और तीव्र वर्षा के कारण त्वरित बाढ़ की घटनाएं आम हैं।

त्वरित बाढ़ (Flash Flood) के मुख्य कारण

(i) **अत्यधिक और तीव्र वर्षा :** सबसे आम कारण गरज के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश है, जो अक्सर बादल फटने की घटना के रूप में होती है।

(ii) **पहाड़ी ढलानें :** पहाड़ी क्षेत्रों में, पानी तेजी से ढलान से नीचे बहता है, जिससे इसकी गति और मात्रा अचानक बढ़ जाती है।

(iii) **बांध या तटबंध का टूटना :** बांधों के टूटने से अचानक बड़ी मात्रा में पानी निचले इलाकों में आ जाता है।

(iv) **शहरीकरण और खराब जल निकासी :** शहरों में कंक्रीट की सतहें पानी को जमीन में सोखने से रोकती हैं, जिससे पानी का बहाव तेजी से होता है।

(v) **हिमनद पिघलना (Glacial Melt) :** बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर या बर्फ का तेजी से पिघलना भी अचानक पानी के प्रवाह को बढ़ा सकता है (जैसे 2021 की चमोली आपदा)।

(vi) **भूस्खलन :** भूस्खलन से मलबा नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोक सकता है, जिससे एक अस्थायी बांध बन जाता हैय जब यह बांध टूटता है, तो पानी की एक विशाल दीवार नीचे की ओर बहती है।

त्वरित बाढ़ के प्रभाव

- ❖ **कम चेतावनी समय :** ये इतनी जल्दी आती हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का समय नहीं मिलता, जिससे जान–माल का अधिक नुकसान होता है।
- ❖ **विनाशकारी शक्ति :** पानी की तेज धारा अपने साथ बड़े–बड़े पत्थर, पेड़, इमारतें और वाहन बहाकर ले जाती है
- ❖ **बुनियादी ढांचे को नुकसान :** सड़कें, पुल और संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है।
- ❖ बचाव के उपाय और सुरक्षा टिप्स
- ❖ **चेतावनी संकेतों पर ध्यान दें :** स्थानीय मौसम रिपोर्ट और सरकारी चेतावनियों पर हमेशा ध्यान दें।
- ❖ **ऊँचे स्थान पर जाये :** यदि आप बाढ़ संभावित क्षेत्र में हैं, तो तुरंत ऊँचे और सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ।
- ❖ **पानी के पास न जाये :** बारिश के दौरान या उसके बाद नदियों, नालों या सूखी हुई खाड़ियों के पास जाने से बचें, भले ही वे सूखी दिखें (पानी का बहाव कभी भी अचानक आ सकता है)
- ❖ **पक्के घरों में रहें :** कच्चे मकानों या बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहें।
- ❖ **वाहन चलाने से बचें :** बाढ़ के पानी में गाड़ी चलाने का जोखिम न लें, केवल छह इंच गहरा बहता पानी भी एक कार को बहा सकता है।

(बादल फटना)

बादल फटना (Cloudburst) एक अत्यंत तीव्र मौसमी घटना है जिसमें कम समय में, एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में, बहुत भारी बारिश होती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह तब माना जाता है जब किसी स्थान पर एक घंटे में 100–150 मिलीमीटर (लगभग 4 इंच) या उससे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। यह कोई शाब्दिक विस्फोट नहीं है, बल्कि एक मौसम विज्ञान संबंधी घटना है जो अक्सर अचानक बाढ़ (Flash Flood) और भूस्खलन का कारण बनती है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। **बादल फटने के कारण**

बादल फटने की घटनाएँ आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ इसके लिए अनुकूल होती हैं, भौगोलिक उत्थान (Orographic Lift) जब नमी से भरी मानसूनी हवाएँ पहाड़ों की खड़ी ढलानों से टकराकर ऊपर उठती हैं, तो वे ठंडी हो जाती हैं।

तीव्र संघनन : अचानक ठंडा होने से हवा की नमी तेजी से पानी की बूंदों में बदल जाती है और घने, कपासी वर्षी (Cumulonimbus) बादल बनाती है।

ऊपर की ओर तीव्र हवा : इन बादलों के भीतर तीव्र ऊर्ध्वाधर हवा के झोंके (updraft) पानी की बूंदों को जमीन पर गिरने से रोकते हैं, जिससे बादलों में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है।

अस्थिरता और अचानक गिरना : जब पानी का भार इतना अधिक हो जाता है कि ऊपर की ओर जाने वाली हवा उसे संभाल नहीं पाती, तो सारा पानी एक साथ, बहुत तेजी से नीचे गिरता है, जिसे बादल फटना कहा जाता है।

प्रभाव और खतरे

अचानक बाढ़ (Flash Floods) : कुछ ही मिनटों में इतना पानी गिरता है कि जल निकासी प्रणालियाँ भर जाती हैं, जिससे निचले इलाकों में जानलेवा बाढ़ आ जाती है।

भूस्खलन (Landslide) : भारी बारिश मिट्टी और चट्टानों की स्थिरता को कम कर देती है, जिससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है।

बुनियादी ढांचे की क्षति : सड़कें, पुल, घर और कृषि भूमि भारी मलबे और पानी के बहाव में नष्ट हो जाते हैं

सुरक्षा सावधानियाँ

मौसम चेतावनियों पर ध्यान दें हमेशा स्थानीय मौसम पूर्वानुमानों और चेतावनियों के बारे में जानकारी रखें।
ऊँचे स्थान पर जाये : यदि भारी बारिश या बाढ़ की संभावना हो, तो तुरंत ऊँचे और सुरक्षित स्थान पर चले जायें।
नदी नालों से दूर रहें : बारिश के दौरान या उसके बाद नदियों, नालों या सूखी खाड़ियों के पास जाने से बचें।
वाहन चलाने से बचें : बाढ़ वाले रास्तों पर गाड़ी न चलाएँ।

(हिमपात, हिमस्खलन)

हिमपात (Snowfall) का हिंदी में सामान्य अर्थ बर्फबारी है। यह वर्षा का एक रूप है जिसमें जलवाष्प वायुमंडल में हिमांक बिंदु (0^o सेल्सियस) से नीचे के तापमान पर सीधे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है और जमीन पर गिरती है।

प्रभाव

यह सर्दियों के मौसम में पहाड़ों में जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। यह जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बर्फ पिघलने पर नदियों और जलाशयों को पानी मिलता है। हालांकि, भारी बर्फबारी से सामान्य जीवन बाधित हो सकता है।

हिमस्खलन (Avalanche) यह एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है। इसमें पहाड़ी ढलान से भारी मात्रा में बर्फ, हिम, और कभी–कभी मिट्टी व चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा अचानक और तेजी से नीचे की ओर खिसकता है।
खतरा : हिमस्खलन बेहद विनाशकारी होता है। बर्फ की गति 300 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है, और नीचे आने पर यह कंक्रीट की तरह ठोस हो जाती है, जिससे रास्ते में आने वाली हर चीज दब जाती है और जान–माल का भारी नुकसान होता है।

हिमस्खलन के कारण

भारी बर्फबारी : जब अस्थिर ढलानों पर बहुत अधिक नई बर्फ जमा हो जाती है, तो दबाव से नीचे की परतें खिसक जाती हैं।
तापमान परिवर्तन : बर्फ के पिघलने और फिर से जमने से बर्फ की परतों के बीच अस्थिरता पैदा होती है।
बाहरी ट्रिगर : भूकंप, विस्फोट, या कभी–कभी इंसानी गतिविधियाँ भी हिमस्खलन को ट्रिगर कर सकती हैं
उत्तराखंड में दोनों ही घटनाएं होती हैं। सर्दियों में जहाँ हिमपात सामान्य है, वहीं कुछ संवेदनशील ढलानों पर अत्यधिक बर्फबारी या मौसम परिवर्तन से हिमस्खलन का खतरा रहता है।

(भूकम्प)

- भूकम्परोधी मकानों को निर्माण करें।
- भूकम्प आने से पहले, भवन से बाहर सभी लोगों के इकट्ठा होने योग्य स्थान के बारे में पहले से सोच कर रखे तथा यह स्थान परिवार के सभी सदस्यों को मालूम हो।
- भारी वस्तु को हमेशा नीचे रखें, बिस्तर के ऊपर लटके सामान जैसे फोटो शीशे, तस्वीर आदि को हटाकर अन्य स्थान पर रखें जिससे किसी व्यक्ति को हानि न पहुँचे।
- मकान की दीवार या छत में कोई दरार हो तो उसे ठीक करा लें।
- ज्वलनशील पदार्थो को सुरक्षित स्थान पर रखें।
- लिन्टर, बिम या छत की भारी बल्ली आदि के नीचे कतई खड़े ना हों, इनकी चपेट से बचें, कांच की खिड़की व दरवाजे से दूर रहें।
- आप अपने को मेज के नीचे यहां तक कि चारपाई या पलंग के नीचे भी सुरक्षित रख सकते हैं।
- बिजली के सामान को न छूऐं, बिजली के तारों से दूर रहें।
- पालतू जानवरों को खोल दें।
- नदी, तालाबों, भूस्खलन वाले क्षेत्र से दूर रहें।
- स्वयं को मानसिक रूप से पुनः भूकम्प के झटकों के लिए तैयार रखें।
- भाग–दौड़ या चीख–पुकार से अपनी व पीड़ित व्यक्ति की परेशानी न बढ़ायें, वरना परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं।

- ❖ बिजली के उपकरण व गिरे बिजली के तारों से दूर रहें, उन तारों के पास पड़े हुए धातु के किसी भी सामान को हाथ न लगायें।

(वनाग्नि)

- ❖ गर्मियों के मौसम में वनों या उनके समीप कहीं भी जलती सिगरेट, बीड़ी या दियासलाई न फैकें।
- ❖ जानवरों के चारा हेतु आग न लगायें।
- ❖ शहद, महुवे के फूल व शाल बीज एकत्रीकरण के लिए आग का प्रयोग न करें।
- ❖ पिकनिक कैम्पफायर में खाना बनाने के बाद जलती आग न छोड़े, इसे भली भांति बुझाकर जायें।
- ❖ खेतों में आग लगाते समय ऐसी सावधानी रखें कि आग वन क्षेत्र में ना फैलने पाये।
- ❖ व्यक्तिगत रंजिश या शरारत से प्रेरित होकर वनों में आग न लगायें।
- ❖ आग लगने पर वन विभाग को अति शीघ्र सूचित करें, वन विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने में आवश्यक सहायता प्रदान करें।
- ❖ जिन गांवों के जंगलों में आग लगी हो वहां के समुदाय आग बुझाने का कार्य करें ।
- ❖ अग्निशमन (आग बुझाने) का काम अक्रामक रूप से करें और सर्वप्रथम सुरक्षा का प्रावधान करें।

(सड़क दुर्घटना)

- ❖ वाहन चलाने से पूर्व सुनिश्चित करे कि वाहन की सभी लाईटें, ब्रेक लाईट, बैक लाईट आदि कार्य कर रही है।
- ❖ रात्रि में डिपर का प्रयोग करें।
- ❖ मोड़ों तथा चौराहों पर वाहन की गति धीमी करें।
- ❖ वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें। यह दण्डनीय अपराध है।
- ❖ वाहन में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही व्यक्ति व माल ले जायें।
- ❖ मोड़ों पर पास न मांगे न ही ओवरटेक करने का प्रयास करें।
- ❖ वाहन में प्राथमिक चिकित्सा पेटी (फर्स्ट एड बॉक्स) तथा लकड़ी का गुटका अवश्य रखें।

4.3. खतरे के लिए विशिष्ट रोकथाम और न्यूनीकरण शमन उपाय

4.2.1 संरचनात्मक उपायों– जनपद के संभावित आपदाओं को न्यून अथवा समाप्त करने हेतु लघु तथा दीर्घ अवधि की संरचना निर्माण से संबन्धित विकास परियोजनाओं को संचालित कर संभावित आपदा से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को कम करने की योजना तथा वर्तमान में संचालित परियोजनाओं को जनपद में संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन की दृष्टि से अनुकूल बनाया जाना शामिल है।

4.2.2 गैर संरचनात्मक उपायों– के अंतर्गत आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित नीतिगत निर्णयों को समुदाय स्तर पर लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाना, आपदा प्रबंधन से संबन्धित समस्त नियमों/सुरक्षा कोड का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक अनुश्रवण विधि स्थापित करना, विभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न शासकीय एवं गैर शासकीय अमले एवं संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से क्षमता वृद्धि एवं प्रचार–प्रसार एवं अन्य साधनों से जन जागरूकता शामिल है।

4.4 राज्य व केंद्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना (Departmental Disaster Management Plan)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (XVII) तथा धारा 32 के अंतर्गत जनपद के सभी शासकीय विभाग, जनपद स्थित केंद्र शासन के विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिक्रिया योजना सहित विभागीय व जनपद स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करना। अधिनियम अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी :–

- जनपद आपदा प्रबंधन योजना में प्रस्तावित आपदा निरोधी एवं शमन उपायों, क्षमतावृद्धि एवं पूर्व तैयारी कार्यों को विभागीय स्तर पर पूर्ण करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान तथा कार्ययोजना।
- विभाग के कार्यक्षेत्र से संबन्धित जिले में आकस्मिक स्थितियों का विवरण।
- आकस्मिक स्थिति प्रतिक्रिया योजना।
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग के पास उपलब्ध मानव संसाधन, उपकरण एवं अधोसंरचना का विवरण।
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग द्वारा गठित टीमों का विवरण एवं संपर्क नम्बर।
- आकस्मिक कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- विभाग के नियंत्रण की जानकारी रखना।
- अन्य विभागों/संस्थाओं आदि से आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु समन्वय कर योजना विकसित करना।

4.5 राज्य के नियंत्राधीन समस्त अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना– NDMA द्वारा जारी Guidelines on Management of Hospital Safety 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार जनपद प्रशासन के नियंत्रण मे कार्यरत समस्त चिकित्सालयों द्वारा अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त अस्पतालों में लागू करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना। मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने नियंत्रण मे कार्यरत समस्त चिकित्सायों के आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन रखने तथा योजना अनुसार पूर्व तैयारी, शमन एवं राहत बचाव से संबंधित कार्यवाहियां सुनिश्चित करने हेतु अवगत कराना।

4.6.सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण

आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का मतलब है, किसी संगठन, समुदाय, या समूह की क्षमताओं और कौशल को मजबूत करना. इसका मकसद, आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों को बेहतर बनाना होता है. क्षमता निर्माण, विकास की एक सतत प्रक्रिया है. क्षमता निर्माण के लिए, समुदाय की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करना जरूरी है।

आपदायें प्राकृतिक या मानवीय खतरों के कारण होती हैं चूकि हम कई प्राकृतिक खतरों को आने से नही रोक सकते हैं लेकिन जीवन और सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिये उचित प्रबन्धन द्वारा उनके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है जनपद मे निवारण एवं न्यनीकरण हेतु तैयारी की गयी है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपातकालीन प्रत्युत्तर और वांछित उददेश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग, समुदाय एवं अन्य हितधारकों की भूमिका एवं जबावदेयी कार्य को बेहतर करने के लिये पर्याप्त क्षमता निर्माण करना।

मुख्य कार्य

- स्वयंसेवको, पुलिस विभाग, होम गार्डस, युवक एवं महिला मंगल दलों एवं मुख्य विभागों से जुड़े कर्मचारियों इत्यादि के लिये प्रशिक्षण जरूरतों का विश्लेषण करना एवं समय–समय पर प्रशिक्षण देना।
- चिन्हित प्रशिक्षण जरूरतों के लिए योजना बनाना, संसाधन जुटाना एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करना।
- आपदा या किसी सन्निकट आपदा की परिस्थिति पर किसी भी विभाग की प्रत्युत्तर क्षमता की समीक्षा करना और उसके उन्नयन के लिए यथा आवश्यक निर्देश देना।
- मौसम के अनुकूल एवं हितधारकों की जरूरत के मुताविक पूर्वाभ्यास (मॉकड्रिल) प्रशिक्षण एवं जागरूकता निर्माण कार्य के लिए कैलेण्डर विकसित करना ।
- जिले के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं स्वंयसेवी बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना एवं समन्वयन करना ।
- स्थानीय निकायों और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदा की रोकथाम और उसके प्रभाव के शमन के लिए समुदाय में प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा बढ़ाना।

- ❖ आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के सहयोग से समुदाय के लिए जागरूकता अभ्यास एवं अभियान चलाना, संभावित आपदाओं की जानकारी देना ताकि आपदा की स्थिति में उनके द्वारा आपदा की क्षति तथा लोगों के कष्ट कम करने की कार्रवाई करने में समुदाय सक्षम हो सके।
- ❖ सुनिश्चित करना कि संचार प्रणाली दुरस्त रहे और आपदा प्रबंधन अभ्यास समय–समय पर किया जाता रहे।
- ❖ पड़ोसी जिले के अधिकारियों एवं यथोचित राष्ट्रीय–अंतराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क बनाना और नेटवर्क कायम करना ।
- ❖ पिछली आपदाओं में किये गये राहत एवं बचाव कार्यों का विश्लेषण कर पता लगाना कि क्या सही हुआ और कौन सा काम और अधिक बेहतर ढ़ंग से किया जा सकता था। इन सभी का वार्षिक रूप से हर आपदा के बाद दस्तावेजीकरण करना तथा इन चीजों को जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अद्यतन (Update) करने वक्त उपयोग में लाना।

4.7 समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य–

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देश देश में सभी स्कूलों पर लागू होते है चाहे वे सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त हों या निजी स्कूल हों, चाहे वे ग्रामीण इलाकों में हों या शहरी इलाकों में हों, यह दिशा–निर्देश सब पर लागू होते हैं। ये भारत में बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने में संलिप्त सभी हितधारकों पर लागू होते हैं। दिशा–निर्देश भारत में उस दूरदृष्टि का समर्थन करते हैं। जिसमें सभी बच्चे तथा उनके अध्यापक, और स्कूल समुदाय में शामिल अन्य हितधारक उन प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले जोखिमों जिन्हें रोका जा सके, से सुरक्षित रहें जो शिक्षा प्रदान किए जाने के दौरान उनके अस्तित्व पर खतरा बन रहे हैं। ये दिशा–निर्देश सक्रिय रूप से इस बात को बढ़ावा देते हैं कि किसी आपदा के घटने के तुरंत बाद भी शिक्षण गतिविधियां चलती रहें ताकि बच्चे/मानसिक तथा भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहें शिक्षा का अधिकारी भारत के संविधान में दिया गया एक मूलभूत अधिकारी हैं। शिक्षा के अधिकार के संबंध में देश में सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपना शिक्षा का अधिकार प्राप्त करते हुए सुरक्षित रहें। आपदा प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता का अपना एक महत्व है। आपदा राहत प्रबन्धन कार्य आपदा क्षति न्यून करने का अति महत्वपूर्ण अंग है। उसके लिए आपदा राहत खोज एवं बचाव कार्य जनसमुदाय का जागरूक और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी का होना अति आवश्यक है जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन के कार्य में तुरन्त व महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। जनपद स्तर पर विभिन्न विद्यालयों में प्रशिक्षण विद्यालयों के अध्यापकों व छात्र छात्राओं को आपदाओं के बारे में एवं इसके प्रकार आपदा के न्यूनीकरण के उपाय, भूकम्प, भूकम्प से बचाव, भूस्खलन, बाढ़, त्वरित बाढ़, आग एवं इनसे बचने के उपायों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है, साथ ही साथ प्राथमिक चिकित्सा, इम्प्रोवाईज स्ट्रेचर, हैन्ड सीट्स, फायरमैन लिफ्ट आदि का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(i) बच्चों की बेहतरी के लिए एक बड़े खतरे के रूप में आपदाएँ

'आपदाओं' को एक समुदाय या एक समाज की कार्यप्रणाली में गंभीर अबरोध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके कारण व्यापक मानवीय, माली, आर्थिक या पर्यावरण की हानियॉं होती हैं। जो प्रभावित समुदाय या समाज द्वारा अपने संसाधनों के उपयोग द्वारा आपदा से लड़ने की क्षमता से बाहर होती है। कई कारकों की वजह से जिनमें उम्र, शारीरिक क्षमता, लिंग, स्वास्थ्य स्थितियॉं तथा देखभाल करने वालों पर निर्भरता शामिल है, कई बच्चे किसी आपदा की स्थिति में अत्यधिक संवेदनशील/असुरक्षित होते हैं। ऐसी घटनाओं से बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि तथा विकास के साथ–साथ होती हेतु एक गंभीर बाधा उत्पत्वक्ति साथ उनके समग्र व्य हैं। डर, हिंसा, माता पिता तथा देखभाल करने–वालों से अलगाव कुछ मुख्य खतरे हैं जिनका सामना बच्चे करते हैं। इसके अलावा, उनके परिवारों की आजीविका को नुकसान होने से वे बेघर हो जाते हैं और अत्यधिक गरीबी में में जीते हैं। अन्य आधार ढ़ाचे के समान ही, स्कूल भी आपदा के खतरे से ग्रस्त हैं। आपदाओं ने न केवल सरकार तथा अन्य हितधारकों को शिक्षा प्रदान करने के काम में चुनौती दी हैं। बल्कि बच्चों की जिन्दगियों को तथा शिक्षा के काम में लगे अन्य लोगों की जिन्दगियों को भी खतरे में डाला हैं।

यह दर्शाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि स्कूल परिसरों और हितधारकों की मौजूदा क्षमताओं की गुणवत्ता का एक बच्चे की असुरक्षितता संवदेनशीलताओं पर असर पड़ता है। अनुबंध एक विश्व तथा राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ी आपदाओं में खोई हुई जिंदगियों की संख्या और स्कूल के परिसरों को होने वाले नुकसान की सीमा का ब्यौरा उपलब्ध कराता हैं।

इस तथ्य को देखते हुए की बच्चों द्वारा अपना अधिकांश समय स्कूल में बिताए जाने की उम्मीद होती है, सुरक्षित स्कूलों का बच्चों की सुरक्षा तथा उनके व्यक्तित्व के निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुत अधिक महत्व होता है। स्कूल बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थल बन सकते हैं जो उनकों धीरे–धीरे सामान्य होने में मदद करते हैं। सुरक्षित स्कूल के परिसरों के अन्दर, बच्चों के लिए, खासतौर पर किशोरियों तथा लड़कों के लिए सुरक्षित पानी तथा सफाई सुविधाओं के साथ अनिवार्य पूरक पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। इस प्रकार विश्व स्तर पर यह सहमति है कि किसी आपदा के घटने के बाद स्कूलों को जल्द से जल्द चालू कर देना चाहिए।

(ii) स्कूल सुरक्षा को समझना

'स्कूल सुरक्षा' को बच्चों के लिए अपने घरों से स्कूलों तथा घर वापसी तक बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भौगोलिक जलवायु मूल के बड़े पैमाने के प्राकृतिक खतरे मानव जनित खतरे, देशव्यापी बीमारी, हिंसा के साथ–साथ आने वाली तथा छोटे पैमाने की आगजनी, परिवहन तथा अन्य संबंधित आपात स्थितियॉं और पर्यावरिणक खतरे शामिल हैं, जो बच्चों के जीवन पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। यह अवधारणा पिछले कुछ दशकों में उभर कर आई है क्योंकि बच्चों के शारीरिक अस्तित्व पर खतरा को संसार तथा देश, देनों स्तर पर अधिक नजर आ रहा हैं।

(iii) राष्ट्रीय नीति प्रपत्र

भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों को शिक्षा मिलना देश में हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है।

(iv) राष्ट्रीय बाल नीति–

राष्ट्रीय बाल नीति देश में सभी बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती है। यह मान्यता देती है कि 18 साल की आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति एक बच्चे के समान है तथा उसका बचपन उसकी जिंदगी का एक अखण्ड हिस्सा है और हमारे बच्चों के संगत विकास तथा संरक्षण के लिए दीर्घावधिक, वहु–क्षेत्रीय, ठोस, एकीकृत तथा समावेशी दृष्टिकोण जरूरी है। इस नीति में बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण, विकास, संरक्षण (आपात स्थितियों/आपदाओं से संरक्षण शमिल हैं)तथा हर बच्चे के निर्विवाद अधिकारों के रूप में भागीदारी की पहचान की है और इनको प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में घोषित किया हैं।

NDMA द्वारा जारी School Safety Policy 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार समस्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त विद्यालयों में लागू करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर जन जागरूकता, प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल का आयोजन एवं अन्य संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य सुनिश्चित करना।

4.7.1–विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना–

योजना बनाने की तारीख –
विद्यालय का नाम –
पता –
विकास खण्ड –
तहसील –
जनपद –
नगर पालिका वार्ड संख्या-

1. **नक्शा स्कूल –**
   1.1 जोखिम एवं घातकता चित्रण
   1.2 संसाधन चित्रण एवं सुरक्षित मार्ग
   1.3 निष्कासन चित्रण

क्र. स.	विभागों के नाम	फोन न0
1	राज्य कन्ट्रोल रूम	
2	जनपद कन्ट्रोल रूम	
3	अग्निशमन	
4	पुलिस चौकी/थाना	
5	एम्बुलेंस	
6	कार्यालय जिलाधिकारी	
7	उप जिलाधिकारी कार्यालय	
8	नजदीकी चिकित्सालय	
9	मुख्य चिकित्सा केन्द्र	
10	विकास खण्ड अधिकारी	
11	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	
12	नागरिक सुरक्षा संगठन	

विद्यार्थियो की संख्या कक्षावार –

क्र.स.	कक्षा	बालक	बालिका	विकंलाग	संख्या
1	1-5				
2	6-12				
कुल					

एन. सी. सी छात्र:
स्काउट एंव गाइड:
एन.एस.एस. छात्र:

2. **विद्यालय का विवरण –**

कक्षो की कुल संख्या	पक्के कक्षों की संख्या	टिन की छत वाले कक्षों की संख्या	खपरैल/छप्पर की छत वाले कक्षों की संख्या

2.1 मुख्य सड़क से दूरी –
2.2 अग्निशमन केन्द्र से दूरी –
2.3 पुलिस चौकी/थाने से दूरी –
2.4 जिला मुख्यालय से दूरी –
2.5 निकटतम बाजार से दूरी –
2.6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी –
2.7 सीढ़ीयो की संख्या:
2.8 बाहर जाने के रास्तो की संख्या:

3. **संसाधन सूची –**

क्र.स.	मूलभूत संरचनाऍ	हॉ	नही	संख्या	दूरी
1	हैण्ड पम्प				
2	वाटर सप्लाई				
3	अग्नि शमन यन्त्र				
4	खेल का मैदान				
5	छत पर आने जाने के लिए पक्की सीढ़ीयॉ				
6	लकड़ी की सीढ़ीयॉ				
7	पानी के पाइप				
8	मोटी रस्सियॉ				

9	टेलीफोन				
10	फैक्स				
11	इन्टरनेट				
12	छायादार वृक्ष				
13	विद्यालय से बाहर निकलने हेतु गेट				
14	प्राथमिक चिकित्सा किट				
15	रेडियो सेट एंव टेलीविजन सैट				
16	जनरेटर				
17	पम्पसेट				
18	पैटोमैक्स				
19	गैस लाइट				
20	सौर उर्जा के उपकरण				
21	जीप/बस/अन्य वाहन				

4. **विद्यालय के आसपास सुरक्षित स्थान पर अस्थाई आश्रय के लिए स्थान –**
5. **विद्यालय के आसपास सामुदायिक संगठन –**
6. **वैकल्पिक सुरक्षित रास्ते –**
7. **खतरे के स्थान से दूरी –**

क्र.स.	खतरा	विद्यालय से दूरी	टिप्पणी
1	नदी		
2	तटबन्ध		
3	बॉध/पुल		
4	चट्टान		
5	बिजली के खम्बे / हाईटेंशन वायर		
6	पानी की टंकियो से		
7	बड़े पेड़ो से		
8	खड़ी चट्टानो से		
9	खतरनाक भवनों से		
10	राष्ट्रीय राजमार्गो से		

8 विद्यालय सुरक्षा योजना –

8.1 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति

क्र.स.	नाम	पता	दूरभाष संख्या
1			

8.2 विद्यालय की सीमा के अन्दर सुरक्षित स्थानो का चिन्हीकरण –

क्र.स.	स्थलों का नाम	कक्षा भवन से दूरी

8.3 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति के परामर्श से विद्यालय का जोखिम एवं घातकता विश्लेषण

क्र.स.	विद्यालय में अवस्थित सेवायें/संरचनाएं	आपदा (जिनसे सेवाएं/संरचनाएं प्रभावित हो सकती हैं)			
		भूकम्प (हां/नहीं)	भू–स्खलन (हां/नहीं)	बाढ़ (हां/नहीं)	अग्निकांड (हां/नहीं)
1	भवन अवसंरचना				
2	पेयजल				
3	विद्युत व्यवस्था				
4	दूरसंचार व्यवस्था				
5	सड़क/पहुँच मार्ग				
6	अन्य				

8.4 विभिन्न आपदा राहत दल

क– निष्कासन दल –

क्र.स.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र/छात्राओं के नाम
1			
2			

ख – प्राथमिक चिकित्सा दल –

1			
2			

ग – खोज व बचाव दल

क्र.स.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र/छात्राओं के नाम
1			
2			

ध – जागरूकता (Awareness) दल

क्र.स.	सदस्यों के नाम	पद	छात्राओं के नाम
1			
2			

(प्रधानाचार्य का नाम, सील व हस्ताक्षर)

भूकम्प एवं अन्य आपदा/दुर्घटना हेतु चेक लिस्ट

क्र.स.	सूची	हॉ/नही	टिप्पणी
1	क्या गलियारे और सीढ़ीयॉ आने–जाने में बाधा रहित हैं ?		
2	क्या स्कूल में आपातकालीन बिजली की व्यवस्था है ?		
3	क्या पंखे और बिजली के उपकरण पूर्ण रूप से दीवारों व छतों में लगे हैं ?		
4	क्या कहीं पे बिजली की तारें खुली तो नहीं हैं ?		
5	क्या सभी कक्षाओं के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं ?		
6	क्या खिड़की और बालकनी ढके हैं ?		
7	क्या विद्यालय में बाहर निकलने के न्यूनतम दो रास्ते हैं ?		
8	क्या विद्यालय से बाहर निकलने के सारे रास्ते बाधा रहित हैं ?		
9	क्या आग से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है ?		
10	क्या आग बुझाने वाला उपकरण (Fire Extinguisher) कार्य करने की स्थिति में है ?		
11	क्या आग बुझाने हेतु रेत की थैली पर्याप्त मात्रा में है ?		
12	क्या विद्यालय में जल भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है ?		
13	क्या विद्यालय में पानी के पाइप हैं ?		
14	क्या विद्यालय में पानी का पंप है ?		
15	क्या प्रत्येक मंजिल पर पानी व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ?		
16	क्या सीढ़ीयॉ हमेशा प्रयोग में लायी जाती हैं या कुछ मार्ग बंद किये हैं ?		
17	विद्यालय भवन की आयु ?		
18	क्या विद्यालय भवनों में दरारें हैं ?		
19	क्या दरारें मरम्मत योग्य हैं ?		
20	विद्यालय से बाहर सड़क पर यातायात की स्थिति क्या है ?		
21	क्या चेतावनी साईन बोर्ड लगे हैं ?		
22	क्या विद्यालय परिसर के अन्दर किसी भी प्राकर की हाई टेंशन लाईन/बिजली के पोल/पेड़/ट्रांसफार्मर लगे हैं ?		
23	क्या विद्यालय भवन से सटा हुआ या समीप कोई बहुमंजिली भवन है ?		

4.7.2 आपदा प्रभावित गांवों एवं शहरी वार्डों का आपदा प्रबंधन योजना– नगर पालिका परिषद् /नगर पंचायत एवं विकास विभाग क्रमशः समस्त आपदा प्रभावित गांवों तथा शहरी वार्डों का आपदा प्रबंधन योजना प्रारूप अनुसार तैयार करना।

अध्याय : 5
आपदा तैयारी विश्लेषण
(Preparedness Measures)

5.1 तैयारी उपायों का उद्देश्य

आपदा प्रबंधन में संचार प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भंडारण सुविधाएँ, परिवहन सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ, आपातकालीन भंडार (खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, पानी आदि), अग्निशमन केंद्र, शरण स्थल (बाढ़, चक्रवात आदि के लिए), गैर–सरकारी संगठन (NGOs) और स्वयंसेवकों की उपलब्धता, आपदा प्रतिक्रिया दल एवं योजनाओं की उपलब्धता जैसे संसाधनों का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। इन सभी कारकों को मजबूत करने से आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है।

सक्षम प्रशासनिक तंत्र द्वारा पूर्व चेतावनी जारी कर आपदा से होने वाले सम्भावित जन–धन की हानि को कम किये जाने में सहायक है। पूर्व चेतावनी का मुख्य उद्देश्य जन–जीवन, सम्पत्तियों एवं पर्यावरण की रक्षा करना तथा आपदा के पश्चात् सामुदाय के बुनियादी जरूरतों को सामान्य करना है। पूर्व चेतावनी की तैयारी का उद्देश्य उन प्रभावित लोगों के बचाव का है जिन्हें आपदा से प्रभावित होने की सम्भावना है।

<u>पूर्व–तैयारी के महत्वपूर्ण तत्व</u>

आपदा की स्थिति में राहत, बचाव एवं अन्य सम्बन्धित कार्य की प्रभावशीलता पूर्व में की गई समुचित तैयारी पर निर्भर करता है। इन तैयारियों में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण हैः–

- स्थानीय दलों का गठन एवं उनकी क्षमता वृद्धि ।
- जनपद के समस्त संबन्धित विभागों की विभागीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना।
- अनुभाग एवं जिला स्तर पर इंसिडेंट रिस्पौंस टीमों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण ।
- जनपद एवं तहसील स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्रों की स्थापना व संचालन।
- आपदा की स्थिति में अबाधित संचार व्यवस्था की पूर्व तैयारी ।
- आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक संसाधनों का चिंहांकन एवं उनकी तैयारी ।
- राहत स्थलों का चिंहांकन तथा उनकी तैयारी ।
- आपदा हेतु संवेदनशील वर्गों की पहचान एवं उनके संरक्षण की विशेष योजना।
- जनपद में संभावित खतरों के प्रतिक्रिया हेतु अवास्तविक अभ्यासों का आयोजन।

5.2 आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हितधारकों की पहचान

आपदा प्रतिक्रिया में हितधारकों (Stakeholders) की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है ताकि आपदा के समय त्वरित और समन्वित प्रयास किए जा सकें। उत्तरकाशी जिले में आपदा प्रबंधन के तहत निम्नलिखित प्रमुख हितधारकों की पहचान की जाती है:

1. प्रशासनिक हितधारक

- **जिला प्रशासन (District Administration)** – जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप–जिला मजिस्ट्रेट (SDM), तहसीलदार आदि।
- **पुलिस विभाग** – कानून व्यवस्था बनाए रखना, यातायात प्रबंधन और राहत कार्यों में सहयोग।

- **राजस्व विभाग** – नुकसान का आकलन, राहत और मुआवजा वितरण।
- **नगरपालिका/ग्राम पंचायत** – स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास कार्य।

2. आपातकालीन सेवाएँ

- **अग्निशमन विभाग (Fire Services)** – आगजनी, गैस रिसाव और अन्य आपातकालीन स्थितियों में सहायता।
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** – घायलों का उपचार, अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएँ, एम्बुलेंस सेवाएँ।
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)** – खोज एवं बचाव कार्य।
- **सेना, नौसेना एवं वायुसेना** – विशेष रूप से बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्यों में सहयोग।

3. गैर–सरकारी संगठन (NGOs) और स्वयंसेवी संस्थाएँ

- रेड क्रॉस, यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन जैसी संस्थाएँ।
- स्थानीय स्वयंसेवी संगठन और नागरिक समूह राहत और पुनर्वास में सहायता कर सकते हैं।
- NGO समन्वय केंद्र (NGO Coordination Cell) का गठन किया जाना चाहिए।

4. बुनियादी सेवाएँ और आपूर्ति श्रृंखला हितधारक

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) – खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति।
- जल निगम एवं विद्युत विभाग – पेयजल और बिजली आपूर्ति की बहाली।
- परिवहन विभाग – राहत सामग्री और लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करना।
- भंडारण और लॉजिस्टिक्स सेवाएँ – खाद्य सामग्री, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण।

5. सामुदायिक भागीदारी

- स्थानीय स्वयंसेवक (Volunteers) – युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, और छात्रों की भागीदारी।
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) – राहत कार्यों और खाद्य आपूर्ति में सहायता।
- धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन – राहत कार्यों में सहायता और आश्रय व्यवस्था।

6. विशेष समूहों के लिए सहायता

- विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता संगठन – सहायक उपकरण और विशेष सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- बाल संरक्षण संगठन –अनाथ और प्रभावित बच्चों के लिए सहायता।

5.3 विकलांग व्यक्तियों की निकासी (Evacuation) और प्रतिक्रिया (Response)

आपदा के समय विकलांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities & PwDs) की निकासी और सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। उत्तरकाशी जिले में भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए, विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

1 विकलांग व्यक्तियों की पहचान और डेटा संग्रह

- प्रत्येक गाँव/शहर में विकलांग व्यक्तियों का डेटाबेस तैयार करना।
- उनके स्वास्थ्य स्थिति, विशेष आवश्यकताओं, सहायक उपकरणों की उपलब्धता को सूचीबद्ध करना।
- यह डेटा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला प्रशासन के साथ साझा किया जाए।

2 चेतावनी प्रणाली (Warning System) का विशेष प्रावधान

- श्रवण बाधित (Hearing Impaired) व्यक्तियों के लिए दृश्य चेतावनी (साइरन, एलईडी संकेतक, टेक्स्ट मैसेज, फ्लैश लाइट इत्यादि)।
- दृष्टिहीन (Visually Impaired) व्यक्तियों के लिए ऑडियो अलर्ट सिस्टम।
- चलने–फिरने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए विशेष सहायता दल।

3 विकलांग व्यक्तियों की प्राथमिक निकासी (Priority&Based Evacuation)

- पहले उन विकलांग व्यक्तियों को निकाला जाए जो गंभीर रूप से अशक्त हैं या जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत है।
- निकासी मार्गों को पहले से चिह्नित और सुगम बनाया जाए।
- निकासी केंद्रों (Evacuation Centers) को विकलांग अनुकूल (Barrier&Free) बनाया जाए।

4 सुरक्षित पुनर्वास केंद्रों का प्रबंधन

- अस्थायी पुनर्वास केंद्र विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाए जाएँ।
- सुरक्षित पेयजल, शौचालय, रैंप और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

5 पुनर्वास सहायता और पुनर्निर्माण में समावेशिता

- विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसरों पर ध्यान देना।
- नए भवनों और सार्वजनिक स्थलों को "सुगम्यता मानकों" (Accessibility Standards) के अनुसार बनाया जाए।

6 सरकारी योजनाएँ और सहयोग

- राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) के माध्यम से वित्तीय सहायता।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत विकलांग अनुकूल घरों का निर्माण।
- मुख्यमंत्री राहत कोष और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत विशेष सहायता।
- स्वास्थ्य और पुनर्वास केंद्रों में निःशुल्क चिकित्सा और उपकरण प्रदान करना।
- तकनीकी समाधानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

7 आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System)

- मोबाइल ऐप और SMS अलर्ट जो विकलांग अनुकूल हों।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रेडियो प्रसारण और टेलीविजन पर विजुअल अलर्ट।
- स्मार्ट होम डिवाइसेज (Smart Home Devices) जो चेतावनी संकेतों को अनुकूलित करें।

8 विशेष वाहन और परिवहन व्यवस्था

- व्हीलचेयर–अनुकूल वाहन (Accessible Transport Vehicles)।
- विशेष रूप से डिजाइन किए गए आपातकालीन वाहन जिनमें रैंप और लिफ्ट की सुविधा हो।
- सरकारी बसों और ट्रेनों में विकलांगों के लिए सुरक्षित और सुगम स्थान सुनिश्चित करना।

5.4 विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन

आपदा प्रबंधन के तहत उत्तरकाशी जिले में प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया जाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक चेतावनी (Early Warning), खोज एवं बचाव (Search & Rescue), निकासी (Evacuation) और नुकसान मूल्यांकन (Damage & Loss Assessment) जैसी गतिविधियों के लिए विशेष टीमों की स्थापना की जानी चाहिए।

Table 5.1 Formation of teams for effective and rapid response, Disstt - Almora

टीम का नाम	मुख्य कार्य	उत्तरदायी विभाग
प्रारंभिक चेतावनी (Early Warning) टीम	➢ मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय। ➢ भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसी घटनाओं की निगरानी। ➢ साइरन, रेडियो, SMS, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को सचेत करना। ➢ स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत को जानकारी देना।	➢ मौसम विभाग (IMD) और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)। ➢ जिला प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग। ➢ स्थानीय पंचायत सदस्य और सामुदायिक स्वयंसेवक। ➢ मीडिया और संचार एजेंसियों के प्रतिनिधि।
खोज और बचाव (Search & Rescue Team) टीम	➢ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों की खोज और बचाव। ➢ रस्सी, नाव, ड्रोन और अन्य उपकरणों का उपयोग करना। ➢ SDRF, NDRF, सेना और पुलिस के साथ समन्वय। ➢ घायलों को प्राथमिक उपचार और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।	➢ NDRF और SDRF के सदस्य। ➢ पुलिस, होम गार्ड और अग्निशमन विभाग। ➢ स्थानीय स्वयंसेवक और प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन कार्यकर्ता। ➢ रेड क्रॉस और अन्य छळ८ के स्वयंसेवक।
निकासी (Evacuation) टीम	➢ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों की सुरक्षित निकासी। ➢ विकलांग, बच्चे और बुजुर्गों को प्राथमिकता देना। ➢ निकासी केंद्रों की स्थापना और सुविधाएं उपलब्ध कराना। ➢ परिवहन व्यवस्था (बस, ट्रक, हेलिकॉप्टर) की देखरेख।	➢ पुलिस और जिला प्रशासन। ➢ ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और स्वयंसेवक। ➢ नगर निगम, ट्रांसपोर्ट विभाग और रेलवे अधिकारी। ➢ गैर सरकारी संगठन (NGO)।
क्षति और हानि मूल्यांकन (Damage & Loss Assessment) टीम	➢ आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण। ➢ जनहानि, संपत्ति और कृषि को हुए नुकसान का आकलन। ➢ मुआवजा और पुनर्वास योजना के लिए रिपोर्ट तैयार करना। ➢ पुनर्निर्माण और मरम्मत की योजना बनाना।	➢ राजस्व विभाग और जिला प्रशासन। ➢ PWD (लोक निर्माण विभाग) और सिंचाई विभाग के इंजीनियर। ➢ कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारी। ➢ स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर पालिका) के प्रतिनिधि। ➢ NGO और सामाजिक कार्यकर्ता।

5.5 जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना

जिले में आपदा प्रबंधन को प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS & Incident Response System) को सक्रिय किया जाता है। यह प्रणाली तेजी से निर्णय लेने, संसाधनों के प्रबंधन और समन्वित कार्रवाई में मदद करती है।

IRS सक्रिय करने की प्रक्रिया:

1. **घटना प्रतिक्रिया टीम (IRT) का गठन:**
    - जिला, उप–मंडल, तहसील और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मियों की IRT गठित की जाती है।
    - हर टीम में इंसीडेंट कमांडर (IC), ऑपरेशन, प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्शन होते हैं।
2. **इंसीडेंट कमांडर (IC) की नियुक्ति:**
    - आपदा के प्रकार और स्तर के आधार पर संबंधित अधिकारी को इंसीडेंट कमांडर (IC) नियुक्त किया जाता है।
    - IC विभिन्न एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
3. **आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) का सक्रियण:**
    - जिले का आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) IRS टीम को निर्देशित करता है।
    - EOC से संचार प्रणाली, राहत कार्य और संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है।
4. **IRS के तहत विभिन्न टीमें सक्रिय करना:**
    - खोज और बचाव (Search & Rescue) टीम
    - निकासी (Evacuation) टीम
    - चिकित्सा और राहत (Medical & Relief) टीम
    - संपत्ति और क्षति मूल्यांकन (Damage & Loss Assessment) टीम
    - लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला (Logistics & Supply Chain) टीम
5. **अन्य ऐजेन्सियों से सहायता और समन्वय:**
    - आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, NDRF, SDRF, सेना, वायुसेना, NGO आदि से सहायता प्राप्त करना।
    - संसाधनों (भोजन, पानी, दवाइयां, वाहन आदि) की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5.6 अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

आपदा प्रबंधन के दौरान बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों से सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया और प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं प्रोटोकॉल:

1. **आवश्यकता का आकलन:**
    - जिला प्रशासन द्वारा आपदा की तीव्रता और आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है।
    - खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता, बचाव उपकरण, परिवहन, संचार व्यवस्था आदि की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध किया जाता है।
2. **संबंधित एजेंसियों से संपक:**
    - भारत सरकार और राज्य सरकार से वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता की मांग।
    - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) से परिवहन, ऊर्जा आपूर्ति और संचार सहायता प्राप्त करना।
    - अन्य राज्यों की सरकारों से राहत और बचाव में सहयोग की अपील।
3. **विशेष बचाव दल की सहायता:**
    - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) से प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करने का अनुरोध।
    - भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से विशेष परिस्थितियों (बाढ़, भूकंप, भूस्खलन) में एवाक्यूएशन (निकासी), हेलीकॉप्टर सहायता और चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना।
    - केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CRPF, BSF, ITBP, CISF आदि) से राहत एवं बचाव कार्यों में सहायता लेना।

4. **गैर–सरकारी संगठनों (NGO) और स्वयंसेवी समूहों की भागीदारी:**
   - रेड क्रॉस, कारितास इंडिया, सेव द चिल्ड्रन, ऑक्सफैम जैसी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय NGOs से राहत सामग्री, खाद्य आपूर्ति, टेंट और दवाइयों की व्यवस्था करना।
   - स्थानीय स्वयंसेवी समूहों और धर्मार्थ संगठनों को राहत कार्यों में शामिल करना।
5. **संपर्क और समन्वय:**
   - आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) से सभी एजेंसियों के साथ रियल–टाइम कम्युनिकेशन बनाए रखना।
   - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वायरलेस नेटवर्क और सैटेलाइट संचार के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।
   - सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

5.7 लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडार की जांच और प्रमाणन

आपदा प्रबंधन के दौरान संसाधनों की उपलब्धता और उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडारण व्यवस्था की समय–समय पर जांच और प्रमाणन किया जाता है।

मुख्य प्रक्रियाएँ

1. **आपदा से पूर्व संसाधनों की जांच और सत्यापन:**
   - आपदा से पहले सभी उपकरणों, आपूर्ति भंडार और अन्य आवश्यक संसाधनों का निरीक्षण किया जाता है।
   - खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, पेयजल, ईंधन, जनरेटर, टेंट, कंबल, रस्सियां और प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता की जांच की जाती है।
   - परिवहन और संचार सुविधाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।
2. **उपकरणों और संसाधनों का परीक्षण एवं प्रमाणन:**
   - खोज और बचाव (Search & Rescue) उपकरणों जैसे कि हाइड्रोलिक कटर, ड्रोन, इंफ्रारेड कैमरा, नाव और जीवन रक्षक जैकेट की कार्यक्षमता का परीक्षण।
   - संचार प्रणालियों (वायरलेस सेट, सैटेलाइट फोन, साइरन सिस्टम) की जांच और सत्यापन।
   - चिकित्सा उपकरणों (एंबुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, प्राथमिक उपचार किट) का परीक्षण।
   - विद्युत आपूर्ति (जनरेटर, बैकअप पावर सिस्टम) की उपलब्धता और संचालन क्षमता की समीक्षा।
3. **भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला की जाँच:**
   - राहत सामग्री के गोदामों का भौतिक निरीक्षण।
   - खाद्य सामग्री, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की जांच।
   - लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए परिवहन वाहनों (ट्रक, हेलीकॉप्टर, नाव) की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता की जांच।
4. **सामग्री वितरण प्रणाली की प्रकिया:**
   - आपातकालीन स्थिति में आपूर्ति वितरण की प्रक्रिया का परीक्षण।
   - राहत शिविरों, अस्पतालों और प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करना।
   - एनजीओ, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय निकायों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स को प्रभावी बनाना।
5. **नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण:**
   - प्रशासनिक अधिकारियों, बचाव दल और स्वयंसेवकों को उपकरणों के उपयोग और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन का प्रशिक्षण।
   - वार्षिक/अर्ध–वार्षिक ड्रिल और मॉक ड्रिल के माध्यम से वास्तविक स्थिति के लिए तैयार रहना।

5.8 चेतावनी प्रणाली का परीक्षण

आपदा प्रबंधन में समय पर और सटीक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) का कार्यशील होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए समय–समय पर सभी संचार और चेतावनी प्रणालियों का संचालन परीक्षण (Operational Testing) किया जाता है।

चेतावनी प्रणाली के परीक्षण की प्रक्रिया:

1. संचार एवं चेतावनी प्रणालियों का मूल्यांकन:

- आपातकालीन सायरन, वायरलेस संचार, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट फोन और मोबाइल अलर्ट सिस्टम की कार्यक्षमता की जांच।
- मौसम विभाग (IMD), भूकंप चेतावनी प्रणाली, बाढ़ निगरानी केंद्र, भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली आदि से जुड़े संचार तंत्र की समीक्षा।

2. समय–समय पर चेतावनी प्रणालियों का संचालन परीक्षण:

- आपदा संभावित क्षेत्रों में मॉक ड्रिल और सायरन टेस्टिंग करना।
- समुदाय को सचेत करने और अंतिम छोर तक चेतावनी पहुंचाने की क्षमता का परीक्षण।
- आपातकालीन संदेशों, SMS अलर्ट, रेडियो प्रसारण, टेलीविजन स्क्रोलिंग) का ट्रायल रन।

3. समुदाय आधारित चेतावनी तंत्र:

- स्थानीय प्रशासन, पंचायत, एनजीओ और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से समुदाय को चेतावनी प्रणाली से जोड़ना।
- ग्राम स्तर और वार्ड स्तर पर चेतावनी संचार टीम का गठन एवं प्रशिक्षण।

4. प्रणालीगत सुधार एवं समीक्षा:

- परीक्षण के बाद मिली कमियों और त्रुटियों की पहचान कर आवश्यक सुधार लागू करना।
- तकनीकी अद्यतन और नई तकनीकों का समावेश करना (जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मौसम पूर्वानुमान)।
- चेतावनी संचार के लिए बहुस्तरीय (Multi & layered) प्रणाली विकसित करना, जिससे सूचना अधिक प्रभावी और तीव्र गति से फैलाई जा सके।

5.9 जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) का परीक्षण

जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र (District Emergency Operations Centre & EOC) किसी भी आपदा प्रबंधन प्रणाली का मस्तिष्क (Brain Center) होता है। यह आपदा के दौरान संचार, समन्वय और निर्णय लेने की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसलिए, इसका नियमित संचालन परीक्षण (Operational Testing) करना अत्यंत आवश्यक है।

EOC के परीक्षण की प्रक्रिया:

1. संचालन क्षमता का मूल्यांकन:

- EOC की कार्यक्षमता का परीक्षण, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी तकनीकी उपकरण, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा सर्वर और पावर बैकअप सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।
- EOC की भौतिक संरचना (भवन, संचार कक्ष, आपातकालीन मीटिंग हॉल) का निरीक्षण।

2. संचार प्रणाली की जांच:

- आपातकालीन संचार नेटवर्क (Wireless, Satellite Phone, Radio, Internet, Mobile Networks) की क्षमता का परीक्षण।
- ईमेल अलर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से सूचना प्रसारण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
- मौसम विभाग, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF/SDRF) और अन्य संबंधित एजेंसियों से रियल–टाइम संपर्क का परीक्षण।

3. निर्णय लेने की क्षमता का आकलन:

- आपदा के दौरान त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया का मॉक ड्रिल द्वारा परीक्षण।
- फील्ड टीमों को निर्देश देने और जमीनी स्तर पर सूचना संकलन करने की क्षमता की समीक्षा।
- डिजिटल मैपिंग और GIS सिस्टम के उपयोग की प्रभावशीलता को परखना।

4. समन्वय और सूचना प्रवाह का परीक्षण:

- EOC और जिला प्रशासन के बीच समन्वय की समीक्षा।

- सभी हितधारकों (सरकारी विभाग, NGOs, स्वयंसेवी समूहों, मीडिया, स्वास्थ्य सेवाओं) के साथ समन्वय का परीक्षण।
- मल्टी–एजेंसी रिस्पॉन्स (Multi&Agency Response) की दक्षता का आकलन।

5. तकनीकी अद्यतन और सुधार:

- परीक्षण के बाद यदि किसी संचार प्रणाली या निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमियां पाई जाती हैं, तो उन्हें सुधारने की योजना तैयार करना।
- तकनीकी उपकरणों का अद्यतन (Upgradation) और कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- आपदा प्रबंधन योजनाओं (DMPs) को अद्यतन कर नए सीख लिए गए सुधारों को शामिल करना।

5.10 मौसमी आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण

मौसमी आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, तटीय कटाव, जंगल की आग और बिजली गिरने से पूर्व सुरक्षा संरचनाओं और आवश्यक सुविधाओं का पूर्व निरीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

1. **संरचनात्मकता की जाँच –** भवनों, पुलों, सड़कों, जल आपूर्ति प्रणालियों और अन्य बुनियादी ढांचे की जाँच करना।
2. **जल निकासी व्यवस्था** – वर्षा ऋतु से पहले जल निकासी प्रणाली की सफाई और मरम्मत सुनिश्चित करना।
3. **विद्युत एवं यांत्रिक प्रणालियाँ दृ** विद्युत ट्रांसफार्मर, जनरेटर, पाइपलाइनों और मशीनरी की स्थिति का निरीक्षण करना।
4. **सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन दृ** आग बुझाने के उपकरण, आपातकालीन निकासी मार्ग और अन्य सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा करना।

5.11 जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान

आपदा प्रबंधन में कमांड और समन्वय की प्रभावी व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से उत्तरकाशी जैसे आपदा–प्रभावित क्षेत्र में, जहाँ भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। इस संदर्भ में, त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्विक रिस्पांस टीम – QRT) की पहचान और तैनाती सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है।

त्वरित प्रतिक्रिया दलों की भूमिका – त्वरित प्रतिक्रिया दल आपदा के समय तुरंत सक्रिय होकर राहत और बचाव कार्यों का संचालन करते हैं। इन दलों की प्रमुख भूमिकाएँ इस प्रकार है–

1. **आपदा स्थल पर त्वरित पहुँच –** प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द पहुँचना और स्थिति का मूल्यांकन करना।
2. **बचाव और राहत कार्य –** प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित निकालना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना और आवश्यक आपूर्ति वितरित करना।
3. **संवाद और समन्वय –** प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF), और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
4. **संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी –** संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाना और आपदा पूर्व तैयारियों को लागू करना।
5. **संचार और सूचना प्रबंधन –** राहत एवं बचाव कार्यों की रिपोर्टिंग, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी एकत्र करना और आवश्यक संसाधन जुटाना।

अल्मोड़ा में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान –अल्मोंड़ा में आपदा प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तरों पर त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन किया जाता है, जिनमें शामिल है–

1. **राज्य और जिला स्तरीय एजेंसियाँ:**
   - राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)
   - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)
   - उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA)
   - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), अल्मोड़ा
2. **स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल:**
   - जिला प्रशासन द्वारा गठित आपदा प्रतिक्रिया इकाइयाँ
   - पुलिस और होमगार्ड
   - अग्निशमन विभाग
3. **स्वास्थ्य और चिकित्सा दल:**
   - एंबुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा इकाइयाँ
   - चिकित्सकीय आपातकालीन दल
   - स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस टीम
4. **ग्राम स्तरीय त्वरित प्रतिक्रिया दल:**
   - स्थानीय स्वयंसेवी संगठन (NGOs)
   - आपदा मित्र योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित नागरिक
   - ग्राम प्रहरी और पंचायत स्तर की आपदा प्रबंधन समितियाँ
5. **अन्य सहायता समूह:**
   - नागरिक सुरक्षा दल
   - राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग करने वाले स्वयंसेवक समूह

कमांड और समन्वय तंत्र–आपदा के दौरान अल्मोड़ा में कमांड और समन्वय के लिए निम्नलिखित संरचना लागू की जाती है:

जिला नियंत्रण कक्ष (Emergency Operation Center & EOC):

- यह 24x7 कार्यरत रहता है और आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं का समन्वय करता है।

संयुक्त कमान केंद्र (Unified Command Center):

- इसमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण विभाग शामिल होते हैं।

फील्ड–लेवल कमांड पोस्ट:

- प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए गए त्वरित प्रतिक्रिया दलों के लिए अस्थायी कमांड केंद्र स्थापित किए जाते हैं।

5.12 गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों का समन्वय

आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये संगठन राहत, पुनर्वास, जागरूकता और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं में प्रशासन का सहयोग करते हैं। इनकी क्षमताओं की पहचान, जिम्मेदारियों का आवंटन और प्रभावी समन्वय आपदा प्रबंधन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाता है।

1. NGOs और अन्य हितधारकों की प्रमुख भूमिकाएँ एवं क्षमताएँ

(क) NGOs की क्षमताएँ और योगदान – गैर–सरकारी संगठन अपने विशेषज्ञता और संसाधनों के आधार पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में सहायता करते हैं।

NGO Type and Work Area

NGO का प्रकार	मुख्य क्षमतायें
राहत एवं पुनर्वास संगठन	भोजन, पानी, आश्रय और दवाइयों की आपूर्ति
स्वास्थ्य और चिकित्सा संगठन	प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा शिविर, मानसिक स्वास्थ्य सहायता
शिक्षा एवं बाल कल्याण संगठन	अनाथ बच्चों की देखभाल, शिक्षा केंद्रों की स्थापना
प्रशिक्षण एवं जागरूकता संगठन	आपदा पूर्व तैयारी, समुदायों को प्रशिक्षण देना
पर्यावरण एवं पुनर्निर्माण संगठन	पर्यावरण संरक्षण, पुनर्निर्माण, जल संरक्षण

(ख) अन्य हितधारकों की भूमिका – आपदा प्रबंधन में कई अन्य एजेंसियाँ और समूह भी शामिल होते हैं:

OtherStake Holders and Role

हितधारक	मुख्य जिम्मेंदारियां
सरकारी एजेंसियाँ (DDMA, NDRF, SDRF)	समन्वय, राहत और बचाव कार्य
स्थानीय प्रशासन (नगर निगम, ग्राम पंचायतें)	आपदा प्रबंधन योजना को लागू करना
स्वयंसेवक समूह और नागरिक सुरक्षा संगठन	खोज और बचाव कार्य, प्राथमिक सहायता
धार्मिक और सामाजिक संगठन	राहत सामग्री वितरण, आश्रय व्यवस्था
कॉर्पोरेट सेक्टर (CSR कार्यक्रमों के माध्यम से)	वित्तीय सहायता, संसाधनों की आपूर्ति

5.13 जन हानि प्रबंधन (Mass Casualty Management)

आपदा की स्थिति में जिले के चिन्हित क्षेत्रीय अस्पतालों, निजी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को सक्रिय कर दिया जाएगा।

उपलब्ध तैयारियां:

- **नोडल अधिकारी:** जिले के CMO और MS होंगे, जिनका सहयोग 108 सेवा, रेड क्रॉस, पुलिस, होम गार्ड्स और अन्य एजेंसियां करेंगी।
- **चिकित्सा सुविधाएं:** जिले के क्षेत्रीय अस्पतालों के साथ–साथ अन्य निजी अस्पताल, CHC और PHC को आपदा के दौरान चालू किया जाएगा।
- **मानव संसाधन:** जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मियों में जनरल सर्जन, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नर्स, आशा कार्यकर्ता, ANM, मेडिकल संस्थानों के वरिष्ठ छात्र, पशु चिकित्सक, कान–नाक–गला (ENT) विशेषज्ञ और बिस्तर क्षमता शामिल हैं।
- **रक्त आपूर्ति:** क्षेत्रीय अस्पतालों को ब्लड बैंकों और रक्तदाताओं की सूची द्वारा समर्थन दिया जाएगा।
- **उपकरण उपलब्धता:** चिकित्सा विभागों या अन्य एजेंसियों के पास स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, एक्स–रे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और अन्य आपातकालीन उपकरण उपलब्ध हैं।

5.14 राहत, भोजन और पानी

नोडल अधिकारी जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग होगा, जिसे राजस्व, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का समर्थन प्राप्त होगा।

5.15 आश्रय/चिकित्सा/राहत शिविर

नोडल अधिकारी: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) होगा, जिसमें राजस्व, क्त्व। (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी), शिक्षा विभाग जैसे प्रमुख हितधारक शामिल होंगे।

संभावित स्थान: राहत शिविरों की स्थापना के लिए निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित किया गया है:

- विद्यालय
- सामुदायिक आश्रय स्थल
- पार्किंग क्षेत्र
- खुले मैदान

5.16 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System & EWS)

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया का मुख्य आधार है। इसका उद्देश्य आवश्यक सावधानियां और कार्रवाई करके जोखिम को कम करना है। चेतावनी जितनी जल्दी मिलेगी, नुकसान उतना ही कम होगा।

प्रभावी और समयबद्ध प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए इसे उन उपकरणों से जोड़ा जाना आवश्यक है जो समय रहते सटीक जानकारी प्रदान कर सकें।

EWS के चार प्रमुख तत्व:

1. जोखिम का ज्ञान (आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान और उनका विश्लेषण)।
2. तकनीकी निगरानी और चेतावनी सेवा (आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग)।
3. अर्थपूर्ण चेतावनियों का प्रसार (रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, लाउडस्पीकर, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से सूचना का प्रचार)।
4. जन जागरूकता और आपदा से निपटने के लिए तैयारी (समुदाय को प्रशिक्षित करना और मॉक ड्रिल आयोजित करना)।

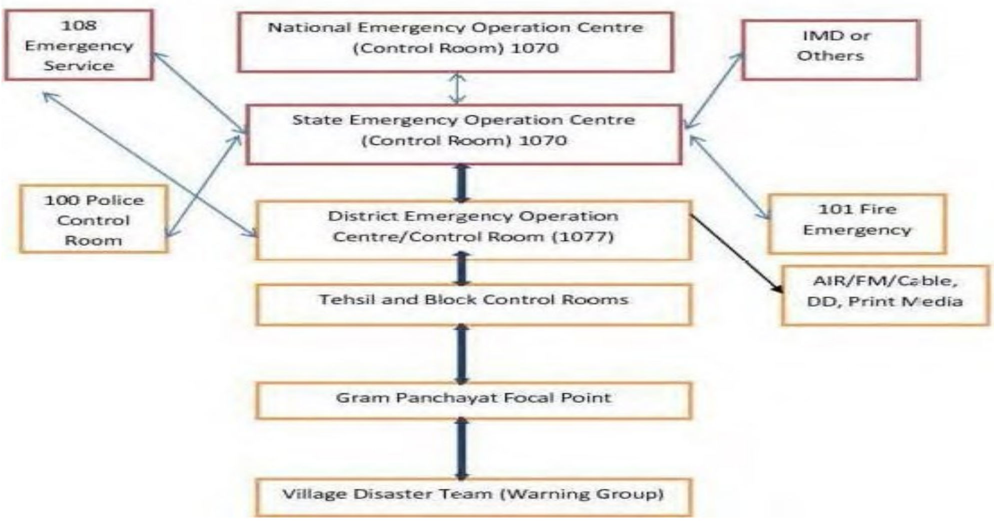

Figure : Early warning and disswmination

5.17 विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी

- विकलांग व्यक्तियों को अक्सर आपदा के दौरान नजर अंदाज कर दिया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित लोगों द्वारा सामना की जाने वाली संभावित समस्याओं और उठाए जाने वाले संभावित उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है, ताकि प्रतिक्रिया और निकासी के दौरान उपयुक्त तैयारी की जा सकेरू
- विकलांग व्यक्तियों के सहयोगी स्टाफ को आपदा के दौरान प्रतिक्रिया और निकासी से संबंधित प्रशिक्षण देना।
- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सीटी (whistle) प्रदान करना, ताकि वे आपातकालीन स्थिति में संकेत दे सकें।
- सभी सरकारी भवनों में निकासी मार्गों के स्पष्ट चिह्न (मार्किंग) करना।
- चलने–फिरने में अक्षम व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों (जैसे व्हीलचेयर, बैसाखी आदि) की खरीद।
- चित्र कार्डों (Picture Cards) का उपयोग करके भोजन, पानी, शौचालय, दवाओं आदि की जरूरतों को संप्रेषित करने की व्यवस्था।
- बौद्धिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों से निपटने के लिए खोज और बचाव SAR टीमों का विशेष प्रशिक्षण।
- सार्वभौमिक डिजाइन (Universal Design) का उपयोग करके आश्रयों की तैयारी, जैसे हैंडरेल, रैंप आदि की स्थापना।
- शिविर स्थलों की बाड़बंदी करना या असुरक्षित क्षेत्रों को घेरना।
- शरण प्रबंधन Shelter Management से जुड़े कर्मचारियों और स्वयंसेवकों में जागरूकता बढ़ाना।
- महिला स्वयंसेवकों और टास्क फोर्स सदस्यों को प्रशिक्षित करना, ताकि वे विकलांग महिलाओं की सहायता कर सकें।
- विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा की निगरानी करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करना।

5.18 आईआरएस (IRS) को सक्रिय करना

- आईआरएस संगठन (Incident Response System & IRS) क्षेत्र में घटना प्रतिक्रिया टीमों (IRTs) के माध्यम से कार्य करता है। हमारी प्रशासनिक संरचना और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुरूप, उत्तरदायी अधिकारी (RO) को राज्य और जिला स्तर पर घटना प्रतिक्रिया प्रबंधन (Incident Response Management) का समग्र प्रभार सौंपा गया है।
- हालांकि, RO अपने कर्तव्यों को घटना कमांडर (IC) को सौंप सकता है, जो आगे IRTs के माध्यम से घटना का प्रबंधन करेगा।
- IRTs को पहले से ही राज्य, जिला, उप–विभाग और तहसील ब्लॉक स्तर पर नामित किया जाएगा।
- प्रारंभिक चेतावनी मिलने पर RO तुरंत IRTs को सक्रिय करेगा।

- यदि बिना किसी पूर्व चेतावनी के आपदा आ जाती है, तो स्थानीय IRT तत्काल प्रतिक्रिया देगा और आवश्यकतानुसार RO से आगे की सहायता के लिए संपर्क करेगा।

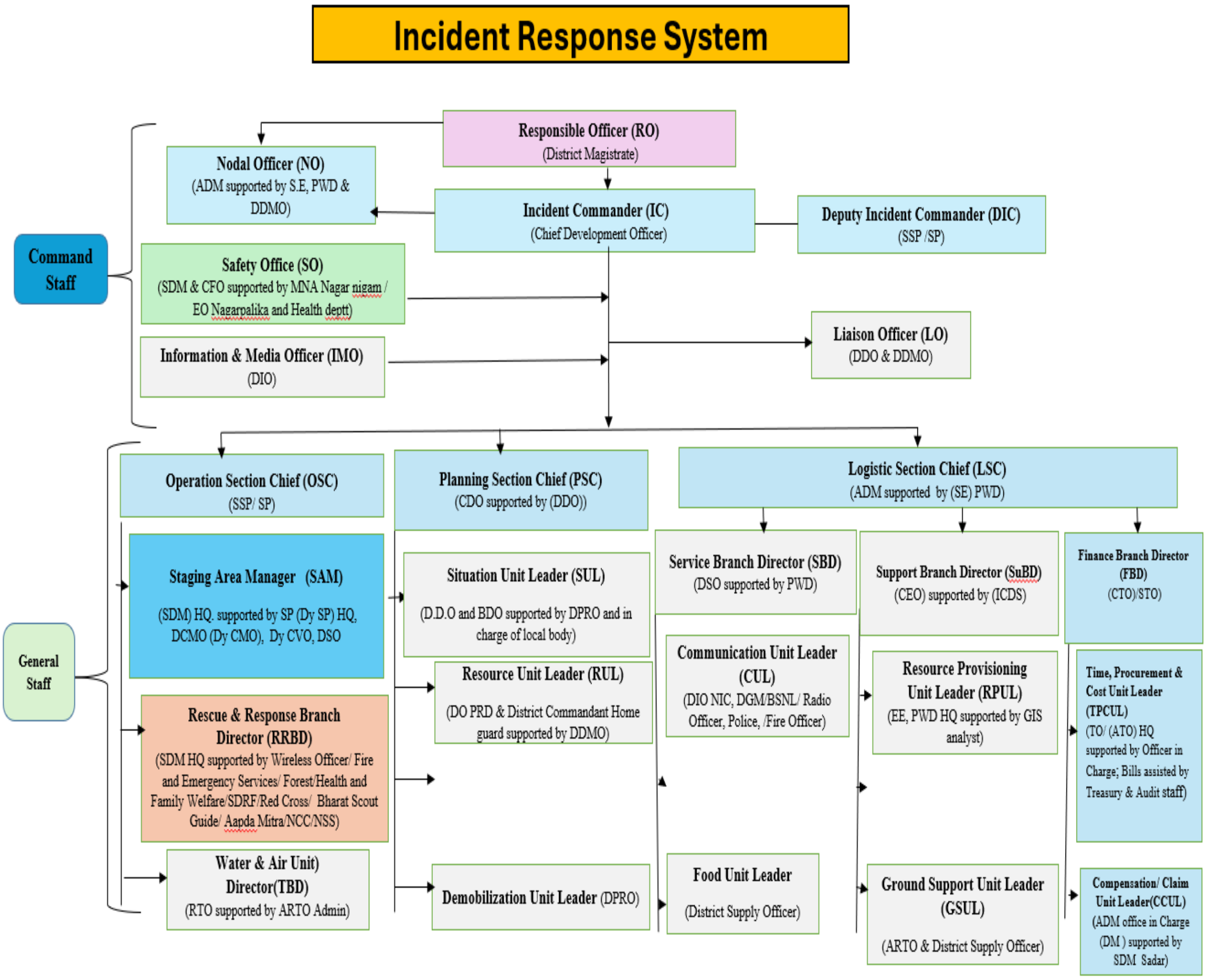

5.19 अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया:

- सशस्त्र बल नागरिक प्रशासन की सहायता के अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को गंभीरता से लेते हैं और "सेवा परमो धर्म" के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं।
- आपदा के दौरान, रक्षा सेवाएं केंद्र सरकार के अनुमोदन और आदेश के बाद सहायता प्रदान करती हैं। यदि आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है और सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना संभव नहीं होता, तो स्थानीय सैन्य अधिकारी सहायता प्रदान कर सकते हैं, और इसकी रिपोर्ट संबंधित सेवा मुख्यालय को देनी होती है।

2. सहायता माँगने की प्रक्रिया:

- यदि कोई राज्य अपने संसाधनों से आपदा से निपटने में असमर्थ होता है, तो वह भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध कर सकता है।
- राज्य के मुख्य सचिव आपातकालीन सहायता के लिए सीधे अनुरोध कर सकते हैं, जैसे कि हवाई सर्वेक्षण के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता।

3. सशस्त्र बलों से अपेक्षित सहायता:

- राहत कार्यों के लिए संचार प्रणाली और तकनीकी जनशक्ति प्रदान करना।
- खोज, बचाव और राहत कार्यों में सहायता।
- चिकित्सा सहायता प्रदान करना और घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना।
- राहत सामग्री के परिवहन हेतु लॉजिस्टिक्स समर्थन।
- राहत शिविर स्थापित करना और संचालित करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और पुलों की मरम्मत करना।
- लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सहायता करना।
- सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहायता के समन्वय में सहयोग करना।

4. आपदा राहत संचालन:

- स्थानीय कमांडर आपदा राहत कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना उच्च मुख्यालय को देना आवश्यक है।
- सहायता प्रदान करने के बाद, जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आती है, सेना की सेवाओं को शीघ्र वापस ले लिया जाना चाहिए।
- प्रभावी संचार प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5. सेना, वायुसेना और नौसेना की सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- स्थानीय प्रशासन को पहले अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना चाहिए, उसके बाद ही सेना से सहायता माँगनी चाहिए।
- जिला कलेक्टर राज्य सरकार को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकताओं से अवगत कराएगा।
- यदि राज्य प्रशासन स्थिति को संभालने में असमर्थ होता है, तो मुख्य सचिव रक्षा मंत्रालय से सहायता की माँग करेगा।

District Disaster Management Authority, Almora

District Disaster Management Authority, Almora, Uttarakhand-263601		Phone: + 91 - 05962-237874,237875, 1077 (Toll free), DEOC, Almora Mobile.: + 917900433294 (Off) FAX: + 91 - Mail Id: ddmo.alm@gmail.com

Letter No - /DDMA/2025 **Date November, 2025**

REQUISITION FORMAT

To,
Joint Secretary Air,
Department of Military Affairs, New Delhi
Government of India
Email- tandh@nic.in
Telephone**-011-20863703, Fax no- 011-20863758**

Details of Incident: Regarding Airlifting of Critical injured person due to earthquake.

Description of Incident/s		**Time of incident**
For extinguish of Forest Fire Near Almora		**15-11-2025 at :00 AM**
Place of Incident	**Tehsil/s**	**District/s**
	Almora	Almora

Type of Support Required:

Reconnaissance	**Evacuation**
Y	**N**
Foreigners	**Transport of dead bodies**
N	**N**
Transportation & Supplies	
Y (Water For Dose of Forest Fire)	

Details of Coordinates of Helipad:

Coordinates of Incident site Maneshwar, Champawat		**Coordinates of Nearest Water Bodies** -	
	Latitude-		**Latitude-**
	Longitude-		**Longitude-**
Altitude/ Elevation		**Altitude/ Elevation**	
1832 Mtrs		**230 Mtrs**	
Refueling arrangements			
N			

District Contact Details:

District Magistrate	
Name: Shri Anshul Singh	Mobile Number: 9411138089
Telephone Number: 05962-230170	Fax Number: 05962-238073
Satellite Phone Number:	Wireless availability: Pol.net/ Forest

Sr. Superintendent / Superintendent of police	
Name: Shri Chandra Shekhar R. Ghodke	Mobile Number: 9411112790
Telephone Number: 05962-23007	Fax Number: 05962-230036
Satellite Phone Number:	Wireless availability: Pol.net/ Forest

- **Local Contact of the Affected Area:**

Name: Shri	Mobile Number:
Telephone Number:	Fax Number:

Satellite Phone Number:	Wireless availability: Pol.net/ Forest

- **State contact details for coordination:**

Secretary, Department of Disaster Management	
Name: Shri Vinod Kumar Suman, IAS	Mobile Number: 8476007607
Telephone Number: 0135- 2710334	Fax Number:
Satellite Phone Number:	Wireless availability: Pol.net/ Forest

Contact Person - Mr. Vineet Pal
7983511096 (DDMO Almora)

(Anshul Singh, IAS)
Chairperson, DDMA/
District Magistrate, Almora

Copy forwarded for information:

1- **MOD** New Delhi, 011-23012380, Email-defsecy@nic.in
2- **MHA**, Control room, New Delhi-011-23093054, Email-iocdm.mha@nic.in
3- **NDMA,** Control room, New Delhi, Phone: 011-26701728 Email-ndmacontrolroom@gmail.com
4- **NERC** Control Room, Phone: 011-23438252, Email- dresponse-nerc@gov.in
5- **Air Force,** Vayu Bhawan, New Delhi Email: tandh@nic.in Phone: 011-23014424(T), 011-23017627(F).
6- **DIG ITBP,** Seemadwar, Indra Nagar, Dehradun, UttarakhandEmail: itcellddn@itbp.gov.in , 0135-2760406 (F).
7- **DIG S.S.B,** FTR Ranikhet, Almora, Uttarakhand, -Email- control-ftrrkt-ssb@nic.in Control Room: 05966-222205(F), 9412081813 (M).
8. **Commandant 36th Btln ITBP** , Lohaghat Champawat.
9. **Commandant 15th BN NDRF,** Shahkari Chini Mill Gadarpur, Uttarakhand.
Email-co15.ndrf@gov.in, 05949-231199 (T), 9990936318 (M)
10. **Secretary, State Disaster Management Authority, Uttarakhand Email- disastersection@gmail.com**

Chairperson, DDMA/
District Magistrate, Almora

5.20 मानव एवं सामग्री संसाधनों की सूची (Resource Inventory of Man and Material – IDRN/SDRN)

आपदा प्रबंधन की प्रभावी योजना के लिए जिले में उपलब्ध मानव संसाधनों और भौतिक संसाधनों का विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है। इसे Resource Inventory कहा जाता है। भारत में यह जानकारी मुख्य रूप से India Disaster Resource Network (IDRN) और राज्य स्तर पर State Disaster Resource Network (SDRN) के माध्यम से संकलित की जाती है।

1. संसाधन सूची (Resource Inventory) का उद्देश्य

(i) आपदा के समय त्वरित सहायता और राहत कार्य सुनिश्चित करना।
(ii) जिले में उपलब्ध मानव संसाधन, उपकरण, वाहन एवं मशीनरी की जानकारी रखना।
(iv) आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों को तुरंत सक्रिय (mobilize) करना।
(v) विभिन्न विभागों के बीच समन्वय (coordination) स्थापित करना।

2. मानव संसाधन (Manpower Resources)

इसमें विभिन्न विभागों और संस्थाओं में उपलब्ध प्रशिक्षित मानवबल का विवरण शामिल होता है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस एवं होमगार्ड स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ अग्निशमन सेवा (Fire Service) एनडीआरएफ एसडीआरएफ के प्रशिक्षित कर्मी स्वयंसेवी संगठन (NGO) सिविल डिफेंस एवं स्वयंसेवक तकनीकी विशेषज्ञ (इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर आदि)

3. भौतिक संसाधन (Material Resources)

इसमें आपदा के समय उपयोग होने वाले उपकरण और सामग्री शामिल होती हैं, जैसे बचाव उपकरण (Rescue Equipment) जेसीबी, क्रेन, बुलडोजर जैसी भारी मशीनें एम्बुलेंस, ट्रक, बस एवं अन्य वाहन संचार उपकरण (वायरलेस, सैटेलाइट फोन आदि) राहत सामग्री (टेंट, कंबल, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ) नाव, लाइफ जैकेट, रस्सी आदि बचाव सामग्री

4. IDRN/SDRN की भूमिका

(i) सभी संसाधनों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना
(ii) विभागवार और स्थानवार संसाधनों की अद्यतन जानकारी रखना
(iii) आपदा की स्थिति में त्वरित संसाधन उपलब्ध कराना
(iv) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करना

5. जिला आपदा प्रबंधन योजना में महत्व

DDMP (District Disaster Management Plan) में संसाधन सूची एक महत्वपूर्ण भाग होती है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि आपदा की स्थिति में जिले में कौन–कौन से संसाधन तुरंत उपलब्ध हैं और किनकी आवश्यकता बाहरी सहायता से पूरी करनी होगी।

जनपद अन्तर्गत उपलब्ध मानव संसाधनों और भौतिक संसाधनों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है–

जनपद अल्मोड़ा

तहसीलों/थानों में उपलब्ध आपदा खोज–बचाव उपकरण विवरण सूची

क्र0सं0	तहसील का नाम	गेंती मय बैटा	बैल्चा मय बैंटा	फावड़ा मय वैंटा	सम्बल छोटे–बड़े	कुल्हाड़ी मय वैंटा	तसला/बड़ा तसला	हैण्ड एक्स	हैड लैंप	टैन्ट	तिरपाल	आइस एक्स	सोलर लाईट	आरी	दराती	फायर एक्सटीगूसर
1.	अल्मोड़ा	01	01	01	03	02	-	-	-	25	-	-	02	06	-	
2.	द्वाराहाट	01	01	01	01	01	-	-	-	10	-	-	02	-	-	
3.	सोमेश्वर	01	01	05	01	02	-	-	-	16	-	-	02	02	01	
4.	चौखुटिया	05	04	05	08	-	04	04	12	13	04	-	02	02	-	
5.	जैंती	05	05	05	09	03	04	-	-	19	-	-	02	02	-	
6.	रानीखेत	01	01	01	01	01	-	-	-	10	-	-	02	02	-	
7.	भिकियासैण	01	-	01	01	01	-	-	03	10	01	-	02	02	-	
8.	भनोली	04	04	04	08	01	04	04	-	55	02	-	02	02	-	
9.	सल्ट	04	04	04	08	02	04	04		10	04	-	02	02	-	
10.	लमगड़ा	-	-	-	-	-	-	-	03	-	-	-				
11.	स्याल्दे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	
12.	मछोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	डी0ई0ओ0सी0	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	08	-	-	16
14.	कोतवाली अल्मोड़ा	04	04	04	08	04	04	-	-	-	04	-	02	-	-	
15.	कोतवाली रानीखेत	02	02	02	04	02	04		-	01	05	-	02	-	-	
16.	थाना लमगड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	थाना सामेश्वर	04	04	04	08	04	04	-	-	-	05	-	-	-	-	
18.	थाना द्वाराहाट	04	04	04	04	04	04	-	-		05	-	-	-	-	
19.	पुलिस लाईन अल्मोड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08
20.	थाना सल्ट	02	02	02	04	02	02	-	03	01	03	02	02	-	-	
21.	थाना भतरौजखान	02	02	02	04	02	02	-	02	02	02	-	-	-	-	
19	फायर सर्विस अल्मोड़ा।	11	07	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	फायर सर्विस रानीखेत	05	03	-	03	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	थाना दन्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	थाना चौखुटिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	कुल योग	**59**	**51**	**55**	**79**	**35**	**36**	**12**	**20**	**184**	**39**	**02**	**34**	**20**	**01**	

क्र0	तहसील /थाने का नाम	रैक (दन्याली)	कुदाल	टार्च एवरेडी	स्ट्रेचर	फर्स्ट एण्ड बॉक्स	पैट्रोमेक्स मय चिमनी	रेन सुट	इमरजैन्सी लाईटिंग सिस्टम	कैरी मेट	टिन बक्से	हेलमेट	हेलमेट टार्च	सर्च लाईट	टैन्ट फोर मैन	बॉडी बैग
23	अल्मोड़ा	-	-	03	03	-	-	07	-	-	-	-	-	**02**	-	-
24	द्वाराहाट	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**	-	-
25	सोमेश्वर	01	01	02	03	-	-	-	-	-	-	-	02	02	-	-
26	चौखुटिया	-	-	08	03	02	02	12	-	12	02	12	02	02	-	-
27	जैंती	-	-	08	03	02	02	11	01	11	-	-	02	04	-	-
28	रानीखेत	-	-	-	03	-	-	05	-	-	-	-	02	**04**	-	-
29	भिकियासैण	-	-	06	03	01	-	03	-	-	-	-	02	**03**	-	-
30	भनोली	-	-	03	02	01	02	02	01	01	01	03	04	04	-	-
31	सल्ट	-	-	12	03	02	02	12	01	12	02	12	04	02	-	-
32	स्याल्दे	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	02	02	-	-
33	लमगड़ा				04	02	-	03		02		05	03	01		-
34	मछोड़				01	-	-						02	02		-
35	डी0ई0ओ0सी0	-	-	-	06	02	-	06	01	10	01	18	05	**04**	08	05
36	कोतवाली अल्मोड़ा	-	-	08	02	01	02	06	-	12	02	-	02	02	-	-
37	कोतवाली रानीखेत	-	-	08	02	02	02	12	-	12	02	12	12	02	-	-
38	थाना लमगड़ा	-	-	01	03	01	-	02	-	-	02	03	04	02	-	-
39	थाना सामेश्वर	-	-	12	04	02	02	12	-	12	02	08	12	-	-	-
40	थाना द्वाराहाट	-	-	09		02	02	12	-	12	02	12	12	**02**	-	-
41	पुलिस लाईन अल्मोड़ा	-	-	04	04	-	03	50	-	-	-	18	45	10	08	40
42	थाना सल्ट	-	-	06	02	01	01	07	-	06	02	09	09	01	02	-
43	थाना भतरौजखान	-	-	09	01	01	01	13	-	06	01	08	06	**01**	-	-
44	फायर सर्विस अल्मोड़ा।	-	-	-	09	-	-	-	-	-	-	33	04	06	-	-
45	फायर सर्विस रानीखेत	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	08	-	01	-	-
46	थाना दन्या	-	-	-	03	-	-	-	-	-	01	05	04	**1**	-	-
47	थाना चौखुटिया	-	-	-	06	-	-	-	-	-	-	04	04	03	-	-
48	वेस चिकित्सालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20

क्र0	तहसील/थाने का नाम	रॉक पिटोन	हैमर	चैकनट	टेप सिलिग	इन्वर्टर मय 04 बैटरी	रोप नाईलोन	माउन्टेरिंग रोप मय पुली	रोप लैडर	सीट हार्नेस	जुमार	डिसेन्डर	आयरन कटर	लाईफ जैकेट	वायना कुलर	विन्च	व्हील चेयर
49	अल्मोड़ा	-	-	-	04	01	-	-	-	02	01	02			-	-	-
50	द्वाराहाट	-	-	-	04	-	-	-	-	02	01	02	01		-	-	-
51	सोमेश्वर	-	-	-	04	-	-	-	-	02	01	02			-	-	-
52	चौखुटिया	-	-	-	04	-	-	-	-	02	01	02			-	-	-
53	जैंती	-	-	-	12	-	05	02	-	10	08	04	01	12	-	-	-
54	रानीखेत	-	-	-	**04**	-	-	-	-	02	01	04			-	-	-
55	भिकियासैण	-	-	-	04	-	-	-	-	02	01	04	01		-	-	-
56	भनोली	-	-	-	04	-	02	01	01	04	03	04	01	-	-	-	-
57	सल्ट	-	-	-	16	-	04	04	02	06	08	08	-	12	-	-	-
58	स्याल्दे	-	-	-	04	-	-	-	-	02	01	02	-	-	-	-	-
59	लमगड़ा				04	-	03	-	-	03	03	02	01			-	-
60	मछोड़				04					02	01	02			-		-
61	डी0ई0ओ0सी0	11	01	-	04	01	02	-	02	10	12	12	03	24	-	02	-
62	कोतवाली अल्मोड़ा	-	-	-	06	-	04	02	-	02	07	06	-	12	-	-	-
63	कोतवाली रानीखेत	06	04	05	27	-	08	08	06	12	08	12	-	12	-	-	-
64	थाना लमगड़ा	-	-	-	-	-	02/2016	-	-	03	02	03	-	03	-	-	-
65	थाना सामेश्वर	-	-	-	14	-	04	04	02	06	08	08	-	12	-	-	-
66	थाना द्वाराहाट	-	-	-	12	-	04	04	02	05	08	08	-	08	-	-	-
67	पुलिस लाईन अल्मोड़ा	14	01		08		02		02	20	12	09	04	09	01	-	-
68	थाना सल्ट	01	01		06	-	01	02	01	10	06	06	01	06	-	-	-
69	थाना भतरौजखान	29	02	39	09		02	02	03	09	06	06	-	06	-	-	-
70	फायर सर्विस अल्मोड़ा।		03	-	-	-	04	-	-	04	02	03	-	06	-	-	-
71	फायर सर्विस रानीखेत	-	-	-	-	-	02	-	02	-	-	-	-	03	-	-	-
72	थाना दन्या	-	-	-	04	-	04	-	01	05	03	03	01	05	-	-	-
73	थाना चौखुटिया	-	-	-	-	-	03	-	-	**03**	02	02	-	02	-	-	-
74	वेस चिकित्सालय																05
	कूल योग	**76**	**10**	**44**	**119**	**02**	**52**	**29**	**24**	**95**	**90**	**88**	**08**	**112**	**01**	**02**	**05**

क्र0	तहसील/थाने का नाम	रैनगेज	वुडकटर	कैमरा	मानिला रोप	कैराविनर	कंकरीट कटर	डेमोलेशन हैमर/चट्टान ड्रिल	पुली/टेण्डम पुली	हाईड्रोलिक कटर	हाईड्रोलिक स्प्रेडर	रोप बडे बन्डल	हैमर पिटोन	ट्रैकिंग सूज/बुट	रेस्क्यू कॉटा	वीडियों कैमरा	ड्रोन कैमरा
75	अल्मोड़ा	01	-	-	-	08		-	02	-	-	-	-	-	-	01	-
76	द्वाराहाट	01	-		-	08	01	-	02	-	-	-	-	-	-	01	-
77	सोमेश्वर	01		01	-	08	-	-	02	-	-	-	-	-	-	01	-
78	चौखुटिया	01	-	01	-	08	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-
79	जैंती	01	-	01	02	12	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-
80	रानीखेत	01	-		-	08	-	-	02	-	-	-	-	-	-	01	-
81	भिकियासैण	01	-	01	-	08	-	01	02	-	-	-	-	-	-	-	-
82	भनोली	01	-	-	02	10	-	-	03	-	-	01	01	-	-	-	-
83	सल्ट	01	-	-	02	12	01	-	02	-	-	-	-	-	-	01	-
84	स्याल्दे	-	-	-	-	08	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-
85	लमगडा	-	01	-	-	10			02							-	-
86	मछोड़	-	-	-	-	08			02							-	-
87	डी0ई0ओ0सी0	02	02	01	-	12	02	01	06	01	01	02	-	-	-	02	01
88	कोतवाली अल्मोड़ा	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	कोतवाली रानीखेत	-	01	-	22	14	-	-	06	-	-	-	14	21	-	-	-
90	थाना लमगड़ा	-	01	-	-	**08**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	थाना सामेश्वर	-	02	-	02	04	-	-	-	-	-	-	08	-	-	-	-
92	थाना द्वाराहाट	-	01	-	02	03	-	-	-	-	-	-	08	-	-	-	-
93	पुलिस लाईन अल्मोड़ा	-	02	-	-	67	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
94	थाना सल्ट		01		01	06			02	-	-	-	-	03	-	-	-
95	थाना भतरौजखान	-	01	-	01	12	-	-	04					08	-	-	-
96	फायर सर्विस अल्मोड़ा।		02	-	-	10	-	-	02	-	-	-	-	-	02	-	-
97	फायर सर्विस रानीखेत		01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	थाना दन्या	-	01	-	-	10	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-
99	थाना चौखुटिया	-	01	-	-	09	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-
100	विद्युत विभाग	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	लो0नि0विभाग	-	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	वेस चिकित्सालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कूल योग	**10**	**25**	**05**	**36**	**115**	**04**	**02**	**27**	**01**	**01**	**03**	**31**	**32**	**02**	**08**	**01**

क्र0	तहसील/थाने का नाम	रोप क्लाईबिंग 10MM	रोप रैपलिंग	शार्ट सिलिंग	चेस्ट हार्नेस	मल्टी परपज नाइफ	गलब्ज/कैन वास	फ्रैन्ड्स	रोप चितकबरा	हार्नेस कम्बाईन्ड	मल्टी फंकशन टूल्स	विडप्रुफ जाकेट	रूक सेक	स्पाईन हार्ड बोर्ड	विडप्रुफ ट्राउजर	नाइट विजन
103	अल्मोड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	द्वाराहाट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	सोमेश्वर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
106	चौखुटिया	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	01	-	-
107	जैंती	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	01	-	-
108	रानीखेत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
109	भिकियासैण	-	-	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-	01	-	-
110	भनोली	-	-	-	-	-	02 जोडी	-	-	-	-	-	-	01	-	-
111	सल्ट	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	01	-	-
112	स्याल्दे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
113	लमगडा	-	-	-	-		03						-	01		
114	मछोड़	-	-	-	-								-	-		
115	डी0ई0ओ0सी0	02	02	07	-	-	06 जोडी	-	-	-	-	-	23	14	-	-
116	कोतवाली अल्मोड़ा	-	-	-	-	-	14pair	-	-	-	-	-		-	-	-
117	कोतवाली रानीखेत	02	02	03	08	03	12	02		03	-	11		-	11	-
118	थाना लमगड़ा	-	02	-	-	-	03	-		-	-	-	01	-	-	-
119	थाना सामेश्वर	-	-	02	-	-	08	-		-	-	-		01	-	-
120	थाना द्वाराहाट	-	-	-	-	-	09	-		-	-	-		-	-	-
121	पुलिस लाईन अल्मोड़ा	03	02	20	-	-	07	-	-	-	-	-	31	14	-	01
122	थाना सल्ट	02	03	03		01	10	-	-	-	-	02		02	-	-
123	थाना भतरौजखान	01	01	03	01	01	10	09	01		01			-		
124	फायर सर्विस अल्मोड़ा।	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
125	फायर सर्विस रानीखेत		-	-	-	-	07 pair	-	-	-	-	-		-	-	-
126	थाना दन्या	02	01	-	-	-	06 जोडी	-	-	-	-	-	01	01	-	-
127	थाना चौखुटिया	02	01	-	-	-	02 pair	-	-	-	-	-	01	-	-	-
कूल योग		**16**	**15**	**29**	**09**	**05**	**131**	**122**	**01**	**03**	**01**	**13**	**10**	**28**	**11**	**01**

क्र0	तहसील/थाने का नाम	रोक क्लाविंग बूट	डांगरी	गिरी गिरी	एक्सपेन्सन	वायर कटर	एवलॉच प्रोब	सैफ्टी नेट	सरवाइवल कम्बल	स्नो एंकर	चैन पुली	मैस्यूम स्ट्रैचर मय पम्प	कम्बल	इन्फ्लेटेबिल टावर लाईट	गैस जनरेटर	बाडी हार्नेस
128	अल्मोड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	द्वाराहाट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	सोमेश्वर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	चौखुटिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	जैंती	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	रानीखेत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	भिकियासैण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	मनोली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	सल्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	स्याल्दे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	लमगड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	मछोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	जि0आ0परि0 केन्द्र अल्मोड़ा	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06	03	-	06
141	कोतवाली अल्मोड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	कोतवाली रानीखेत	11	11	01	01	03	01	01	01	01	-	-	03	-	-	-
143	थाना लमगड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	थाना सामेश्वर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	थाना द्वाराहाट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	पुलिस लाईन अल्मोड़ा	-	10	02							01	-		-	01	04
147	थाना सल्ट	-	02			01					-	-		-	-	-
148	थाना भतरौजखान	-	03	01		01		01	01	01	-	02	01	-	-	-
149	फायर सर्विस अल्मोड़ा।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
150	फायर सर्विस रानीखेत	-	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
151	थाना दन्या	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
152	थाना चौखुटिया	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कूल योग	11	36	04	01	09	01	02	02	02	01	02	10	09	01	10

अध्याय : 6
क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण
(Capacity Building And Training Measures)

6.1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण दृष्टिकोण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का मतलब है, किसी संगठन, समुदाय, या समूह की क्षमताओं और कौशल को मजबूत करना. इसका मकसद, आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों को बेहतर बनाना होता है. क्षमता निर्माण, विकास की एक सतत प्रक्रिया है. क्षमता निर्माण के लिए, समुदाय की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करना जरूरी है।

आपदायें प्राकृतिक या मानवीय खतरों के कारण होती हैं चूकि हम कई प्राकृतिक खतरों को आने से नही रोक सकते हैं लेकिन जीवन और सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिये उचित प्रबन्धन द्वारा उनके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है जनपद में निवारण एवं न्यूनीकरण हेतु तैयारी की गयी है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपातकालीन प्रत्युत्तर और वांछित उददे्श्यों की प्राप्ति के लिए विभाग, समुदाय एवं अन्य हितधारकों की भूमिका एवं जबावदेयी कार्य को बेहतर करने के लिये पर्याप्त क्षमता निर्माण करना।

मुख्य कार्य

- स्वयंसेवको, पुलिस विभाग, होम गार्डस, युवक एवं महिला मंगल दलों एवं मुख्य विभागों से जुड़े कर्मचारियों इत्यादि के लिये प्रशिक्षण जरूरतों का विश्लेषण करना एवं समय–समय पर प्रशिक्षण देना।
- चिन्हित प्रशिक्षण जरूरतों के लिए योजना बनाना, संसाधन जुटाना एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करना।
- आपदा या किसी सन्निकट आपदा की परिस्थिति पर किसी भी विभाग की प्रत्युत्तर क्षमता की समीक्षा करना और उसके उन्नयन के लिए यथा आवश्यक निर्देश देना।
- मौसम के अनुकूल एवं हितधारकों की जरूरत के मुताविक पूर्वाभ्यास (मॉकड्रिल) प्रशिक्षण एवं जागरूकता निर्माण कार्य के लिए कैलेण्डर विकसित करना ।
- जिले के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं स्वंयसेवी बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना एवं समन्वयन करना ।
- स्थानीय निकायों और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदा की रोकथाम और उसके प्रभाव के शमन के लिए समुदाय में प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा बढ़ाना।
- आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के सहयोग से समुदाय के लिए जागरूकता अभ्यास एवं अभियान चलाना, संभावित आपदाओं की जानकारी देना ताकि आपदा की स्थिति में उनके द्वारा आपदा की क्षति तथा लोगों के कष्ट कम करने की कार्रवाई करने में समुदाय सक्षम हो सके।
- सुनिश्चित करना कि संचार प्रणाली दुरस्त रहे और आपदा प्रबंधन अभ्यास समय–समय पर किया जाता रहे।
- पड़ोसी जिले के अधिकारियों एवं यथोचित राष्ट्रीय–अंतराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क बनाना और नेटवर्क कायम करना ।
- पिछली आपदाओं में किये गये राहत एवं बचाव कार्यों का विश्लेषण कर पता लगाना कि क्या सही हुआ और कौन सा काम और अधिक बेहतर ढ़ंग से किया जा सकता था। इन सभी का वार्षिक रूप से हर आपदा के बाद दस्तावेजीकरण करना तथा इन चीजों को जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अद्यतन (Update) करने वक्त उपयोग में लाना।

उत्तराखण्ड राज्य के हिमालय क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो यहॉ भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, त्वरित बाढ़ आदि आपदाओं की बारम्बारता व्यापक है। यहॉ की सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों

में विपदाओं का स्वरुप अधिक विनाशकारी हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि जनसामान्य के पास इन आकस्मिक विपदाओं से बचाव हेतु जानकारियॉ हों।

आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तम एवं प्रभावी तंत्र आपदा राहत बचाव दलों का है, जिनका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में जैसे आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियों में लिया जाना आवश्यकीय है इसके लिए आपदा प्रबन्धन विषय में जनसमुदाय को जागरुक करना एवं आपदा राहत प्रबन्धन कार्य में समुदाय की सहभागिता आवश्यक है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य

आपदा प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता का अपना एक महत्व है। आपदा राहत प्रबन्धन कार्य आपदा क्षति न्यून करने का अति महत्वपूर्ण अंग है। उसके लिए आपदा राहत खोज एवं बचाव कार्य जनसमुदाय का जागरूक और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी का होना अति आवश्यक है जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन के कार्य में तुरन्त व महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके।

उत्तराखण्ड राज्य के छितरे हुए एवं दूरस्थ गाँवों में आवागमन दुर्गमता व संचार साधनों की कमी तथा आपदा के दौरान सीमित यातायात व संचार व्यवस्था के टूटने व खराब होने के कारण कई घन्टों या दिनों बाद उपलब्ध सहायता अपनी उपयोगिता खो देती है। जिसके लिए छात्र छात्राओं को आपदा प्रबन्धन की जानकारी होनी नितांत आवश्यक है क्योंकि इन सभी को अपने संसाधन एवं क्षेत्र का सम्पूर्ण ज्ञान होता है जिसका तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर ये समय पर जन हानि को कम कर सकते हैं।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अल्मोड़ा के मुख्य प्रशिक्षक श्री आलोक वर्मा द्वारा जनपद अन्तर्गत प्रशिक्षणों का क्रियान्वयन किया जाता है एवं जनपद में विगत दो वर्षो में निम्न तहसीलों विकासखण्डों एवं विद्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

6.1.1 सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

– जिला स्तर पर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण (DDMA), गैर–सरकारी संगठनों (NGOs), डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखं प्रशासन अकादमी, नैनीताल, आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के समन्वय में किया जाएगा

Table 6.1.1 Trainings to be conducted under capacity building

क्र0सं0	विषय	प्रस्तावित स्थल	सम्मिलित होने वाले विभाग	अवधि	प्रस्तावित समय
			बुनियादी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला		
1	**आपदा प्रबंधन बुनियादी प्रशिक्षण**	जिला सभागार	जिला प्रशासन एवं केंद्र शासन के जिले में स्थित विभागों के नोडल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य	एक दिवसीय	सुविधानुसार
2	**आपदा प्रबंधन कार्यशाला**		स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि आदि		नवम्बर द्वितीय सप्ताह
3	**इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम** (IRS)		जनपद IRS दल	दो दिवसीय	अप्रैल

6.1.2 सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ

सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण गतिविधियाँ मुख्य रूप से गैर–सरकारी संगठनों (NGOs), निजी क्षेत्र, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में आयोजित की जाएंगी। आपदाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के अलावा, ध्यान मुख्य रूप से सामुदायिक क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा।

DDMA स्वयंसेवकों और सामाजिक संगठनों जैसे होम गार्ड्स, नेहरू युवा केंद्र (NYKs), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), रेड क्रॉस, युवा क्लब, स्वयं सहायता समूह (SHGs), सामुदायिक आधारित संगठन (CBOs), गैर–सरकारी संगठन (NGOs) और आंगनवाड़ी केंद्रों आदि के साथ समन्वय करेगा। ये संस्थाएँ बड़े पैमाने पर सामुदायिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मीडिया भी लोगों को जागरूक और शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है।

सामुदायिक स्तर पर कौशल विकास को सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत किया जा सकता है ताकि समुदाय को आपदाओं से सुरक्षित रखने की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी को लक्षित करेंगे। गाँव स्तर पर क्षमता निर्माण में आपदा प्रबंधन योजनाएँ (DM Plans) बनाना, टास्क फोर्स और आपदा प्रबंधन समितियों का गठन और उनका कार्यान्वयन शामिल होगा। लोगों को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा:

- आपदा प्रबंधन की मूलभूत जानकारी
- प्राथमिक चिकित्सा तकनीक
- राहत और बचाव कार्य
- स्वच्छता तकनीक

इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों और राजमिस्त्रियों के कौशल को उन्नत करने के लिए तकनीकी संस्थानों के माध्यम से एक संस्थागत दीर्घकालिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी ताकि सुरक्षित निर्माण पद्धतियाँ सुनिश्चित की जा सकें।

6.3 प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर

Table 6.3 Special Trainings to be conducted under capacity building

क्र. सं.	विषय	प्रशिक्षण संचालित करने वाला विभाग	प्रस्तावित स्थल	सम्मिलित होने वाले विभाग	अवधि	प्रस्तावित समय
1	**इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम (IRS)**	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण। / ब्लॉक आपदा प्रबंधन समिति	तहसील मुख्यालय	तहसील मुख्यालय IRS दल	दो दिवसीय	मार्च
2	**बाढ़ खोज एवं बचाव तकनीक**	एस0डी0आर0एफ0 / आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणझं	तहसील मुख्यालय	आपदा मित्र एंव स्थानीय खोज एवं बचाव दल	एक दिवसीय	जून
3	**प्राथमिक उपचार**	रेड क्रॉस / आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।	आपदा संभावित क्षेत्र	स्थानीय दल एवं वॉलंटियर	एक दिवसीय	जून
4	**अग्नि दुर्घटना से बचाव**	फॉयर सर्विस / वन विभाग।	जिला मुख्यालय	जिला होम गार्ड बल / पीआरडी / पुलिस विभाग / वन विभाग	एक दिवसीय	फरवरी
5	**भूकंप रोधी निर्माण तकनीक**	लोक निर्माण विभाग	जिला मुख्यालय	भवन एवं ब्रिज निर्माण एजेंसी	दो दिवसीय	जुलाई

Table 6.4 Proposed Public Awainess Programme

क्र.सं.	विषय	विवरण	प्रस्तावित समय	विभाग
भूकंप जन–जागरूकता कार्यक्रम				
1	**भूकंप पूर्व तैयारी ब्रोशर का वितरण**	जनपद में जोन V एंव IV के अंतर्गत आने वाली तहसीलों के राजकीय उच्तर विधालयों, राजकीय कार्यालयों, पंचायत भवन	फरवरी से अप्रैल माह के मध्य	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
2	**भूकंप से बचाव विषय पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन**	जनपद में जोन V एंव IV के अंतर्गत आने वाली तहसीलें	नवम्बर से अप्रैल माह के मध्य	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से स्थानीय एनजीओ
3	**भूकंप से बचाव विषय पर साइकिल रैली**	जनपद एंव तहसील मुख्यालय	सितंबर से दिसंबर माह के मध्य	शिक्षा/पर्यटन विभाग
4	**अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन**	विद्यालय, सरकारी भवन आदि	सितंबर माह	एस0डी0आर0एफ0 / जनपद आप्रदा प्रबन्धन प्राधिकरण
5	**दीवार लेखन/बैनर के माध्यम से सुरक्षा निर्देश**	जिले में स्थित प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, धार्मिक स्थल, तथा अन्य महत्वपूर्ण भवनों के दीवारों पर	फरवरी से अप्रैल माह के मध्य	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
अग्नि आपदा संभावित समुदाय के जन–जागरूकता कार्यक्रम				
1	**अग्नि आपदा तैयारी ब्रोसर का वितरण**	जिले में स्थित प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन	फरवरी माह से अप्रैल माह के बीच	शिक्षा, पंचायतराज, अग्निशमन तथा आपदा प्रबन्धन विभाग
2	**चौपाल/विचार विमर्श**	जनपद एवं तहसील मुख्यालय		
3	**बचाव संबंधी जानकारी**	जनपद मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम एंव तहसील स्थित पंचायत भवन		जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एंव खण्ड विकास कार्यालय
4	**अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन**	जनपद एवं तहसील मुख्यालय		जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एंव खण्ड विकास कार्यालय
प्राथमिक उपचार हेतु समुदाय के लिए जन–जागरूकता कार्यक्रम				
	अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन	जनपद एवं तहसील मुख्यालय	फरवरी माह से अप्रैल माह के बीच	स्वस्थ विभाग/ SDRF/NDRF/ जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

Table 6.5 Training/Awareness programme Conducted By DDMA Almora in recent Years

क्र. सं.	प्रशिक्षण	वर्ष	कुल प्रतिभागी
1	आपदा मित्र	2024	184
2	विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण	2022-25	11324
3	तहसील स्तरीय प्रशिक्षण	2022	324
4	राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान,	2024	820
5	जिला प्रशिक्षण संस्थान(डाइट)	2024	150
6	रा0पु0 एवं भू0प्रशि0संस्थान हवालबाग	2024	100
7	ग्राम प्रहरी	2022	39
8	फायर फायटर्स	2024	200
9	विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण	2025-26	2072
कुल प्रशिक्षणार्थी			**15213**

जनपद में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम

जनपद में विद्यालय स्तरीय व न्याय पंचायत स्तर पर चलाये जाने वाले खोज बचाव व प्राथमिक उपचार से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 169 राजकीय इण्टर कालेज व 04 विकासखण्डों के 39 न्यायपंचायतों में 390 ग्रामों का वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कलैण्डर तैयार किया गया है।

6.3– मॉक ड्रिल का आयोजन एवं अपेक्षित कार्यवाही एवं समीक्षा– जिले में आपदा प्रबंधन हेतु की गई पूर्व तैयारी की आपदा के समय प्रभावशीलता की जांच हेतु मॉक अभ्यासों का आयोजन वार्षिक कैलेंडर अनुसार किया जाय।

Table 6.3.1 Proposed Mock Drill

क्र. सं.	संस्था एवं आयोजन स्थल	अभ्यास/ड्रिल का विषय	टिप्पणी
संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित ड्रिल (समय सारणी संस्था द्वारा स्वयं निर्धारित की जाएगी।)			
1	**समस्त शैक्षणिक संस्थाएं**	अग्नि सुरक्षा, भूकंप सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, सीपीआर, खोज एवं बचाव तकनीक, घायलों का परिवहन एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में चिन्हित अन्य आकस्मिक स्थितियां आदि।	शैक्षणिक संस्था द्वारा नियमित ड्रिल हेतु समय–सारणी तय की जाएगी तथा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राधिकरण को अवगत कराया जायेगा।
2	**समस्त शासकीय अस्पताल।**	अग्नि सुरक्षा, भूकंप सुरक्षा एवं अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना में चिन्हित अन्य आकस्मिक स्थितियां ।	अस्पतालों द्वारा नियमित ड्रिल हेतु समय–सारणी तय की जाएगी तथा जिला चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राधिकरण को अवगत कराया जायेगा।

कार्यवाही एवं समीक्षा– जनपद के संभावित आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा की जाने वाली आपेक्षित कार्यवाही निम्ननुसार होगी।

Table 6.3.2 The required actions to be taken by the departments.

बाढ़		
क्र.सं.	दल	अपेक्षित कार्यवाही
1	चेतावनी प्रसारण स्थानीय दल	जन सामान्य को उचित एवं प्रभावशाली रूप से चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।
2	चिकित्सा राहत स्ट्राइक टीम	चिकित्सा कैंप तथा इसमे आवश्यक उपचार, दवाई व अन्य सामाग्री का प्रदर्शन। घायलो का चिन्हिकरण, पंजीयनएवं चिकित्सीय परिवहन सहायता का प्रदर्शन।
3	सिविल डिफेन्स टास्क फोर्स	आपदाग्रस्त क्षेत्र मे काम कर रही सभी एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित कर राहत, बचाव, मलबा हटाना, चिकित्सा आदि के स्थापन मे सहयोग का प्रदर्शन।
4	पशु चिकित्सा राहत स्ट्राइक टीम	आपदा क्षेत्र मे पशु चिकित्सा राहत हेतु मेडिकल जांच केंद्र, रिलीफ कैंप,पंजीयन,चिकित्सीय परिवहन सहायता एवं समुचित उपचार, दवाई आदि उपलब्ध कराने का प्रदर्शन।
5	रोगी परिवहन व्यवस्था स्ट्राइक टीम	आपदा क्षेत्र मे घायलो एवं अति घायलो का नजदीक अस्पतालो, कैंपो एवं अन्य मुख्य चिकित्सीय संस्थानो तक परिवहन का प्रदर्शन।
अग्नि दुर्घटना		
क्र.सं.	दल	अपेक्षित कार्यवाही
1	स्थानीय दल	100, 101 एवं 1077 पर सूचित करने का प्रदर्शन
2	वाटर सप्लाई टास्क फोर्स	फायर नियंत्रण हेतु जल की स्थानीय स्तर पर अबाधित आपूर्ती का प्रदर्शन।
3	खोज एवं बचाव टास्क फोर्स	आपदा में फसें लोगों के सुरक्षित निष्क्रमण का प्रदर्शन
4	चिकित्सा राहत व्यवस्था	प्रभावित लोगों को सही तकनीक का प्रदर्शन करते हुए प्राथमिक चिकित्सा तथा गंभीर घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेजने का प्रदर्शन
5	पॉवर सप्लाई व्यवस्था स्ट्राइक फोर्स	पॉवर सप्लाई व्यवस्था बंद तथा चालू करने का प्रदर्शन
भूकंप		
क्र.सं.	दल	अपेक्षित कार्यवाही
1	**चेतावनी प्रसारण तहसील स्तरीय स्थानीय दल**	भूकम्प के बाद आफ्टर शॉक संबन्धित चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।
2	**खोज बचाव**	क्षतिग्रस्त भवनों मे फंसे लोगो चिंहांकन एवं खोज एवं बचाव ट्राइएज (घायलो की अवस्था के अनुसार वर्गीकरण) का प्रदर्शन घायलों के परिवहन की तकनीकी प्रदर्शन।
3	**आबादी निष्क्रमण**	आबादी को सुरक्षित स्थलो तक जाने हेतु प्रेरित एवं काउंसलिंग करने का प्रदर्शन।
4	**चिकित्सा प्रबंधन**	अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित करना एवं घायलो कात्वरित इलाज का प्रदर्शन। सीपीआर का प्रदर्शन। बेंडेजिंग की विधियाँ।
5	**अग्नि शमन**	अग्नि शमन का प्रदर्शन
6	**मलबा निष्कर्मण**	मलबा हटाने का प्रदर्शन
7	**कानून व्यवस्था**	कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशों का प्रदर्शन
8	**चेतावनी प्रसारण स्थानीय दल**	भूकम्प के बाद आफ्टर शॉक संबन्धित चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।
9	**खोज बचाव**	क्षतिग्रस्त भवनों मे फंसे लोगो चिंहांकन एवं खोज एवं बचाव ट्राइएज (घायलो की अवस्था के अनुसार वर्गीकरण) का प्रदर्शन घायलों के परिवहन की तकनीकी प्रदर्शन।
10	**आबादी निष्क्रमण**	आबादी को सुरक्षित स्थलो तक जाने हेतु प्रेरित एवं काउंसलिंग करने का प्रदर्शन।

6.4 जनपद अन्तर्गत आयोजित किये गये आई0आर0एस0 आपदा मॉक प्रशिक्षण/अभ्यास का विवरण–

क्र.सं.	आयोजन स्थल	दिनांक	विवरण
01	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	14-04-2016	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा– निर्देशन जनपद में आई0आर0एस0 प्रशिक्षण/मॉक अभ्यास (भूकम्प सम्बन्धित)
02	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	15-04-2016	आई0आर0एस0 प्रशि0/भूकम्प मॉक ड्रिल
03	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	20-04-2017	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशन में जनपद वनाग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल
04	तहसील स्तर पर	20-04-2017	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण कार्यक्रम
05	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	14-07-2017	आई0आर0 एस0 प्रशिक्षण/मॉक अभ्यास
06	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	10-10-2017	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशन जनपद में आई0आर0एस0 प्रशिक्षण /मॉक अभ्यास
07	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	01-02-2018	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशन जनपद में आई0आर0एस0 प्रशिक्षण /मॉक अभ्यास (भूकम्प सम्बन्धित)
08	तहसील द्वाराहाट	13-02-2019	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण/ मॉक अभ्यास
09	तहसील रानीखेत	14-02-2019	आई0आर0 एस0 प्रशिक्षण/ मॉक अभ्यास
10	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	04-06-2019	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशन जनपद में आई0आर0एस0 प्रशिक्षण /मॉक अभ्यास (भूस्खलन सम्बन्धित)
11	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	22-06-2019	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशन जनपद में आई0आर0एस0 प्रशिक्षण
12	तहसील भनोली	24-06-2019	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण कार्यक्रम
13	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	29-07-2022	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशन जनपद में मॉक अभ्यास (भूस्खलन सम्बन्धित)
14	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	13-02-2025	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशन जनपद में मॉक अभ्यास (वनाग्नि सम्बन्धित)
15	जिला मुख्यालय अल्मोड़ा	15-11-2025	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशन जनपद में भूकम्प मॉक अभ्यास

6.5 जनपद में राज्य स्तरीय भूकम्प मॉक अभ्यास में प्राप्त सुझाव–

1. उपलब्ध संसाधनों की सूची तथा रख–रखाव अपडेट रखा जाना आवश्यक है।
2. आपदा के समय वाहनों को उचित स्थान पर पार्किंग करने की व्यवस्था चिन्हित किया जाना।
3. पुलिस वायरलेस सिस्टम में अलग–अलग चैनल आवंटित होने चाहिए।
4. इन्सीडेट कमाण्डर द्वारा की गयी मांग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5. टास्क फोर्स के डिस्पेच में कम से कम समय लगना चाहिये।
6. राहत–बचाव कार्यो में पूर्व से प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिये।

भूकम्प मॉक अभ्यास से प्राप्त अनुभव

1. जनपद में उपलब्ध संसाधनों की कार्यक्षमता, सुदृढ़िकरण तथा रख–रखाव का अनुभव तथा उक्त संसाधनों के सफल संचालन/उपयोग का अनुभव का प्राप्त होना।
2. सभी विभागों के बीच आपसी तालमेल बढा है एवं टीम भावना का विकास हुआ है।
3. भूकम्प के समय सफल राहत–बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित इंसीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम (आई0आर0एस0) अनुरूप नामित अधिकारियों एवं समन्व्यक अधिकारियों को अपने कर्तवयो का स्पष्ट ज्ञान होना।
4. आई0टी0बी0पी0 का मुख्य बल के रूप में कार्य किया जाना।

अध्याय : 7
प्रतिक्रिया राहत उपाय
(Responce and Relief Measure)

7.1. राहत,बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यो के मुख्य उदेद्श्य

राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन के मानवीय और तत्काल पहलुओं पर केंद्रित होते हैं। इन कार्यों का प्राथमिक लक्ष्य जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रभावित समुदायों को होने वाले नुकसान को कम करना होता है।

राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(i) **जीवन की सुरक्षा (Protection of Life)** : यह सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक उद्देश्य है।
इसमें आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। मानवीय पीड़ा को कम करना (Mitigation of Human Suffering)
आपदा प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छ पानी, आश्रय (shelter), कपड़े और दवा जैसी बुनियादी मानवीय सहायता प्रदान करना ताकि उनकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(ii) **बुनियादी जरूरतों की पूर्ति (Fulfillment of Basic Needs)** : यह सुनिश्चित करना कि विस्थापित या प्रभावित आबादी के पास जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों।

(iii) **सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा (Protection of Public Health)** : महामारी या जल–जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छता बनाए रखना, स्वास्थ्य शिविर स्थापित करना और दूषित पानी से बचाव करना।

(iv) **क्षति को सीमित करना (Limiting Further Damage)** : द्वितीयक आपदाओं (जैसे बाढ़ के बाद महामारी, या भूकंप के बाद आग) को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करना। इसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (अस्पताल, बिजली ग्रिड) को स्थिर करना शामिल है।

(v) **व्यवस्था और मनोबल बनाए रखना (Maintaining Order and Morale)** : प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से चल सकें एवं पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और समर्थन प्रदान करना।

(vi) **सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आधार तैयार करना (Paving the Way for Recovery)** तत्काल राहत चरण के दौरान किए गए कार्य पुनर्प्राप्ति (recovery) और पुनर्निर्माण (reconstruction) के बाद के चरणों के लिए नींव रखते हैं।

7.2 प्रतिक्रिया योजना (बहु–आपदा प्रबंधन), तैयारी और त्वरित मूल्यांकन

आपदा के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए बहु–आपदा प्रतिक्रिया योजना (Multi&Hazard Response Planning) को लागू किया जाता है। यह योजना विभिन्न प्रकार की संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व–तैयारी, तत्काल मूल्यांकन, राहत कार्यों की योजना और संसाधनों की तैनाती पर केंद्रित होती है।

इस योजना के तहत प्रशासनिक इकाइयों, आपातकालीन सेवाओं, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों को समन्वयित ढंग से कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान की जा सके।

प्रतिक्रिया एंव राहत कार्यों के महत्वपूर्ण तत्व

- प्रभावी चेतावनी प्रसारण एवं संबंधितों को घटना की तत्काल सूचना ।
- राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया हेतु स्थानीय एवं विभागीय दलों की तत्पर क्रियाशीलता ।
- घटना प्रबंधन के स्थिति की रिपोर्टिंग तथा विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पॉस टीमों की तदनुसार क्रियाशीलता ।
- इंसिडेंट एक्शन प्लान अनुसार संसाधनों का आवश्यकता आंकलन एवं डिप्लोयमेंट (Deployment) ।
- इंसिडेंट एक्शन प्लान (Incident Action Plan) के अनुसार इंसिडेंट रिस्पौंस टीमों का निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वयन ।
- आपदा प्रभावित दिव्यांग एवं अन्य संवेदनशील वर्गों का संरक्षण।
- जनशिकायत निवारण ।

7.2.1 क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन (Quick Assessment of Damages and Needs)

आपदा के तुरंत बाद क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन (Rapid Damage and Needs Assessment & RDNA) करना आवश्यक होता है ताकि राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। इस मूल्यांकन के तहत निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है–

1. प्राथमिक मूल्यांकन (Initial Assessment)

- प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण (Aerial Survey) और स्थलीय निरीक्षण (Ground Inspection) करना।
- कितने लोगों को तत्काल बचाव और राहत की आवश्यकता है, इसकी गणना।
- आश्रय, भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यकताओं का आंकलन।

2. जनहानि और संपत्ति का आकलन (Casualty and Damage Assessment)

- कितने लोगों की मृत्यु, घायल और लापता होने की सूचना एकत्र करना।
- कितने घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं।
- कौन–कौन से संसाधन तत्काल पुनःस्थापित करने की आवश्यकता है, जैसे बिजली, जल आपूर्ति और संचार।

3. प्रभावित जनसंख्या की प्राथमिक आवश्यकताएँ (Immediate Needs of Affected Population)

- पीने के पानी और स्वच्छता की स्थिति का निरीक्षण।
- चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और आवश्यक दवाओं का आकलन।
- भोजन, राशन और अन्य जीवनरक्षक आपूर्ति की जरूरतों की पहचान।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों और राहत सामग्री वितरण की योजना बनाना।

4. दीर्घकालिक पुनर्वास आवश्यकताएँ (Long&term Rehabilitation Needs)

- प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए आश्रय पुनर्निर्माण योजना बनाना।
- सड़कों, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की रणनीति तैयार करना।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए रोजगार एवं आजीविका पुनर्वास कार्यक्रम लागू करना।

7.2.2 प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट (Response Flow Chart)

आपदा प्रतिक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट (Response Flow Chart) का उपयोग किया जाता है। यह चार्ट विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय को दर्शाता है।

Table 7.2.1 Response Flow Chart

चरण	मुख्य गतितिधियां
1. आपदा चेतावनी जारी करना (Warning Dissemination)	• मौसम विभाग, भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थान और अन्य एजेंसियों से अलर्ट प्राप्त करना। • स्थानीय प्रशासन, पंचायतों, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और राहत एजेंसियों को सूचना देना। • चेतावनी संदेश को स्थानीय भाषा में आम जनता तक पहुँचाना।
2. आपदा प्रबंधन समिति की बैठक (Emergency Coordination Meeting)	• जिला कलेक्टर (DDMA अध्यक्ष) द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाना। • विभिन्न विभागों (स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, शिक्षा, नगर पालिका, जल आपूर्ति आदि) के अधिकारियों से समन्वय करना। • उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकतानुसार राहत प्रयासों को निर्देशित करना।
3. बचाव और राहत कार्यों की शुरुआत (Activation of Rescue and Relief Operations)	• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), पुलिस, होम गार्ड्स और सेना को सक्रिय करना। • बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवकों, NGO, रेडक्रॉस, सिविल डिफेंस, स्थानीय संगठनों की मदद लेना। • राहत शिविरों की स्थापना और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
4. प्रभावित क्षेत्र का त्वरित सर्वेक्षण और मूल्यांकन (Rapid Damage Assessment)	• प्रभावित जनसंख्या का आकलन और उनकी आवश्यकताओं का दस्तावेजीकरण। • प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात व्यवस्था की बहाली। • बचाव और पुनर्वास कार्यों के लिए संसाधनों की तैनाती।
5. राहत सामग्री का वितरण (Relief Distribution)	• भोजन, पानी, दवाइयाँ, कपड़े, टेंट और अन्य आवश्यक वस्तुएँ वितरित करना। • प्रभावित समुदायों को स्वास्थ्य सेवाएँ और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना।
6. पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों की योजना (Rehabilitation & Reconstruction Planning)	• दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाएँ बनाना। • क्षतिग्रस्त संरचनाओं (घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें आदि) के पुनर्निर्माण की योजना बनाना। • भविष्य में आपदाओं से बचाव के लिए स्थायी आपदा प्रबंधन रणनीतियाँ लागू करना।

चरण	प्रक्रिया (बाढ़ भूकंप भूस्खलन के लिए)	जिम्मेदार इकाई
चेतावनी (Alert)	मौसम विभाग (IMD) या उपग्रह से प्राप्त प्रारंभिक चेतावनी।	SEOC (राज्य केंद्र)
सूचना प्रसार	जिलों को अलर्ट (Red/Orange/Yellow) जारी करना।	(जिला केंद्र)
मोबिलाइजेशन	SDRF, NDRF और स्थानीय पुलिस को अलर्ट मोड पर रखना।	SSP / सेनानायक SDRF
प्रथम प्रतिक्रिया	त्वरित बचाव दल (QRT) का घटना स्थल की ओर प्रस्थान।	तहसील स्तर (SDM/तहसीलदार)
खोज एवं बचाव	फंसे हुए लोगों को निकालना और घायलों को प्राथमिक उपचार।	SDRF / स्वास्थ्य विभाग
रसद (Logistic)	भोजन, स्वच्छ पेयजल और तिरपाल/तंबू की व्यवस्था।	जिला पूर्ति अधिकारी (DSO)
बुनियादी ढांचा	बंद सड़कों को खोलना (JCB द्वारा) और बिजली पानी बहाल करना।	PWD / जल संस्थान / UPCL
रिपोर्टिंग	दैनिक स्थिति रिपोर्ट (Daily Situation Report) भेजना।	जिला मजिस्ट्रेट (DM)

7.2.3 चेतावनी और सतर्कता (Warning and Alert)

आपदा प्रबंधन में चेतावनी और सतर्कता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय पर दी गई चेतावनी से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने का मौका मिलता है।

7.2.3.1 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems)

गाँव और जिला प्रशासन के बीच एक द्वि–दिशात्मक संचार प्रणाली (Two &Way Communication System) स्थापित की जाएगी, जिससे किसी भी संभावित आपदा की सूचना तेजी से साझा की जा सके।

इस प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख तत्व होंगे:

- **गाँव स्तर पर:** पंचायत, ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, और स्थानीय रेडियो।
- **जिला स्तर पर**: जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), मौसम विभाग, और अन्य सरकारी एजेंसियाँ।
- **संवाद के माध्यम:** मोबाइल संदेश, रेडियो, टेलीविजन, लाउडस्पीकर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
- **सूचना प्रवाह:** गाँव से प्राप्त जानकारी को जिला प्रशासन तक पहुँचाना और जिला प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी को गाँव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना।

7.2.3.2 चेतावनी प्रसार (Warning Dissemination)

आपदा की चेतावनी को हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (**DDMA**) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे:

1. **चेतावनी अनुवाद:** चेतावनी संदेशों को स्थानीय भाषा में अनुवाद कर जनता को स्पष्ट और सरल भाषा में जानकारी दी जाएगी।

2. **वितरण के माध्यमः इलेक्ट्रॉनिक मीडियाः** टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया (WhatsApp, Twitter, Facebook) आदि)।
3. **प्रिंट मीडियाः** अखबार, पर्चे, पोस्टर, **सीधे संचार माध्यम**: लाउडस्पीकर, ग्राम पंचायत बैठकें, मुनादी। **आपातकालीन संदेश सेवा**: मोबाइल संदेश (SMS, IVRS, आपदा अलर्ट ऐप्स)।
4. **गाँव और जिला प्रशासन के बीच समन्वयः** गाँव के प्रतिनिधियों को पहले सतर्क कर, उन्हें जनता तक संदेश पहुँचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी एवं प्रभावित क्षेत्रों में फील्ड टीमों को भेजकर सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति को चेतावनी मिल चुकी हो।
5. **चेतावनी वापसी (Withdrawal of Warning)**: जब आपदा का खतरा समाप्त हो जाए, तब क्क्ड। द्वारा आधिकारिक रूप से चेतावनी वापसी (All Clear Signal) जारी किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग अफवाहों पर विश्वास न करें और आधिकारिक सूचना का ही पालन करें।

इस तरह की प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और चेतावनी प्रसार प्रणाली से आपदाओं के दौरान जनहानि और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है।

7.2.4 जिला संकट प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक

आपदा के दौरान त्वरित निर्णय लेने और समन्वय स्थापित करने के लिए जिला संकट प्रबंधन समूह (Crisis Management Group & CMG) की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जल आपूर्ति, विद्युत विभाग, NGO, और अन्य संबंधित संस्थाएँ शामिल होती हैं।

बैठक के प्रमुख कार्य:

1. आपदा की स्थिति का आकलन करना और आवश्यक कार्रवाई की योजना बनाना।
2. आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय करना और उनकी जिम्मेदारियाँ तय करना।
3. बचाव और राहत कार्यों का समन्वय करना और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
4. जनता को सटीक सूचना देना और अफवाहों को रोकने के लिए उपाय करना।
5. राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करना और आवश्यक सहायता प्राप्त करना।

7.2.5 आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) का सक्रियकरण

आपातकालीन संचालन केंद्र (Emergency Operations Centre & EOC) आपदा प्रबंधन का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है, जिसे आपदा के दौरान सक्रिय किया जाता है।

EOC की प्रमुख भूमिकाएँ:

24x7 निगरानी और समन्वयः आपदा की स्थिति पर लगातार नजर रखना और आवश्यक निर्देश जारी करना।

संचार और सूचना प्रबंधनः रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और सैटेलाइट संचार के माध्यम से सूचना का आदान–प्रदान।

बचाव और राहत कार्यों की निगरानीः विभिन्न राहत एजेंसियों, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।

सूचना का विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करनाः प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी एकत्रित कर उच्च अधिकारियों और जनता को सूचित करना।

संसाधनों की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करनाः खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, शरण स्थल, पानी, बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

7.2.6 संसाधनों का संचालन (Resource Mobilization)

आपदा के दौरान आवश्यक संसाधनों की त्वरित उपलब्धता और उनके प्रभावी उपयोग के लिए संसाधन संचालन (Resource Mobilization) किया जाता है।

संसाधन संचालन की प्रक्रिया:

1. **उपलब्ध संसाधनों की पहचान और सूची तैयार करना:** सरकारी और निजी संस्थानों से उपलब्ध संसाधनों (वाहन, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, आश्रय स्थल, उपकरण आदि) की सूची बनाना।
2. **विभिन्न विभागों से समन्वय:** स्वास्थ्य, पुलिस, नगर निगम, जल आपूर्ति, बिजली, परिवहन और अन्य विभागों के संसाधनों को आपदा क्षेत्र में भेजना।
3. **स्वयंसेवी संगठनों (NGOs) और निजी क्षेत्र से सहयोग:** राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सामाजिक संगठनों और उद्योगों से सहायता प्राप्त करना।
4. **संसाधनों का समान वितरण:** प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री, पानी, कपड़े, दवाइयाँ और अन्य राहत सामग्रियों का वितरण।
5. संसाधनों का त्वरित परिवहन: हेलीकॉप्टर, ट्रक, नाव और अन्य परिवहन साधनों का उपयोग करके राहत सामग्री को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचाना।

7.2.7 बाहरी सहायता प्राप्त करना (Seeking External Help for Assistance)- आपदा की गंभीरता को देखते हुए, यदि जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित होते हैं, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहरी सहायता (External Assistance) माँगी जाती है।

बाहरी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:

6. **राज्य सरकार से संपर्क:** जिला प्रशासन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राज्य सरकार को स्थिति की जानकारी देता है और अतिरिक्त सहायता का अनुरोध करता है।
7. **राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता:** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), सेना, वायुसेना, नौसेना, और अर्धसैनिक बलों से बचाव और राहत कार्यों के लिए सहयोग लिया जाता है।
8. **गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) और निजी क्षेत्र की सहायता:** बड़े पैमाने पर राहत कार्यों में NGOs, रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ (UNICEF, WHO), धर्मार्थ संगठन और कॉरपोरेट सेक्टर (CSR पहल) से सहायता ली जाती है।
9. **अंतरराष्ट्रीय सहायता:** यदि आपदा का प्रभाव बहुत व्यापक है और राष्ट्रीय स्तर की सहायता भी अपर्याप्त साबित होती है, तो भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र, विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियों से सहायता प्राप्त कर सकती है।
10. **अतिरिक्त आपूर्ति और उपकरण:** दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, पेयजल, टेंट, जनरेटर, मेडिकल किट, संचार उपकरण और अन्य आवश्यक राहत सामग्रियों की आपूर्ति बाहरी एजेंसियों से सुनिश्चित की जाती है।

इस प्रकार, बाहरी सहायता प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों को तेजी से संचालित करने और आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

7.2.8 प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल (Psycho&Social Care of Affected Population)

आपदा के बाद, प्रभावित लोगों में मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) जैसी मानसिक समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। इसलिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल (Psycho-Social Care) बेहद आवश्यक होती है।

मानसिक और सामाजिक देखभाल के प्रमुख पहलू:

1. **मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उपलब्धता:**मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षित काउंसलरों को राहत शिविरों में तैनात किया जाता है।
2. **व्यक्तिगत और समूह परामर्श (Counseling):** मानसिक आघात से उबरने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं।
3. **विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सहायता:** शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष सहायता सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।श्रवण, दृष्टि और चलने–फिरने में असमर्थ लोगों के लिए विशेष काउंसलिंग और समर्थन दिया जाता है।
4. **बच्चों और वृद्धजनों के लिए सहायता:** बच्चों को उनकी सामान्य दिनचर्या में वापस लाने के लिए मनोरंजन और खेल–कूद गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। वृद्धजनों के लिए चिकित्सा और भावनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
5. **सामुदायिक सहयोग:** NGOs, सामाजिक संगठन और स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, ताकि प्रभावित लोगों को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन मिल सके।
6. **धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:** लोगों को भावनात्मक राहत देने के लिए प्रार्थना सभाएँ, आध्यात्मिक सत्र और सामाजिक मेल–मिलाप की व्यवस्था की जाती है।
7. **नौकरी और पुनर्वास सेवाएँ:** रोजगार और आजीविका बहाली के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं ताकि लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट सकें।

7.2.9 प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट (First Assessment Report)

आपदा के तुरंत बाद, स्थिति का तेजी से मूल्यांकन (Rapid Assessment) करना आवश्यक होता है ताकि प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों को सही दिशा में संचालित किया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट (First Assessment Report) तैयार की जाती है।

Table 7.1.9 Main points of First Assisment Report

विषय	मुख्य बिंदु	उत्तरदायी विभाग/एजेंसी
आपदा की प्रकृति और स्तर	आपदा का प्रकार (भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात आदि) और प्रभावित क्षेत्र का विस्तार	मौसम विभाग, भूगर्भीय संस्थान
जनहानि और संपत्ति का नुकसान	मृतकों, घायलों और लापता लोगों की संख्या, क्षतिग्रस्त मकान, सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि	पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम
मौजूदा संसाधन और बचाव कार्य	राहत सामग्री (भोजन, पानी, दवाइयाँ), प्रशासन, पुलिस, NDRF, SDRF द्वारा किए गए प्रयास	NDRF, SDRF, पुलिस, NGO
प्राथमिक आवश्यकताएँ	चिकित्सा सेवाएँ, आश्रय, बिजली, यातायात की स्थिति	स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग
भविष्य की रणनीति	राहत और पुनर्वास कार्यों की योजना, सरकार और अन्य एजेंसियों को सिफारिशें	राज्य सरकार, NDMA, DDMA

7.2.10 मीडिया प्रबंधन/समन्वय/सूचना प्रसार (Media Management / Coordination / Information Dissemination)

1. मीडिया प्रबंधन (Media Management) मीडिया प्रबंधन का अर्थ है विभिन्न मीडिया संसाधनों (अखबार, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि) का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना। इसमें शामिल होते हैं:

- **योजना और रणनीति बनाना** – सही समय और सही माध्यम का चयन करना।
- **संपर्क और नेटवर्किंग** – पत्रकारों, मीडिया हाउस और इन्फ्लुएंसर्स के साथ अच्छे संबंध बनाना।
- **सामग्री निर्माण और प्रस्तुति** – प्रेस रिलीज, वीडियो, ग्राफिक्स, और ब्लॉग पोस्ट तैयार करना।
- **मीडिया निगरानी** – मीडिया रिपोर्टिंग और ब्रांड छवि पर नजर रखना।

2. समन्वय (Coordination) समन्वय का मतलब है विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म, संगठनों और टीमों के बीच तालमेल बैठाना ताकि सूचना प्रभावी ढंग से संचारित हो। इसमें मुख्यतः शामिल हैं:

- **मीडिया एजेंसियों के साथ तालमेल** – प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू और मीडिया कवरेज का आयोजन।
- **आंतरिक और बाहरी संचार** – टीम के भीतर और बाहरी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सूचना प्रवाह सुनिश्चित करना।
- **इवेंट मैनेजमेंट** – प्रचार अभियानों (marketing campaigns) और प्रेस मीटिंग्स का आयोजन।

3. सूचना प्रसार (Information Dissemination) सूचना प्रसार का अर्थ है सही जानकारी को सही समय पर सही लोगों तक पहुँचाना। इसमें शामिल हैं:

- **डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग** – फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि का प्रभावी उपयोग।
- **प्रेस विज्ञप्ति और समाचार लेख** – अखबार, पत्रिकाओं और न्यूज चौनलों में जानकारी प्रकाशित करना।
- **ऑनलाइन और ऑफलाइन विज्ञापन** – डिजिटल विज्ञापन, पोस्टर, बैनर और टीवी कमर्शियल्स के माध्यम से सूचना फैलाना।

7.2.11 एसओपी (SOPs) का विकास – एसओपी का अर्थ है मानक संचालन प्रक्रिया, जो किसी कार्य को व्यवस्थित, कुशल और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करता है। आपातकालीन सहायता कार्य (Emergency Support Functions - ESFs) से जुड़े एसओपी यह सुनिश्चित करते हैं कि आपात स्थिति में सभी गतिविधियाँ सुचारू रूप से और समन्वित रूप से संचालित हों।

एसओपी विकास के प्रमुख चरण:

1. **आवश्यकताओं का निर्धारण –** ESFs के तहत कौन–कौन से कार्य आवश्यक हैं, उनकी पहचान करना।
2. **संबंधित विभागों और एजेंसियों की भागीदारी** – पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन, संचार, परिवहन आदि से समन्वय करना।
3. **प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण –** प्रत्येक कार्य के लिए चरण–दर–चरण गाइडलाइन तैयार करना।
4. **प्रशिक्षण और परिक्षण (Drills & Training)** – सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इन एसओपी का पालन कर सकें।
5. **समीक्षा और अद्यतन** – समय–समय पर एसओपी को संशोधित और अपडेट करना।

चेकलिस्ट का विकास – चेकलिस्ट सुनिश्चित करती हैं कि किसी कार्य के सभी महत्वपूर्ण चरण पूरे किए गए हैं। ESFs से संबंधित चेकलिस्ट आपातकालीन प्रतिक्रिया में तेजी और प्रभावशीलता लाने में मदद करती हैं।

आपदा प्रबंधन से संबंधित चेकलिस्ट:

- खतरे की सूचना प्रणाली कार्यरत है या नहीं?
- आपातकालीन संचार प्रणाली सक्रिय है या नहीं?
- सभी राहत सामग्री उपलब्ध है या नहीं?
- मेडिकल और बचाव टीम को सूचित किया गया है या नहीं?
- लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है या नहीं?

प्रारूपों का विकास

- **आपातकालीन रिपोर्ट प्रारूप** – घटना, समय, स्थान, प्रभावित क्षेत्र का विवरण।
- **राहत सामग्री वितरण प्रारूप** – किस क्षेत्र में, कितनी मात्रा में सहायता भेजी गई।
- **संपर्क सूची प्रारूप** – सभी संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों और स्वयंसेवकों की जानकारी।

7.2.12 रिपोर्टिंग (Reporting) - रिपोर्टिंग का अर्थ है आपातकालीन स्थिति या किसी घटना से संबंधित सूचना का सही और प्रभावी संकलन, विश्लेषण और संचार करना। यह विभिन्न हितधारकों (सरकार, एजेंसियाँ, मीडिया, जनता आदि) को त्वरित और स्पष्ट जानकारी प्रदान करने में मदद करता है।

7.2.12.1 सूचना प्रबंधन (Information Management) - सूचना प्रबंधन का उद्देश्य सही, सटीक और अद्यतन जानकारी को संग्रहीत, विश्लेषण और साझा करना है।

मुख्य चरण:

1. **डेटा संग्रहण** – फील्ड रिपोर्ट, सर्वेक्षण, तकनीकी उपकरणों (GIS, ड्रोन, सेंसर) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।
2. **डेटा सत्यापन** – प्राप्त जानकारी की पुष्टि करना ताकि कोई गलत सूचना न फैले।
3. **डेटा विश्लेषण** – स्थिति की गंभीरता को समझकर त्वरित निर्णय लेने के लिए डेटा को प्रोसेस करना।
4. **सूचना का वितरण** – आवश्यक एजेंसियों, प्रशासकों और मीडिया को सही समय पर जानकारी भेजना।

7.2.12.2 स्थिति रिपोर्ट (Situation Reports & SITREP)

स्थिति रिपोर्ट (SITREP) किसी आपदा, संकट या घटना की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी देने वाला दस्तावेज होता है।

मुख्य बिंदु:

- **घटना का विवरण** – क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ?
- **प्रभाव का आकलन** – कितने लोग प्रभावित हुए, क्या नुकसान हुआ?
- **प्रतिक्रिया और बचाव कार्य** – क्या कार्रवाई की जा रही है, किन संसाधनों की जरूरत है?
- **आगे की योजना** – संभावित खतरे और आवश्यक कदम।
- **संलग्न साक्ष्य** – नक्शे, ग्राफ, चित्र, आँकड़े आदि।

7.2.12.3 मीडिया रिलीज (Media Release)

मीडिया रिलीज का उद्देश्य जनता और हितधारकों को अधिकृत और सटीक जानकारी प्रदान करना है, जिससे गलत सूचना न फैले और लोगों में जागरूकता बनी रहे।

मुख्य तत्व:

- **शीर्षक** – प्रमुख समाचार बिंदु को उजागर करना।
- **सरकारी / प्रशासनिक वक्तव्य** – अधिकारियों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी।
- **तथ्य और आँकड़े** – घटनास्थल की स्थिति, प्रभावित लोगों की संख्या, राहत प्रयास।
- **संपर्क जानकारी** – हेल्पलाइन नंबर, राहत केंद्रों का विवरण।

7.3 जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) का विकास

जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) एक योजना दस्तावेज होता है जो यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया उपाय (Response Measure) के लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसे कब पूरा करना है और उसमें कौन–कौन से प्रमुख हितधारक (Stakeholders) शामिल होंगे।

1. प्रत्येक प्रतिक्रिया उपाय के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स विकसित करना (Evolving Responsibility Matrix for Each Response Measure within a Time Frame)

मुख्य उद्देश्य:

- **सुस्पष्ट जिम्मेदारी** – यह तय करना कि कौन–सा विभाग या एजेंसी किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होगी।
- **समय सीमा निर्धारण** – हर कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करना।
- **संसाधन आवंटन** – कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन, वित्तीय सहायता और उपकरणों की पहचान करना।
- **समन्वय सुनिश्चित करना** – सभी हितधारकों के बीच तालमेल बनाकर कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करना।

Table 7.3 Responsibility Matrix for Disaster Response Plan

प्रतिक्रिया उपाय	मुख्य उत्तरदायी एजेंसी	सर्पोटिंग ऐजेंसी	समय सीमा
आपातकालीन अलर्ट जारी करना	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	मौसम विभाग,	पुलिस 1 घंटा
राहत शिविर स्थापित करना	जिला प्रशासन,	एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन	12 घंटे
घायलों को चिकित्सा सहायता	स्वास्थ्य विभाग	रेड क्रॉस, स्थानीय अस्पताल	6 घंटे
परिवहन और निकासी (Evacuation)	पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग	नगर निगम, स्वयंसेवी संगठन	8 घंटे
खाद्य और पेयजल वितरण	आपूर्ति एवं खाद्य विभाग	एनजीओ, रेड क्रॉस	24 घंटे

2. प्रमुख हितधारकों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix for Major Stakeholders) – आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया कार्यों में विभिन्न सरकारी विभाग, गैर–सरकारी संगठन (NGOs), निजी कंपनियाँ, स्थानीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ शामिल होती हैं। प्रत्येक हितधारक की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक होता है।

महत्वपूर्ण हितधारकों की भूमिका:

हितधारक (Stakeholders)	मुख्य भूमिका
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)	नीति निर्माण, दिशा–निर्देश तैयार करना
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना लागू करना
जिला प्रशासन (District Administration)	स्थानीय स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य सुनिश्चित करना
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)	बचाव और राहत अभियान चलाना
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ	निकासी, कानून–व्यवस्था बनाए रखना
स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा सुविधा,	एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराना
नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग	अस्थायी शिविर, जल आपूर्ति, साफ–सफाई सुनिश्चित करना
NGOs और स्वयंसेवी संगठन	राहत सामग्री वितरित करना, पुनर्वास कार्यों में सहायता करना
मीडिया एवं संचार एजेंसियाँ	सही सूचना प्रसारित करना, अफवाहों को रोकना
स्थानीय समुदाय	प्रशासन की मदद करना, प्राथमिक प्रतिक्रिया देना

7.3.1 खतरों (Hazards) के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स

इस जिम्मेदारी मैट्रिक्स का उपयोग उन आपदाओं के लिए किया जाता है जिनमें पूर्व चेतावनी (Early Warning) उपलब्ध होती है, जैसे चक्रवात (Cyclone), बाढ़ (Flood), सुनामी (Tsunami), आदि। इस तालिका में आपातकालीन प्रतिक्रिया के विभिन्न चरणों में समयबद्ध गतिविधियाँ, जिम्मेदार विभाग/एजेंसी और उनके कार्य शामिल होते हैं।

Table 7.3.1 Responsibility Matrix by Time Frame

समय (Time)	कार्य (Task)	जिम्मेदार विभाग / एजेंसी (Department/Agency)	गतिविधियाँ (Activity)
D–72 Hr (आपदा से 72 घंटे पहले)	प्रारंभिक चेतावनी जारी करना	मौसम विभाग (IMD), SDMA, NDMA	संभावित खतरे के बारे में सूचना देना
D-48 Hr (आपदा से 48 घंटे पहले)	जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान	जिला प्रशासन, नगर निगम	संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार करना
D-24 Hr (आपदा से 24 घंटे पहले)	लोगों को सतर्क करना और सुरक्षित स्थानों पर भेजना	पुलिस, स्थानीय प्रशासन, पंचायतें	सुरक्षित स्थानों पर निकासी (Evacuation) शुरू करना
D-0 Hr (आपदा घटित होने का समय)	आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू करना	NDRF, SDRF, पुलिस, दमकल विभाग	बचाव और राहत कार्य शुरू करना
D+15 Min (आपदा के 15 मिनट बाद)	प्रारंभिक क्षति रिपोर्ट तैयार करना	जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीम	प्रभावित क्षेत्रों की प्राथमिक रिपोर्टिंग
D+30 Min (आपदा के 30 मिनट बाद)	हेल्पलाइन और संचार प्रणाली सक्रिय करना	आपदा प्रबंधन विभाग, टेली कम्युनिकेशन	आपातकालीन संपर्क केंद्र सुचारू करना

समय (Time)	कार्य (Task)	जिम्मेदार विभाग / एजेंसी (Department/Agency)	गतिविधियाँ (Activity)
D+1 Hr (आपदा के 1 घंटे बाद)	घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देना	स्वास्थ्य विभाग, रेड क्रॉस, एम्बुलेंस सेवा	घायलों को अस्पताल पहुँचाना
D+2 Hr (आपदा के 2 घंटे बाद)	राहत शिविर स्थापित करना	जिला प्रशासन, नगर निगम, SDRF	आपदा प्रभावितों के लिए टेंट, भोजन और पानी की व्यवस्था
D+3 Hr (आपदा के 3 घंटे बाद)	सड़क मार्ग और संचार बहाल करना	लोक निर्माण विभाग (PWD), BRO, टेलीकॉम एजेंसिया	बाधित मार्ग खोलना, मोबाइल नेटवर्क सुधारना
D+6 Hr (आपदा के 6 घंटे बाद)	भोजन, पानी और दवा वितरण करना	आपूर्ति विभाग, NGO, रेड क्रॉस	राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयाँ वितरित करना
D+12 Hr (आपदा के 12 घंटे बाद)	विस्तृत क्षति मूल्यांकन	जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	नुकसान का आकलन करना और राहत की योजना बनाना
D+24 Hr (आपदा के 24 घंटे बाद)	पुनर्वास योजना तैयार करना	राज्य सरकार, NDRF,SDRF, पुनर्वास एजेंसियाँ	बेघर हुए लोगों के लिए पुनर्वास योजनाएँ लागू करना

7.3.2 त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) जहां पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती

कुछ आपदाएँ अचानक घटित होती हैं, जिनके लिए कोई पूर्व चेतावनी (Early Warning) नहीं होती, जैसे भूकंप (Earthquake), भूस्खलन (Landslide), बिजली गिरना (Lightning)आग (Fire), और फ्लैश फ्लड (Flash Floods)। ऐसे मामलों में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया आवश्यक होती है, ताकि जान–माल का नुकसान कम से कम हो।

Table 7.3.2 Responsibility Matrix by Time Frame

समय (Time)	कार्य (Task)	जिम्मेदार विभाग / एजेंसी (Department/Agency)	गतिविधियाँ (Activity)
D+15 Min (आपदा के 15 मिनट बाद)	प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट जारी करना	जिला प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग	संबंधित एजेंसियों को सूचित करना, आपातकालीन अलर्ट जारी करना
D+30 Min (आपदा के 30 मिनट बाद)	प्राथमिक बचाव अभियान शुरू करना	NDRF, SDRF, पुलिस, दमकल, स्वास्थ्य विभाग	घायलों की प्राथमिक चिकित्सा, जीवित लोगों की खोज
D+1 Hr (आपदा के 1 घंटे बाद)	घायलों को अस्पताल पहुँचाना	स्वास्थ्य विभाग, एंबुलेंस सेवा, रेड क्रॉस	घायलों को निकटतम चिकित्सा केंद्र ले जाना

समय (Time)	कार्य (Task)	जिम्मेदार विभाग / एजेंसी (Department/Agency)	गतिविधियाँ (Activity)
D+2 Hr (आपदा के 2 घंटे बाद)	राहत शिविर स्थापित करना	जिला प्रशासन, नगर निगम, NGO	विस्थापित लोगों के लिए आश्रय, भोजन और पानी की व्यवस्था
D+3 Hr (आपदा के 3 घंटे बाद)	प्रभावित क्षेत्रों का मूल्यांकन	जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग	क्षति की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना
D+6 Hr (आपदा के 6 घंटे बाद)	संचार और परिवहन मार्ग बहाल करना	PWD, BRO, टेलीकॉम एजेंसियाँ	टूटी हुई सड़कों और बाधित मोबाइल नेटवर्क की मरम्मत
D+12 Hr (आपदा के 12 घंटे बाद)	बचाव और पुनर्वास योजना बनाना	राज्य सरकार, पुनर्वास एजेंसियाँ	पुनर्वास योजना तैयार करना, लॉन्ग–टर्म सहायता की व्यवस्था

7.4. आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव प्रतिक्रिया कार्यो के दायित्व

किसी भी आपदा के दौरान प्रभावशाली खोज बचाव एवं राहत तथा पुर्ननिर्माण कार्य की सफलता का सबसे बड़ा मापदण्ड है कि सम्बन्धित विभागों को आपदा प्रतिवादन हेतु अपने कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में पता हो तथा किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा अपने–अपने कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए जिससे कि आपदा प्रतिवादन कार्य तेजी से हो तथा आपदा का प्रभाव कम हो सके। आपदा प्रतिवादन हेतु जनपद अल्मोड़ा में विभागों के बीच कार्य विभाजन निम्न प्रकार होगा :

क्र.सं.	मुख्य कार्य	अन्य कार्य	विभाग / अधिकारी
1	यातायात व्यवस्था	सड़क मार्ग बाधित होने एवं खुलने की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को देना	जनपद में अवस्थित लोक निर्माण विभाग के समस्त खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग, ए0डी0बी0 के समस्त खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई के समस्त खण्ड
		मार्ग बाधित एवं खुलने की सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र / आयुक्त महो0 / जिला0 महोदय को प्रेषित करना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
		मार्ग बाधित होने या कोई चेतावनी प्राप्त होने पर वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रोक देने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।	पुलिस / राजस्व विभाग / सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार
		बाधित मार्गो को खोलने की कार्यवाही करना	जनपद में अवस्थित लोक निर्माण विभाग के समस्त खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग, ए0डी0बी0 के समस्त खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई के समस्त खण्ड
		अस्थायी पुलों / ट्रालियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लगाने की व्यवस्था करवाना	अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
2	आपदा के बाद	आपदा की सूचना राज्य आपातकालीन परि0केन्द्र एवं अन्य सम्बन्धितों को उपलब्ध कराना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

क्र.सं.	मुख्य कार्य	अन्य कार्य	विभाग/अधिकारी
		त्वरित प्रतिवादन दलों को भेजना	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ पुलिस/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र के उप जिलाधिकारी
		खोज एवं बचाव के कार्य	पुलिस/राजस्व पुलिस/जिला प्रशासन /आपदा प्रबन्धन विभाग के दल/ एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0
		बाहरी मदद प्राप्त करने हेतु आपदा का आंकलन करना	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /सम्बन्धित उपजिलाधिकारी जिला प्रशासन
		बाहरी मदद की मांग करना	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ जिला प्रशासन
		आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं	चिकित्सा विभाग एवं पशु चिकित्सा विभाग
		घायलों को प्राथमिक सहायता के पश्चात् अस्पताल पहुंचाना	चिकित्सा विभाग/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन व्यवस्था	चिकित्सा विभाग/परिवहन विभाग
		पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करवाना	पूर्ति विभाग/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		मृत लोगों के सम्बन्ध के Medico Legal औपचारिकताएं	पुलिस/राजस्व पुलिस/ चिकित्सा विभाग
		मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना	चिकित्सा/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		घायलों को एवं मृतकों के आश्रितों को राहत सामग्री/राहत राशि का वितरण करना	जिला प्रशासन/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		लापता लोगों की सूचना संग्रहित करना	पुलिस/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		लापता लोगों की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को देना	पुलिस/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		सूचना संग्रहित कर राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
3	राहत शिविर	आपदा प्रभावित जनसंख्या का चिन्हीकरण करना	सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र/जिला प्रशासन
		राहत शिविर स्थापित करने के लिए आवश्यकताओं का आंकलन करना	
		राहत शिविर स्थापित करने हेतु जगह का चयन करना	
		राहत शिविरों में आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करना	
		भोजन की व्यवस्था करना	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/ जिला पूर्ति अधिकारी
		पेयजल व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना	जल संस्थान
		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्था	चिकित्सा विभाग
		सुरक्षा	पुलिस
4	निकासी	आवश्यकताओं का आंकलन	जिला प्रशासन
		वाहन व्यवस्था	परिवहन
		ईधन आदि की व्यवस्था	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
		मार्ग में सुरक्षा	पुलिस
		वैकल्पिक मार्गो का चिन्हीकरण करना	लो0नि0वि0/ परिवहन

क्र.सं.	मुख्य कार्य	अन्य कार्य	विभाग/अधिकारी
		हवाई मार्ग से निकासी हेतु आवश्यकता का आंकलन	जिला प्रशासन
		भारतीय वायुसेना से हवाई निकासी हेतु अनुरोध	जिला प्रशासन
		हैलीपैड़ो से सम्बन्धित व्यवस्था/ पायलट एवं ग्राउण्ड स्टाफ के लिए व्यवस्था	सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		Air Operation के लिए Liasion officer नामित करना	जिला अधिकारी
5	**अन्य व्यवस्थायें**	पशुधन के लिए आवश्यकता का आंकलन करना	पशुपालन विभाग
		पशुओं के लिए चारा आदि की व्यवस्था करना	पशुपालन विभाग
		पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी
		जीवनरक्षक सुविधाओं हेतु वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था करना	विद्युत विभाग
		विद्युत आपूर्ति को बहाल करना	विद्युत विभाग
		सोलर लालटेनों/लाईट की व्यवस्था करना	उरेड़ा
		पेयजल हेतु अस्थायी संयोजनों की व्यवस्था करना	जल संस्थान/पेयजल निगम
		पेयजल आपूर्ति बहाल करना	जल संस्थान/पेयजल निगम
		प्रेस ब्रिफिंग	रिस्पॉन्सिबिल ऑफिसर/ इन्फारमेशन एण्ड मीडिया ऑफिसर
		मीडिया कार्मिकों हेतु व्यवस्था करना	जिला सूचना अधिकारी
		मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनियों से समन्वय स्थापित करना	जिला प्रशासन सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		मोबाईल टावरों के लिए वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था करना	विद्युत विभाग
		वायरलैस सैटों के द्वारा संचार व्यवस्था दुरस्त रखना	पुलिस
		सैटेलाईन फोन सही स्थिति में रखना	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
		विडियोकान्फ्रेन्सिंग	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
		क्षति का आंकलन करना	जिला प्रशासन/सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी
		क्षतिग्रस्त भवनों के लिए एवं अहैतुक सहायता उपलब्ध कराना	सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र उच्चाधिकारी

7.4.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर किये जाने वाले कार्य–स्थिति का अनुश्रवण और पूर्व चेतावनी का प्रसारण ।

मुख्य कार्य–

❖ जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (डीईओसी) से न्यूनतम दो बार प्रतिदिन आपदा के परिमाण, स्थान, गंभीरता आदि की जानकारी लेना। जानकारी लेने की आवृति आपदा की गंभीरता के आधार पर बढ़ायी जा सकती है।

- पड़ोसी जिलों से भी जानकारियां प्राप्त करना एवं इन जानकारियों का सत्यापन करना (विशेष कर नदियों में बढ़ते जल स्तर की जानकारी हेतु)
- आपातकालीन सेवा कार्य में लगे विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों, जिला आपदा प्रबंन्धन प्राधिकरण, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (डीईओसी) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाना और आपदा संबंधी अद्यतन आवश्यक तैयारियों पर चर्चा करना।
- संबंधित कार्यरत अधिकारियों को तैयार रहने का निर्देश देना।
- त्वरित प्रतिवादन दल और तहसील/विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों के माध्यम से संभावित आपदा क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी का प्रसार करना।
- खतरो की गंभीरता के अनुरूप विभिन्न एहतियाती जानकारी/उपाय का प्रसार विभिन्न स्तरों पर करना।
- खतरे की समीक्षा करना और आपातकालीन परिचालन केन्द्र, त्वरित प्रतिवादन दल आपातकालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय करना।
- भूकम्प जैसी आपदाओं में जहां पर्याप्त पूर्व चेतावनी उपलब्ध नही होती है, वहॉ तुरन्त सक्रियकरण के कार्य प्रारम्भ करना।

7.4.2 आपदा प्रतिवादन कार्य का सक्रियकरण–एकीकृत आपातकालीन प्रतिवादन प्रणाली को सक्रिय करना।

मुख्य कार्य

- आपदा की जानकारी की सूचना मिलते ही जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, त्वरित प्रतिवादन दल, आपातकालीन सेवा कार्य एवं सम्बन्धित विभागों को सक्रिय करना।
- आपातकालीन परिचालन केन्द्र को सूचना देने के लिए सभी संबंधित अधिकारी/सभी तरह की टीमों एवं समन्वयक अधिकारियों को निर्देश देना।
- त्वरित प्रतिवादन दल या घटनास्थल पर पहुँचे सम्बन्धित तहसील/विकासखण्ड के अधिकारियों से घटना की प्रारंभिक जानकारी लेना।
- सूचनाओं को जिला अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आयुक्त कुमाऊ मण्डल, तक पहुंचाना ताकि वे अपने विशिष्ट कार्य प्रारम्भ कर सकें।
- जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी एवं समन्वयक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं का विश्लेषण कर आपदा की गंभीरता का आंकलन करना कि यह ग्राम/विकासखण्ड/तहसील या जिला स्तर की है।
- आपदा की गंभीरता के अनुरूप आपातकालीन परिचालन प्रत्युत्तर कार्य का सक्रियकरण।
    1. तहसील स्तर की आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन दल, राजस्व विभाग, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी आपदा प्रतिवादन के लिए प्रभार लेंगे और समन्वयन का कार्य करेंगे।
    2. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धक (जिला अधिकारी)/प्रभारी अधिकारी दै0आ0/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के साथ नियमित रूप से सम्पर्क में रहेगें।
    3. जिला स्तर की आपदा स्थिति में अपर जिला अधिकारी/प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा द्वारा अपने दिशा–निर्देशन में आपदा प्रतिवादन के कार्यों का समन्वयन किया जायेगा। इन्ही के दिशा–निर्देशन में त्वरित प्रतिवादन दल, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0,सेना, अर्द्ध सैनिक बलों के द्वारा आपदा प्रतिवादन का कार्य किया जायेगा।

- सभी तरह से संकलित सूचनाओं को संबंधित सभी उच्चाधिकारियों तक पहुँचाना।
- जनपद के प्रशासनिक क्षेत्रों के किसी भी विभाग/संस्थान को आपदा प्रतिवादन कार्य को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश देना। जिले में अवस्थित जिला स्तर के सरकारी विभाग, संवैधानिक निकाय एवं अन्य सरकारी/गैर सरकारी सगठन आदि के साथ प्रभावी आपदा प्रत्युत्तर कार्य के लिए सहायता, सलाह और समन्वयन करना।
- जनपद स्तर पर कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था/समाज कल्याण कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को आपदा प्रतिवादन कार्य में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।

7.4.3 राहत एवं प्रतिवादन के कार्य– राहत एवं प्रत्युत्तर के कार्य निम्नलिखित भागों में विभक्त है–

- खोज एवं बचाव, प्रारंभिक आकलन, राहत वितरण एवं अनुश्रवण

7.4.4. खोज एवं बचाव –आपदा की स्थिति में तत्काल प्रभावी खोज, बचाव एवं राहत कार्य द्वारा जीवन बचाना।

मुख्य कार्य

- ❖ खोज एवं बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में अविलम्ब कार्य में लगा देना।
- ❖ बूढ़े, विकलांग, महिलायें गर्भवर्ती महिलायें, गंभीर बीमारी वाले कमजोर व नाजुक वर्ग पर खोज एवं बचाव दल द्वारा ध्यान केन्द्रित करना।
- ❖ निष्क्रमण के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं पर निर्णय लेना तथा उपलब्ध संसाधनों से तत्काल कार्य शुरू कर देना।
- ❖ आवश्यकता अनुसार सशस्त्र सेना एवं या तकनीकी संस्थानों से खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण कार्य संचालन के लिए मदद मॉगना।

7.4.5. प्रारंभिक आंकलन– प्रभावित लोगों के लिए तात्कालिक/अल्पकालिक/दीर्घकालिक आवश्यकताओं का आंकलन करना। प्रभावित लोगों के घर, समुदाय की बुनियादी संरचनाओं यथा पेयजल, शौचालय, विद्युत, पैदल रास्तों आदि में हुई क्षति के पुर्ननिर्माण की लागत का आंकलन करना।

मुख्य कार्य

- क्षति एवं आवश्यकताओं पर प्राप्त सूचनाओं का मिलान एवं विश्लेषण करना।
- प्रभावित क्षेत्रों के नुकसान एवं आवश्यकताओं के बहुविषयक आंकलन के लिए आवश्यकता अनुरूप योजना बनाना।
- आंकलन से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण एवं आपदा प्रत्युत्तर कार्य की प्राथमिकता तय करना।
- आंकलन के लिए एक मानक प्रपत्र एवं जाँच सूची का होना जिससे समाज के कमजोर वर्ग यथा बुजुर्ग, विकलांग, महिलायें, गर्भवती महिलायें, अल्पसंख्यक समूह के लोग, गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों की सबसे आवश्यक जरूरतों पर जानकारी प्राप्त हो सके।

7.4.6. राहत वितरण –विविध आवश्यक सेवा कार्य वाले विभागों द्वारा समन्वयन कर आपदा प्रत्युत्तर कार्य में कमियों/रिक्तियों एवं दोहरीकरण को कम करना। विभागों के अतिरिक्त अन्य हितधारकों द्वारा किये जा रहे आपदा प्रत्युत्तर कार्य को एकीकृत करना जिससे यह प्रभावी एवं सक्षम हो सके।

मुख्य कार्य

- ❖ तात्कालिक/अल्पकालिक/दीर्घकालिक जरूरतों की जानकारी के लिए प्राप्त आंकलनों का विश्लेषण करना।
- ❖ किये जा रहे सभी प्रयासों को ऐसे नियोजित करना कि गरीब/अ0जाति/ अ0ज0जाति/अल्पसंख्यक समूह आदि राहत के प्रयासों से छूट न जाय।
- ❖ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के उपायों के लिए समयबद्ध व्यापक योजना तैयार करना।
- ❖ वांछित आपदा प्रतिवादन योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मानवीय/वित्तीय संसाधनों की योजना बनाना।
- ❖ आपदा प्रत्युत्तर कार्य में अन्य स्यवंसेवी संस्थाओं के प्रयासों को सम्मिलित/साझा करना। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र इन्हें सुझाव दे कि वे कहाँ और क्या राहत कार्य करें।
- ❖ न्यूनतम मानकों के कार्यान्वयन पर विभागों द्वारा ध्यान केन्द्रित करना जिससे पीड़ितों की न्यूनतम आवश्यक जरूरतें पूरी हों।
- ❖ प्रभावित क्षेत्रों की बदलती परिस्थिति के अनुरूप आपदा प्रतिवादन कार्य में आवश्यक परिवर्तन लाना।
- ❖ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के विवरणों का तहसील स्तरीय अधिकारीगण तथा विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा विश्लेषण कर क्षतिपूर्ति /पुनर्निमाण का आंकलन करना।
- ❖ उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आपदा की स्थिति/प्रत्युत्तर कार्य प्रगति आदि का अद्यतन विवरण देना।
- ❖ तात्कालिक प्राथमिकताओं/आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिले से बाहर की सहायता लेने के लिए निर्णय लेना। आवश्यकता अनुरूप राज्यीय/राष्ट्रीय/ अंतराष्ट्रीय एजेंसियों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए समन्वय बनाना।

- ❖ जिले की बाहर की एजेंसियों से प्राप्त होने वाली सहायताओं के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेंसी की भूमिका का निर्वहन करना। बाहर से आने वाली सहायताओ को प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार वितरित करना।

7.4.7. अनुश्रवण – सुनिश्चित करना कि राहत कार्य ठीक एवं सही दिशा में चल रहा है और समाज के संवेदनशील एवं दुर्बलतम समूहों पर राहत कार्य में लगे संस्थानों का ध्यान है ।

मुख्य कार्य

- ❖ राहत कार्यों का कार्यान्वयन तथा समय पालन को नियमित अनुश्रवित किया जाना।
- ❖ प्रभावित लोग, हितधारी समूह, तहसील स्तरीय/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारियों आदि से परामर्श कर आपदा प्रत्युत्तर कार्य को बदलती आपदा परिस्थिति के मुताबिक समन्वयित करना।
- ❖ प्रभावित समुदाय में किये गये कार्यों के दौरान प्राप्त अनुभवों को संग्रहित किया जाना।

7.4.8. प्रतिवादन निष्क्रियकरण–प्रत्युत्तर कार्य को निष्क्रियकरण करना तथा पुर्ननिर्माण के कार्य की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार होना।

मुख्य कार्य

- ❖ आंकलन करना कि तत्काल जीवन बचाने के सभी उपाय अपनी जगह पर हैं और जीवन की क्षति का कोई जोखिम नही है। सुनिश्चित करना कि आपदा प्रत्युत्तर कार्य को समाज में अपनाना शुरू कर दें और प्रर्याप्त अनुश्रवण पद्धति विकसित की जाय।
- ❖ चिन्हित जरुरतों के अनुसार पुर्ननिर्माण कार्य को प्रारम्भ कर देना।

7.4.9. पुर्ननिर्माण कार्य –सुनिश्चित करना कि प्रभावित समुदाय आपदा के प्रभाव से उबरने लगा है और बाहर से सहायता प्राप्त करने से बेहतर अपने जीवन को पूर्ववत जीना चाहता है तथा अपने को समाज की मुख्य धारा में पुर्नस्थापित करना चाहता है।

मुख्य कार्य

- ❖ विभिन्न विभागों यथा पेयजल, विद्युत, लो0नि0वि0, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, तहसील मुख्यालयों, विकासखण्ड मुख्यालयों आदि के द्वारा आंकलन के अनुसार पुनर्निमाण नीति का प्रारूप तैयार करना।
- ❖ सुनिश्चित करना कि क्षतिपूर्ति एवं राहत सहायता सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भेदभाव बिना लोगों के पहुँचे।
- ❖ सुनिश्चित करना कि सभी कार्यों में पारदर्शिता हो ।
- ❖ क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे/भवन/सेवाओं के पुर्ननिर्माण के लिए उपयोगकर्ता के अनुरूप आपदा–सहय डिजाइन के विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श लेना।
- ❖ पुनर्निमाण एवं पुनर्वास कार्य में लगी एजेंसियों/संस्थाओं को आपदा सहय डिजाइन के लिए सलाह देना।
- ❖ स्थानीय टान्सपोर्टर, विक्रेताओं, बाजार आदि स्थानीय क्षमताओं को पुर्ननिर्माण प्रक्रिया में यथासंभव शामिल कर एक समन्वित कुशल आपूर्ति श्रंखला स्थापित करना।
- ❖ पुर्ननिर्माण एवं पुनर्वास कार्य के दौरान प्रभावित समुदाय के स्थानीय आजीविका विकल्पों को बहाल करने के लिए कदम उठाना।
- ❖ आपदा प्रत्युत्तर/पुर्ननिर्माण कार्य से प्राप्त अनुभवों को जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विकास एजेंसियों से साझा करना ताकि वे उनकी भावी योजना में जगह पा सकें।
- ❖ नई विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्व शामिल करना।

अध्याय : 8
आपदा पुर्ननिर्माण एंव पुर्नस्थापना उपाय
(Reconstruction, Rehabilitation And Recovery Measures)

8.1. परिचय

बेहतर तरीके से वापस निर्माण कार्य करना (बिल्डिंग बैक बेटर)एक रणनीति है जिसका उद्देश्य भविष्य की आपदाओं के दृष्टिगत समुदायों के लोगों के लिए जोखिम को कम करना है। बीबीबी दृष्टिकोण आपदा जोखिम में कमी के उपायों को बुनियादी ढांचे, सामाजिक प्रणालियों और आजीविका, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के पुनरोद्धार में एकीकृत करता है।

8.2. पुनःनिर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण – आपदा के उपरान्त समितियों/विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनःस्थापन एवं पुनर्निर्माण के निम्नांकित कार्यो को सम्बंधित विभागों द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

- ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्रो का विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप अनुसार क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- ✓ जनहानि क्षति आंकलन
- ✓ पशुधन क्षति आंकलन
- ✓ सामुदायिक अधोसंरचना क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- ✓ आधारभूत आवश्यक सेवाओं की क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- ✓ मकान एवं अन्य संपत्तियो का क्षति आंकलन
- ✓ स्वास्थ्य सेवाओं एवं संक्रामक बीमारियों का आंकलन
- ✓ पर्यावरणीय क्षति आंकलन
- ✓ आपदा प्रभावितो की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन
- ✓ संवेदनशील वर्गों (दिव्यांग, बीमार, वृद्ध, नवजात शिशु, महिलाओं आदि) पर सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आंकलन
- ✓ क्षति आंकलन के आधार पर लघु अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्य
- ✓ दीर्घ अवधि संरचनात्मक पुनर्निर्माण कार्य

8.3. पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व

आपदा घटित होने के पश्चात् पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापन के कार्यो हेतु विभागीय जिम्मेदारी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. पंचायत राज एवं विकास विभाग–

- ➢ ग्रामीण क्षेत्रो में आपदा प्रभावित अधोसंरचना (पंचायत भवन, विद्यालय आदि) का क्षति सर्वेक्षण करना।
- ➢ जनहानी, आजीविका हानी का निर्धारित प्रारूप में सर्वेक्षण।
- ➢ राजस्व विभाग के समन्वय में प्रभावितों को शासन के नियमानुसार मुआवजा एवं अनुग्रह अनुदान वितरण।
- ➢ क्षति आंकलन के आधारपर पुनर्निर्माण की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।।
- ➢ कार्य योजना अनुसार आगामी कार्यवाही।
- ➢ दीर्घ अवधि पुनः स्थापन हेतु स्थायी एवं अस्थायी राहत केन्द्रों का संबन्धित विभागों के समन्वय में निर्माण।
- ➢ मनरेगा एवं रोजगार से संबन्धित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आजीविका प्रदान करना।

2.राजस्व विभाग–

- क्षति आंकलन कार्य में सभी संबन्धित विभागो के साथ समनवय तथा कुल क्षति का क्षेत्रवार आंकलन।
- शासन के नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि एवं मुआवजा वितरण
- क्षति आंकलन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन एवं जिला प्राधिकरण को रिपोर्टिंग।
- संबन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित लघु एवं दीर्घ अवधि पुनः स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन।
- आपदा प्रभावितों की पुनः स्थापन में सहायता हेतु जिला प्रशासन के समाबंधित अधिकारियों का संपर्क नंबर।

3.कृषि विकास विभाग–

- फसलो की क्षति का आकलन करना।
- क्षतिग्रस्त फसलों के सेंपल को जांच हेतु प्रयोगशाला भेजना एवं उनका उन्मूलन करना।
- फसल बीमा एवं मुआवजे के वितरण की व्यवस्था।
- कृषकों को बीमा एवं मुआवजा संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु सहायता केन्द्रों की स्थापना करना।
- बीज और अन्य कृषि इनपुट की सुविधा प्रदान करना।
- सूखा एवं बाढ़ अनुकूलित बीजो का प्रचार।
- क्षतिग्रस्त खेत के औजारो के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना।

4.पुलिस विभाग–

- कानून व्यवस्था बनाए रखना।
- अफवाहों के नियंत्रण हेतु सभी संबन्धित विभागों से समन्वय।

5.वन विभाग–

- वन एवं वन्य जीवों की आपदा के कारण हुई क्षति तथा विपरीत प्रभाव का आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के समन्वय में लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार कर वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण।

6.मत्स्य विभाग–

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग पर हुये क्षति का अंकलन।
- स्थानीय मछुवारों की नावों की क्षति का आंकलन करना एवं राजस्व विभाग के समन्वय में मुआवजा एवं राहत राशि प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- मत्स्य विभाग की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।

7.सहकारिता विभाग–

- कृषि विभाग के समन्वय से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आपदा प्रभावितों को बीज खाद एवं अन्य आवश्यक सामग्री का आंकलन एवं प्रदाय।

9.शिक्षा विभाग–

- विद्यालय की संरचना पर आपदा के प्रभावों का आंकलन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में मररामत का कार्य।
- विद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था।
- विद्यालय में स्वस्थ्य सफाई को सुनिश्चित करना।

10.सांख्यकी विभाग–

- आपदा से हुई क्षति का सम्पूर्ण डेटा का विभिन्न विभागों द्वारा आंकलन क्षति के आधार पर जिला विकास योजना में आपदा प्रभावित क्षेत्र की योजनाओं को शामिल करना।

11.स्वास्थ्य विभाग–

- महामारी फैलने वाली बीमारियों संक्रमक बीमारियों वाले संवेदनशील क्षेत्रों का चिंहांकन एवं सर्वेक्षण।

- स्वच्छता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाना।
- संक्रामक रोगों से बचाव हेतु जन समुदाय को आवश्यक निर्देश प्रदान करना।
- स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम नगर पालिका लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं अन्य विभागों के समन्वय।
- आपदा से आघात लोगो की काउन्सलिंग करना।
- चिकित्सा एवं घायलों विकलांगों के समाजिक चिकित्सकीय पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- नगरीय निकाय– आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मलबा निपादन
- शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
- आवश्यकतानुसार शौचालयों का निर्माण।

13.सूचना कार्यालय–

- आपदा से संबन्धित समस्त जानकारियों को उचित मीडिया द्वारा जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- आपदा उपरान्त प्रदत्त किये जाने वाले विभिन्न सहायता, धनराशि इत्यादि के विषय में स्थानीय जन समुदाय को समय पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।

14.पूर्ति विभाग–

- मुफ्त खाद्यान वितरण का आवश्यकता आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के माध्यम से वितरण।
- खाद्यान्न गोदामों का संरक्षण
- दान दाता एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का रखरखाव एवं वितरण।

16.लोक निर्माण विभाग–

- अवरूद्ध सड़कों की साफ–सफाई।
- गड्ढ़ों का भराव करना, मलवा सफाई तथा सड़क अवरूद्ध करने वाले पेड़ो को हटाना।
- क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलो की मरम्मत करना तथा अतिशीघ्र यातायात व्यवस्था को बहाल करना।
- संवेदनशील,आपदा स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों का चिन्हीकरण करना।
- क्षतिग्रस्त सड़क/डाइवरसन, राहत शिविर, चिकित्सा पोस्ट, पुल,पुलियों, सड़कों अस्थायी संरचनाओं का क्षति आकलन .
- संरचनाओं का मजबूतीकरण तथा पुनः बहाली तथा जिन कारणों से संरचनाओ में नुकसान पहूँचा है, उनको यथा संभव दूर करना।

17.सिंचाई विभाग–

- सिंचाई संरचनाओं का संरक्षण एवं निगरानी।
- जिले के प्रमुख बांधों, पुलो, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण एवं क्षति आंकलन।
- संरचनाओं स्टेशन, उपकरण, पम्प, जनरेटर, मोटर इत्यादि का मरम्मत एवं निरीक्षण।
- बांध टूट स्थल पर रोक हेतु आवश्यक कार्य।

18.विद्युत विभाग–

- क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर आदि का सर्वेक्षण तथा तत्काल बहाली का कार्य।
- उच्च विद्युत क्षमता के तारो, विघुत उपकेन्द्रों ट्रांसफारर्मर, पोल इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों का निरीक्षण एवं संबन्धित विभाग को सूचना प्रदान करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली यथाशीघ्र सुनिश्चित करना।
- क्षतिग्रस्त पोल, ट्रांसफारर्मर, कनडकर्टस इत्यादि उपकरणों की मरम्मत एवं बदलाव शीघ्रातिशीघ्र करना।

19.पशुपालन विभाग–

- पशुधन क्षति आंकलन
- आपदा उपरांत पशुजनित रोग नियंत्रण
- सामान्य स्थिति होने तक पशु चारे व घास की व्यवस्था।
- मवेशियो के शवों को हटाने तथा महामारी से बचने के लिए सफाई की उपयुक्त व्यवस्था हेतु नगर निगम एवं स्थानीय निकाय से समन्वय सुनिश्चित करना।

20.भारत संचार निगम लिमिटेड–

- संचार व्यवस्था क्षति आंकलन.
- संचार नेटवर्क को त्वरित रूप से बहाल करने हेतु समस्त सर्विस प्रोवाईडर से संचार व्यवस्था से समन्वय।

21.जल संस्थान–

- नगर निगम,नगरपालिका के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पेय जल स्त्रोतों तथा जल प्रदाय व्यवस्था का क्षति आंकलन
- प्रभावित पेय जल स्रोतों के शुद्धीकरण की व्यवस्था।
- राहत केन्द्रों, अस्पतालों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

22.समाज कल्याण विभाग–

- आपदा निःशक्तजनों एवं अन्य संवेदनशीलता
- कमजोर वर्ग को सर्वेक्षण उपरांत ट्राई साइकिल एवं अन्य आवश्यक सामग्रियाँ, तथा उचित सहायता उपलब्ध करना।
- आपदा उपरांत निः शक्तजनों के देखभाल तथा पुनःस्थापन हेतु सम्बंधित विभागों से समन्वय।

23.महिला एंव बाल विकास विभाग–

- स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार आल्याण के साथ समन्वय
- महिलाओं की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन तथा पुनः स्थापन हेतु लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।

8.4. क्षति आंकलन प्रक्रिया

क्षति एवं प्रभाव का आंकलन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बंधित विभागों द्वारा की जायेगी। क्षति आकलन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित कर, सभी प्रकार की क्षति का डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेगा। ऐसे फोटो एवं वीडियों में किसी जिम्मेदार सरकारी कर्मी का फोटो होना आवश्यक होगा। विभागों द्वारा किये गये क्षति आंकलन के अनुरुप पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन हेतु लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि कार्य योजना बनाई जोगी तथा इन कार्यो को संपन्न करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान किया जायेगा।

क्षति आंकलन प्रपत्र

आपदा के उपरान्त संभावित क्षति के आंकलन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा अनुमोदित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिंदु सम्मिलित नहीं हैं, तो इन्हें सम्मिलित करते हुए क्षति आंकलन का कार्य किया जायेगा।

8.5. लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य

आपदा के पश्चात प्रभावितों के तत्काल पुनःस्थापन एवं राहत तथा क्षति ग्रस्त एवं आपदा प्रभावित अधोसंरचनाओ एवं आवश्यक सेवाओ के बहाली हेतु उल्लेखित विभागों द्वारा निम्नाकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे।

8.5.1. मुफ्त खाद्यान्न का वितरण :

प्रभावितों को निर्धारित मान दर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

8.5.2 राहत वितरण :

क्षति आकलन करने के बाद प्रभावितो को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण प्रारंभ किया जायेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड / ग्राम स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण एवं परामर्श से किया जाएगा। यदि राहत वितरण में भेद–भाव अथवा किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच एवं निष्पादन संबन्धित पदाधिकारियों की टीम से अविलम्ब कराया जाएगा ताकि राहत वितरण में अनावश्यक कठिनाइयाँ एवं विवाद पैदा न हो सके।

8.5.3 क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माणः

संबंधित विभाग अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचना की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुर्नस्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर, सर्वप्रथम आधारभूत संरचनाओं का त्वरित पुनर्स्थापन करेंगे,तत्पश्चात् पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा।

8.5.4 महामारी की रोकथाम :

आपदा के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना रहती है। अतएव महामारीकी रोकथाम हेतु तुरंत स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभागों द्वारा निरोधात्मक कदम उठाए जाऐंगे।

8.5.5 जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था :

जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों से तुरंत जल निकासी की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी।

8.6. दीर्घ अवधि की पुर्ननिर्माण गतिविधियां

दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु आपदा प्रभावित क्षेत्रो में आवश्यकताओ एवं सेवाओं का आंकलन कर, उनकी बहाली हेतु योजनाओं का चयन कर अथवा नवींन योजनाए बनाकर, केंद्र शासन, राज्य शासन और जिला स्थित विभागों के समर्थन से संपन्न किया जायेगा। जनपद के जोखिम विश्लेषण के आधार पर दीर्घ–अवधि संरचनात्मक कार्ययोजना समय सीमा के साथ प्रस्तावित की जायेंगी।

अध्याय : 9
आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को लागू किये जाने हेतु बजट व्यवस्था
(Finacial Resources for Implementation of DDMP)

9.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत वित्तीय व्यवस्थाएँ

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के आधार पर DDMP (जिला आपदा प्रबंधन योजना) को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधन बहुत जरूरी हैं। ये संसाधन राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF), जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष (DDRF) और जिला आपदा न्यूनीकरण कोष (DDMF) सहित अन्य स्रोतों से आ सकते हैं। DDMP कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों का विवरण इस प्रकार है–

भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ की गई हैं। उत्तराखंड में इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्थाएँ लागू होती हैं

9.1.1 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) के तहत यह कोष स्थापित किया गया है।
- इसके दिशा–निर्देश धारा 62 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
- इस कोष का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीट हमले जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- निधि के मौजूदा स्रोत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित यह कोष आपदा प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए प्राथमिक स्रोत है और इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

9.1.2 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)

- धारा 46 के तहत गठित इस कोष के दिशा–निर्देश धारा 46(2) के तहत जारी किए गए हैं।
- जब किसी राज्य में आपदा इतनी गंभीर होती है कि SDRF का बजट पर्याप्त नहीं होता, तो NDRF से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- इसमें उन्हीं आपदाओं को कवर किया जाता है, जो SDRF में शामिल होती हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार द्वारा गंभीर मानी जाती हैं।

9.1.3 केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes & CSS) के अंतर्गत फ्लेक्सी–फंड

- नीति आयोग द्वारा 17 अगस्त 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में फ्लेक्सी–फंड का प्रावधान किया गया है।
- इन फंड्स का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण शमन (mitigation) और पुनर्स्थापन (Restoration) गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- यह धनराशि उन क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जो आंतरिक सुरक्षा संकटों से प्रभावित हैं।

9.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष

9.2.1 जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष (DDRF)

- धारा 48 के तहत जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- यह कोष जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाएगा।
- इस कोष का संचालन भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

9.2.2 जिला आपदा शमन कोष (DDMF)

- धारा 48 के तहत जिला स्तर पर आपदा शमन (mitigation) कोष की स्थापना की जाएगी।

जनपद अन्तर्गत राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा विगत 5 वर्षो में अवमुक्त एवं व्यय धनराशि का विवरण –

राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) के राहत एवं बचाव मद (Rescovery and Reconstruction) में वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक शासन से प्राप्त धनराशि तथा जनपद स्तर द्वारा व्यय धनराशि का विवरण– (रू0 लाख में)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि		जनपद द्वारा व्यय की गयी धनराशि का			स्वीकृति के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में जनपद में अवशेष धनराशि
		शासनादेश संख्या व स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत योजनाओं / कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	2021-22	शासनादेश संख्या 479/XVIII-B-1/2021-12(5)/2021TC दिनांक 07 अप्रैल, 2021	9375000.00	244	78750000.00	35934000.00	35934000.00	42816000.00	35934000.00	42816000.00
		शासनादेश संख्या 579/XVIII-B-1/2021-12(5)/2021TC दिनांक 07 मई 2021	9375000.00							
		शासनादेश संख्या 1769/XVIII-B-1/2021-12(5)/2021TC दिनांक 21 दिसम्बर 2021	50000000.00							
		शासनादेश संख्या 1264/XVIII-B-1/2021-12(5)/2021TC दिनांक 16 सितम्बर 2021	10000000.00							
वित्तीय वर्ष का योग			78750000.00	244	78750000.00	35934000.00	35934000.00	42816000.00	35934000.00	42816000.00

वित्तीय वर्ष का योग			78750000.00	244	78750000.00	35934000.00	35934000.00	42816000.00	35934000.00	42816000.00
2	2022-23	शासनादेश संख्या 319/XVIII–B–1/2022–12(4)/2013TC दिनांक 19 अप्रैल, 2022	10000000.00	473	190000000.00	112810000.00	112810000.00	77190000.00	112810000.00	77190000.00
		शासनादेश संख्या 763/XVIII–B–1/2022–12(4)/2013TC–1 दिनांक 16 अगस्त, 2022	30000000.00							
		शासनादेश संख्या 1477/XVIII–B–1/2022–12(4)/2013TC–1 दिनांक 27 दिसम्बर 2022	150000000.00							
वित्तीय वर्ष का योग			190000000.00	473	190000000.00	112810000.00	112810000.00	77190000.00	112810000.00	77190000.00
3	2023-24	शासनादेश संख्या 585/XVIII–B–1/2023–12(05)/2023 दिनांक 24 अप्रैल, 2023	40000000.00	510	155000000.00	143639290.00	143639290.00	11360710.00	143639290.00	11360710.00
		शासनादेश संख्या 963/XVIII–B–1/2023–12(05)/2023 दिनांक 13 जुलाई, 2023	15000000.00							
		शासनादेश संख्या 50/XVIII–1/2024–12(05)/2023 दिनांक 18 जनवरी 2024	100000000.00							
वित्तीय वर्ष का योग			155000000.00	510	155000000.00	143639290.00	143639290.00	11360710.00	143639290.00	11360710.00
4	2024-25	शासनादेश संख्या 692/XVIII–B–1/2024–12(04)/2024 दिनांक 23 अप्रैल 2024	100000000.00	514	180000000.00	109164500.00	109164500.00	70835500.00	109164500.00	70835500.00
		शासनादेश संख्या 371/XVIII–B–1/2024–12(04)/2024 दिनांक 24 अप्रैल 2024	10000000.00							
		शासनादेश संख्या 303/XVIII–B–1/2025–12(04)/2024 दिनांक 12 मार्च 2025	70000000.00							
वित्तीय वर्ष का योग			180000000.00	514	180000000.00	109164500.00	109164500.00	70835500.00	109164500.00	70835500.00
5	2025-26	शासनादेश संख्या 454/XVIII-B-1/2025-12(05)/2024 दिनांक 23 अप्रैल 2025, एवं	40000000.00	35	140000000.00	14792300.00	14792300.00	125207700.00	14792300.00	125207700.00
		शासनादेश संख्या 157/XVIII-B-1/2025-12(10)/2025 दिनांक 10 फरवरी 2026	100000000.00							
वित्तीय वर्ष का योग			140000000.00	35	140000000.00	14792300.00	14792300.00	125207700.00	14792300.00	125207700.00
महायोग (2021–22 से 2025–26) (10			743750000.00	1776	743750000.00	416340090.00	416340090.00	327409910.00	416340090.00	327409910.00

राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) के राहत एवं बचाव मद (Response and Relief) में वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक शासन से प्राप्त धनराशि तथा जनपद स्तर द्वारा व्यय धनराशि का विवरण– (रू0 लाख में)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	योजना / प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण			
		स्वीकृत योजना का नाम / क्रय किये गये उपकरणों का नाम / प्रकार	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय / अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2021-22	मृतक–09	–	3600000.00	3600000.00	0.00	0.00	3600000.00
		घायल–01		12700.00	12700.00	0.00	0.00	12700.00
		कोविड–19 मृतक–246		12300000.00	12300000.00	0.00	0.00	12300000.00
		पशुहानि–34		589600.00	589600.00	0.00	0.00	589600.00
		गौशाला–24		50400.00	50400.00	0.00	0.00	50400.00
		पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन–6		611400.00	611400.00	0.00	0.00	611400.00
		तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन–131		13348900.00	13348900.00	0.00	0.00	13348900.00
		आंशिक क्षतिग्रस्त भवन –456		2365200.00	2365200.00	0.00	0.00	2365200.00
		आंगन– 1979		10290800.00	10290800.00	0.00	0.00	10290800.00
		अहेतुक सहायता–58		178440.00	178440.00	0.00	0.00	178440.00
		अलाव एवं कम्बल वितरण		420080.00	420080.00	0.00	0.00	420080.00
		अन्य व्यय		410949.00	410949.00	0.00	0.00	410949.00
वित्तीय वर्ष का योग				44178469.00	44178469.00	0.00	0.00	44178469.00
1	2022-23	मृतक–01	–	400000.00	400000.00	0.00	0.00	400000.00
		कोविड–19 मृतक–21		1050000.00	1050000.00	0.00	0.00	1050000.00
		पशुहानि–16		242000.00	242000.00	0.00	0.00	242000.00
		गौशाला–03		6300.00	6300.00	0.00	0.00	6300.00
		तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन–71		7285900.00	7285900.00	0.00	0.00	7285900.00
		आंशिक क्षतिग्रस्त भवन –224		1184300.00	1184300.00	0.00	0.00	1184300.00
		आंगन– 420		2184000.00	2184000.00	0.00	0.00	2184000.00
		अहेतुक सहायता–6		17400.00	17400.00	0.00	0.00	17400.00
		अलाव एवं कम्बल वितरण		409350.00	409350.00	0.00	0.00	409350.00
		कृषि इनपुट सब्सिडी		269250.00	269250.00	0.00	0.00	269250.00
वित्तीय वर्ष का योग				13048500.00	13048500.00	0.00	0.00	13048500.00

वित्तीय वर्ष का योग				13048500.00	13048500.00	0.00	0.00	13048500.00
2	2023-24	कोविड–19 मृतक–1	–	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00
		पशुहानि–05		122000.00	122000.00	0.00	0.00	122000.00
		गौशाला–06		18000.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00
		पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन–01		130000.00	130000.00	0.00	0.00	130000.00
		तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन–52		6735120.00	6735120.00	0.00	0.00	6735120.00
		आंशिक क्षतिग्रस्त भवन –368		2389500.00	2389500.00	0.00	0.00	2389500.00
		अहैतुक सहायता–03		10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00
		आलाव एवं कम्बल वितरण		711865.00	711865.00	0.00	0.00	711865.00
		कृषि इनपुट सब्सिडी		114195.00	114195.00	0.00	0.00	114195.00
		अन्य व्यय		3050.00	3050.00	0.00	0.00	3050.00
वित्तीय वर्ष का योग				10283730.00	10283730.00	0.00	0.00	10283730.00
1	2024-25	मृतक–13	–	5200000.00	5200000.00	0.00	0.00	5200000.00
		घायल–5		27000.00	27000.00	0.00	0.00	27000.00
		पशुहानि–34		504000.00	504000.00	0.00	0.00	504000.00
		गौशाला–20		60000.00	60000.00	0.00	0.00	60000.00
		तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन–130		16612280.00	16612280.00	0.00	0.00	16612280.00
		आंशिक क्षतिग्रस्त भवन 659		4283500.00	4283500.00	0.00	0.00	4283500.00
		अहैतुक सहायता–104		490000.00	490000.00	0.00	0.00	490000.00
		आलाव एवं कम्बल वितरण		826989.00	826989.00	0.00	0.00	826989.00
		कृषि इनपुट सब्सिडी		833930.00	833930.00	0.00	0.00	833930.00
		अन्य व्यय		48950.00	48950.00	0.00	0.00	48950.00
वित्तीय वर्ष का योग				28886649.00	28886649.00	0.00	0.00	28886649.00
1	2025-26	मृतक–01		400000.00	400000.00	0.00	0.00	400000.00
		घायल–01		5400.00	5400.00	0.00	0.00	5400.00
		पशुहानि–09		208500.00	208500.00	0.00	0.00	208500.00
		गौशाला–31		93000.00	93000.00	0.00	0.00	93000.00
		पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन–02		330000.00	330000.00	0.00	0.00	330000.00
		तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन–108		11028500.00	11028500.00	0.00	0.00	11028500.00
		आंशिक क्षतिग्रस्त भवन –1057		6870500.00	6870500.00	0.00	0.00	6870500.00
		अहैतुक सहायता–14		67500.00	67500.00	0.00	0.00	67500.00
		कृषि इनपुट सब्सिडी		124800.00	124800.00	0.00	0.00	124800.00
		क्षतिग्रस्त झोपडी–01		4000.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00
		अन्य व्यय		6587.00	6587.00	0.00	0.00	6587.00
वित्तीय वर्ष का योग				19138787.00	19138787.00	0.00	0.00	19138787.00
महायोग (2021–22 से 2025–26) (10 फरवरी, तक)				115536135.00	115536135.00	0.00	0.00	115536135.00

राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) के राहत एवं बचाव मद (Rescovery and Reconstruction) में वित्तीय वर्ष 2021 22 से वित्तीय वर्ष 2025 26 तक शासन से प्राप्त धनराशि तथा जनपद स्तर द्वारा व्यय धनराशि का विवरण (रू0 लाख में)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि		जनपद द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण			स्वीकृति के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में जनपद में अवशेष धनराशि
		शासनादेश संख्या व स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत योजनाओं/कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	2021-22	शासनादेश संख्या 479/XVIII-B-1/2021-12(5)/2021TC दिनांक 07 अप्रैल, 2021	9375000.00	244	78750000.00	35934000.00	35934000.00	42816000.00	35934000.00	42816000.00
		शासनादेश संख्या 579/XVIII-B-1/2021-12(5)/2021TC दिनांक 07 मई 2021	9375000.00							
		शासनादेश संख्या 1769/XVIII-B-1/2021-12(5)/2021TC दिनांक 21 दिसम्बर 2021	50000000.00							
		शासनादेश संख्या 1264/XVIII-B-1/2021-12(5)/2021TC दिनांक 16 सितम्बर 2021	10000000.00							
वित्तीय वर्ष का योग			78750000.00	244	78750000.00	35934000.00	35934000.00	42816000.00	35934000.00	42816000.00
2	2022-23	शासनादेश संख्या 319/XVIII-B-1/2022-12(4)/2013TC दिनांक 19 अप्रैल, 2022	10000000.00	473	190000000.00	112810000.00	112810000.00	77190000.00	112810000.00	77190000.00
		शासनादेश संख्या 763/XVIII-B-1/2022-12(4)/2013TC-1 दिनांक 16 अगस्त, 2022	30000000.00							
		शासनादेश संख्या 1477/XVIII-B-1/2022-12(4)/2013TC-1 दिनांक 27 दिसम्बर 2022	150000000.00							
वित्तीय वर्ष का योग			190000000.00	473	190000000.00	112810000.00	112810000.00	77190000.00	112810000.00	77190000.00
3	2023-24	शासनादेश संख्या 585/XVIII-B-1/2023-12(05)/2023 दिनांक 24 अप्रैल, 2023	40000000.00	510	155000000.00	143639290.00	143639290.00	11360710.00	143639290.00	11360710.00
		शासनादेश संख्या 963/XVIII-B-1/2023-12(05)/2023 दिनांक 13 जुलाई, 2023	15000000.00							
		शासनादेश संख्या 50/XVIII-1/2024-12(05)/2023 दिनांक 18 जनवरी 2024	100000000.00							
वित्तीय वर्ष का योग			155000000.00	510	155000000.00	143639290.00	143639290.00	11360710.00	143639290.00	11360710.00
4	2024-25	शासनादेश संख्या 692/XVIII-B-1/2024-12(04)/2024 दिनांक 23 अप्रैल 2024	100000000.00	514	180000000.00	109164500.00	109164500.00	70835500.00	109164500.00	70835500.00
		शासनादेश संख्या 371/XVIII-B-1/2024-12(04)/2024 दिनांक 24 अप्रैल 2024	10000000.00							
		शासनादेश संख्या 303/XVIII-B-1/2025-12(04)/2024 दिनांक 12 मार्च 2025	70000000.00							
वित्तीय वर्ष का योग			180000000.00	514	180000000.00	109164500.00	109164500.00	70835500.00	109164500.00	70835500.00
5	2025-26	शासनादेश संख्या 454/XVIII-B-1/2025-12(05)/2024 दिनांक 23 अप्रैल 2025, एवं	40000000.00	35	140000000.00	14792300.00	14792300.00	125207700.00	14792300.00	125207700.00
		शासनादेश संख्या 157/XVIII-B-1/2025-12(10)/2025 दिनांक 10 फरवरी 2026	100000000.00							
वित्तीय वर्ष का योग			140000000.00	35	140000000.00	14792300.00	14792300.00	125207700.00	14792300.00	125207700.00
महायोग (2021–22 से 2025–26) (10 फरवरी, तक)			743750000.00	1776	743750000.00	416340090.00	416340090.00	327409910.00	416340090.00	327409910.00

राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) के राहत एवं बचाव मद (Preparedness and Capacity Building) में वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक शासन से प्राप्त धनराशि तथा जनपद स्तर द्वारा व्यय धनराशि का विवरण–(रू0 लाख में)											
क्रमांक	वित्तीय वर्ष	शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि		जनपद द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण			स्वीकृति/क्रय के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कुल धनराशि	व्यय का विस्तृत विवरण प्रारूप–6 में संलग्न है अथवा नहीं	वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में जनपद में अवशेष धनराशि
		शासनादेश संख्या व स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत योजनाओं/क्रय किये गये उपकरणों का प्रकार/ संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2021-22	शासनादेश संख्या 479/XVIII-B-1/2021-12(5)/ 2021TC दिनांक 07 अप्रैल 2021	3125000.00	11	6250000.00	6107789.00	6107789.00	142211.00	है	6107789.00	142211.00
		शासनादेश संख्या 479/XVIII-B-1/2021-12(5)/ 2021TC दिनांक 07 अप्रैल 2021	3125000.00								
वित्तीय वर्ष का योग			6250000.00	11	6250000.00	6107789.00	6107789.00	142211.00		6107789.00	142211.00
2	2022-23	शासनादेश संख्या 319/XVIII-B-1/2022-12(4)/ 2023 TC-1 दिनांक 19 अप्रैल 2022	10000000.00	9	20000000.00	7017176.00	7017176.00	12982824.00	है	7017176.00	12982824.00
		शासनादेश संख्या 319/XVIII-B-1/2022-12(4)/ 2023TC-1 दिनांक 16 अप्रैल 2022	10000000.00								
वित्तीय वर्ष का योग			20000000.00	9	20000000.00	7017176.00	7017176.00	12982824.00		7017176.00	12982824.00
3	2023-24	शासनादेश संख्या 585/XVIII-B-1/2023-2(05)/2023 दिनांक 24 अप्रैल 2023	10000000.00	23	15000000.00	2944057.00	2944057.00	12055943.00	है	2944057.00	12055943.00
		शासनादेश संख्या 963/XVIII-B-1/2023-12(05)/ 2023 दिनांक 13 जुलाई 2023	5000000.00								
वित्तीय वर्ष का योग			15000000.00	23	15000000.00	2944057.00	2944057.00	12055943.00		2944057.00	12055943.00
4	2024-25	शासनादेश संख्या 635/XVIII-B-1/2024-12(05)/ 2024 दिनांक 03 जुलाई 2023	10000000.00	13	15000000.00	8075727.00	8075727.00	1924273.00	है	8075727.00	1924273.00
वित्तीय वर्ष का योग			10000000.00	13	15000000.00	8075727.00	8075727.00	1924273.00		8075727.00	1924273.00
5	2025-26	शासनादेश संख्या 454/XVIII-B-1/2025-12(05)/ 202 दिनांक 23 अप्रैल 2025	10000000.00	11	50000000.00	17568918.00	17568918.00	32431082.00	है	17568918.00	32431082.00
		शासनादेश संख्या 633/XVIII-B-1/2025-12(05)/ 2025 दिनांक 13 जून 2025	10000000.00								
		शासनादेश संख्या 157/XVIII-B-1/2025-12(05)/ 2025 दिनांक 10 फरवरी 2026	30000000.00								
वित्तीय वर्ष का योग			50000000.00	11	50000000.00	17568918.00	17568918.00	32431082.00		17568918.00	32431082.00
महायोग (2021–22 से 2025–26) (10 फरवरी, तक)			101250000.00	67	106250000.00	41713667.00	41713667.00	59536333.00		41713667.00	59536333.00

1– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल स्वीकृत योजनाओं/ उपकरणों का क्रय प्रस्तावों की संख्या –	67
2– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल स्वीकृत धनराशि– रू0–	101250000.00
3– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल अवमुक्त धनराशि – रू0–	41713667.00

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य आपदा मोचन निधि अन्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय विवरण

आदेश संख्या	Response and Relief	Recovery and Reconstruction	Preparedness and Capacity building	कुल आवंटित धनराशि
454 /XVIII-B-1/2025-12(05)/2025 दिनांक 23–04–2024	5,00,00,000.00	4,00,00,000.00	1,00,00,000.00	10,00,00,000.00
633 /XVIII-B-1/2025-12(05)/2025 दिनांक 13–06–2025	0.00	0.00	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
972 /XVIII-B-1/2025-12(05)/2025 दिनांक 10–10–2025	2,00,00,000.00	0.00	0.00	2,00,00,000.00
कुल प्राप्त बजट	**7,00,00,000.00**	**4,00,00,000.00**	**2,00,00,000.00**	**13,00,00,000.00**

क्र0	व्यय का विवरण	आदेश संख्या	व्यय धनराशि			अवशेष धनराशि		
			Response and Relief	Recovery and Reconstruction	Preparedness and Capacity building	Response and Relief	Recovery and Reconstruction	Preparedness and Capacity building
1	2	3	4	5	6	7		9
मदवार कुल व्यय :–			2,28,46,675.00	3,49,92,300.00	1,75,68,918.00	कुल व्यय धनराशि :–		7,54,07,893.00
मदवार कुल अवशेष			4,71,53,325.00	50,07,700.00	24,31,082.00	कुल अवशेष धनराशि :–		5,45,92,107.00

वित्तीय वर्ष 2025-26 में Non-SDRF मद अन्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय विवरण				
शासनादेश संख्या			आवंटित धनराशि	कुल आवंटित धनराशि
552/XVIII-B-1/2025-12(01)/2019 दिनांक 13-05-2025			1,50,00,000.00	2,00,00,000.00
16/XVIII-B-1/2026-12(01)/2019(E-86355) दिनांक 08-01-2026			50,00,000.00	
कुल प्राप्त बजट			2,00,00,000.00	2,00,00,000.00
क्र0	व्यय का विवरण	आदेश संख्या	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	5	6
1	पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वाराहाट	6082 / तेरह–10 / Non-SDRF/M-1F.Y. 2025-26 दिनांक 01–05–2025	19,32,000.00	1,80,68,000.00
2	पी0एम0जी0एस0वाई0 सल्ट	6082 / तेरह–10 / Non-SDRF/M-1F.Y. 2025-26 दिनांक 01–05–2025	20,23,000.00	1,60,45,000.00
3	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।	6082 / तेरह–10 / Non-SDRF/M-1F.Y. 2025-26 दिनांक 01–05–2025	14,86,000.00	1,45,59,000.00
4	नगर निगम अल्मोड़ा	7240 / तेरह–12 / छवदै.क्त्थ्ड.1थ्ल्प 2025.26 दिनांक 21–08–2025	10,21,000.00	1,35,38,000.00
कुल व्यय :–			64,62,000.00	1,35,38,000.00
कुल अवशेष			1,35,38,000.00	

वित्तीय वर्ष 2025-26 में SDMF राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद अन्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय विवरण				
शासनादेश संख्या			आवंटित धनराशि	कुल आवंटित धनराशि
489/XVIII-B-1/2025-12(7)/2018 दिनांक 28–04–2025			1,00,00,000.00	1,50,00,000.00
1142/XVIII-B-1/2025-12(7)/2018 दिनांक 30–12–2026			50,00,000.00	
कुल प्राप्त बजट			1,50,00,000.00	1,50,00,000.00
क्र0	व्यय का विवरण	आदेश संख्या	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	9
1	ग्रामीण निर्माण विभाग अल्मोड़ा	6083 / तेरह–11 / SDMF/M-2(F.Y. 2025-26 दिनांक 27–06–2025	10,00,000.00	1,40,00,000.00
2	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।	6083 / तेरह–11 / SDMF/M-2(F.Y. 2025-26 दिनांक 27–06–2025	9,41,000.00	1,30,59,000.00
3	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	6083 / तेरह–11 / SDMF/M-2(F.Y. 2025-26 दिनांक 27–06–2025	14,94,000.00	1,15,65,000.00
4	पी0एम0जी0एस0वाई0 सल्ट	6083 / तेरह–11 / SDMF/M-2(F.Y. 2025-26 दिनांक 27–06–2025	15,30,000.00	1,00,35,000.00
5	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अल्मोड़ा	2624 / तेरह–11 / एस0डी0आर0एफ0 / 2025.26 दिनांक 02–01–2026	14,49,000.00	85,86,000.00
6	पी0एम0जी0एस0वाई0 सल्ट	2624 / तेरह–11 / एस0डी0आर0एफ0 / 2025.26 दिनांक 02–01–2026	4,99,000.00	80,87,000.00
कुल व्यय :–			69,13,000.00	80,87,000.00
कुल अवशेष			80,87,000.00	

9.3 राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ

- धारा 40 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों को अपने आपदा प्रबंधन योजनाएँ (DM Plans) तैयार करनी होंगी।
- प्रत्येक विभाग को वित्तीय प्रावधानों का अनुमान लगाकर उन्हें अपने वार्षिक बजट और चल रही योजनाओं में शामिल करना होगा।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) से परामर्श कर शमन परियोजनाओं (mitigation project) के लिए उपयुक्त वित्त पोषण एजेंसियों की पहचान करनी होगी।

9.4 तकनीकी–वित्तीय व्यवस्था (Techno & Financial Regime)

- सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहायता से आपदा के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती।
- इस समस्या से निपटने के लिए नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा,
- कैटास्ट्रॉफिक जोखिम वित्तपोषण (Catastrophe Risk Financing)
- जोखिम बीमा (Risk Insurance)
- कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स (Catastrophe Bonds)
- माइक्रो–फाइनेंस और माइक्रो–इंश्योरेंस
- पर्यावरण राहत कोष (Environmental Relief Fund), जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत स्थापित किया गया था, का उपयोग रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाता है।
- आपदा जोखिम बीमा, माइक्रो–इंश्योरेंस, नए बनाए गए घरों की वारंटी, और सुरक्षित निर्माण को होम लोन से जोड़ने जैसी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा।

9.5 अन्य वित्तीय विकल्प

- DDMA विभिन्न विभागों के साथ मिलकर आपदा के बाद बुनियादी ढांचे और आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तीय विकल्पों की पहचान करेगा।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में उपलब्ध फ्लेक्सी फंड का उपयोग आपदा शमन और पुनर्स्थापन कार्यों में किया जाएगा।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के तहत आपदा सहनशीलता (disaster resilience) को बढ़ाने के लिए निवेश की संभावनाएँ तलाशी जाएँगी।

अध्याय : 10

आपदा प्रबंधन कार्ययोजना की निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिये प्रक्रिया और कार्यप्रणाली

(Procedure And Methodology for Monitoring, Evaluation, updation And Maintenance of DDMP)

10.1 परिचय

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) क्षैतिज (Horizontal) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) स्तरों पर बनाई गई योजनाओं का समग्र रूप है।

- जनपद अल्मोड़ा जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो किसी भी विभाग या प्रशासन के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं है।
- आपदा प्रबंधन का मूल सिद्धांत यह है कि यह सभी विभागों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता।

10.2 जिला आपदा कार्ययोजना के रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), अल्मोड़ा प्रतिवर्ष इस योजना को अपडेट करेगा और इसकी स्वीकृत प्रति सभी हितधारकों को वितरित करेगा।
- DDMA, अल्मोड़ा निम्नलिखित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं के अनुसार योजना के संचालन, समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा
    - धारा 31, उपधारा (4) दृ जिला योजना की हर वर्ष समीक्षा और अद्यतन (Update) किया जाना अनिवार्य है।
    - धारा 31, उपधारा (7) दृ जिला प्राधिकरण समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और जिले के विभिन्न सरकारी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

10.3 जिला आपदा कार्ययोजना की उचित निगरानी और मूल्यांकन

- DDMA, अल्मोड़ा हर छह महीने में अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करेगा, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा और DDMP का अद्यतन किया जाएगा।
- सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को इस बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- ये विभाग अपनी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही (हर तीन महीने) में प्रस्तुत करेंगे और आपदा प्रबंधन से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें (recommendations) देंगे।

10.4 जिला आपदा कार्ययोजना के लिये आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र

- DDMA अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि हर आपदा के बाद, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके प्रभावों पर डेटा एकत्र करने की विशेष व्यवस्था की जाए।
- पोस्ट–डिजास्टर मूल्यांकन तंत्र के लिए विशेषज्ञों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं की एक टीम बनाई जाएगी, जो एकत्र किए गए डेटा का सत्यापन और दस्तावेजीकरण करेगी।

- यह डेटा आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) में संग्रहीत किया जाएगा और भविष्य की संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- DDMA आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का मूल्यांकन बैठकों और हितधारकों से परामर्श करके करेगा।

10.5 जिला आपदा कार्ययोजना के अद्यतनीकरण (Updation)की अनुसूची

DDMP को उपरोक्त प्रक्रियाओं के साथ निम्नलिखित तरीकों से अपडेट किया जाएगा

1. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) से नियमित रूप से डेटा संग्रह।
2. डेटा का गहन विश्लेषण।
3. DDMA अध्यक्ष द्वारा समीक्षा।
4. योजना का अद्यतन और इसे हितधारकों के बीच प्रचारित करना।

अपडेटेड DDMP डेटा को जिला सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की वेबसाइट पर रखा जाएगा ताकि इसे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके।

DDMA अध्यक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर योजना को छमाही आधार (biannual basis) पर अपडेट करने की जिम्मेदारी लेंगे:

- ✓ जिले में उपलब्ध उपकरणों की सूची।
- ✓ मानव संसाधन का विवरण, संपर्क पता और फोन नंबर ।
- ✓ पिछली आपदाओं के अनुभव और उनकी विस्तृत मैट्रिक्स को अपडेट करना।
- ✓ संचालन गतिविधियों और स्थान में प्रमुख परिवर्तन SOPs और चेकलिस्ट के माध्यम से)।
- ✓ प्रशिक्षण और आपदा से निपटने के अभ्यास (Mock Drills) से मिली सीख।
- ✓ आपदा की घटनाओं में बदलाव।
- ✓ संभावित खतरों की पहचान में तकनीकी नवाचार और नई तकनीकों का उपयोग।
- ✓ जनसंख्या संरचना में बदलाव।
- ✓ भू–राजनीतिक (Geo&political) माहौल में बदलाव।

क्र.स.	माह	प्रस्तावित गतिविधियां
01	अक्टूबर	रेखीय विभागों द्वारा DDMP की समीक्षा
02	अक्टूबर – नंवबर	DDMA को सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण
03	नंवबर – दिसंबर	संशोधनों का सभी हितधारकों में वितरण
04	दिसंबर – जनवरी	SDMA को अनुमोदन के लिए प्रस्तुतिकरण/अपडेटेड योजना को DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड करना

10.6 DDMA/SDMA वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना

जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है प्रत्येक अद्यतन के बाद इसे जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer) की निगरानी में DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यह अपलोडिंग DDMA अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जाएगी।

10.7 मॉक ड्रिल (Mock Drills) का आयोजन

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act 2005) की धारा 30 (2) (X) के अनुसार:-

- जिला प्राधिकरण को यह समीक्षा करनी होगी कि जिले में किसी भी आपदा या संभावित आपदा स्थिति से निपटने की क्षमता कैसी है।
- प्रशासन को आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों और अधिकारियों को सुधार एवं उन्नयन के निर्देश देने होंगे। इसी तरह, DM Act 2005 की धारा 30 (2) (XI) यह निर्धारित करती है कि:-
- जिला प्राधिकरण को तैयारी उपायों (Preparedness Measures) की समीक्षा करनी चाहिए।
- संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए ताकि वे प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रह सकें।

मॉक ड्रिल्स के उद्देश्य:

1. आपदा से निपटने की तैयारी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
2. कमियों की पहचान और उनका सुधार।
3. सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संगठनों और समुदायों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना।
4. आपदा प्रबंधन योजना (DDMP), आपातकालीन सहायता कार्य (ESFs) और मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) की प्रभावशीलता की जांच।
5. सीखे गए पाठों के आधार पर योजना में आवश्यक संशोधन करना।
6. आपदा के दौरान एवं पुनर्प्राप्ति चरण में त्वरित, संगठित और बेहतर प्रतिक्रिया को सक्षम बनाना।

10.7.1 जिला अभ्यास आयोजित करने के लिये जिम्मेदार पक्ष– जिला अभ्यास आयोजित करने के लिये निम्न जिम्मेदार है–

स्तर 1: जिला स्तर– जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एंव अपर जिलाधिकारी अल्मोड़ा कि जिम्मेदारी होगी।

इसमें अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी (CDO), पुलिस अधीक्षक (SSP), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), जिला परिषद अध्यक्ष, और अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

अन्य प्रतिभागी:

- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
- लोक निर्माण विभाग (PWD, UPCL), जल संस्थान/जल निगम
- राजस्व विभाग
- उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार, खंड अधिकारी
- नगर परिषद/ नगरपालिका
- पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधि – सरपंच, ग्राम सेवक
- दमकल विभाग
- होम गार्ड्स और स्वयंसेवक
- जिला जनसंपर्क अधिकारी (DPRO)
- परिवहन विभाग
- खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
- अर्धसैनिक बल (ITBP)
- सेना
- एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0

स्तर 2: उप–मंडल (Sub-Divisional) स्तर

उपजिलाधिकारी (SDM) को तहसील स्तर पर मॉक अभ्यास (Mock Exercise) कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

स्तर 3: खंड (Block)स्तर

- खंड विकास अधिकारी (BDO) खंड स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित कराने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

स्तर 4: पंचायत स्तर

- ग्राम पंचायत स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान (Pradhan) की होगी।
- प्रत्येक गांव में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (Village Disaster Management Committee) इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करेगी।

स्तर 5: विभागीय स्तर

- संबंधित विभागों, इकाइयों के विभागाध्यक्ष (HODs) अपने–अपने विभागों में ऑन–साइट और ऑफ–साइट मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे।
- इन मॉक ड्रिल्स को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके किया जाएगा।

10.7.2 मॉक ड्रिल के आयोजन का कार्यक्रम

- जिला प्रशासन वर्ष में दो बार अनिवार्य मॉक ड्रिल आयोजित करेगा।
- यह मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिए आवश्यक होगी।

पहली मॉक ड्रिल:

- पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले आयोजित की जाएगी।
- मार्च या अप्रैल माह में इसका आयोजन किया जाएगा, जो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

दूसरी मॉक ड्रिल:

- अंतराष्ट्रीय दशहरा महोत्सव (International Dussehra) से पहले आयोजित की जाएगी।
- इसका उद्देश्य विभागों की कार्यक्षमता की जांच करना है ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सके।

सभी स्तरों पर मॉक ड्रिल का आयोजन:

- उल्लिखित सभी स्तरों (जिला, उप–मंडल, ब्लॉक, पंचायत, और विभागीय स्तर) पर हर छह महीने में कम से कम एक बार मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
- इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन और सुधार करना होगा।

अध्याय : 11

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

(Coordination mechanism for Implementation of DDMP)

DDMP (जिला आपदा प्रबंधन योजना) के क्रियान्वयन के लिए एक प्रभावी समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism) आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी एजेंसियां, विभाग और हितधारक एक साथ मिलकर और कुशलता से काम करें। DDMP के क्रियान्वयन के लिए समन्वय तंत्र की मुख्य संरचना और कार्यप्रणाली निम्नलिखित है –

जिला स्तर पर मुख्य समन्वय संस्था जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) जिले में आपदा प्रबंधन प्रयासों के समन्वय के लिए सर्वोच्च निकाय है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी विभागों की गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का अंतिम प्रभार संभालते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि योजना में उल्लिखित जिम्मेदारियों का पालन किया जाए और विभिन्न स्तरों पर सूचना का आदान–प्रदान सुचारू रूप से हो।

बहु–क्षेत्रीय समन्वय (Multi &Sectoral Coordination)

समन्वय तंत्र विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ लाता है सरकारी विभाग पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा, लोक निर्माण विभाग (PWD) सिंचाई, कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, आदि। गैर–सरकारी संगठन (NGOs) और नागरिक समाज राहत कार्यों में सहायता, स्वयंसेवक जुटाना और प्रभावितों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामुदायिक स्तर की समितियाँ स्थानीय स्तर पर जागरूकता और प्रारंभिक चेतावनी के लिए ग्राम आपदा प्रबंधन समितियाँ (VDMC) निजी क्षेत्र रसद, मशीनरी, और आपूर्ति श्रृंखला में सहायता के लिए।

आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC)

जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) आपदा के दौरान और नियमित समय में समन्वय का केंद्र बिंदु होता है। कार्य यह चौबीसों घंटे काम करता है, सूचना एकत्र करता है, स्थितिजन्य जागरूकता बनाए रखता है, और फील्ड टीमों के साथ संचार स्थापित करता है। संचार DEOC राज्य EOC और स्थानीय स्तरों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

सूचना प्रबंधन और संचार

प्रभावी समन्वय के लिए पारदर्शी और तीव्र सूचना प्रवाह महत्वपूर्ण है। प्रोटोकॉल सूचना के आदान–प्रदान के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित किए जाते हैं —किसे रिपोर्ट करना है, क्या रिपोर्ट करना है और कब रिपोर्ट करना है।
प्रौद्योगिक संचार के लिए विभिन्न माध्यमों (रेडियो, सैटेलाइट फोन, मोबाइल नेटवर्क) का उपयोग किया जाता है ताकि मुख्य नेटवर्क विफल होने पर भी संपर्क बना रहे।

नियमित बैठकें और अभ्यास

समन्वय तंत्र को सक्रिय बनाए रखने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें और विभिन्न विभागों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि तैयारियों की समीक्षा की जा सके, मॉक अभ्यास (Mock Drills) समय–समय पर विभिन्न विभागों और हितधारकों को शामिल करते हुए अभ्यास आयोजित किए जाते हैं ताकि उनकी भूमिकाओं और समन्वय तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण किया जा सके।

11.1 अंतर–विभागीय समन्वय (Inter Departmental Coordination)

प्रत्येक हितधारक विभाग, जैसे पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, यूपीसीएल, अग्निशमन और होम गार्ड, पुलिस, बीएसएनएल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वन, राजस्व, शिक्षा, कृषि, बागवानी, रेड क्रॉस, अपने विभागीय स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी करेगा। यह समितियां त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेंगी, जिनमें विभाग की आपदा प्रबंधन तैयारियों का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही, समिति उन उपायों को निर्धारित करेगी जो उनकी क्षमताओं में मौजूद कमियों को कम करने के लिए आवश्यक हैं और उनका उचित रिकॉर्ड भी रखेगी।

11.2. विकासखण्ड स्तरीय समन्वय तंत्र

संस्थागत तंत्र के अनुसार, खण्ड विकास अधिकारी त्रैमासिक बैठक बुलाएगा, जिसमें विकास खण्ड स्तर की आपदा प्रबंधन समिति आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करेगी और पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए योजना बनाएगी। अध्यक्ष स्थिति की रिपोर्ट डीडीएमए को देगा और यदि आवश्यक हो, तो संसाधनों की मांग भेजेगा।

11.2.1 तहसील स्तर पर समन्वय तंत्र

संस्थागत तंत्र के अनुसार, तहसीलदार त्रैमासिक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें तहसील स्तर की आपदा प्रबंधन समिति तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करेगी और पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए योजना बनाएगी।

11.2.2 स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं

स्थानीय स्तर पर समुदाय अपनी आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं निभाते हैं। तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर अतिरिक्त संसाधन, सहायता, सहयोग और विशेषज्ञता प्रदान की जाती है। स्थानीय सरकार आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख प्रबंधन एजेंसी होती है। स्थानीय सरकार स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के माध्यम से समन्वित आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण प्राप्त करती है।

11.3 जिला विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त (डीसी) जिला प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता है और डीडीएमए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) का अध्यक्ष होता है, जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में उल्लेखित है। उन्हें जिले में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी अधिकारी नामित किया गया है। जिले के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की भूमिका आपदा के प्रकार और प्रकृति के आधार पर तय की जाएगी। डीडीएमए के सदस्यों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां संबंधित सदस्यों से परामर्श के बाद पहले से निर्धारित की जाएंगी।

पूर्व–आपदा समन्वय

- न्यूनतम वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और लाइन विभागों, तहसीलों और उप–मंडलों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा की जाएगी।
- बैठक के एजेंडे में प्रत्येक विभाग की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें एसएआर (खोज और बचाव) उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता और नियमित अद्यतन शामिल होगा।

आपदा चरण में समन्वय

- आपदा के दौरान फोन या अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से समन्वय करना संभव नहीं होता, इसलिए जिले के सभी लाइन विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों को आपदा के तुरंत बाद जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) में रिपोर्ट करना होगा।

- नुकसान/क्षति का आकलन डीईओसी में किया जाएगा और डीसी (उत्तरदायी अधिकारी – आरओ) विभिन्न हितधारकों को प्रभावित क्षेत्रों में उनके संसाधनों और कार्य बलों को तैनात करने का निर्देश देगा।
- पूर्व–निर्धारित स्थानों पर राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे।

आपदा के बाद समन्वय

- आपदा के बाद के चरण में, आरओ संबंधित विभागों से जल, खाद्य आपूर्ति, सड़कों, कानून और व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की जानकारी लेगा।

11.4 समुदाय के साथ समन्वय तंत्र (Coordination mechanism with the community)

समुदाय का समन्वय ग्राम आपदा प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

Figure 11.4: Disaster management committee at Village level

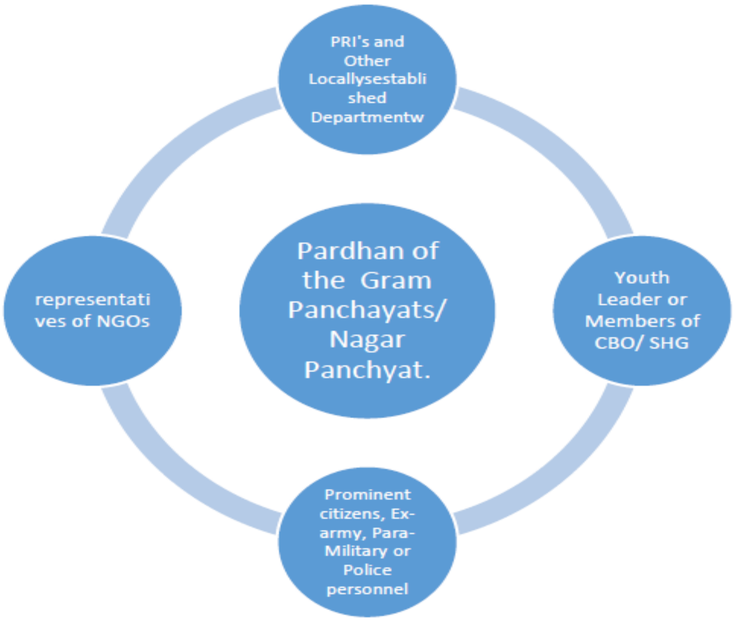

उल्लेखित समितियों को ऊपर दिए गए चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है।

11.4.1 स्थानीय समिति की बैठकों की आवृत्ति

स्थानीय समिति की बैठकें हर छह महीने में कम से कम एक बार उस विशेष समय और स्थान पर आयोजित की जानी चाहिए, जो समूह के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय समिति के अध्यक्ष को बैठक बुलानी होगी यदि:

- उस जिले की जिला आपदा प्राधिकरण द्वारा, जिसमें स्थानीय समिति स्थित है, या स्थानीय समिति के कुल सदस्यों के आधे से अधिक (एक–तिहाई से अधिक) सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध किया जाए।
- स्थानीय सरकार को अपने क्षेत्र के लिए एक स्थानीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए।
- आपदा प्रबंधन और आपदा संचालन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक समर्थन सेवाओं की पहचान करना और संबंधित जिला प्राधिकरण को सलाह प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि समुदाय को किसी आपदा की प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, उससे निपटने और पुनर्प्राप्ति के तरीकों के बारे में जागरूकता हो।

- जिला प्राधिकरण द्वारा तय की गई नीतियों और प्रक्रियाओं के तहत क्षेत्र में आपदा संचालन का प्रबंधन करना।
- आपदा संचालन से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और संबंधित जिला प्राधिकरण को सिफारिशें देना।
- उन संसाधनों की पहचान करना और उनका समन्वय करना, जिनका उपयोग आपदा संचालन के लिए किया जा सकता है।
- आपदा की स्थिति में स्थानीय समिति के भीतर और संबंधित जिला प्राधिकरण तथा अन्य स्थानीय समितियों के साथ संचार प्रणाली की स्थापना और समीक्षा करना।
- यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र में आपदा से संबंधित जानकारी तुरंत संबंधित जिला प्राधिकरण को दी जाए।
- स्थानीय सरकारी क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं की आकस्मिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
- स्थानीय प्राधिकरण के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 41 में पाई जा सकती है।

11.5 एनजीओ, सीबीओ और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय तंत्र

एनजीओ और सीबीओ की जमीनी स्तर पर समुदायों से मजबूत जुड़ाव आपदा जोखिम और संवेदनशीलता पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, हितधारक समूहों की क्षमता को मजबूत करने, आपदा की तैयारी, न्यूनीकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुधारने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण से संबंधित उभरती चिंताओं को संबोधित करने में एनजीओ स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अन्य देशों में अपनाई गई अच्छी प्रथाओं के आधार पर नवीन दृष्टिकोणों को पेश कर सकते हैं।

एनजीओ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाताओं से वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सकते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से एकीकृत और समन्वित करके जोखिम ग्रस्त समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक समन्वय बना सकते हैं।

डीडीएमए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जिले में कार्यरत एनजीओ और सीबीओ का उचित रिकॉर्ड रखेगा और उनके उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रण करेगा। डीडीएमए एनजीओ, सीबीओ और एसएचजी के साथ समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। डीडीएमए एनजीओ, सीबीओ और एसएचजी की वार्षिक बैठक बुलाएगा, जिसमें उनके संसाधनों का मानचित्रण किया जाएगा। इस बैठक का समन्वय नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

11.6 अन्य जिलों और राज्य के साथ समन्वय

डीडीएमए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण के लिए पड़ोसी जिलों के प्राधिकरणों के साथ वार्षिक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें नियमित समन्वय के माध्यम से मौजूदा कमियों को कम करने पर चर्चा की जाएगी। डीडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) या अन्य राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेगा, ताकि अन्य जिलों और राज्य प्राधिकरणों के साथ प्रभावी समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके।

अध्याय : 12
मानक प्रचालन विधि एवं चैक लिस्ट
(Standard operation Procedures and Check List)

मानक संचालन प्रक्रियाएँ (Standard Operating Procedures & SOPs) और चेकलिस्ट आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण हैं। वे विभिन्न आपातकालीन परिदृश्यों के लिए एक संरचित, कुशल और समन्वित दष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे सभी शामिल विभागों और एजेंसियों के बीच निरंतरता, भूमिकाओं की स्पष्टता और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है। SOPs विस्तृत, चरण–दर–चरण प्रक्रियाएँ हैं जो विशिष्ट स्थितियों के लिए जिम्मेदारियों और कार्यों की रूपरेखा बताती हैं। वे आपदा प्रबंधन के सभी चरणों (रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति) को कवर करते हैं और बाढ़, भूकंप, आग आदि जैसे विशिष्ट खतरों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

आपदा प्रबंधन चेकलिस्ट (Disaster Management Checklists)

12.1 पूर्व चेतावनी प्रबंधन

कार्य	उत्तरदायित्व
प्रारंभिक चेतावनी हेतु इनपुट स्रोत: IMD, CWC, MHA / NDMA / SDMA नियंत्रण कक्ष, GSI, हिम और हिमस्खलन अध्ययन केंद्र	DEOC
प्रारंभिक चेतावनी की सूचना DDMA के अध्यक्ष और सदस्यों, नोडल अधिकारियों, ADM, SDM, Dy SPs को दें	DEOC
प्रारंभिक चेतावनी को प्रभागों, ब्लॉकों और पंचायतों तक प्रसारित करें	ADM/SDM, पुलिस अधीक्षक
सभी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क पर चेतावनी संकेत प्रसारित करें	जिला सूचना अधिकारी
आधिकारिक जिला वेबसाइट पर आपदा डैशबोर्ड स्थापित करें	जिला सूचना अधिकारी
लाउडस्पीकर लगे वाहनों के माध्यम से समुदायों/जनता/ग्रामवासियों को आपदा चेतावनी की सूचना दें	तहसीलदार/नायब तहसीलदार/पटवारी
मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में पीए सिस्टम का उपयोग करके आसन्न आपदाओं की घोषणा करें	तहसीलदार/नायब तहसीलदार/पटवारी
शैक्षणिक संस्थानों को प्रारंभिक चेतावनी की जानकारी साझा करें और आवश्यकता पड़ने पर बंद करने के निर्देश दें	तहसीलदार/नायब तहसीलदार/पटवारी

12.2 पूर्व चेतावनी मिलने पर निकासी (Evacuation)

कार्य	उत्तरदायित्व
प्रारंभिक चेतावनी की सूचना मौसम विज्ञान विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, एनडीएमए, एसडीएमए, जीएसआई, हिमस्खलन अध्ययन	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
प्रारंभिक चेतावनी की सूचना DDMA के अध्यक्ष और सदस्यों, नोडल अधिकारियों, अपर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
स्थिति का मूल्यांकन करने और यह निर्णय लेने के लिए कि क्या विशेष समुदायों/जनसंख्या को निकाला जाना चाहिए, बैठक आयोजित करें	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
निकासी संबंधी निर्णय संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों को सूचित करें	DDMA
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना	संबंधित SDM और तहसीलदार
कानून–व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और विशिष्ट क्षेत्रों की घेराबंदी के लिए टीमें तैनात करें	पुलिस अधीक्षक
निकासी मार्ग, आश्रय स्थल और अन्य लॉजिस्टिक्स व्यवस्थाएँ स्थापित करें	राजस्व विभाग
सूचना डेस्क स्थापित करें	राजस्व विभाग
हेल्पलाइन नंबर स्थापित करें	BSNL

12.3 जब कोई पूर्व चेतावनी न हो तो निकासी (Evacuation)

कार्य	उत्तरदायित्व
DEOC को सक्रिय करें	DEOC
आपदा घटना की सूचना DDMA के अध्यक्ष और सदस्यों, नोडल अधिकारियों, ADM, SDM, SP को दें	DEOC
स्थिति का मूल्यांकन करने और यह निर्णय लेने के लिए कि क्या विशेष समुदायोंध्जनसंख्या को निकाला जाना चाहिए, बैठक आयोजित करें	DDMA
निकासी संबंधी निर्णय संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों को सूचित करें	DDMA
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना	संबंधित SDM और तहसीलदार
कानून–व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और विशिष्ट क्षेत्रों की घेराबंदी के लिए टीमें तैनात करें	पुलिस अधीक्षक
निकासी मार्ग, आश्रय स्थल और अन्य लॉजिस्टिक्स व्यवस्थाएँ स्थापित करें	राजस्व विभाग
सूचना डेस्क और हेल्पलाइन स्थापित करें	राजस्व विभाग

12.4 खोज और बचाव (Search and Rescue)

कार्य	उत्तरदायित्व
DEOC को सक्रिय करें	DEOC
DDMA आपदा स्थिति की समीक्षा करे और संभावित आपदा के मद्देनजर खोज और बचाव टीमों को तैनात करने का निर्णय ले	DDMA
जिला स्तर की खोज और बचाव टीमों को चिन्हित स्थानों पर तैनात करें	DDMA
खोज और बचाव के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दलों को तैनात करें	जिला अग्निशमन अधिकारी
होम गार्ड्स बचाव टीमों को तैनात करें	जिला कमांडेंट / होम गार्ड्स
NDRF की माँग करें	DDMA
स्थल पर समन्वय तंत्र स्थापित करें	ADM / SDM
विभिन्न टीमों के लिए खोज और बचाव क्षेत्रों की जिम्मेदारी निर्धारित करें	ADM / SDM
खोज और बचाव संसाधनों के लिए स्टेजिंग एरिया स्थापित करें	ADM / SDM
बचाव कर्मियों के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और स्वच्छता सुविधाओं सहित शिविर स्थापित करें	ADM / SDM
कानून–व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और विशिष्ट क्षेत्रों की घेराबंदी के लिए टीमें तैनात करें	पुलिस अधीक्षक
निकटतम हेलीपैड की पहचान करें और सुनिश्चित करें कि यह संचालन योग्य स्थिति में है	ADM / SDM
Triage स्थापित करें (घायलों को प्राथमिकता के अनुसार वर्गीकृत करना)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)/चिकित्सा अधिकारी (MO)
गंभीर रूप से घायल लोगों का परिवहन करें	CMO / MO / 108 एम्बुलेंस सेवा/रेड क्रॉस
प्राथमिक उपचार के लिए ऑनसाइट चिकित्सा शिविर या मोबाइल शिविर स्थापित करें	CMO / MO
सूचना डेस्क और मृत शरीर की पहचान की व्यवस्था करें	ADM / SDM
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जाए	संबंधित SDM और तहसीलदार
भीड़ नियंत्रण, मार्ग प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, सूचना प्रबंधन आदि सहायक कार्यों के लिए स्वयंसेवकों को तैनात करें	ADM / SDM
संकुचित स्थानों में फंसे पशुओं का बचाव करें	सहायक निदेशक – पशुपालन विभाग

12.5 राहत कार्य (Relief Operations)

कार्य	उत्तरदायित्व
उपखंड/ब्लॉकध्तहसील स्तर पर राहत आवश्यकताओं का आकलन करें (भोजन, पानी, आश्रय, स्वच्छता, कपड़े, बर्तन, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ)	ADM / SDM
उपयुक्त और सुरक्षित स्थानों की पहचान कर राहत शिविर स्थापित करें	ADM / SDM / तहसीलदार
राहत शिविरों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था स्थापित करें	UPCL
राहत शिविरों और प्रभावित समुदायों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें	पुलिस अधीक्षक
राहत शिविरों और अन्य प्रभावित समुदायों में पर्याप्त जल एवं स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित करें	EE Jalsansthan/Nagar palika/Panchyat/ Sulabh
जल शुद्धिकरण संयंत्र या अन्य सुविधाएँ स्थापित करें ताकि तत्काल जल आपूर्ति सुनिश्चित हो	जल निगम / जल संस्थान
प्रभावित समुदायों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएँ	जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO)
दुर्गम क्षेत्रों में हवाई मार्ग से सूखा और टिकाऊ खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षित पेयजल पहुँचाएँ	DM / ADM / SDM
आपदा के कारण खोई हुई आवश्यक वस्तुएँ जैसे बर्तन आदि प्रदान करें	ADM / SDM
प्रभावित समुदायों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करें	जल निगम / जल संस्थान
अस्थायी शिविरों सहित आवश्यक आश्रय व्यवस्था करें	ADM / SDM / तहसीलदार
राहत शिविरों और प्रभावित समुदायों में चिकित्सा सुविधाएँ स्थापित करें	CMO / MO / रेड क्रॉस / 108 एंबुलेंस
रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए उचित टीकाकरण की व्यवस्था करें	CMO / MO
राहत शिविरों में पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन की व्यवस्था करें	CMO / MO
राहत शिविरों में बच्चों के लिए उपयुक्त खाद्य सामग्री सुनिश्चित करें	DSO
राहत शिविरों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करें	DSO
गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करें	CMO / MO
NGO की भागीदारी सुनिश्चित करें और उनके साथ समन्वय करें	SDM / तहसीलदार
भेदभाव को रोकने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें	SDM / ADM / तहसीलदार
प्रभावित समुदायों के लिए दैनिक आवश्यक वस्तुओं (भोजन, दवाएँ, उपभोक्ता सामग्री आदि) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें	ADM / SDM / DSO
प्रभावित समुदायों को मौसम, लिंग और संस्कृति के अनुकूल पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध कराएँ, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करें	ADM / SDM / DSO
राहत सामग्री के परिवहन के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा सुनिश्चित करें	RTO
राहत लाभार्थियों और वितरण की समुचित रिकॉर्डिंग और दस्तावेजीकरण करें	ADM / SDM / तहसीलदार
मौसम की स्थिति के अनुसार पर्याप्त और उपयुक्त हीटिंग सुविधाएँ सुनिश्चित करें	DFO
रसोई के लिए जलाऊ लकड़ी, गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम उत्पाद (POL) की आपूर्ति करें	DSO / DFO
अनुग्रह भुगतान (Ex&Gratia Payment) का रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण करें	ADM / SDM / तहसीलदार
घायल पशुओं को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सहायता प्रदान करें	पशु चिकित्सा अधिकारी
आवश्यकतानुसार पशु आश्रयों की स्थापना करें	पशुपालन विभाग
पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करें	पशुपालन विभाग
आवश्यकतानुसार पशु कल्याण बोर्ड और नागरिक समाज संगठनों (NGOs) की भागीदारी सुनिश्चित करें	पशुपालन विभाग
प्रभावित लोगों के लिए नकदी निकासी हेतु बैंकिंग सुविधाएँ स्थापित करें	लीड बैंक

12.6 आवश्यक सेवाओं की बहाली (Restoration of Essential Services)

कार्य	उत्तरदायित्व
मलबा हटाने और सड़क मार्ग की सफाई के लिए आकलन करें, प्राथमिकता तय करें और कार्य योजना बनाएं	SE / EE – PWD
मलबा हटाने और सड़क मार्ग की सफाई के लिए उपकरणों से सुसज्जित टीमें गठित करें	SE / EE – PWD
विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए आकलन करें, प्राथमिकता तय करें और कार्य योजना बनाएं	SE / EE – UPCL
विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए टीमों का गठन करें	SE / EE – UPCL
जल आपूर्ति बहाल करने के लिए आकलन करें, प्राथमिकता तय करें और कार्य योजना बनाएं	जल निगम / जल संस्थान
जल आपूर्ति बहाल करने के लिए टीमों का गठन करें	जल निगम / जल संस्थान
दूरसंचार सेवाओं की बहाली के लिए आकलन करें, प्राथमिकता तय करें और कार्य योजना बनाएं	BSNL
दूरसंचार सेवाओं की बहाली के लिए टीमों का गठन करें	BSNL
महत्वपूर्ण स्थानों पर दूरसंचार सेवाओं की त्वरित बहाली के लिए अस्थायी / पोर्टेबल एक्सचेंज स्थापित करें	BSNL
सड़क नेटवर्क की बहाली के लिए आकलन करें, प्राथमिकता तय करें और कार्य योजना बनाएं	SE / EE – PWD
सड़क नेटवर्क की बहाली के लिए टीमों का गठन करें	SE / EE – PWD
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क की बहाली के लिए टीमों का गठन करें	SE / EE – ग्रामीण विकास विभाग
जहाँ पुल क्षतिग्रस्त हो गए हों, वहाँ बेली ब्रिज (Bailey Bridges) / अस्थायी सड़क संपर्क स्थापित करने के लिए सेना / SDMA के साथ समन्वय करें	DM / ADM

12.7 शव निपटान (Dead Body Disposal Action)

कार्य	उत्तरदायित्व
गांव / वार्ड स्तर पर मृत शरीरों की पहचान हेतु समिति का गठन	एडीएम/एसडीएम/नगरीय निकाय (ULB)
मृत शरीर इन्वेंटरी रजिस्टर में प्राप्त शवों का विवरण दर्ज करना, व्यक्तिगत पहचान संख्या आवंटित करना, फोटो खींचना, और मृत शरीर पहचान प्रपत्र भरना	तहसीलदार/एसडीएम
मृत शरीरों की पहचान करना और निकटतम परिजनों को सौंपना	गांव स्तर/वार्ड स्तर समिति
अज्ञात मृत शरीरों को नजदीकी अस्पताल या जिला/उपखंड/ब्लॉक स्तर के शवगृह में ले जाना	एसडीएम/एडीएम
पहचान स्थापित करने हेतु सार्वजनिक घोषणा करना	एसडीएम/एडीएम
पहचाने गए मृत शरीरों को निकटतम परिजनों को सौंपना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार
अज्ञात मृत शरीरों के मामले में दृ सूची तैयार करना, व्यक्तिगत पहचान संख्या देना, फोटो खींचना, फिंगर प्रिंट लेना, यदि संभव हो तो डीएनए सैंपल लेना, और मृत शरीर पहचान प्रपत्र भरना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार
रिकॉर्ड की गई जानकारी को फॉरेंसिक जानकारी के रूप में सुरक्षित रखना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार
बिना दावे वाले / अज्ञात मृत शरीरों का धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार
गैर–सरकारी संगठनों (छळव्े) के साथ समन्वय करना और उनका सहयोग प्राप्त करना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार
विदेशी नागरिकों (यदि कोई हो) के शवों को रासायनिक या एम्बाल्मिंग विधियों से संरक्षित करना, फिर उन्हें शव थैलियों या ताबूतों में उचित लेबलिंग के साथ रखना, और विदेश मंत्रालय, संबंधित देशों के वाणिज्य दूतावासों तथा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं को सौंपने एवं परिवहन हेतु तैयार करना	एसडीएम/ एडीएम/तहसीलदार

12.7.1 पशु शवों का निपटान (Carcass Disposal)

कार्य	उत्तरदायित्व
प्राप्त पशु शवों का विवरण दर्ज करना	एसडीएम /एडीएम /तहसीलदार / पटवारी
पशुओं के मालिकों की पहचान कर पशु शव सौंपना	एसडीएम / एडीएम / तहसीलदार / पटवारी
अज्ञात पशु शवों का फोटो लेना, यदि संभव हो तो निपटान से पहले	एसडीएम / एडीएम / तहसीलदार / पटवारी
अज्ञात या बिना दावे वाले पशु शवों को निपटान के लिए निर्धारित स्थल तक पहुँचाना	सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग
दफनाए गए या सौंपे गए पशु शवों का रिकॉर्ड बनाए रखना	एसडीएम / एडीएम / तहसीलदार / पटवारी
पशु शवों को दफनाने या कम्पोस्टिंग करने हेतु सुझाए गए दिशा–निर्देशों का पालन करना	एसडीएम / एडीएम / तहसीलदार / पटवारी / पशुपालन विभाग

12.7.2 पशु शवों के निपटान के लिए दिशा–निर्देश

दफनाने के लिए दिशा–निर्देश (Guidelines for Burial)

- दफनाने की प्रक्रिया को संभव हो तो सबसे दूरस्थ क्षेत्र में किया जाना चाहिए।
- दफन क्षेत्र को कुओं, झरनों और अन्य जल स्रोतों से कम से कम 300 फीट नीचे की ओर स्थित किया जाना चाहिए।
- किसी भी दफन क्षेत्र को धाराओं या तालाबों से 300 फीट के भीतर या ऐसी मिट्टी में नहीं बनाया जाना चाहिए जो अक्सर बाढ़ग्रस्त रहती हो (जैसा कि देश की मिट्टी सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया हो)।
- गड्ढे या खाई की तली भूजल स्तर से कम से कम 4 से 6 फीट ऊपर होनी चाहिए।
- गड्ढों या खाइयों की गहराई लगभग 4 से 6 फीट होनी चाहिए और इसकी ढलान स्थिर होनी चाहिए, जो 1 फुट ऊँचाई पर 1 फुट चौड़ाई से अधिक तीव्र न हो।
- पशु शवों को गड्ढे या खाई में समान रूप से इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि उनकी अधिकतम मोटाई 2 फीट से अधिक न हो। शव के ऊपर और चारों ओर कम से कम 3 फीट की ढकाई होनी चाहिए। ढकाव इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वर्षा का पानी गड्ढे से बाहर बह सके।
- यदि खाइयाँ खुली छोड़ी गई हों तो उनकी तली को ढलान दी जानी चाहिए और निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। सतही जल को खाई में जाने से रोका जाना चाहिए।
- दफन क्षेत्रों की नियमित जांच होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की धँसावट या गड्ढों को भरा जाना चाहिए।

कम्पोस्टिंग के लिए दिशा–निर्देश (Guidelines for Composting)

- ऐसे स्थल का चयन करें जो अच्छी तरह से जलनिकासी वाला हो, और जल स्रोतों, सिंकहोल्स, मौसमी रिसाव क्षेत्रों या अन्य जल–संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों से कम से कम 300 फीट दूर हो।
- 24 इंच मोटी एक परत बिछाएँ जिसमें भारी, अवशोषक, जैविक सामग्री हो जिनके टुकड़े लगभग 4 से 6 इंच लंबे हों। लकड़ी की चिप्स या भूसे का उपयोग किया जा सकता है। आधार इतना बड़ा होना चाहिए कि शव के चारों ओर 2 फीट की जगह हो।

- पशु को इस परत के केंद्र में रखें। रूमेन (पेट) को चीर दें ताकि गैस से फटने या दुर्गंध की समस्या न हो और कवर सामग्री उड़ न जाए।
- यदि रक्त या शरीर के तरल पदार्थ अधिक मात्रा में हों, तो अवशोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री मौजूद होनी चाहिए। एक अवसाद (गड्ढा) बनाएं जहाँ रक्त को अवशोषित किया जा सके, और फिर उसे ढक दें। अगर रक्त फैल जाए, तो उसे खुरचकर वापस ढेर में डाल दें।
- शव को सूखी, उच्च–कार्बन सामग्री जैसे कि पुरानी साइलैज, आरा–बुरादा, या सुखी बिछावन से ढक दें। कुछ अर्ध–ठोस गोबर डालने से प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि सभी अवशेष अच्छी तरह से ढके हों ताकि बदबू न फैले, गर्मी उत्पन्न हो और कुत्ते या अन्य जानवर पास न आएं।
- ढेर को 4 से 6 महीनों तक ऐसे ही रहने दें, फिर जाँच करें कि शव पूरी तरह सड़ चुका है या नहीं।
- तैयार कम्पोस्ट को अगली बार के लिए फिर से उपयोग किया जा सकता है या बड़े हड्डी के टुकड़े निकालकर खेतों में डाला जा सकता है।
- साइट की सफाई अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे गंध कम होती है, जानवर दूर रहते हैं, और आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बने रहते हैं।

नोट: जिन पशुओं में तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी के लक्षण हों, जो क्वारंटीन के दौरान मरे हों, या जिन्हें एंथ्रेक्स हुआ हो – उन्हें कम्पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए।

12.8 सूचना एवं मीडिया प्रबंधन

कार्य	उत्तरदायित्व
आपात संचालन केंद्र (EOC) या उपायुक्त कार्यालय में मीडिया सेंटर की स्थापना करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करना	जिलाधिकारी
प्रेस विज्ञप्तियाँ तैयार करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
प्रेस विज्ञप्ति के समय का निर्धारण करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय और आवृत्ति का निर्धारण करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
निर्धारित स्थान और समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
वरिष्ठ अधिकारियों से मीडिया की बातचीत के लिए समय निर्धारित करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
आपदा स्थल पर मीडिया के दौरे के दौरान लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)
आपदा प्रतिक्रिया से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स की निगरानी करना और आवश्यक कार्रवाई करना	जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer)

12.8.1 सूचना प्रबंधन के लिए दिशा–निर्देश (Guidelines for Information Management)

- सभी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क पर चेतावनी संकेतों को तुरंत फ्लैश करें।
- आपदा से संबंधित आवश्यक जानकारी को समन्वयित, संग्रहीत, प्रक्रिया, रिपोर्ट, और प्रदर्शित करें।
- प्रमुख सरकारी एजेंसियों को निरंतर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएँ।

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सटीक जानकारी प्रदान करें, ताकि जनता को आसानी से और सही तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके।
- सभी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क को नियमित अंतराल पर स्थिति के अपडेट दें।
- आम जनता को आपदा की स्थिति के बारे में निरंतर और सटीक रूप से अवगत कराते रहें।
- सभी संबंधित एजेंसियों और जनता के बीच उपयोगी जानकारी प्रसारित करने के लिए उपयुक्त ग्राफिक्स और चित्र विकसित करें।
- संबंधित राज्य/जिले से आपदा के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी एकत्र करने हेतु तैयार प्रारूप (formats) प्रदान करें, जिससे कि सटीक संप्रेषण सुनिश्चित हो सके।
- सभी प्रतिक्रिया / राहत और पुनर्प्राप्ति उपायों का दस्तावेजीकरण करें।
- आपदा की प्रारंभिक प्रतिक्रिया अवधि के दौरान हर 3–4 घंटे में स्थिति रिपोर्ट तैयार करें, और उसके बाद प्रतिदिन एक या दो बार रिपोर्ट तैयार करें।

12.9 वीआईपी दौरे का प्रबंधन (VIP Visit Management)

कार्य	उत्तरदायित्व
वीआईपी दौरे की सूचना प्राप्त करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
वीआईपी के स्वागत की व्यवस्था करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
वीआईपी दौरे के लिए विस्तृत योजना और मिनट–टू–मिनट कार्यक्रम तैयार करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
वीआईपी को प्रस्तुत करने हेतु नवीनतम विस्तृत जानकारी युक्त फोल्डर तैयार करना	जिलाधिकारी/सूचना अधिकारी
वीआईपी दौरे के प्रत्येक स्थल जैसे अस्पताल, आपदा प्रभावित समुदाय, राहत शिविर आदि के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना	जिलाधिकारी
पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करना	पुलिस अधीक्षक
वीआईपी दौरे से संबंधित प्रोटोकॉल जैसे एंबुलेंस, फायर टेंडर, सुरक्षा एवं एस्कॉर्ट को सक्रिय करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
आवश्यकतानुसार खुफिया विभाग, एसपीजी और एनएसजी के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करना	पुलिस अधीक्षक
वीआईपी तथा उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के विश्राम एवं ठहरने की उचित व्यवस्था करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
आपदा स्थलों के दौरे की व्यवस्था एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
आवश्यक होने पर हेलीपैड की उपलब्धता सुनिश्चित करना	जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक
प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की व्यवस्था करना	सूचना अधिकारी

12.10 राहत शिविरों की स्थापना

राहत शिविर प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य शिविर में निवास करने वाले लोगों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए शिविर से जुड़े कई पहलुओं और हितधारकों को समावेशी रूप से शामिल करता है।

स्थिति की संभावनाएँ (Situation Assumptions):

1. प्रभावित लोगों का एकत्रीकरण और शिविर में उनका कल्याण।
2. शिविर में संघष/दंगे, स्थान की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
3. जीवन रेखा संसाधनों (पानी, भोजन, बिजली आदि) की अनुपलब्धता हो सकती है।

नोडल एजेंसी: राजस्व विभाग

सहायक एजेंसियाँ: लोक निर्माण विभाग (PWD), स्वास्थ्य विभाग (Health Department), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

राहत शिविर की स्थापना:

- जब राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उपायुक्त (DC) या SDO (C) जिला/उपमंडल आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार पूर्वनिर्धारित स्थान पर राहत शिविर स्थापित करने का आदेश देते हैं।
- यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नया स्थान चुनना पड़े, तो निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए
  - शिविर को प्राथमिकता अनुसार किसी मौजूदा भवन (जैसे सामुदायिक भवन) में स्थापित किया जाना चाहिए।
  - यह स्थान भूस्खलन, बाढ़ आदि के खतरे से मुक्त और सुरक्षित होना चाहिए।
  - यह स्थान यदि संभव हो तो मोटर वाहनों द्वारा सुलभ होना चाहिए।
  - पर्याप्त सड़क, पार्किंग और जल निकासी की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।
- यह क्षेत्र मलेरिया जैसी स्थानिक बीमारियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- शिविर के स्थान के बारे में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और प्रभावित लोगों को सीधे शिविर में लाया जाना चाहिए।
- आपातकालीन राहत सामग्री जैसे कि पीने का पानी, भोजन, बिस्तर (गद्दे, चादरें और कंबल), शिशु आहार, मच्छर भगाने की दवा आदि शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- शिविर में तुरंत कंट्रोल रूम/हेल्प डेस्क स्थापित की जानी चाहिए।

आवास (Shelter):

- आवास ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त सुरक्षा मिल सके।
- पर्याप्त गर्माहट, ताजी हवा, सुरक्षा और निजता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा हो सके।
- टेंट आपस में बहुत समीप न बनाए जाएँ, बल्कि उनके बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए ताकि निजता बनी रह सके।
- टेंट या कमरों के वितरण में विधवाओं, महिला मुखिया परिवारों, दिव्यांगों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शिविर का सामान्य प्रशासन (General Administration of the Camp)

- एक उत्तरदायी अधिकारी को शिविर अधिकारी (Camp Officer) के रूप में जिलाधिकारी (DM) द्वारा नामित किया जाना चाहिए, जो राहत शिविर के सामान्य प्रबंधन के लिए अंततः उत्तरदायी होगा।
- वह शिविर में नियुक्त अन्य अधिकारियों के कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेगा/करेगी।
- एक हेल्प डेस्क/नियंत्रण कक्ष/ अधिकारी कक्ष नामित किया जाना चाहिए, जहाँ शिविर निवासी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

शिविर में मूलभूत सुविधाएँ (Basic Facilities)

प्रकाश व्यवस्था और जनरेटर सेट:

- एक तकनीकी व्यक्ति, अधिमानतः बिजली विभाग या PWD (इलेक्ट्रिकल) से, शिविर के अंदर और आसपास उचित प्रकाश व्यवस्था और जनरेटर सेट के संचालन एवं रख–रखाव की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक कमर /टेंट में एक बड़ी मोमबत्ती और एक माचिस की डिब्बी दी जानी चाहिए।

- शिविर में पर्याप्त संख्या में पेट्रोमैक्स या आपातकालीन लाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- शौचालय और जल स्रोत तक पहुँचने वाले रास्तों को अच्छी तरह से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

जल सुविधाएँ: (Water Facilities)

- पीने के पानी, शौचालय, स्नान, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए आवश्यक कुल पानी की मात्रा का आकलन कर उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
- जल संस्थान विभाग/जल निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी को शिविर में जल आपूर्ति की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग स्नान कक्ष बनाए जाने चाहिए।

स्वच्छता, भोजन – भंडारण एवं वितरण, वस्त्र: (Sanitation, Food- Storage & Distribution, Clothing)

शौचालय:

- शौचालय शिविर/टेंट कमरे से न्यूनतम 10 मीटर और अधिकतम 50 मीटर की दूरी पर स्थित होने चाहिए।
- ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर आदि की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रखी जानी चाहिए।

भोजन – भंडारण एवं वितरण:

- यथासंभव और उपलब्ध स्थान के अनुसार पका हुआ भोजन एक ही हॉल या स्थान पर परोसा जाए ताकि सफाई, स्वच्छता, कचरे का निपटान और व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।
- भोजन स्थानीय संस्कृति और समुदाय की खाद्य आदतों के अनुसार होना चाहिए। ग्रामीण लोग ब्रेड और मक्खन को पसंद नहीं कर सकते।
- बिस्कुट, टिन बंद खाद्य सामग्री, रेडी–टू–ईट भोजन, नूडल्स आदि का वितरण करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि वे एक्सपायरी डेट से पहले हों।
- महिलाओं, दुर्बल और वृद्धजनों के लिए राहत सामग्री प्राप्त करने हेतु अलग कतारें होनी चाहिए।

वस्त्र:

- शिविर में लोगों को मौसम से सुरक्षा हेतु पर्याप्त वस्त्र प्रदान किए जाने चाहिए।
- सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त वस्त्र उपलब्ध कराए जाएं।
- महिलाओं और किशोरियों को आवश्यक सेनेटरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

चिकित्सा सुविधाएँ और मनो–सामाजिक सहयोग:

- एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम को 24 घंटे ड्यूटी पर रोटेशन में नियुक्त किया जाना चाहिए।
- चिकित्सा टीम के लिए एक अलग कक्ष या टेंट उपलब्ध होना चाहिए।
- प्रत्येक सप्ताह शिविर में निवास करने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए।
- साँप के काटने की घटनाओं की संभावना को देखते हुए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में एंटी–वेनम इंजेक्शन का पर्याप्त भंडारण होना चाहिए।
- मानसिक और भावनात्मक सहयोग के लिए परिवार को एक साथ रखा जाना चाहिए, क्योंकि मानसिक सहारा सबसे अच्छा परिवार से ही मिलता है।

महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग और वृद्धों के लिए विशेष व्यवस्था:

- आपदा के समय महिलाएँ अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान कर उचित उपाय किए जाने चाहिए।
- एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं प्रसूति विशेषज्ञ को मौजूद रखना चाहिए ताकि मातृत्व और बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हो सके।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को समय पर सभी आवश्यक टीके लगाए जाएं।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए महिलाओं की एक सतर्कता समिति गठित की जाए।
- शिविर में महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती की जाए, जो महिलाओं की शिकायतों को दर्ज करे और उन्हें हल करे।
- महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के अपहरण को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

कीट नियंत्रण:

- कीट और चूहे शिविरों में आमतौर पर होते हैं, जो बीमारियाँ फैलाते हैं और खाद्य सामग्री को नष्ट करते हैं।
- च्छरों और अन्य उड़ने वाले कीटों से बचाव के लिए फॉगिंग करवाई जानी चाहिए।
- कचरे को अलग–अलग करना और रोजाना एकत्रित करना सुनिश्चित किया जाए।

सुरक्षा:

- शिविर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। शिविर के युवाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है।
- पुलिस कर्मियों की रोटेशन ड्यूटी लगाई जाए।
- शिविर के गेट और चारों ओर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया जाए।

मनोरंजन, विश्राम और IEC कार्यक्रम:

- साहित्यिक क्लब या संगठन पुस्तकें और पत्रिकाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किए जाएं।
- शिविर के लोगों को व्यस्त रखने के लिए मनोरंजन और विश्राम की सुविधाएँ दी जाएं।
- छोटे बच्चों के लिए ICDS परियोजना अधिकारियों की मदद से अस्थायी आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए जाएं।
- शिविर में स्वयंसेवकों की मदद से अस्थायी स्कूल शुरू किए जाएं। SSA द्वारा मुफ्त किताबें, स्टेशनरी, शिक्षा मित्र आदि उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- प्रतिष्ठित NGO को भी शिविर में अस्थायी स्कूल चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

!! सहायता हेतु संपर्क करें !!

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

टोल-फ्री हेल्पलाइन :

1077

☎️ **दूरभाष :**

05964-05962-237874, 237875

📱 **मोबाइल :**

9105673973

✉️ **ई-मेल :**

deoc.alm@gmail.com
ddmo.alm@gmail.com

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
विकास भवन, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर,
जनपद अल्मोड़ा, उत्तराखंड ।